लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 63
Dated 17 Sept 2008

(खण्ड 28 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 28, ग्यारहवां सत्र, 2007/1929 (शक)]

अंक 7, मंगलवार, 21 अगस्त, 2007/30 श्रावण, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1-3
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) विदेश में रेडिफ इंडिया के श्री अजीज हनीफ के साथ साक्षात्कार के दौरान "भारत अमरीकी असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग करार" के बारे में संयुक्त राज्य अमरीका में भारत के राजदूत की साभिप्राय टिप्पणी	
श्री प्रणब मुखर्जी.	4-6
(दो) महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित जेन्डर बजट विश्लेषण के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के एक सौ तिरपनवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्रीमती रेनुका चौधरी	499
(तीन) भारतीय राजदूत द्वारा अपने साक्षात्कार के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण	
श्री प्रणब मुखर्जी	514
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 121 से 140	11-69
अतारांकित प्रश्न संख्या 1108 से 1187 और 1189 से 1337	69-489
सभा पटल पर रखे गए पत्र	491-496
प्राक्कलन समिति	
तेरहवां और चौदहवां प्रतिवेदन	496
लोक लेखा समिति	
अड़तालीसवां और छप्पनवां प्रतिवेदन	497
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
सैंतालीसवें से उनचासवां प्रतिवेदन	497
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
अध्ययन दौरा प्रतिवेदन	498

विषय कॉलम

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश 498

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2007-2008 499

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) तमिलनाडु से हज यात्रियों का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री जे.एम. आरुन रशीद 500

(दो) वरिष्ठ नागरिक के लाभ प्राप्त करने की आयु सीमा 65 के बजाए 60 वर्ष नियत किए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाद अहमद सरडगी 501

(तीन) बिहार के औरंगाबाद में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थायी कैम्प स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री निखिल कुमार 501

(चार) उत्तराखंड के कुमाऊं विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री के.सी. सिंह 'बाबा'. 502

(पांच) अज्ञात रोग से पीड़ित राजनन्दगांव के बैगा समुदाय को राहत देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को तत्काल वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री देवव्रत सिंह 503

(छह) एफ.एम. चैनल का पूरा कवरेज देने के लिए आकाशवाणी बेल्लारी, कर्नाटक में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पद स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री जी. करुणाकर रेड्डी 504

(सात) विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास आयुक्त का कार्यालय कांडला से गांधीनगर स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता

श्री काशी राम राणा 505

विषय		कॉलम
(आठ)	विदर्भ के किसानों के लाभार्थ सरकार द्वारा घोषित विशेष वित्तीय पैकेज में उस क्षेत्र की शेष पांच तहसीलों को शामिल किए जाने की आवश्यकता	
	श्री हंसराज ग. अहीर	505
(नौ)	राजस्थान में एक तेलशोधक कारखाना स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री गिरधारी लाल भार्गव	506
(दस)	मंगलौर और बंगलौर के बीच एक सवारी गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता	
	श्री डी.वी. सदानन्द गौडा	506
(ग्यारह)	केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के अल्लापुजा बाईपास पर दो सड़क ऊपरिपुलों के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
	डा. के.एस. मनोज	507
(बारह)	उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती ऊषा वर्मा	508
(तेरह)	इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत प्रति आवासीय इकाई बजटीय आवंटन की राशि 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए किए जाने तथा प्राकृतिक आपदा प्रवण क्षेत्रों के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कोटा प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री हरिकेवल प्रसाद	508
(चौदह)	बिहार के समस्तीपुर स्थित अजीत कुमार मेहता संस्कृत महाविद्यालय को मान्यता दिए किए जाने की आवश्यकता	
	श्री आलोक कुमार मेहता	509
(पन्द्रह)	उड़ीसा में अस्का से होकर बरहमपुर-फूलबनी और भंजनगर के बीच रेल-सेवा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुग्रीव सिंह	509

विषय कॉलम

(सोलह) सिकन्दराबाद एक्सप्रेस (रेलगाड़ी संख्या 7063) को इसके पूर्व निर्धारित मार्ग पर चलाए जाने की आवश्यकता

श्री जयसिंगराव गायकवाड़ 510

(सत्रह) झारखंड के कोडरमा में एक रेल ऊपरिपुल बनाए जाने की आवश्यकता

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता 511

(अठारह) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहार के सारण जिले के मशरख में बी आर 09-10 का निर्माण कार्य पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुनाथ सिंह 511

(उन्नीस) तमिलनाडु के धरमपुरी नगर स्थित रेडियो स्टेशन को चालू किए जाने की आवश्यकता

डा. आर. सेनथिल 512

(बीस) आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में शादनगर रेलवे स्टेशन पर सभी महत्वपूर्ण एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

डा. एम. जगन्नाथ 513

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 517-518

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 517-532

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 533-534

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 533-536

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 21 अगस्त, 2007/30 श्रावण, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने दो पूर्व सहयोगियों श्री दिलीप चक्रवर्ती और श्री सत पाल कपूर के दु:खद निधन की सूची देनी है।

श्री दिलीप चक्रवर्ती 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने पश्चिम बंगाल के दक्षिण कलकत्ता संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक सुयोग्य संसदविद् श्री चक्रवर्ती 1978-79 के दौरान प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे, 1977 से 1979 तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्य रहे और नागालैंड विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 के अधीन गठित परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

सुविख्यात सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता श्री चक्रवर्ती ने 1935 में बंगाल और असम में छात्र आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने सन् 1942 में 'भारत छोड़ो' आंदोलन में भी भाग लिया। उन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया।

श्री चक्रवर्ती पेशे से अध्यापक थे। वे शिक्षकवर्ग के हितों के प्रबल समर्थक थे और वे असम कालेज टीचर्स एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य और महासचिव रहे। उन्होंने वेस्ट बंगाल कालेज एण्ड यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के महासचिव और बाद में अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। वे 1953 से 1956 तक गुवाहाटी विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्य रहे; 1961 के दौरान कलकत्ता विश्वविद्यालय की सीनेट और 1968 के दौरान कलकत्ता विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के सदस्य रहे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री चक्रवर्ती की भारतीय विद्या और डाक टिकट संग्रह में गहरी रूचि थी और उन्होंने ने खेलकुद को प्रोत्साहन देने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य किया।

श्री दिलीप चक्रवर्ती का कुछ अस्वस्थता के अपरांत 84 वर्ष की आयु में 14 जून, 2007 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में निधन हो गया।

श्री सत पाल कपूर 1971 से 1977 तक पांचवी लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने पंजाब के पटियाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व श्री कपूर 1967 में पंजाब विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे।

एक सुयोग्य संसदविद् श्री कपूर 1972 के दौरान सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 1974 के दौरान नियम समिति, 1975 से 1977 तक कार्यमंत्रणा समिति, पंजाब विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1971 के अधीन गठित परामर्शदात्री समिति और तमिलनाडु राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1971 के अधीन गठित परामर्शदात्री समिति और तमिलनाडु राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 के अधीन गठित परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

श्री कपूर ने 1947-48 के दौरान फरीदकोट और पटियाला रियासतों के पंजाब प्रांत में विलय के लिए आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा की।

एक सुविख्यात सामाजिक कार्यकर्त्ता और मजदूर नेता, श्री कपूर ने पटियाला में पहले श्रमिक संघ की स्थापना की और संपूर्ण पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन (पेप्सू) में मजदूर संघों के गठन में सहायता की। वे 1949 में ट्रेड यूनियन काउंसिल (हिन्द मजदूर पंचायत) के महासचिव रहे। 1952 में वे ट्रेड यूनियन काउंसिल के अध्यक्ष चुने गए। 1956 से 1958 तक वे इंटक से घनिष्ठ रूप से संबद्ध रहे।

एक सजग समाज सुधारक के रूप में श्री कपूर ने पूर्व पटियाला राज्य क्षेत्र के गांवों में कारतकारी सुधार आंदोलन में अग्रणी भूमिका

निभाई और वे 1949 से 1955 तक विभिन्न पदों पर रहते हुए काश्तकारी भूमि सुधार आंदोलनों से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। उन्होंने विद्यालयों और गांवों में सहकारी आंदोलन चलाने में गहरी रूचि ली। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराई के उन्मूलन के लिए अथक प्रयास किये।

श्री कपूर ने अनेक देशों की यात्रा की। वे 1973 में रोमानिया और हंगरी की यात्रा पर गए भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य थे। 1947 से 1975 तक वे भारतीय संसदीय ग्रुप की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में भी नाम निर्दिष्ट किए गए।

श्री सत पाल कपूर का निधन 76 वर्ष की आयु में 19 जुलाई, 2007 को पंजाब के पटियाला में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी और सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

अब, सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी के लिए मौन खड़ी होगी।

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ क्षण के लिए मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आज समाचार पत्र में यह छपा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस सदन को चलना अत्यंत कठिन हो गया है। कृपया ध्यान से सुनिये। मुझे प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा से प्रश्न काल स्थगित करने के लिए एक पूर्व सूचना प्राप्त हुई है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह मामला अमरीका में हमारे राजदूत द्वारा दिए गए कथित बयान अथवा की गई टिप्पणियों से संबंधित है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेहरबानी करके आप बैठ जाइये। बैठना अच्छा शोभा देता है, खड़ा होना शोभा नहीं देता है।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : आप हमारी बात तो सुन लीजिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, मैंने भी इस विषय के संबंध में पूर्व सूचना दी हुई है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इतने क्षुब्ध हैं कि आपने समय पर पूर्व सूचना भी नहीं दी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया ध्यान से सुनिये। हमें सरकार से सूचना प्राप्त हुई है। माननीय विदेश मंत्री जी वक्तव्य देना चाहते है, वह मेरे पास मौजूद है। इस वक्तव्य में, इस रिपोर्ट को नकारा गया है। चूंकि आप सभी लोग इसी मुद्दे पर क्षुब्ध हैं, अतः माननीय विदेश मंत्री जी को अपना वक्तव्य देने दीजिए।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, कृपया अब मुझे बोलने की अनुमति दीजिए।...*(व्यवधान)*

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य*

(एक) विदेश में रेडिफ इंडिया के श्री अजीज हनीफ के साथ साक्षात्कार के दौरान "भारत-अमरीकी असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग करार" के बारे में संयुक्त राज्य अमरीका में भारत के राजदूत की साभिप्राय टिप्पणी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी को अपना वक्तव्य देने दें। आखिरकार, हम केवल समाचार पत्रों में छपे समाचार के आधार पर ही कार्यवाही नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

---

*ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 6746/2007

अध्यक्ष महोदय : एक शब्द भी कार्यवाही-वृतान्त में शामिल मत कीजिए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उनके वक्तव्य के बाद यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो कह सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किसी काल्पनिक उद्धृत बयान के आधार पर आप सभा की कार्यवाही में बार-बार व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, वे मेरा वक्तव्य सुनने के पश्चात बोल सकते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी का वक्तव्य सुनने के बाद आप बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं? आप आजकल सबसे अधिक अनुशासनहीनता दिखा रहे हैं। मंत्री जी का वक्तव्य सुनने के बाद यदि आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं और मैं आपको वह कहने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उनके बाद आपको कुछ बोलना है तो बोलिये। आप तो सबको एज्युम करते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, माननीय मंत्री जी बोलेंगे।

श्री प्रणब मुखर्जी : अध्यक्ष महोदय, भारत-अमरीका द्विपक्षीय असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग करार पर विचार किए जाने के बारे में वाशिंगटन स्थित हमारे राजदूत के कथन के संबंध में आज प्रेस में छपी रिपोर्टों को सदस्यों ने देखा होगा। मैंने अपने राजदूत से संपर्क किया है, जिन्होंने मुझे सूचित किया है कि संवाददाता द्वारा कुछ टिप्पणियां चाहे जान-बूझकर अथवा गलतफहमीवश प्रकाशित की गई हैं। इसके साथ ही संवाददाता ने कई मामलों में हमारे राजदूत की गलत बयानी भी की है।

मैंने अपने राजदूत से स्पष्टीकरण जारी करने को कहा है। ये टिप्पणियां, यदि हमारे राजदूत द्वारा की गई हैं और सही-सही छपी हैं, तो पूर्णतया अवांछित और अस्वीकार्य हैं। लोकतंत्र में हमेशा ही भिन्नता और मतभेद होंगे। विचारों में भिन्नता के आधार पर कोई भी दूसरे पर आरोप नहीं लगा सकता। मुझे कथित टिप्पणियों पर खेद है जिनसे माननीय सदस्यों की भावनाएं आहत हुई हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री लाल कृष्ण आडवाणी।

(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा) : महोदय, राजदूत को हटाया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग एक-एक करके बोलिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोगों की क्या बात है?

[अनुवाद]

आप गैर-जिम्मेदार लोगों की भांति व्यवहार कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए खेद होता है। मंत्री जी ने इस मुद्दे पर सरकार के रुख को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। वे पहले ही यह कह चुके हैं कि यदि ऐसा कहा गया है तो यह पूर्णतया अनुचित है। उन्होंने अपने वक्तव्य में इस बात को नकार दिया है। आप इसकी प्रतीक्षा करें।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

क्या आप किसी अनुमान के आधार पर ही इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं?

(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : महोदय यह बात शर्मनाक बात है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि इन्होंने ऐसा कहा है तो मैं कार्यवाही करूंगा। संसद इतनी शक्तिहीन नहीं है। कृपया बैठ जाइए। किसी समाचार एजेंसी ने नहीं अपितु केवल एक समाचार-पत्र ने यह समाचार प्रकाशित किया है। अब, श्री लाल कृष्ण आडवाणी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सरकार के रुख का संबंध है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि इस सभा के समक्ष उस चैनल विशेष अर्थात रिडफ न्यूज को दिए गए उस साक्षात्कार की जानकारी और पूरा पाठ रखा जाए, क्योंकि केवल नकार देना और यह कह देना: ''मैंने ऐसा नहीं कहा था,'' पर्याप्त नहीं होगा। बहुत-से लोगों को यह सुनकर धक्का लगा है कि उन संसद सदस्यों, जो इस समझौते का विरोध कर रहे हैं, को बिना सिर के मुर्गे (हैडलैस चिकन्स) कहा गया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : विपक्ष के माननीय नेता, हमें इसके पूरे पाठ की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस समय आपको अनुमति दूंगा। इसकी पुष्टि हो जाने दीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं सदन के नेता से यह अनुरोध करता हूं कि वे सभा के समक्ष राजदूत द्वारा दिए गए इस साक्षात्कार का पूरा पाठ रखें। उसके बाद हम उसपर सुविचारित टिप्पणी करेंगे; और फिर जो भी कार्यवाही उचित होगी, हम उस की मांग करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह बात पूर्णतया उचित है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय,...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हो गया।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य आने दीजिए।

(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : महोदय, यह साक्षात्कार पर विश्वभर में www.rediffnews वेबसाइट पर उपलब्ध है। अत: 'यह प्रति आने दीजिए' का प्रश्न नहीं है। इसे पहले ही पूरी दुनिया में परिचालित किया जा चुका है। टिप्पणियां की जाती हैं। महोदय, मैं आपको बता रहा हूं कि यह एक व्यवस्थित प्रारूप है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। नहीं, मैं अब और इसकी अनुमति नहीं दूंगा। जब तक प्रमाणित न हो जाए तब तक मैं समाचार पत्र में छपे समाचारों के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं; मुझे खेद है।

प्रश्न संख्या 121 : श्रीमती करूणा शुक्ला

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती करूणा शुक्ला (जांजगीर) : प्रश्न संख्या 121... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोगों को क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे समझ में नहीं आता, आप गैर-जिम्मेदाराना ढंग से व्यवहार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा कहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक भी शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बोलते रहिए, कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों कृपया मेरे साथ सहयोग करें। हमारे माननीय विदेश मंत्री ने पहले ही यह कह दिया है कि यदि हमारे राजदूत ने 'ये टिप्पणियां' की हैं और यदि ये सही हैं, तो ऐसा सर्वथा अनुचित तथा अस्वीकार्य हैं। और मैंने आपसे वादा किया है कि मैं इस पर कार्यवाही करूंगा। अब इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक भी शब्द कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सारा देश देख रहा है कि सभा में क्या हो रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको आशवासन दिया है कि मैं कार्यवाही करूंगा, संसद इतनी असहाय भी नहीं है। कोई भी दोषी बचेगा नहीं। मंत्री जी ने पहले ही इसकी निंदा की है। यदि यह पाया गया है कि उन्होंने ऐसा कहा है, तो हम समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार के आधार पर बिना पुष्टि किए कार्यवाही नहीं करते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं इस सभा का अनादर नहीं होने दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : सर, संसद की रक्षा कीजिए. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रक्षा के लिए ही तो बोला है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपके नेता ने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष के रुख को सराहना करता हूं। उनके द्वारा वक्तव्य के पूर्ण पाठ प्रति की मांग किया जाना सही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें यह पाने का अधिकार है। मैंने इसको ध्यान में रखा है। वक्तव्य प्राप्त हो जाने के पश्चात मैं सभी को अवसर दूंगा और यह सुनिश्चित सभी को अवसर दूंगा और यह करूंगा कि.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मुझे खेद है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप सभा को कार्य करने देने के पक्ष में नहीं हैं।

सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थागित होती है।

पूर्वाह्न 11.15 बजे

तत्पश्चात लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थागित हुई।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.30 बजे

लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सभा की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभा की कार्यवाही चलने देंगे या नहीं।

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

संयुक्त राज्य अमेरिका को हस्तशिल्प की वस्तुओं का निर्यात

*121. **श्रीमती करूणा शुक्ला :***
श्री पंकज चौधरी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वर्ण आभूषणों तथा ब्रास लैंप सहित भारतीय हस्तशिल्प मदों को प्रदान की जा रही अधिमानता को सामान्योकृत प्रणाली को वापस लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त निर्णय से इन उद्योगों से संबंधित निर्यातकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी हां।

(ख) विकासशील विश्व में आर्थिक विकास का संवर्धन करने की दृष्टि से 136 निर्दिष्ट लाभानुभोगी विकासशील एवं अल्पविकसित देशों के तीन हजार से अधिक उत्पादों के लिए अधिमानी शुल्क मुक्त व्यवहार प्रदान करने के प्रयोजनार्थ अमरीका की सामान्यीकृत अधिमान प्रणाली (जीएसपी) एक-पक्षीय स्कीम है। अमरीका द्वारा इस बात का आकलन करने के लिए इस स्कीम की समय-समय पर समीक्षा की जाती है कि क्या जीएसपी लाभ किसी विशेष लाभानुभोगी देश के उत्पादों के लिए जारी रखे जाने चाहिए। किसी लाभानुभोगी देश के उत्पादों की जीएसपी सूची को संशोधित करते समय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाता है जिन्हें प्रतिस्पर्धी जरूरत की सीमाएं कहा जाता है:-

(i) किसी विशेष लाभानुभोगी देश से किसी उत्पाद का कुल निर्यात उक्त उत्पाद विशेष के कुल अमरीकी आयातों के मूल्य के 50% अथवा उससे अधिक नहीं होना चाहिए; और

(ii) किसी देश विशेष से किसी उत्पाद के कुल निर्यात एक निश्चित मूल्य से अधिक नहीं होने चाहिए जिसे वर्ष 2006 के लिए 125 मिलियन अमरीकी डालर निर्धारित किया गया है।

कुछेक परिस्थितियों में अमरीका द्वारा किसी देश विशेष के किसी उत्पाद के लिए प्रतिस्पर्धी जरूरत की सीमा में छूट प्रदान की जा सकती है। नवीनतम समीक्षा के पश्चात अमरीका द्वारा भारत से निर्यातित स्वर्ण आभूषणों एवं पीतल के लैम्पों के लिए 1 जुलाई, 2007 से जीएसपी लाभ वापस ले लिए गए थे। ब्राजील, थाइलैंड, फिलीपींस, तुर्की, जार्डन, कजाकिस्तान, कोट डि आइवरी जैसे अन्य देशों के कुछेक उत्पादों के लिए भी जीएसपी लाभ वापस ले लिए गए हैं।

(ग) जीएसपी लाभ वापस लिए जाने के कारण भारत से हुए आयातों के लिए अमरीका में स्वर्णाभूषणों पर 5.5% तथा पीतल के लैम्पों पर 3.9% का परममित्र राष्ट्र (एमएफएन) संबंधी आयात शुल्क उद्गृहीत किया जाएगा। जीएसपी के तहत शुल्क मुक्त पहुंच से अमरीकी बाजार में इन दोनों उत्पादों के प्रतिस्पर्धी लाभ को बढ़ाने में मदद मिली थी।

(घ) और (ङ) जी हां। जीएसपी लाभ वापस लिए जाने से पूर्व सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित क्षेत्रों में नियोजित अनेक कामगारों पर प्रतिकूल प्रभावों के आधार पर जीएसपी लाभ जारी रखने के बारे में अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। यूएसटीआर के कार्यालय में 5 सितंबर, 2006 को आभूषणों एवं गैर-विद्युतीय लैम्पों के बारे में एक याचिका दायर की गई थी। इसके अलावा, सरकार ने अप्रैल,

2007 में भारत-अमरीका व्यापार नीति मंच की बैठक में इस मुद्दे को उठाया था। अमरीकी दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत किसी उत्पाद विशेष पर उस स्थिति में जीएसपी लाभों की बहाली की मांग कर सकता है यदि अमरीका को उक्त उत्पाद के भारतीय निर्यात किसी परवर्ती वर्ष में अमरीका द्वारा निर्धारित प्रतिस्पर्धी जरूरत की सीमा संबंधी मापदण्डों से कम रहे हों।

[अनुवाद]

जनजातीय लोगों की हस्तशिल्प कला का उन्नयन

*122. **श्री नवीन जिन्दल :** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनजातीय लोगों द्वारा बनाई गई हस्तशिल्प की वस्तुओं की बिक्री हेतु किन किन विपणन सुविधाओं का सृजन किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जनजातीय लोगों द्वारा बनाई गई हस्तशिल्प की वस्तुओं की बिक्री से वर्ष-वार कितनी आय हुई;

(ग) जनजातीय लोगों की कलाओं के उन्नयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इसके फलस्वरूप उनकी आय में कितनी बढ़ोतरी हुई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. (ट्राइफेड) जनजातीय हस्तशिल्प सहित जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास के लिए उत्तरदायी है। ट्राइफेड ने इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- ट्राइफेड ने देश के विभिन्न शहरों में 41 बिक्री केन्द्र स्थापित किए हैं। इनमें से 20 बिक्री केन्द्र इनके अपने हैं। 21 अन्य बिक्री केन्द्रों में स्टाक का विक्रय राज्य स्तरीय संगठनों/एजेंसियों के सहयोग से पारेषण आधार पर किया जा रहा है।

- ट्राइफेड प्रतिवर्ष नई दिल्ली में "आदिशिल्प" नामक नेशनल ट्राइबल क्राफ्ट एक्सपो का आयोजन करता है, जिसमें जनजातीय कारीगरों को भाग लेने के लिए और अपने उत्पादों के विपणन के लिए आमंत्रित किया जाता है। देहरादून, उत्तरांचल में भी एक राज्य स्तरीय "आदिशिल्प" का आयोजन किया गया था।

  इसके अतिरिक्त, ट्राइफेड जनजातीय कारीगरों को अपने उत्पादों के विपणन के लिए दिल्ली हाट जैसे विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनियों/कार्यक्रमों में भाग लेने और जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/कार्यक्रमों में भी भाग लेने का अवसर प्रदान करता है।

- ट्राइफेड ने अंदरूनी जनजातीय क्षेत्रों में स्थित जनजातीयों तक पहुंचने के लिए और जनजातीय कारीगरों/कारीगर समूह में जनजातीय कला और शिल्प सीधे प्राप्त करने के लिए एक अभ्यास के रूप में "जनजातीय कारीगर मेला" आयोजित करने की एक नई संकल्पना की शुरूआत कह हैं। इस पहल के अनुसार ट्राइफेड राज्य सरकारों/संगठनों के सहयोग से जनजातीय कारीगरों को प्रदर्शनी क्षेत्र में आमंत्रित करता है, जहां वे अपनी वस्तुएं प्रदर्शित करते हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जनजातीय हस्तशिल्पों की बिक्री के माध्यम से सृजित वर्षवार आय निम्नानुसार है :-

वर्ष	बिक्री (लाख रुपए)
2004-05	68.17
2005-06	162.56
2006-07	353.66 (अनंतिम)

(ग) विकाय आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रायोजित "बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई)" के अधीन ट्राइफेड ने जनजातियों के कौशल-उन्नयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए थे:-

- पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में जनजातीय कारीगरों के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण (एचयूटी) और डिजाइन व तकनीकी विकास कार्यशाला (डीटीडीडब्ल्यू) का आयोजन किया।

- पश्चिम बंगाल में कांथा कसीदाकारी, टैक्सटाइल-बाटिक और चर्म शिल्प पर जनजातीय कारीगरों के लिए एक पुनश्चर्या प्रशिक्षण (उन्नत) का आयोजन किया।

(घ) कौशल उन्नयन के परिणामस्वरूप 2005-06 के दौरान पश्चिम बंगाल के बहुत से कारीगरों की अपनी बिक्री शून्य से बढ़कर 4.80 लाख रुपए तक हो गई है और यहां तक कि उन्होंने जिला व राज्यस्तरीय पुरस्कार भी प्राप्त किए।

असम में, छः महीनों के प्रशिक्षण के पश्चात कारीगरों की आय 1.00 लाख रुपए तक पहुंच गई है, जबकि प्रशिक्षण से पूर्व उनके उत्पाद बाजार में स्वीकार्य नहीं थे। इसी भांति, प्रशिक्षण की समाप्ति के छः महीनों के भीतर बांस के कारीगरों की अपनी बिक्री 30,000/- रुपए से भी अधिक हो गई है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

*123. **श्रीमती नीता पटैरिया :**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा इन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि हां, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को बंद करने का निर्णय लिया गया है तो परिषद का कार्य सम्भालने के लिए की गई वैकल्पिक व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के गहन अध्ययन हेतु श्री सुदीप बैनर्जी, तत्कालीन सलाहकार, मावन संसाधन विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति का गठन किया गया था। सरकार समिति की सिफारिशों पर आगे की कार्रवाई कर रही है।

सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन

*124. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्यों द्वारा की गई अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) सर्व शिक्षा अभियान एक तहत कार्यक्रम है। निष्पादन की दृष्टि से स्कूल अवसंरचना हेतु सिविल कार्यों के मामले में बिहार और मणिपुर तथा शिक्षक भर्ती के मामले में पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड पिछड़ रहे हैं।

(ग) स्कूल शिक्षा विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में सूचित किया है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम/सर्व शिक्षा अभियान के तहत 14,98,03,378 रु. की राशि का राज्य परियोजना कार्यालय के संबद्ध सहायक लेखा अधिकारी द्वारा अप्राधिकृत बैंक खातों में विपथन कर दिया गया था। राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के गठन, राज्य सी.आई.डी. द्वारा जांच और तीन लेखा कर्मियों के निलंबन के साथ-साथ अन्य तीन लेखा कार्मियों का राज्य परियोजना कार्यालय से स्थानांतरण की कार्रवाई करते हुए कठोर कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से कहा है कि आंध्र प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित 2000-2001 से अब तक की अवधि के लेखाओं की विशेष लेखा परीक्षा की जाए।

[हिन्दी]

आयात-निर्यात

*125. **श्री महावीर भगोरा :**
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान भारत से निर्यात में कमी आई है जबकि आयात में वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्र-वार और जिन्स-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारत के व्यापार संतुलन के पक्ष में रूख को पलटने हेतु और देश के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्षेत्र-वार और जिन्स-वार क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) चालू वित्त वर्ष 2007-08 की प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए उपलब्ध व्यापार के अनन्तिम आंकड़ों से यह पता चलता है कि पिछले

वर्ष की तुलनीय अवधि के दौरान 23% की वृद्धि की तुलना में डालर के रूप में निर्यात वृद्धि घटकर 18% रह गई है (रुपए के रूप में निर्यात वृद्धि पिछले वर्ष की 29% की तुलना में और भी अधिक घटकर 7% रह गई है)। दूसरी ओर, आयातों में पिछले वर्ष की 19% वृद्धि की तुलना में चालू वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान डालर के रूप में 34% की वृद्धि हुई है।

वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) द्वारा प्रकाशित त्वरित अनुमानों में उपलब्ध क्षेत्र-वार/वस्तु-वार आंकड़ों के अनुसार सभी प्रकार के वस्त्रों के आरएमजी, काटन यार्न फैब्रिक्स, मेड अप्स आदि, प्लास्टिक एवं लिनोलियम, समुद्री उत्पादों, कालीनों, फल एवं सब्जियों, हस्त निर्मित कालीनों को छोड़कर हस्तशिल्प की वस्तुओं, काजू आदि सहित अनेक मदों के निर्यात में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। इसी अवधि के दौरान जिन क्षेत्रों/वस्तुओं के आयात में उच्च वृद्धि दर्ज की गई है, उनमें सोना एवं चांदी, इलेक्ट्रानिक वस्तुएं, मशीनें-विद्युतीय एवं गैर विद्युतीय, मोती, बेशकीमती एवं कीमती नगीने, परिवहन उपस्कर, लौह एवं इस्पात, कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन आदि शामिल हैं।

(ग) रुपए में मजबूती के प्रभाव का आकलन करने और भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने के उपायों का सुझाव देने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया था। समिति ने निर्यातकों को तत्काल राहत देने के लिए कई सिफारिशें की हैं। सरकार ने निर्यातकों के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा की है जिसमें संवर्धित शुल्क हकदारी पासबुक (डीईपीबी) दरें, निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्रीमियम में कमी, अंतिम उत्पाद शुल्क और केंद्रीय बिक्री कर प्रतिपूर्ति की सभी बकाया राशियों के निपटान के लिए 600 करोड़ रु. जारी करना, शुल्क वापसी की दरों में बढ़ोत्तरी तथा लदान पूर्व एवं पश्चात ऋण पर ब्याज दरों में कमी शामिल है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियां

*126. श्री हितेन बर्मन :
श्री मथि चारेनामै :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के साथ युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के उग्रवादी गुटों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार को कुछ अन्य देशों द्वारा सहायता दी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बड़ी संख्या से युद्ध विराम के उल्लंघन की घटनाएं सरकार की जानकारी में आई हैं;

(ङ) यदि हां, तो युद्धविराम जारी रहते हुए भी मारे गए/घायल हुए अथवा अपहृत किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी) : (क) भारत सरकार ने नागालैंड में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड (इसाक/मुइवाह) [एन एस सी एन (आईएम) ओर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [एन एस सी एन (के)]; असम में युनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिड सालिडेरिटी (यू पी डी एस), डिमा हलम दाओगाह (डी एच डी) और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैंड (एन डी एफ बी); और मेघालय में अचिक नेशनल वालेंटियर काउंसिल (ए एन वी सी) के साथ संघर्ष विराम/अभियान स्थगन (एस ओ ओ) करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं।

(घ) विभिन्न ग्रुपों द्वारा हथियारों के साथ चलने और शिविरों में न रुकने, अंतर-गुटीय हिंसा, दूसरे उग्रवादी ग्रुपों की सहायता करने, हथियारों का कथित रूप से अधिग्रहण और संवर्गों आदि में भर्ती करने जैसे मूल नियमों का उल्लंघन किए जाने का पता चला है।

(ङ) उल्लिखित ग्रुपों की गतिविधियों में अपहृत और मारे गए व्यक्तियों की सूचित संख्या नीचे की सारणी में दी गई है:

शीर्ष	2005	2006	2007 (31 जुलाई तक)
मारे गए सिविलियन	121	56	32
मारे गए सुरक्षा बलों के कार्मिक	1	7	1
अपहृत व्यक्ति	72	139	72

इनमें से अधिकांश घटनायें, अंतर-गुट और अंतर-ग्रुप हिंसा से संबंधित हैं। घायल व्यक्तियों का ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(च) संघर्ष विराम/अभियान स्थगन के कार्यान्वयन की इस प्रयोजनार्थ गठित संयुक्त निगरानी ग्रुपों की बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए के उल्लंघन न किए जाएं, निरंतर आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें यह देखने की कार्रवाई शामिल है कि इन ग्रुपों के संवर्ग, अपने शिविरों में जाएं, जब इन ग्रुपों को आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया जाए तो कानून के अनुसार कार्रवाई करने सहित आसूचना का आदान-प्रदान करना और तैनाती तथा संयुक्त अभियानों की निरंतर समीक्षा करना शमिल है।

गैर-सरकारी संगठनों को विदेशों से प्राप्त धनराशि

*127. **श्री प्रभुनाथ सिंह :**
श्री किन्जरपु येरननायडु :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष गैर-सरकारी संगठनों को विदेशों से प्राप्त धनराशियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने गैर-सरकारी संगठनों ने कानून के तहत विनिर्दिष्ट आपे वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए है;

(ग) क्या सरकार को गैर-सरकारी संगठनों/संगठनों द्वारा विदेशों से प्राप्त धनराशियों का अन्यत्र उपयोग किए जाने के बारे में काफी शिकायतें प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो गैर सरकारी संगठन-वार-राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे गैर सरकारी संगठनों/संगठनों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) सरकार द्वारा गैर-सरकारी संगठनों/संगठनों द्वारा विदेशी अंशदान की प्राप्ति और उसके उपयोग पर निगरानी को सुदृढ़ करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (एफ सी आर ए), 1976 के अंतर्गत संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय की धनराशि नीचे दी गई हैं:-

वर्ष	धनराशि (रु. करोड़ में)
2003-2004	5105.50
2004-2005	6256.68
2005-2006	7877.57

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान, उन संगठनों की संख्या, जिन्होंने विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उसके उपयोग की सांविधिक वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं की, नीचे दी गई हैं:-

वर्ष	संगठनों की संख्या
2003-04	11206
2004-05	11781
2005-06	13574

(ग) से (घ) जिन्होंने तीन वर्षों अर्थात 2001-02, 2002-03 और 2003-04 से लगातार अपनी वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हैं, ऐसे 8673 संगठन को पूर्व अनुमति श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। पूर्व अनुमति श्रेणी के अंतर्गत रखे गए संगठनों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। पूर्व अनुमति श्रेणी के अंतर्गत नाम से रखे गए संगठनों की राज्य-वार सूची गृह मंत्रालय की वेबसाइट (http://mha.nic.in/fore.htm) पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, प्राप्त शिकायतों और जांच-पड़ताल के आधार पर, 38 संगठनों पर विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, 24 संगठनों को पूर्व अनुमति श्रेणी में रख दिया गया है और 11 संगठनों के खातों को फ्रीज कर दिया गया है। उन संगठनों की सूची, जिनके विरूद्ध इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई हैं, गृह मंत्रालय की वेबसाइट (http://mha.nic.in/fore.htm) पर उपलब्ध है। विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के लिए 16 मामले विस्तृत जांच-पड़ताल के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिए गए हैं।

(ङ) विदेश अभिदाय की प्राप्ति और उसके उपयोग से संबंधित सांविधिक वार्षिक विवरणियों के आनलाइन प्रस्तुतिकरण की सुविधा शुरू की गई है, जिससे गैर-सरकारी संगठनों को न केवल अपनी वार्षिक विवरणियों को भरने में सुविधा होगी और जिससे उपबंधों का और अधिक अनुपालन किया जा सकेगा बल्कि इससे विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उसके उपयोग के बेहतर प्रबोधन में भी मदद मिलेगी। एक विधेयक, अर्थात्, विदेशी अभिदाय (विनिमयन) विधेयक, 2006 को पहले ही राज्य सभा में 18.12.2006 को प्रस्तुत किया जा चुका है, जहां अन्य बातों के साथ-साथ प्रबोधन तंत्र को सुदृढ़ करने का प्रावधान है।

विवरण

लगातार तीन वर्षों अर्थात 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के लिए वार्षिक विवरणियों को प्रस्तुत न करने के कारण पूर्व अनुमति श्रेणी में रखे गए संगठनों की राज्य-वार सूची

क्र. सं.	राज्य	पूर्व अनुमति श्रेणी के अंतर्गत रखे गए संगठनों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1277
2.	असम	91
3.	बिहार	340
4.	गुजरात	359
5.	केरल	749
6.	मध्य प्रदेश	172
7.	तमिलनाडु	944
8.	महाराष्ट्र	974
9.	कर्नाटक	632
10.	उड़ीसा	434
11.	पंजाब	44
12.	राजस्थान	187
13.	उत्तर प्रदेश	732
14.	पश्चिम बंगाल	669
15.	जम्मू एवं कश्मीर	38
16.	नागालैंड	45
17.	हरियाणा	68
18.	हिमाचल प्रदेश	52
19.	मणिपुर	222
20.	त्रिपुरा	11
21.	मेघालय	24
22.	सिक्किम	7
23.	दिल्ली	441
24.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
25.	दादरा और नगर हवेली	3
26.	गोवा (दमण और दीव)	42
27.	पांडिचेरी	17
28.	चंडीगढ़	14
29.	मिजोरम	14
30.	अरुणाचल प्रदेश	11
31.	छत्तीसगढ़	17
32.	झारखंड	17
33.	उत्तरांचल	25

[हिन्दी]

सुनामी पीड़ितों का पुनर्वास

*128. श्री रामदास आठवले :
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक पुनर्वासित किए गए सूनामी पीड़ितों का राज्य-वार एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सूनामी पीड़ितों विशेषकर महिलाओं के शारीरिक एवं मानसिक शोषण के मामले सरकार को सूचित किए गए है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सूनामी पीड़ितों के पुनर्वास और सूनामी प्रवण तटीय क्षेत्रों में उनके जान व माल की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. रंजिका सेल्वी) : (क) से (घ) दिनांक 26 दिसम्बर, 2004 को भारतीय तटरेखा क्षेत्र में आयी सुनामी ने तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं पांडिचेरी (अब पुडुचेरी) संघ शासित क्षेत्रों के 1396 गांवों के 26.63 लाख लोगों को प्रभावित किया।

इस संबंध में तत्काल राहत के लिए सुनामी प्रभावित क्षेत्रों हेतु ''राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज'' (आर जी आर पी) नामक एक विशेष पैकेज के अंतर्गत 3644.05 करोड़ रु. अनुमोदित किए गए ताकि अनाथों, 18 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों, विधवाओं और विकलांगों को विशेष राहत देने तथा मृत व्यक्तियों के निकट संबंधियों को अनुग्रह राशि का भुगतान किए जाने के साथ-साथ तत्काल राहत और अनुक्रिया, मछली उद्योग और कृषि क्षेत्र की बहाली, अस्थायी आश्रय स्थलों का निर्माण और आधारभूत संरचना की मरम्मत/बहाली की जा सके। (आर जी आर पी) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश (11670), केरल (42500), तमिलनाडु (29700), पुडुचेरी (44000) और ए एन आई (106024) में प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों का तत्काल राहत प्रदान की गई जिसमें मृत व्यक्तियों के निकट संबंधियों को अनुग्रह राशि का भुगतान, खाद्य, जल, दवाएं और अन्य घरेलू सामान शामिल था। लगभग 6.47 लाख व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया और उन्हें 930 राहत शिविरों में रखा गया। प्रभावित व्यक्तियों को बसाने के लिए 44859 अस्थायी/अन्तर्वर्ती आश्रय स्थलों का निर्माण किया गया।

बचाव और राहत कार्य पूरा कर लिए जाने के बाद, दीर्घावधिक पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य पर ध्यान केन्द्रित किया गया। सरकार ने 9870.25 करोड़ रु. की अनुमानित लागत वाले सुनामी पुनर्निर्माण कार्यक्रम (टी आर पी) (जिसे बाद में संशोधित करके 9822.10 करोड़ रु. कर दिया गया) का अनुमोदन किया जिसका कार्यान्वयन वर्ष 2005-06 से 2008-09 के दौरान चार वर्षों में किया जाएगा। दीर्घावधिक पुनर्निर्माण के संबंध में आर जी आर पी से 1776.62 करोड़ रु. की राशि टी आर पी में शामिल की गई है। टी आर पी में आवास, मछली उद्योग, कृषि और जीवन-विर्वाह, सड़कें औरपुल तथा अन्य आधारभूत संरचना जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यकलाप शामिल किए गए हैं। 31.03.2007 तक प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के संबंध में हुई प्रगति निम्नवत् है:-

क्षेत्र	राज्य	कुल	हुई प्रगति
1	2	3	4
आवास (निर्मित/पूरा होने वाले आवास) (आवासों की संख्या)	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9797	1409
	पुडुचेरी	7567	3035
	तमिलनाडु	116157	44137
	आंध्र प्रदेश	481	481
	केरल	13640	4055

1	2	3	4
मछली उद्योग में जीवन-निर्वाह (मरम्मत की गई/बदली गई नावों की संख्या)	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2141	1958
	पुडुचेरी	7892	7892
	तमिलनाडु	37728	37728
	आंध्र प्रदेश	11394	10395
	केरल	3989	1585
कृषि क्षेत्र में जीवन-निर्वाह (सुधारी गई भूमि का क्षेत्र है. में)	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8069	4087
	पुडुचेरी	1145	845.18
	तमिलनाडु	8845.172	8845.172
	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य
	केरल	2151	विभिन्न जीवन निर्वाह/उद्धार स्कीमें प्रगति पर है

किसी भी सुनामी प्रभावित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने किसी भी सुनामी पीड़ित, विशेषकर महिलाओं के शारीरिक और मानसिक शोषण के किसी भी मामले की सूचना नहीं दी है।

सुनामी संभावित क्षेत्रों में लोगों के जान-माल की सुरक्षा करने के लिए समुद्र सूचना प्रणाली के भारतीय राष्ट्रीय केन्द्र, हैदराबाद में पूर्व-चेतावनी प्रणाली स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस कार्य के सितंबर, 2007 तक पूरा किया जाना निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, टी आर पर के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत, आवासों का निर्माण भूकंप/चक्रवात प्रतिरोधक संरचना के भवन कोड के अनुरूप करना होगा और आवासों का विभिन्न जोखिमों के संबंध में 10 वर्षों के लिए बीमा कराना होगा। साथ ही, तमिलनाडु में 52569 और केरल में 9605 संवेदनशील आवास टी आर पी के अंतर्गत स्थान बदलने/पुनर्निर्माण के लिए अनुमोदित किए गए हैं।

[अनुवाद]

मानव दुर्व्यापार संबंधी दक्षेस सम्मेलन

*129. **श्री किसनभाई वी. पटेल :**

श्री सुग्रीव सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मानव दुर्व्यापार पर दक्षेस (सार्क) देशों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसमें विचार-विमर्श किये गए विभिन्न मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न देशों द्वारा सुझाये गए उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) महिलाओं एवं बच्चों के दुर्व्यापार पर रोक लगाने और इस क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए उक्त सम्मेलन के दौरान लिये गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) जी हां। महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार तथा बाल कल्याण संवर्धन से संबंधित दक्षेस (सार्क) अभिसमय के कार्यान्वयन के लिए

क्षेत्रीय कार्य बल की पहली बैठक, 26 जुलाई, 2007 को नई दिल्ली में हुई थी।

(ख) दक्षेस (सार्क) देशों के प्रतिनिधि मंडलों द्वारा चर्चित विस्तृत मुद्दों का संबंध वैश्यावृत्ति के लिए महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार के लिए जिम्मेदार कारकों; कार्यान्वयन तंत्रों निवारण, संरक्षण और अभियोजन से संबंधित विस्तृत योजनायें विकसित करने; मानीटरिंग को सुदृढ़ बनाने; स्थानीय भाषा में सूचना वितरित करने; स्टेकहोल्डरों की क्षमता का विकास करने; विधायनों को संगत बनाने; एन जी ओ का सहयोग प्राप्त करने; और सीमा नियंत्रण प्राधिकरणों के बीच विभिन्न प्रकार के समन्वय उपाय करने से है ताकि पारगमन और प्रत्यावर्तन सुनिश्चित किया जा सके; और सूचना के आदान-प्रदान का एक ढांचा विकसित करने की जरूरत से है।

(ग) महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार से संबंधित विभिन्न मुद्दों के लिए प्रतिनिध मंडलों द्वारा सुझाय गए उपचारात्मक उपायों का संबंध दक्षेस (सार्क) देशों की विशेषज्ञा तैयार करने और इस प्रयास में एन जी ओ और सिविल सोसाइटियों को शामिल करने, सार्क सदस्य देशों के बीच राष्ट्रीय विधायनों को संगत बनाने, अवैध व्यापार के पीड़ितों के प्रत्यावर्तन के लिए जिम्मेदार प्राधिकरणों से संबंधित सूचना सहित इस विषय पर संसाधनों की सार्क डाइरेक्टरी विकसित करने, इस क्षेत्र के पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए एक समान सेलमुक्त संख्यायें विकसित करने से है।

(घ) बैठक के दौरान निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

(i) अवैध व्यापार का मुकाबला करने के लिए सार्क सदस्य देश, अपनी-अपनी सरकारों, एन जी ओ और सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा बेहतरीन प्रक्रियाओं के आधार सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा;

(ii) अभिसमय के विभिन्न प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए एक मानक परिचालन प्रक्रिया विकसित करने का निर्णय लिया गया; और

(iii) सार्क सदस्य देशों के स्टेकहोल्डरों की क्षमता निर्माण करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने संगत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव किया है।

विदेशी विश्वविद्यालय

*130. **श्री एल. राजगोपाल :**
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में घरेलू शैक्षणिक संस्थाओं के साथ साझेदारी में चल रहे विदेश विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन विश्वविद्यालयों के कार्यकरण के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) कोई विनियामक तंत्र न होने की वजह से देश में कार्य कर रहे विदेशी विश्वविद्यालयों के बारे में सरकार को कोई प्रमाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है। इस समय तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश और कार्यकरण के लिए केवल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने विनियम तैयार किए हैं। जिन्हें वर्ष 2005 में अंतिम बार संशोधित किया गया था। विदेशी शैक्षिक संस्थाओं के प्रवेश तथा कार्यकरण को विनियमित करने के लिए एक विधायी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

भारतीय काफी की मांग

*131. **श्री पी.सी. गद्दीगउडर :**
श्री एम. शिवन्ना

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय काफी की मांग में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय काफी की मांग बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, नहीं। जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़े दर्शाते हैं, पिछले तीन वर्षों के दौरान काफी के निर्यात में कोई गिरावट नहीं आई है। वर्ष

2006-07 का निर्यात वर्ष 2001 में 2,46,908 मी. टन के विगत सर्वश्रेष्ठ निर्यात से अधिक है।

वर्ष	मात्रा मी. टन में	मूल्य अम. डालर में (मिलियन)
2004-05	2,11,765	294.63
2005-06	2,01,555	352.93
2006-07	2,48,804	453.47

(ग) काफी के निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत सरकार काफी बोर्ड के माध्यम से विभिन्न कदम उठा रही है जैसे भारतीय काफी की छवि को बढ़ाने तथा बाजार हिस्से में सुधार करने के लिए प्रमुख विदेशी बाजारों में प्रमुख संचार पहलें करना, निर्यातकों तथा उपजकर्ता निर्यातकों को शामिल करके महत्वपूर्ण विदेशी व्यापार मेलों में भागीदारी, भारतीय निर्यातकों तथा प्रमुख बाजारों में विदेशी क्रेताओं को शामिल करके क्रेता-विक्रेता बैठकों तथा कपिंग सत्रों का आयोजन करना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय काफी की मांग को बढ़ाने के निम्नलिखित पहलों के माध्यम से गुणवत्ता उन्नयन पर बल दिया जा रहा है:-

(i) Xवीं योजना अवधि के दौरान काफी बोर्ड ने अपनी छोटे उपजकर्त्ता क्षेत्र हेतु सहायता नामक स्कीम के अंतर्गत गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम कार्यान्वित किया, जिसमें गुणवत्ता उन्नयन अवसंरचना की स्थापना जैसे- (क) परिष्कृत काफी तैयार करने हेतु फार्म स्तर पर पल्पर-कम-वाशर (ख) काफी को वांछित स्तर तक सुखाने के लिए पक्के ड्राइंग यार्डों का निर्माण, तथा (ग) उत्पाद को समुचित ढंग से रखने के लिए स्टोर हाउसों के निर्माण हेतु छोटे उपजकर्ताओं को 20% सब्सिडी प्रदान की गई।

(ii) बोर्ड अच्छी गुणवत्ता की काफी तैयार करने के लिए कृषक सहभागिता विधि कार्यक्रमों के जरिए उपजकर्ताओं को प्रशिक्षित करने में सक्रियता से कार्यरत है।

(iii) सामुदायिक दृष्टिकोण के माध्यम से अपनी काफी का प्रसंस्करण, भण्डारण एवं विपणन शुरू करके गुणवत्ता युक्त काफी तैयार करने के लिए उपजकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बोर्ड छोटे काफी उपजकर्ताओं को स्वयं सहायता समूहों के गठन में सहायता कर रहा है।

(iv) बोर्ड फ्लेवर आफ इण्डिया-फाइन कप अवार्ड कपिंग प्रतियोगिता का आयोजन वार्षिक आधार पर करता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता विशेषज्ञों द्वारा देश में उत्पादित सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता की काफी का चयन किया जाता है। इसमें विजेता काफी को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अच्छी मान्यता प्राप्त होती है और आकर्षक मूल्य भी मिलता है।

(v) समुचित वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करके भारतीय काफी की गुणवत्ता और मांग बढ़ाने के लिए बोर्ड ने XIवीं योजना के दौरान भी उपर्युक्त कार्यकलापों को जारी रखने का प्रस्ताव किया है।

आदिवासियों को भूमि अधिकार

*132. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आदिवासियों को भूमि अधिकार, वनों के प्रबन्धन की शक्तियां देने तथा उनके जैव विविधता संबंधी बौद्धिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने का है जैसाकि दिनांक 9 जुलाई, 2007 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में समचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की सम्भावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) से (ग) संसद द्वारा अधिनियमित अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 द्वारा पहले से ही वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन भूमि पर वास हेतु अथवा जीविका के लिए स्व-कृषि हेतु किसी सामुदायिक वन संसाधन, जिनका वे सतत उपयोग के लिए परंपरागत रूप से संरक्षण और परिरक्षण करते आ रहे हैं, के संरक्षण, पुन: सृजन अथवा परिरक्षण अथवा प्रबंधन के अधिकारों; जैव-विविधता तक पहुंच के अधिकारों और बौद्धिक संपदा और जैव-विविधिता और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित परंपरागत ज्ञान के सामुदायिक अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है।

प्रश्न में संदर्भित 9 जुलाई, 2007 के ''द हिन्दुस्तान टाइम्स'' में प्रकाशित समाचार ''अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006'' के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा बनाए गए ''अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) नियम, 2007'' के प्रारूप के संदर्भ में है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 19.06.2007 को भारत के राजपत्र में इन नियमों को पूर्व प्रकाशित कराते हुए इसे अंतिम रूप देने से पहले जनता और अन्य हितधारियों से टिप्पणियां और सुझाव मांगे हैं। प्रस्तावित नियम प्रारूप नियम हैं और जनता से प्राप्त होने वाले विचारों और टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए स्थापित प्रक्रिया के अनुसार इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। कार्यान्वयन के लिए उपर्युक्त अधिनियम और नियम को अधिसूचित करने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसी स्थिति में किसी समय अवधि का उल्लेख नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पाठ्यपुस्तकें

*133. **श्री रशीद मसूद** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) द्वारा पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन में एक करोड़ रु. तक के घोटाले के मामले का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) एन.सी.ई.आर.टी. में इस प्रकार की गतिविधियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण ने वर्ष 2005-06 की अवधि से संबंधित अपनी केन्द्रीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट (वर्ष 2007 की नियमित लेखा परीक्षा रिपोर्ट संख्या 3) में यह टिप्पणी की है कि वर्ष 2005-06 के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पाठ्य पुस्तकों के लिए कागज प्राप्त करने की प्रक्रिया में विलम्ब के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में 1.04 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की वित्त समिति ने दिनांक 2.9.2004 को पाठ्य पुस्तकें और उनके कवर तैयार करने के लिए कुछ मात्रा में कागज प्राप्त करने का निर्णय लिया किन्तु आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय की संविदा दिनांक 13.9.2004 को समाप्त हो गई और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बार-बार प्रयास करने के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड पुरानी दरों पर कागज की आपूर्ति करने के लिए सहमत नहीं हुआ।

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने विलम्ब से बचने के लिए उपचारात्मक उपाय किए हैं जिनमें मुक्त निविदा आमंत्रित करने की पद्धति निर्धारित करना, कागज प्राप्त करने की प्रक्रिया को यथा-समय अंतिम रूप देना और गहन अनुवीक्षण करना शामिल है।

(घ) कागज प्राप्त करने में विलम्ब, जिसके कारण अधिक कीमत पर कागज खरीदना पड़ा, परिस्थितिवश और प्रक्रिया के कारण हुआ था न कि गलत उद्देश्य अथवा किसी एक व्यक्ति की गलती के कारण।

[अनुवाद]

विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ आदान-प्रदान संबंधी कार्यक्रम

*134. **श्री अबु अवीश मंडल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालयों को विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ 'आदान-प्रदान संबंधी कार्यक्रम' शुरू करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ऐसे अधिकार प्राप्त विश्वविद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ख) उच्चतर शिक्षा संस्थाएं स्वायत्त संस्थाएं हैं और वे अगस्त, 2004 से शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यकलापों हेतु विदेशी शैक्षिक संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन करने के लिए मुक्त हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर विद्यमान दिशानिर्देशों/निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं को मानव संसाधन विकास मंत्रालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई भी अनुमति लेना अपेक्षित नहीं है। राज्य विश्वविद्यालयों को अपनी संबंधित राज्य सरकारों से पूर्व अनुमति लेने पर ही विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन कर सकने के संबंध में दिनांक 2.5.2003 को इस मंत्रालय द्वारा जारी पूर्व दिशा-निर्देशों को उच्चतर अध्ययन संस्थाओं की स्वायत्तता में हस्तक्षेप न करने को ध्यान में रखते हुए दिनांक 20.8.2004 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से वापस ले लिया गया था।

[हिन्दी]

नक्सली गतिविधियां

*135. श्री कीरेन रिजीजू :

श्री सज्जन कुमार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में आज की तारीख तक नक्सली गतिविधियों में मारे गए/घायल हुए/अपहृत हुए पुलिसकर्मियों और नक्सलियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) नक्सलियों द्वारा प्रयुक्त आधुनिक हथियारों और अपनाए जा रहे तरीकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षों में और चालू वर्ष में 14.8.07 तक मारे गए पुलिस कार्मिकों और नक्सलियों की संख्या नीचे दी गई है:

राज्य	मारे गए पुलिस कार्मिक				मारे गए नक्सली			
	2004	2005	2006	2007 (14.8.07 तक)	2004	2005	2006	2007 (14.8.07 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	6	22	10	2	47	161	133	25
झारखंड	41	27	43	7	18	7	20	9
छत्तीसगढ़	8	47	84	134	14	32	74	54
बिहार	5	24	5	18	1	11	6	2
महाराष्ट्र	6	24	3	1	2	3	19	4
उड़ीसा	4	1	4	2	–	3	14	6
उत्तर प्रदेश	17	–	–	–	–	4	4	1
मध्य प्रदेश	–	1	–	–	1	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पश्चिम बंगाल	13	1	8	—	1	—	2	—
कर्नाटक	—	6	—	1	—	4	—	2
कुल	100	153	157	165	84	225	272	103

उपलब्ध सूचना के अनुसार नक्सली, उन्नत विस्फोटक उपकरणों (आई ई डी)/बारूदी सुरंगों तथा अधुनातन हथियारों का भी उपयोग कर रहे हैं। कानून और व्यवस्था, राज्य का विषय है और नक्सली गतिविधियों पर कारगर ढंग से अंकुश रखने तथा नियंत्रित करने की जिम्मेवारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है। तथापि, इस समस्या से निपटने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रयासों और संसाधनों में पर्याप्त रूप से सहायता प्रदान करती है। राज्य पुलिस बलों की सहायता करने के लिए इस समय केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की 33 बटालियनें, नक्सल-विरोधी ड्यूटियों पर तैनात की गई हैं; विभिन्न राज्यों द्वारा 29 इंडिया रिजर्व बटालियनें गठित किए जाने की मंजूरी दी गई है; राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना के तहत आधुनिक हथियार, अधुनातन संचार उपकरण, गतिशीलता और अन्य आधारभूत संरचना के लिए सहायता प्रदान की जा रही है; सुरक्षा से संबंधित व्यय की कई अन्य मदों की प्रतिपूर्ति भी केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही है; केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के माध्यम से राज्य पुलिस बलों की प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। उपकरण, प्रशिक्षण और बचाव अभियानों के क्षेत्रों में रक्षा बलों द्वारा भी राज्यों को सहायता प्रदान की जा रही है।

राज्यों में भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने पुलिस बलों की विद्यमान रिक्तियों को शीघ्र भरें; केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर की गई इंडिया रिजर्व बटालियनों का गठन करे और उन्हें उपलब्ध कराए गए केन्द्रीय बलों का तथा पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय सहायता का इष्टतम उपयोग करें। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे प्रभावित क्षेत्रों की स्थितियों में सुधार करने के लिए विकास से संबंधित कई स्कीमों का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

[अनुवाद]

तकनीकी शिक्षा हेतु निधियां

*136. **श्री इकबाल अहमद सरकारी :**
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय, उच्च और तकनीकी शिक्षा संबंधी समिति के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा शिक्षा हेतु सकल घरेलू उत्पाद का कतिपय प्रतिशत आवंटित करने के लिए की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा के वित्तपोषण पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड संबंधी समिति ने सुझाव दिया कि शिक्षा के सभी स्तरों के संतुलित विकास हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकार का कुल सार्वजनिक व्यय सकल राष्ट्रीय उत्पाद का छ: प्रतिशत होना चाहिए। परंपरागत नियम के रूप में कुल आबंटन का 25 प्रतिशत, जो कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 1.5 प्रतिशत होगा, को उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा पर एक साथ व्यय किया जाना चाहिए जिसमें उच्चतर शिक्षा पर तकरीबन 1 प्रतिशत तथा तकनीकी शिक्षा पर 0.5 प्रतिशत होना चाहिए। 11वीं योजना को अंतिम रूप दिए जाने पर सार्वजनिक परिव्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि की परिकल्पना की गई।

मनोरंजन उद्योग

*137. **श्री राघापति सांबासिवा राव :**
श्री एम. अप्पादुरई :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मनोरंजन उद्योग को प्रदान किए गए विभिन्न प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मनोरंजन उद्योग द्वारा अर्जित राजस्व में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मनोरंजन उद्योग की समस्याओं को सुलझाने हेतु इस उद्योग के साथ समन्वय करने के लिए कोई बोर्ड है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा मनोरंजन उद्योग की समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) (i) मनोरंजन उद्योग को भारत सरकार से सतत समर्थन प्राप्त होता रहा है। पूर्व के वर्षों में इस क्षेत्र को प्राप्त मुख्य नीतिगत प्रोत्साहन निम्नानुसार हैं:-

वर्ष 1998 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म क्षेत्र को ''उद्योग'' का दर्जा प्रदान किया, फिल्म सहित मनोरंजन उद्योग को संस्थागत एवं वाणिज्यिक ऋणों के लिए एक अनुमोदित औद्योगिक कार्यकलाप के रूप में घोषित किया गया, वर्ष 2002 में फिल्म क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को उदार बनाया गया जिसके तहत स्वचालित मार्ग से शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

विगत में भारत सरकार ने साफ्टवेयर निर्यात करने वाले मनोरंजन क्षेत्र की कंपनियों एवं व्यक्तियों के लिए कर में 100% छूट देने के लिए आयकर अधिनियम के अंतर्गत एक नई धारा शामिल करके, नगरपालिका की सीमाओं से बाहर बहुउद्देशीय परिसरों की स्थापना के लिए कर-अवकाश प्रदान करके, फिल्म उद्योग द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले चलचित्र कैमरों, प्रोजेक्टरों और संबंधित अन्य कतिपय उपस्करों पर सीमा-शुल्क में कटौती करके तथा संगीत की पाइरेसी को रोकने के उद्देश्य से आडियों सी डी को उत्पाद कर से छूट देकर फिल्म क्षेत्र को सूचना प्रौद्योगिकी के समकक्ष लाने की बाबत अनेक राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किए हैं। वर्ष 2007-08 के राजकोषीय बजट के दौरान डिजिटल सिनेमा संबंधी परियोजनाओं के लिए प्राथमिक आयात शुल्क को 10% से घटाकर 7.5% कर दिया गया है। सरकार ने उपग्रह के माध्यम से वितरित सिनेमा को भी सेवा कर में छूट प्रदान की है।

* इसकी निर्यात क्षमता में वृद्धि करने के लिए सरकार औद्योगिक संघों की सहभागिता से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बाजारों जैसे कि कान, अमरीकी फिल्म बाजार आदि में भाग लेने के लिए फिल्म उद्योग को सक्रिय समर्थन देती रही है। विदेशी और घरेलू क्रेताओं को आकृष्ट करने के लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के साथ-साथ एक फिल्म बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। फिल्म समारोह निदेशालय प्रत्येक वर्ष भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन करता है और भारत एवं विदेश के फिल्म समारोहों में नियमित रूप से भाग लेता है।

सरकार फिल्म से संबंधित उपस्करों के अस्थायी आयात के लिए रियायती सीमा-शुल्क की अनुमति देती है और गैर-वाणिज्यिक फिल्म समारोहों में दिखायी जाने वाली भारतीय एवं विदेशी फिल्मों को सेंसरशिप प्रमाणन से छूट प्रदान करती है।

(ii) गत तीन वर्षों के दौरान प्रसारण उद्योग को कोई प्रत्यक्ष प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया गया है। तथापि, कुछ नीतिगत पहलें की गई हैं जिन्होंने प्रसारण उद्योग के विकास को सुविधाजनक बनाया है। की गई ये पहलें निम्नानुसार हैं:-

(1) भारत सरकार ने एक नीति को अंगीकृत करके पहली बार वर्ष 1999-में एफ एम रेडियो क्षेत्र को निजी सहभागिता के लिए खोला। तथापि, इस नीति के अंतर्गत सीमित सफलता मिली और एफ एम नीति चरण-I के अंतर्गत केवल 21 चैनलों को परिचालित किया जा सका। इसकी सीमित सफलता का मुख्य कारण यह था कि लाइसेंस शुल्क के बारे में खुली नीलामी के आधार पर निर्णय लिया गया। अमित मित्रा समिति और ट्राई की सिफारिशों तथा अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए निजी एजेंसियों के जरिए एफ एम रेडियो प्रसारण सेवाओं के विस्तार के लिए एक नई नीति 13 जुलाई, 2005 को अधिसूचित की गई। इस नई नीति में पहले की नियत वार्षिक शुल्क लाइसेंस प्रणाली के स्थान पर राजस्व हिस्सेदारी के रूप में एक कालिक प्रवेश शुल्क और वार्षिक शुल्क के आधार पर अनुमति का प्रावधान है। इसमें आवेदक कंपनी में 20% के कुल विदेशी निवेश स्तर की भी अनुमति दी गई है। इस नीति में चरण-I के लाइसेंस धारकों को चरण-II की पद्धति में अंतरण करने की भी अनुमति है। नई नीतिगत पहल के फलस्वरूप वर्ष 2005-06 में नीलामी

पर प्रस्तुत कुल 337 चैनलों में से 245 चैनलों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई। अभी तक की स्थिति के अनुसार 87 चैनल पहले से ही कार्यशील हैं और शेष चैनलों के मार्च, 2008 तक परिचालित हो जाने की आशा है।

(2) **अपलिंकिंग नीति संबंधी पहलें** : वर्ष 2003 में समाचार एवं समसामयिक विषयक टी वी चैनलों में केवल 26% तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति थी। 26% की समग्र सीमा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ एफ आई आई निवेश को शामिल करने की अनुमति देने के लिए इस नीति में दिसम्बर, 2005 में पुन: आशोधन किया गया। पहले से ही अनुमति प्राप्त सी बैंड के साथ टेलीविजन चैनलों को अपलिंकिंग के लिए आवृत्तियों का कू बैंड भी शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त, डाउनलिंकिंग नीति अधिसूचित की गई जिसमें आवेदक कंपनी में 100% समग्र विदेशी निवेश की अनुमति दी गई और भारत में विदेशी प्रसारकों के निवेश का कारगर बनाने के लिए उनके लिए एक विनियामक प्रणाली का प्रावधान किया गया।

(ख) यह मंत्रालय मनोरंजन उद्योग द्वारा अर्जित राजस्व के संबंध में कोई रिकार्ड नहीं रखता है। तथापि, फिक्की की प्राइसवाटरहाउसकूपर्स की रिपोर्ट के अनुसार मनोरंजन क्षेत्र द्वारा अर्जित राजस्व का प्राक्कलन निम्नानुसार है:-

	2004	2005	2006 (मिलियन रुपए में)
मनोरंजन क्षेत्र	66,600	75,100	91,700**

** अनंतिम आंकड़े

(ग) और (घ) जी, नहीं। मनोरंजन उद्योग के साथ समन्वयन करने के लिए कोई बोर्ड नहीं है। तथापि, ट्राई अधिनियम 1997 के अंतर्गत गठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को प्रसारण सेवाओं हेतु विनियामक के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है। सेवा प्रदाताओं की समस्याओं के संबंध में ट्राई को सौंपी गई विभिन्न भूमिकाओं के अलावा दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण ट्राई को सौंपी गई विभिन्न भूमिकाओं के अलावा दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण को भी सरकार और सेवा प्रदाताओं के बीच तथा दो या दो से अधिक सेवा प्रदाताओं के बीच विवादों पर निर्णय देने के लिए नामोद्दिष्ट किया गया है।

(ङ) भारतीय संविधान की संघ सूची के अनुसार फिल्म उद्योग के संबंध में संघ सरकार प्रदर्शन हेतु चलचित्र फिल्मों को संस्वीकृत/प्रमाणित कर सकती है। सिनेमा से संबंधित अन्य क्षेत्र राज्य सूची में हैं। तथापि, मंत्रालय इस मामले में सहायक की भूमिका स्वयं निभाता है और इसने उद्योग के सामने आ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ कदम निम्नानुसार हैं:-

(i) फिल्म क्षेत्र के लिए अनुप्रयोज्य कराधान एवं शुल्कों सहित विभिन्न पहलुओं/आ रही समस्याओं की जांच करने के लिए कोर समूहों का गठन जिनमें फिल्म उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं। कोर समूहों की सिफारिशें जांचाधीन एवं कार्यान्वयनाधीन हैं।

(ii) यह मंत्रालय मनोरजन उद्योग के सामने आ रही समस्याओं से राज्य सरकारों को अवगत कराने के लिए राज्य सूचना मंत्री सम्मेलन (सिमकान) का आयोजन करता है।

(iii) इस मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम फिल्मों के लिए सीमित निधियां मुहैय्या कराता है और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के उद्देश्यों के अनुरूप फिल्म उद्योग के एकीकृत विकास का पर्यवेक्षण करता है।

(iv) इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और ब्राजील गणराज्य के साथ श्रव्य-दृश्य सह-निर्माण करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(v) पाइरेसी से संबंधित नियमों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आप्टिकल डिस्क कानून के अधिनियमन संबंधी प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया जा रहा है। परिकल्पना है कि जब और जैसे ही आप्टिकल डिस्क कानून बनाया जाता है तो उससे काफी मात्रा में वीडियो पाइरेसी को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। साथ ही, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम में संशोधन के लिए उद्योग से प्राप्त अनुरोधों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास भेज दिया गया है जो कि प्रतिलिप्याधिकार संबंधी मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है।

(vi) विदेशों में भारतीय फिल्मों का संवर्धन करने के लिए फिल्म उद्योग को निधियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वाणिज्य विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार फिल्म और टेलीविजन क्षेत्र हेतु निर्यात संवर्धन परिषद/मंच की स्थापना करने की वांछनीयता पर विचार करने की बाबत 6 मार्च, 2006 को मनोरंजन उद्योग के पणधारियों से अनुरोध किया है।

बुनकरों को सहायता

*138. **श्री गिरिधारी यादव :**
श्री जी. करूणाकर रेड्डी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में बुनकरों को अपना परंपरागत बुनाई का व्यवसाय छोड़कर आजीविका कमाने हेतु अन्य स्थानों पर पलायन करने के लिए विवश होना पड़ा है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा हथकरघा/बुनकर क्षेत्र के लिए प्रस्तावित/अंतिम रूप दिए गए वित्तीय पैकेज का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बुनकरों की सहायता के लिए क्या अन्य उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला) : (क) किसी भी राज्य से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति द्वारा हथकरघा क्षेत्र के लिए संस्तुत वित्तीय पैकेज जो सरकार के विचाराधीन है, की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :-

(i) व्यवहार्य, संभावित रूप से व्यवहार्य और गैर-व्यवहार्य इकाईयों के रूप में प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों का पुनर्निर्माण/श्रेणीकरण। इसके लिए मोटे तौर पर पैरामीटर तैयार कर लिए गए हैं।

(ii) सरकार से पर्याप्त निधि सहायता द्वारा व्यवहार्य और संभावित रूप से व्यवहार्य शीर्ष और प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के तुलनपत्र का परिमार्जन।

(iii) सहकारिता क्षेत्र से बाहर के बुनकरों/गैर व्यवहार्य/अप्रचलित पी.डब्ल्यु सी एस के सदस्यों/संयुक्त दायिता ग्रुप की संकल्पना को अपनाने वाले हथकरघा समूहो में हथकरघा बुनकर ग्रुप वाले कमजोर सहकारी अवसंरचना के क्षेत्र के बुनकरों का संगठन।

(iv) 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार बुनकरों/पी डब्ल्यु सी एस/शीर्ष समितियों के अधिदेय ब्याज और अधिदेय ऋणों का माफ करना।

(v) नाबार्ड और भारत सरकार के बैंकों की ब्याज सहायता सहित 7% की दर से ब्याज पर हथकरघा बुनकरों/समितियों की ऋण जरूरतों कर वित्तपोषण।

(vi) हथकरघा क्षेत्र से जुड़ी एजेंसियों को इक्विटी संवर्धनात्मक एवं विकास सहायता प्रदान करने के लिए नाबार्ड में ''हथकरघा विकास और इक्विटी निधि'' की स्थापना। भारत सरकार आरंभिक 50.00 करोड़ रुपये का अंशदान दे सकती है। नाबार्ड आरंभिक 10 करोड़ रुपये का अंशदान तथा निदेशक बोर्ड द्वारा यथा निर्णीत अंशदान कर सकता है। अन्य बैंकों तथा राज्य सरकारों को भी बाद में निधि में अंशदान के लिए अनुरोध किया जाएगा।

(vii) मास्टर बुनकरों को बुनकरों के विकास हेतु उत्प्रेरक के रूप में उनकी भूमिका को मान्यता देकर इस प्रणाली में लाया जाना होगा और उन्हें बैंक से वित्त प्रदान करके व्यवस्था की जानी होगी।

(viii) प्रमुख पणधारियों उदाहरणार्थ, भारत सरकार, राज्य सरकार तथा नाबार्ड, द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।

(घ) हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय वस्त्र मंत्रालय, पात्र हथकरघा एजेंसियों को हथकरघा क्षेत्र का उत्पादन, उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने तथा बुनकरों की कुशलता बढ़ाकर और अवसंरचनात्मक निविष्टि एवं विपणन सहायता प्रदान करके उनकी आय और सामाजिक-आर्थिक स्थिति बढ़ाते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करके अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। दसवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित मुख्य विकासात्मक योजनाएं थी:- दीन दयाल हथकघा प्रोत्साहन योजना,

एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना, विपणन संवर्धन कार्यक्रम, मिल गेट कीमत योजना, कार्यशाला-सह-आवास योजना, बुनकर कल्याण योजना तथा हथकरघा निर्यात योजना। इसके अलावा, एकीकृत हथकरघा समूह विकास योजना, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना और स्वास्थ्य बीमा योजना वर्ष 2005-06 से शुरू की गई तथा हथकरघा चिह्न (मार्क) वर्ष 2006-07 में शुरू किया गया।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाओं का प्रस्ताव है:-

(1) एकीकृत हथकरघा विकास योजना।

(2) विपणन और निर्यात संवर्धन योजना।

(3) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना।

(4) मिल गेट कीमत योजना।

(5) विविध हथकरघा विकास योजना।

व्यापक राष्ट्रीय जनजातीय नीति

*139. **श्री रूपचन्द मुर्मू :**
हेमलाल मुर्मू :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विकार देश में जनजातीय लोगों की सुरक्षा, सर्वांगीण विकास, कल्याण और सशक्तिकरण इत्यादि को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक जनजाजीय नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गयी है; और

(ग) समाज के विभिन्न वर्गों के उन भागीदारों का ब्यौरा क्या हैं जिनके साथ ऐसी नीति को अन्तिम रूप देने से पूर्व परामर्श किया जा रहा है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) जी हां।

(ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने निम्न मानव विकास सूचकांक, घटिया आधारभूत अवसंरचना, प्राकृतिक संसाधन आधार पर घटते नियंत्रण, उनके प्राकृतिक वास से बेदखल किए जाने के खतरे का निरंतर बने रहना, समाज की मुख्य धारा से बहिष्करण, संपदा और अवसरों के वितरण में असमानता, गैर-सशक्तिकरण और संवैधानिक प्रावधानों का अपर्याप्त कार्यान्वयन जैसे जनजातीय लोगों से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से तथा विकास में उनकी सक्रिय और संसूचित भागीदारी के सुनिश्चिय के लिए राष्ट्रीय जनजातीय नीति, 2007 का प्रारूप तैयार किया है। इस स्थिति में कोई समयावधि निर्धारित नहीं की जा सकती है।

(ग) नीति का प्रारूप जुलाई, 2006 में प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया था और मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया था, ताकि सामान्य जनता की टिप्पणियां प्राप्त की जा सकें। नीति की प्रतियां केन्द्रीय मंत्रियों, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों, अनुसंधान संस्थानों, तथा शिक्षाविद्, मानवविज्ञानियों, जनजातीय एसोसिएशनों, गैर-सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकत्ताओं, व्यापारिक समुदाय/एसोसिएशनों और जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए कार्यरत विशेषज्ञों सहित विभिन्न हितधारियों को भी परामर्श के लिए भेजी गई थीं। विभिन्न हितधारियों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर प्रारूप तैयार किया गया है।

निजी चैनलों द्वारा अशिष्ट प्रसारण

*140. **श्री मोहन रावले :**
श्री हरिभाऊ राठौड़ :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक अश्लील, अपमानजनक और हिंसा वाले कार्यक्रमों/विज्ञापनों/धारावाहिकों के प्रसारण में लिप्त पाए गए निजी चैनलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा उनके विरूद्ध केबल टेलीविजन नेटवर्क (रैगुलेशन) एक्ट, 1995 तथा ऐसे मामलों से निपटने के लिए बनाए गए नियमों के अंतर्गत कोई कार्रवाई की गयी है/किए जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) फूहड़, अपमानजनक एवं हिंसक कार्यक्रम/

विज्ञापन/धारावाहिक आदि प्रसारित करने संबंधी कार्यकलापों में संलग्न पाए गए टेलीविजन चैनलों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। ऐसे मामलों से निपटने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस और की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-1

फूहड़, अपमानजनक और हिंसक कार्यक्रम/विज्ञापन प्रसारित करने संबंधी क्रियाकलापों में संलग्न पाए गए टेलीविजन चैनलों की वर्ष-वार सूची

क्रम सं.	चैनल का नाम
1	2
	वर्ष 2004-05
1.	एम एच 1
2.	ई टी सी
3.	चैनल (V)
4.	यी 4 यू
5.	बल्ले बल्ले
6.	ए पंजाबी चैनल
7.	सिने वर्ल्ड
8.	आई टी वी
9.	एम टी वी
10.	जी न्यूज
11.	इंडियन टी वी
1	2
	वर्ष 2005-06
12.	इंडिया टी वी
13.	फैशन टी वी
14.	इंडिया टी वी
15.	जूम चैनल
16.	ट्रैंड्ज टी वी (जी टेली फिल्म्ज लि.)
17.	स्टार वन चैनल
18.	एन डी टी वी
19.	सहारा टी वी
20.	आस्था चैनल
21.	एशियानेट ग्लोबल
22.	कैरली चैनल
23.	बी 4 यू
24.	सी एन बी सी आवाज चैनल
25.	सब टी वी
26.	जूम चैनल
27.	स्टार उत्सव चैनल
28.	जी गुजराती चैनल
29.	जी बंगला
30.	जी सिनेमा
31.	जी टी वी
32.	स्टार वन चैनल
33.	जया टी वी

1	2
34.	सोनी इन्टरटेनमेंट चैनल
35.	सहारा वन
36.	इन डिजिटल टी वी
37.	तेजा टी वी
38.	जी गुजराती चैनल/जी टी वी
39.	एफ टी वी
40.	चैनल 7
41.	माँ टी वी
42.	जूम चैनल
43.	ई टी सी
44.	एम टी वी
45.	जी न्यूज
46.	स्टार वन
	वर्ष 2006-07
47.	एम एच-I चैनल
48.	ई टी सी हिन्दी/पंजाबी
49.	चैनल (V)
50.	बी 4 यू
51.	जी म्यूजिक
52.	बल्ले बल्ले
53.	एस एस म्यूजिक
54.	एम टी वी
55.	बी 4 यू

1	2
56.	एच बी ओ
57.	टेन स्पोर्ट्स चैनल
58.	सहारा समय
59.	एम टी वी
60.	जूम चैनल
61.	चैनल 7
62.	सहारा समय बिहार चैनल
63.	ई टी वी बंगला
64.	सन टी वी
65.	एन डी टी वी
66.	टोटल टी वी
67.	ए एक्स एन
68.	चैनल (V)
69.	यो म्यूजिक
70.	जी तेलुगु
71.	वी एच-1
72.	स्टार प्लस
73.	एफ टी वी
74.	एशियानेट चैनल
75.	इंडिया टी वी चैनल
76.	योनी मैक्स चैनल
77.	राष्ट्रीय सहारा
78.	आई बी एन 7

1	2
79.	नियो स्पोर्ट्स चैनल
80.	स्टार प्लस चैनल
81.	आई बी एन 7
82.	सहारा समय
83.	सी एन एन आई बी एन
84.	आज तक
85.	हेडलाइंस टुडे
86.	जी न्यूज
87.	स्टार न्यूज
88.	जी न्यूज
89.	स्टार न्यूज
90.	जी मराठी
91.	इंडिया टी वी
92.	आई बी एन 7

विवरण-II

चैनलों को जारी किये गये कारण बताओ नोटिस और की गई कारवाई

क्र.सं.	चैनल का नाम	कारण बताओं नोटिस जारी करने के कारण	कारण बताओ नोटिस जारी करने की तारीख	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	एमएच 1	''कभी आर कभी पार'', ''बिन तेरे सनम'', ''लेके पहला पहला प्यार'', ''मेरी बेरी के बेर'', गीतों का प्रसारण करने के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।	18.10.2004	भविष्य में और अधिक सावधान रहने की चेतावनी देते हुए है और यह सुनिश्चित करनें का निदेश देते हुए कि केवल सीबीएफसी द्वारा 'यू' प्रमाणित फिल्मों/फिल्मों के गीतों फिल्म ट्रेलर/रीमिक्स गीतों/संगीत वीडियो गीतों या एलबम या इसके प्रोमो की ही प्रसारण किया जायेगा, अंतिम आदेश जारी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उन्हें अपने चैनल पर तीन दिनों के लिए चौबीसों घंटे यह स्क्रॉल ''कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन करने पर सू. व प्र. मंत्रालय द्वारा एक चैतावनी दी गई। चैनल भविष्य में और अधिक सावधानी बरतने का आश्वासन देता है'' दिखाने और अनुपालन के प्रमाण के रूप में सीडी प्रारूप में इसकी रिकार्डिंग को मंत्रालय में प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। चैनल ने इसका अनुपालन किया। मामला समाप्त कर दिया गया।

1	2	3	4	5
2.	ईटीवी	''बिन तेरे सनम'', ''चढ़ती जवानी'', ''कभी आर कभी पार'', लेके पहला-पहला प्यार'', ''मेरी बेरी के बेर'' गीतों का प्रसारण करने के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।	18.10.2004	-वही-
3.	चैनल (V)	''चढ़ती जवानी'' गीत का प्रसारण करने पर एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।	18.10.2004	-वही-
4.	बी 4 यू	''कभी आर कभी पार'', ''बिन तेरे सनम'', ''लेके पहला पहला प्यार'' गीतों का प्रसारण करने पर एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।	18.10.2004	-वही-
5.	बल्ले-बल्ले	''चढ़ती जवानी'', ''कभी आर कभी पार'', ''मेरी बेरी के बेर'' ''बिन तेरे सनम'', ''लेके पहला पहला प्यार'' गीतों का प्रसारण करने पर एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।	18.10.2004	-वही-
6.	ए-पंजाबी चैनल	''कभी आर कभी पार'' गीत का प्रसारण करने के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।	18.10.2004	मामला समाप्त कर दिया गया।
7.	सिने-वर्ल्ड	26.11.2004 को वयस्क फिल्म का प्रसारण करने पर सिने वर्ल्ड को एक कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था।	23.12.2004	दिनांक 24.03.2005 के आदेश के तहत अपलिंकिंग की अनुमति अस्थायी रूप से तीस दिनों की अवधि के लिए वापिस ले ली गई थी और डीटीएच सेवा पर इसके प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मामला समाप्त कर दिया गया।
8.	आई टीवी	''लेके पहला पहला प्यार'', ''कभी आर कभी पार'', ''कांटा लगा'', ''मेरी बेरी के बेर'', ''चढ़ती जवानी'', ''बिन तेरे सनम'' गीतों का प्रसारण करने पर एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।	02.20.2005	भविष्य में और अधिक सावधान रहने की चेतावनी देते हुए है और यह सुनिश्चित करने का निदेश देते हुए कि केवल सीबीएफसी द्वारा 'यू' प्रमाणित फिल्मों/फिल्मों के गीतों/फिल्म ट्रेलर/रीमिक्स गीतों/संगीत वीडियो गीतों या एलबम या इसके प्रोमो का ही प्रसारण

1	2	3	4	5
				किया जायेगा, अंतिम आदेश जारी कर दिया गया है। उन्हें अपने चैनल पर तीन दिनों के लिए चौबीसों घंटे यह स्क्रॉल "कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन करने पर सू. व प्र. मंत्रालय द्वारा एक चेतावनी दी गई। चैनल भविष्य में और अधिक सावधानी बरतने का आश्वासन देता है" दिखाने और अनुपालन के प्रमाण के रूप में सीडी प्रारूप में इसकी रिकार्डिंग को मंत्रालय में प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। चैनल ने इसका अनुपालन किया। मामला समाप्त कर दिया गया।
9.	एमटीवी	"लेके पहला पहला प्यार", "कभी आर कभी पार", "कांटा लगा", "मेरी बेरी के बेर", "चढ़ती जवानी", "बिन तेरे सनम" गीतों का प्रसारण करने पर एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।	02.02.2005	-वही-
10.	जी. न्यूज	कार्यक्रम संहिता, नियम 6 (1) (), (ञ) (ट) (ण) और 6 (5) का उल्लंघन करते हुए "काल कपाल महाकाल" शीर्षक का एक कार्यक्रम प्रसारित करने पर जी न्यूज चैनल को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया।	09.02.2005	चैनल को भविष्य में और अधिक सावधानी बरतने की चेतावनी देते हुए और 24.06.2006 से 27.06.2006 तक तीन दिनों की अवधि के लिए एक स्क्रॉल भी दिखाने का निदेश देते हुए दिनांक 22.06.2006 को अंतिम आदेश जारी किया गया। चैनल ने आदेश का अनुपालन किया। मामला समाप्त कर दिया गया।
11.	इंडिया टीवी	कार्यक्रम संहिता, नियम 6 (1), (क), (घ), (ट) और (ण) का उल्लंघन करते हुए 27.02.2005 को संसद सदस्यों और विधायकों के निजी कार्यकलापों पर एक कार्यक्रम का प्रसारण करने पर इंडिया टीवी को एक कारण बताओं नोटिस जारी किया गया।	23.03.2005	इंडिया टीवी चैनल ने इस चूक पर खेद व्यक्त किया है। कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन करने पर इंडिया टीवी को एक चेतावनी जारी की गई है और इसे भविष्य में और अधिक सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। मामला समाप्त कर दिया गया।
12.	इंडिया टीवी	कार्यक्रम संहिता, नियम 6 (1), (क), (ट) और (ण) तथा नियम 6 (5) का उल्लंघन करते हुए 16.03.2005 को रात्रि 9.00 बजे स्वामी नारायण मंदिर के पुजारी की यौन संलिप्तता संबंधी समाचार प्रसारित करने पर इंडिया टीवी को एक कारण बताओं नोटिस जारी किया गया।	19.05.2005	इंडिया टीवी चैनल ने इस चूक पर खेद व्यक्त किया है। कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन करने पर इंडिया टीवी को एक चेतावनी जारी की गई है और इसे भविष्य में और अधिक सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। मामला समाप्त कर दिया गया।

1	2	3	4	5
13.	फैशन टीवी	कार्यक्रम संहिता और डीटीएच लाईसेंस करार की शर्त सं. 5.1 का उल्लंघन करने वाले कतिपय कार्यक्रमों का प्रसारण करने पर एफ टी वी को एक कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था।	25.05.2005	अंतिम आदेश 13.04.2006 को जारी किया गया। मामला समाप्त कर दिया गया।
14.	इंडिया टीवी	''रूप अमृत'' शीर्षक के विज्ञापन का प्रसारण करने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया।	11.08.2005	अंतिम चेतावनी 10.04.2006 को जारी की गई। मामला समाप्त कर दिया गया।
15.	जूम चैनल	सोमवार से गुरूवार रात्रि 11.00 बजे ''डेंजरस'' शीर्षक का कार्यक्रम प्रसारित करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	11.08.2005	निर्णय लेने के लिए फाइल प्रक्रियाधीन है।
16.	ट्रेंड्ज टीवी (जी. टेली फिल्म्स लि)	''लेन्जरी शो'' आदि नामक कार्यक्रमों का प्रसारण करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	11.08.2005	फाइल प्रक्रियाधीन है।
17.	स्टार वन चैनल	''जेन-एक्स'' अधोवस्त्रों के विज्ञापन का प्रसारण करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	12.08.2005	21.09.2005 को चेतावनी जारी की गई। मामला समाप्त कर दिया गया।
18.	एनडी टीवी	''जेन-एक्स'' और ''फ्रेंची एक्स'' अधोवस्त्रों के विज्ञापनों का प्रसारण करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	12.08.2005	-वही-
19.	सहारा टीवी	''जेन एक्स'' अधोवस्त्रों के विज्ञापन का प्रसारण करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	18.08.2005	-वही-
20.	आस्था चैनल	''रूप अमृत'' के विज्ञापन का प्रसारण करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	16.09.2005	इस विज्ञापन का प्रसारण/पुन: प्रसारण न करने और केबल अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित विज्ञापन संहिता का कड़ाई से अनुपालन करने का निदेश देते हुए चैनल को 10.04.06 को अंतिम आदेश जारी किया गया। मामला समाप्त कर दिया गया।

1	2	3	4	5
21.	एशिया नेट ग्लोबल	-वही-	16.09.2005	-वही-
22.	कैराली चैनल	-वही-	16.09.2005	-वही-
23.	बी 4 यू चैनल	-वही-	16.09.2005	-वही-
24.	सीएनबीसी आवाज चैनल	-वही-	16.09.2005	-वही-
25.	सब टीवी	-वही-	16.09.2005	-वही-
26.	जूम चैनल	-वही-	16.09.2005	-वही-
27.	स्टार उत्सव चैनल	-वही-	16.09.2005	-वही-
28.	जी गुजराती चैनल	-वही-	16.09.2005	-वही-
29.	जी बंगला	-वही-	16.09.2005	-वही-
30.	जी सिनेमा	''रूप अमृत'' के विज्ञापन का प्रसारण करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	16.09.2005	इस विज्ञान का प्रसारण/पुन: प्रसारण न करने का निदेश देते हुए चैनल को 10.04.06 को अंतिम आदेश जारी किया गया।
31.	जी टी वी	-वही-	16.09.2005	-वही-
32.	स्टार वन चैनल	-वही-	16.09.2005	-वही-
33.	जया टीवी	-वही-	21.09.2005	-वही-
34.	सोनी एंटरटैमेंट	-वही-	21.09.2005	-वही-
35.	सहारा वन	-वही-	21.09.2005	-वही-
36.	इन डिजीटल चैनल	27.09.2005 को वयस्क–फिल्म ''ख्वाहिश'' का प्रसारण करने पर।	30.09.2005	भविष्य में सावधानी बरतने के लिए कहते हुए चैनल को दिनांक 12.07.2006 को अंतिम आदेश जारी किया गया। मामला समाप्त कर दिया गया।

1	2	3	4	5
37.	तेजा टीवी	''कामसूत्र'' कार्यक्रम का प्रसारण करने पर।	19.10.2005	तीन दिनों तक एक स्क्रॉल दिखाने का निदेश और चेतावनी देते हुए अंतिम आदेश जारी किये गये। चैनल ने आदेशों का अनुपालन किया और उसने स्क्राल की रिकार्डिंग वाली एक सीडी भेज दी है। मामला समाप्त कर दिया गया।
38.	जी गुजराती चैनल/जी टीवी	''आइटम बाम्ब'' कार्यक्रम का प्रसारण करने पर।	19.10.2005	इस विज्ञापन का प्रसारण/पुन: प्रसारण न करने का निदेश देते हुए चैनल को 03.04.06 को अंतिम आदेश जारी किया गया। मामला समाप्त कर दिया गया।
39.	एफ टी वी	09.12.05 को अश्लील कार्यक्रम का प्रसारण करने पर।	13.12.2005	एफ टी वी को भविष्य में ऐसी विषय-वस्तु का प्रसारण करते हुए और अधिक सावधानी बरतने और स्थानीय सरोकारों और सांस्कृतिक संदर्भों को समझने की सलाह दी गई है। मामला समाप्त कर दिया गया।
40.	चैनल 7	राधा स्वामी सत्संग, दयाल बाग, आगरा के अनुयायियों से संबंधित एक घटना पर समाचार प्रसारित करने पर।	26.12.2005	चैनल 7 ने किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर क्षमायाचना की है। चैनल 7 के पत्र को राधा स्वामी सत्संग भेज दिया गया था जिन्होंने दिनांक 18.02.2006 के पत्र के तहत सूचित किया कि चूंकि चैनल ने खेद प्रकट किया है इसलिए मामले को आगे बढ़ाने की उनकी मंशा नहीं है। मामला समाप्त कर दिया गया।
41.	माँ टी वी	''कामसूत्र'', ''मनमथ्य साम्राज्यम'', ''समारम समयम'', और ''सरसम'' शीर्षक के कार्यक्रमों का प्रसारण करने पर।	29.12.2005	सचिव सू. व प्र. ने 17.04.07 को मामले पर आगे कार्रवाई न करने का अनुमोदन किया। मामला समाप्त कर दिया गया।
42.	जूम चैनल	''फन, शीश, शब्द और चाहत'' फिल्मों के ट्रेलर प्रसारित करने पर।	05.01.2006	सीबीएफसी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया गया है और यह प्रक्रियाधीन है।
43.	ईटीसी	''फन, शीश, शब्द और चाहत'' फिल्मों के ट्रेलर प्रसारित करने पर।	05.01.2006	-वही-
44.	एम टीवी	फिल्म ''जहर'' के गीत का प्रसारण करने पर।	16.03.2006	28.06.2006 को संयुक्त सचिव (प्रसारण) का उत्तर अध्यक्ष, सीबीएफसी को भेज दिया गया। मामला समाप्त कर दिया गया।

1	2	3	4	5
45.	जी न्यूज	''देशद्रोह'' कार्यक्रम का प्रसारण करने पर।	17.03.2006	फाइल प्रक्रियाधीन है।
46.	स्टार वन	ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का प्रसारण करने पर।	30.03.2006	25.07.2006 को चैनल को सलाहकारी निदेश जारी किये गये। मामला समाप्त कर दिया गया।
47.	एमएच 1 चैनल	वयस्क फिल्म 'आशिक बनाया आपने' के ''आशिक बनाया आपने'' शीर्षक के वयस्क गीत का प्रसारण करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	10.04.2006	चूंकि गीत के प्रसारण की कोई विशिष्ट तारीख नहीं दी गई थी इसलिए सचिव, सू. व प्र. द्वारा मामले पर आगे कार्रवाई न करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय एमएच 1 चैनल की फाइल सं. 2206/36/2006-बीसी-III में है। मामला समाप्त कर दिया गया।
48.	ईटीसी हिन्दी/पंजाबी	-वही-	-वही-	मामला समाप्त कर दिया गया।
49.	चैनल ( )	-वही-	-वही-	मामला समाप्त कर दिया गया।
50.	बी 4 यू	-वही-	-वही-	मामला समाप्त कर दिया गया।
51.	जी म्यूजिक	-वही-	-वही-	मामला समाप्त कर दिया गया।
52.	बल्ले-बल्ले	-वही-	-वही-	मामला समाप्त कर दिया गया।
53.	एसएस म्यूजिक	-वही-	-वही-	मामला समाप्त कर दिया गया।
54.	एम टी वी	-वही-	-वही-	भविष्य में सावधानी बरतने और एक स्क्राल चलाने का निदेश देते हुए 28.06.2006 को एमटीवी चैनल को अंतिम आदेश जारी किये गये।
55.	बी 4 यू	मार्च, 2006 के दौरान लक्स जेन-एक्स अधोवस्त्रों के विज्ञापनों का प्रसारण करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	18.04.2006	07.08.2006 को चैनल को अंतिम आदेश जारी किया गया। सू. व प्र. मंत्रालय द्वारा 28.11.2006 को स्थाई स्थगन प्रदान किया गया। मामला समाप्त कर दिया गया।
56.	एचबीओ	मार्च, 2006 के दौरान लक्स जेन-एक्स अधोवस्त्रों के विज्ञापनों का प्रसारण करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	18.04.2006	-वही-

1	2	3	4	5
57.	टेन स्पोर्ट्स चैनल	मार्च, 2006 के दौरान लक्स जेन-एक्स अधोवस्त्रों के विज्ञापनों का प्रसारण करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	18.04.2006	-वही-
58.	सहारा समय	मार्च, 2006 के दौरान लक्स जेन-एक्स अधोवस्त्रों के विज्ञापनों का प्रसारण करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	18.04.2006	-वही-
59.	एमटीवी	मार्च, 2006 के दौरान लक्स जेन-एक्स अधोवस्त्रों के विज्ञापनों का प्रसारण करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	18.04.2006	-वही-
60.	जूम चैनल	मार्च, 2006 के दौरान लक्स जेन-एक्स अधोवस्त्रों के विज्ञापनों का प्रसारण करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	18.04.2006	-वही-
61.	चैनल 7	मार्च, 2006 के दौरान लक्स जेन-एक्स अधोवस्त्रों के विज्ञापनों का प्रसारण करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	18.04.2006	अंतिम आदेश जारी नहीं किये गये। सू. व प्र. मंत्रालय द्वारा 28.11.2006 को स्थाई स्थगन प्रदान किया गया। मामला समाप्त कर दिया गया।
62.	सहारा समय बिहार चैनल	मार्च, 2006 के दौरान लक्स जेन-एक्स अधोवस्त्रों के विज्ञापनों का प्रसारण करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	18.04.2006	07.08.2006 को चैनल को अंतिम आदेश जारी किये गये। सू. व प्र. मंत्रालय द्वारा 28.11.2006 को स्थाई स्थगन प्रदान किया गया। मामला समाप्त कर दिया गया।
63.	ईटीवी बंगला	30 मार्च, से 8 अप्रैल, 2006 के दौरान 'व्हाइट मिसचिक होलीडेज' और लक्स जेन-एक्स अधोवस्त्रों के विज्ञापनों का प्रसारण करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	-वही-	-वही-
64.	सन टी वी	लक्स जेन-एक्स अधोवस्त्रों के विज्ञापनों का प्रसारण करने पर।	10.01.2006	-वही-
65.	एनडीटीवी	12.05.2006 को मेडिकल के विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज संबंधी समाचार का प्रसारण करने पर।	01.06.2006	चैनल का उत्तर प्राप्त हो गया है और दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधि के मौकूदगी में रिकार्डिंग की समीक्षा की जानी है।

1	2	3	4	5
66.	टोटल टीवी	24.01.2006 को पटियाला के एक व्यक्ति द्वारा आत्मदाह करने की घटना संबंधी समाचार का प्रसारण करने पर।	07.06.2006	22.11.2006 को सलाहकारी निदेश जारी किये गये। मामला समाप्त कर दिया गया।
67.	एएक्सएन	26.04.2006 को "वर्ल्ड्स सेक्सीयस्ट एडवरटिजमेंट्स" कार्यक्रम का प्रसारण करने पर।	26.06.2006	17.01.2007 से 02 माह की अवधि के लिए एएक्सएन चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 01.03.2007 से प्रतिबंध को हटा दिया गया है।
68.	चैनल (V)	25.06.2006 को अपराह्न 3.00 बजे "से, से, से" गीत का प्रसारण करने पर।	27.07.2006	निर्णय लेने के लिए प्रक्रियाधीन।
69.	यो म्यूजिक	11.05.2006 को गीतों का प्रसारण करने पर।	27.07.2007	संयुक्त सचिव (प्रसारण) द्वारा 13.04.2007 को मामला समाप्त कर दिया गया।
70.	जी तेलुगु	"सोयागम" कार्यक्रम का प्रसारण करने पर।	27.07.2006	चैनल को 17.10.2006 को चेतावनी जारी की गई है।
71.	वीएच 1	10.06.2006 को चाकलेट फैक्टरी एलबम से गायक आर. केली द्वारा गाए गए गीत स्नेक संग का प्रसारण करने पर।	28.07.2006	कारण बताओ नोटिस वापिस ले लिया गया है।
72.	स्टार प्लस	फिल्म "अपहरण" का प्रसारण करने पर।	04.08.2006	कारण बताओ नोटिस वापिस ले लिया गया है।
73.	एफ टी वी	"मिडनाईट हाट" कार्यक्रम का प्रसारण करने पर।	09.08.2006	दो माह के लिए प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने हेतु 29.03.2007 को आदेश जारी किया गया है। 25.05.07 से प्रतिबंध हटा दिया गया है।
74.	एशिया नेट	"नम्मल थम्मिल" कार्यक्रम का प्रसारण करने पर।	19.09.2006	14.11.2006 को चैनल को एक चेतावनी जारी की गई है।
75.	इंडिया टीवी चैनल	आत्मदाह करने के लिए टावर पर चढ़े एक व्यक्ति को दिखाने वाले समाचार का प्रसारण करने पर।	01.11.2006	चैनल का उत्तर प्राप्त हो गया है और यह विचाराधीन है।
76.	सोनी मैक्स चैनल	"फ्लेवर्ड कांडम्स" का विज्ञापन प्रसारित करने पर।	03.11.2006	05.02.2007 को स्क्रीनिंग के बिना चेतावनी दी गई। मामला समाप्त कर दिया गया।

1	2	3	4	5
77.	राष्ट्रीय सहारा 2206/01/07	11.01.2007 को ''राष्ट्रपिता'' महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक समाचार/कार्यक्रम प्रसारित करने पर।	12.01.2007	चैनल ने क्षमा याचना की है और सू. व प्र. मंत्रालय ने दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश दिया। मामला समाप्त कर दिया गया।
78.	आईबीएन 7 2206/01/07	-वही-	-वही-	-वही- मामला समाप्त कर दिया गया।
79.	नियो स्पोर्ट्स चैनल	भारत-वेस्टइंडीज क्रिकेट श्रृंखला के प्रसारण के दौरान नस्लीय भेदभाव दिखाने वाले विज्ञापन का प्रसारण करने पर।	14.02.2007	नियो स्पोर्ट्स चैनल को 04.04.2007 को एक चेतावनी जारी की गई। मामला समाप्त कर दिया गया।
80.	स्टार प्लस चैनल 3105/5/2007	-वही-	-वही-	स्टार प्लस चैनल को 19.04.2007 को एक चेतावनी जारी की गई। मामला समाप्त कर दिया गया।
81.	आईबीएन 7 2206/10/06	''किस्सा पर रोक नहीं'' कार्यक्रम का प्रसारण करने पर।	28.03.2007	इस मामले में निर्णय लेने के लिए फाइल विचाराधीन है।
82.	सहारा समय 2206/11/06	श्री गोपालकृष्ण कश्यप, पटियाला द्वारा आत्मदाह करने संबंधी समाचार का प्रसारण करने पर।	28.03.2007	-वही-
83.	सीएनएन-आईबीएन 2206/15/06	-वही-	28.03.2007	सचिव, सू. व प्र. ने 24.04.2007 को मामले को समाप्त करने का निर्णय लिया। मामला समाप्त कर दिया गया।
84.	आज तक 2206//12/06	-वही-	28.03.2007	-वही-
85.	हेडलांइस टुडे 2206/13/06	-वही-	28.03.2007	उत्तर प्रतीक्षित।
86.	जी न्यूज 2206/09/06	-वही-	28.03.2007	इस मामले में निर्णय लेने के लिए फाइल विचाराधीन है।
87.	स्टार न्यूज 2206/08/06	-वही-	28.03.2007	-वही-
88.	जी न्यूज 2206/09/06	''चुम्मा चुम्मा दे दे'' कार्यक्रम का प्रसारण करने पर।	28.03.2007	-वही-

1	2	3	4	5
89.	स्टार न्यूज 2206/08/06	"सेक्स मी ट्विस्ट" और "किस करो" कार्यक्रमों का प्रसारण करने पर।	28.03.2007	-वही-
90.	जी मराठी 2206/81/06	"गोदरेज फेयर ग्लो सोप" के विज्ञापन का प्रसारण करने पर।	24.04.2007	सचिव, सू. व प्र. ने 18.06.2007 को कारण-बताओ नोटिस वापिस लेने का अनुमोदन किया। मामला समाप्त कर दिया गया।
91.	इंडिया टीवी 804/08/07	सुश्री जान्हवी कपूर पर कार्यक्रम पर प्रसारण करने पर।	02.07.2007	निजी सुनवाई के लिए 07.08.2007 की तारीख दी गई। निर्णय अभी लिया जाना है।
92.	आईबीएन 7 804/2/07	"किस्सा किस का" कार्यक्रम का प्रसारण करने पर।	06.07.2007	चैनल से उत्तर प्राप्त हो गया है।

एशियाई देशों के साथ आपसी सहयोग

1108. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वस्त्र उद्योग दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के वस्त्र उद्योगों के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने का प्रयास कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वस्त्र उद्योग को कोई सहायता प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) और (ख) भारतीय वस्त्र उद्योग संवर्द्धनात्मक प्रयासों, जैसे प्रदर्शनियों का आयोजन, क्रेता विक्रेता मिलन, प्रतिनिधि मंडलों के दौरों, नए उत्पादों के विकास, भारत के उत्पादों के विस्तार, इन देशों के साथ व्यापार करार करने के लिए सरकार को सहायता आदि के माध्यम से दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने का इच्छुक है।

(ग) और (घ) सरकार ने वस्त्र उद्योग के विकास के लिए विभिन्न पहल की हैं जिनमें विभिन्न निर्यात संवर्द्धन योजनाओं, बाजार विकास सहायता योजना, बाजार पहुंच पहल योजना, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी यू एफ एस), एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एस आई टी पी) आदि के माध्यम से सहायता शामिल है।

वनरोपण क्षेत्र का विस्तार किया जाना

1109. डा. एम. जगन्नाथ : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वनरोपण क्षेत्र मुख्यत: केरल और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों तक ही सीमित है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विशिष्ट मृदा और कृषि जलवायु वाली बनरोपण फसलों की पहचान कर ली है जिन्हें क्षेत्रों/राज्यों में उगाया जा सकता है और बढ़ावा दिया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में वनरोपण क्षेत्र के आधार को व्यापक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) चाय तमिलनाडु और केरल सहित 16 राज्यों में उगाई जाती है। छठवीं पंचवर्षीय योजना और इसके

पश्चात विभिन्न गैर-परंपरागत राज्यों में चाय उगाने हेतु कृषि-जलवायु की अनुकूल स्थितियों का पता लगाया गया है और सभी पूर्वोत्तर गैर-परंपरागत राज्यों और उड़ीसा, बिहार एवं उत्तरांचल में भी चाय उगाने की शुरूआत की गई है। देश में चाय का वर्तमान उत्पादन घरेलू और निर्यात स्तर को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तदनुसार, अब चाय के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का आगे और विस्तार नहीं करने का निर्णय लिया गया है। तथापि, 11वीं योजनावधि के दौरान चाय बागान के अंतर्गत पुराने चाय बागानों को जड़ से उखाड़ने और उनके पुनर्रोपण पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। तथापि, पूर्वोत्तर और उत्तरांचल के पहाड़ी क्षेत्रों के लघु क्षेत्र में नए रोपण को 11वीं योजना में शामिल किया गया है।

काफी : काफी की खेती मोटे तौर पर 3 परंपरागत काफी उत्पादक राज्यों अर्थात् कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक सीमित है। 1960 और 1970 के दशक में किए गए व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर काफी बोर्ड ने काफी हेतु मृदा और कृषि-जलवायु की अपेक्षाओं के अनुसार आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में गैर-परंपरागत काफी उत्पादक क्षेत्रों को अभिज्ञात किया है। चूंकि काफी की खेती के लिए वर्षा की स्थिति, तापमान, आर्द्रता, मृदा की विशेषताएं आदि के संबंध में अनुकूल जलवायु की सूक्ष्म स्थितियां अपेक्षित होती हैं इसलिए इसकी खेती को सभी राज्यों में नहीं फैलाया जा सकता। काफी बोर्ड ने 11वीं योजनावधि के दौरान अपने काफी विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत गैर-परम्परागत काफी उत्पादक क्षेत्रों में लगभग 19,500 हेक्टेयर में काफी की खेती का प्रस्ताव किया है।

रबड़ : परंपरागत रूप से रबड़ केरल राज्य और तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में उगाई जाती है जहां रबड़ के लिए कृषि जलवायु उपयुक्त है। रबड़ बोर्ड के सर्वेक्षण से पता चला है कि कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के कतिपय क्षेत्रों में रबड़ की खेती की जा सकती है। परंपरागत पट्टी के अलावा पूर्वोत्तर के असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैण्ड राज्यों में रबड़ की खेती की अधिकतम संभावनाएं हैं। बोर्ड इन राज्यों में 1960 के दशक से रबड़ की खेती के विस्तार के लिए प्रयास कर रहा है और 2005-06 तक पूर्वोत्तर सहित गैर-परंपरागत क्षेत्र में कुल 84,252 हेक्टेयर में रबड़ का रोपण किया गया है।

मसाले : भारत के लगभग सभी राज्यों में भिन्न-भिन्न कृषि जलवायु के क्षेत्रों की अनुकूलता पर निर्भर करते हुए मसालों का उत्पादन किया जाता है। काली मिर्च और इलायची का उत्पादन मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में किया जाता है। आंध्र प्रदेश तथा पूर्वोत्तर राज्यों में काली मिर्च की खेती करने के प्रयास किए जा रहे हैं। देश में बागान क्षेत्र के आधार का विस्तार करने की दृष्टि से मसाला बोर्ड द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में शामिल हैं : छोटी और बड़ी इलायची की उत्पादकता में वृद्धि; मसालों का फसलोत्तर सुधार; दुर्लभ और उच्च मूल्य के मसालों का विकास; जैविक कृषि का संवर्धन; पूर्वोत्तर राज्यों में मसालों का विकास और सलाहकार सेवा का विस्तार।

शिक्षा की गुणवत्ता

1110. **श्री बी.एम. सिद्दीश्वर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी तथा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक संशोधित केन्द्रीय योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने स्कूलों में शैक्षिक पुस्तकालयों की एक नई योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है/किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) 10वीं योजना के दौरान विभाग की निम्नलिखित पांच स्कीमों के घटकों को मिलाकर एक समग्र केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "स्कूलों में गुणवत्ता सुधार" शुरू करने का निर्णय लिया गया था।

(i) विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा में सुधार

(ii) अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलम्पियाड

(iii) विद्यालय शिक्षा में पर्यावरण प्रबोधन

(iv) राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना

(v) विद्यालयों में योग शुरू करना

अन्य बातों के साथ-साथ "विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा के सुधार" घटक को राज्य क्षेत्र स्कीम के रूप में राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को अंतरित करने का निर्णय लिया गया था। यह भी निर्णय लिया गया है कि अन्य चार घटकों का संचालन माध्यमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा किया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पाठ्यक्रम में मानवाधिकार विषय को शामिल किया जाना

1111. **श्री हेमलाल मुर्मू :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विचार देश में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर मानवाधिकारों को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने का है;

(ख) क्या मानवाधिकार आयोग के कार्यदल ने अपनी सिफारिशों का प्रारूप तैयार कर लिया है;

(ग) क्या उपरोक्त कार्यदल ने अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) और विश्वविद्यालय आयोग (यू.जी.सी.) के साथ व्यापक परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने मानवाधिकारों को पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (च) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अनुसार आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर पर मानव अधिकार शिक्षा के लिए एक कार्य दल गठित किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस मुद्दे पर कई कार्यशालाएं भी आयोजित की थी। विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में "मानव अधिकार शिक्षा की प्रोन्नति" पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक स्कीम है जिसके अंतर्गत मानव अधिकार तथा कर्तव्य शिक्षा पर कार्यक्रम के निम्नलिखित पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

(i) एक फाऊंडेशन पाठ्यक्रम

(ii) एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

(iii) एक अक्र स्नातक पाठ्यक्रम

(iv) एक स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम

(v) एक स्नातकोत्तर डिग्री (एम ए/एल एल एम) पाठ्यक्रम

(vi) सेमिनार/संगोष्ठी/कार्यशालाएं

(vii) मूट कोर्ट/माक ट्रायल

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर वैकल्पिक विषय के रूप में आरंभ करने के लिए मानव अधिकार पर एक पाठ्यचर्या तैयार की है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों हेतु पाठ्यपुस्तकों की नई पाठ्यचर्या में मानव अधिकार के घटक शामिल हैं।

हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का निर्यात

1112. **श्री हंसराज गं. अहीर :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात में अलग-अलग कितना योगदान रहा है;

(ख) क्या देश के जनजातीय क्षेत्रों से इस निर्यात को बढ़ावा दिए जाने की संभावनाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या जनजातीय क्षेत्रों में हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के विकास के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) हथकरघा और हस्तशिल्प पर राज्यवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं क्योंकि वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा संकलित सांख्यिकीय आंकड़े केवल अखिल भारतीय आधार के होते । विगत तीन वर्षों के लिए हाथ से बुने गलीचों सहित हस्तशिल्प का कुल निर्यात इस प्रकार है:-

वर्ष	करोड़ रुपये में मूल्य
2004-05	1856776 करोड़ रुपये
2005-06	1926765 करोड़ रुपये
2006-07	20963.00 करोड़ रुपये

हथकरघा उत्पादों के लिए अलग आई. टी सी (एचएस) कोड नहीं होने के कारण अप्रैल, 2003 से आगे हथकरघा उत्पादों के संबंध में निर्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) से (घ) जी, हां। तथापि, हथकरघा और हस्तशिल्प के निर्यात संवर्धन के लिए सरकार की योजनाएं क्षेत्र विशिष्ट नहीं होती हैं। जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के जरिए हथकरघा बुनकरों तथा हस्तशिल्प क्षेत्र के शिल्पियों को आवश्यक प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जा रही है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जनजातीय क्षेत्रों सहित देश से हथकरघा और हस्तशिल्प के निर्यात संवर्धन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं:-

(i) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद देश के महत्वपूर्ण बुनाई केन्द्रों में नियमित रूप से अनेक जागरूकता संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन करता आ रहा है जिनमें उत्पादकता और उत्पाद विविधीकरण हेतु हथकरघा बुनाई, निर्यात प्रलेखन और क्रियाविधि, हथकरघा फैब्रिक्स में सामान्य रंगाई गड़बड़ी और उसका उपचार, हथकरघा डिजाइन संकल्पना और रंग संमिश्रण पर प्रौद्योगिकीय विकास जैसे विषयों पर कार्रवाई की जाती है।

(ii) अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में सहभागिता;

(iii) हथकरघा निर्यात योजना के तहत हथकरघा के विविध रेंज के उत्पादों तथा उनके अंतर्राष्ट्रीय विपणन के विकास हेतु हथकरघा एजेंसियों को सहायता प्रदान की गई है।

(iv) हथकरघा उत्पादों की विशिष्ट पहचान, उनकी वास्तविकता और गुणवत्ता स्थापित करने के लिए 28 जून, 2006 को हथकरघा मार्क योजना आरंभ की गई है।

(v) जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में हस्तशिल्प का निर्यात बढ़ाने हेतु हस्तशिल्प विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं:- उत्पाद विकास कार्यक्रम का आयोजन, प्रौद्योगिकीय वर्गवर्धन; अवसंरचना विकास, उत्साही अंतर्राष्ट्रीय विपणन, विषय विशिष्ट मेले, ब्रांड छवि संवर्धन और संसाधन प्रदर्शनियों आदि का आयोजन।

[अनुवाद]

हथकरघा क्षेत्र में रोजगार

1113. श्री जी. करूणाकर रेड्डी :
श्री महावीर भगोरा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा क्षेत्र में राज्य-वार और संघ क्षेत्र-वार कितने व्यक्तियों के पास रोजगार है;

(ख) विभिन्न हथकरघा योजनाओं के अंतर्गत ऋण सहायता हेतु क्या प्रावधान हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई राशि और लाभ प्राप्त व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोई पृथक प्रावधान हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस इलँगोवन) : (क) हथकरघा तथा विद्युतकरघा की संयुक्त गणना 1995-96 के अनुसार हथकरघा क्षेत्र में बुनाई और संबंद्ध गतिविधियों में 65.51 लाख व्यक्ति संलग्न हैं। हथकरघा क्षेत्र में बुनाई और संबंद्ध गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) हथकरघा बुनकरों और एजेंसियों को विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता अनुदान, न कि ऋण के रूप में सहायता दी जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) अधिकांश कामकार समाज के निर्धनतम और सीमान्तिक वर्गों से संबंधित होने के कारण हथकरघा क्षेत्र पूर्णत: बुनकर अभि-मुख है। इस प्रकार हथकरघा बुनकरों के कल्याण और हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित अनेक योजनाएं, इस क्षेत्र में संचालित गतिविधियों के विशिष्ट रूवरूप को देखते हुए, समुदाय विशिष्ट न होकर बुनकर व्यवसाय अभिमुख हैं।

विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	बुनाई (बुनकर) और संबंद्ध गतिविधियों में लगे व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	490616
2.	अरुणाचल प्रदेश	53473
3.	असम	2322268
4.	बिहार	110732
5.	छत्तीसगढ़	28362
6.	दिल्ली	6708
7.	गोवा	25
8.	गुजरात	57936
9.	हरियाणा	22810
10.	हिमाचल प्रदेश	65099
11.	जम्मू एवं कश्मीर	51847
12.	झारखंड	56975
13.	कर्नाटक	177562
14.	केरल	63153
15.	मध्य प्रदेश	27744
16.	महाराष्ट्र	80901
17.	मणिपुर	462087
18.	मेघालय	#
19.	मिजोरम	#
20.	नागालैंड	126228
21.	उड़ीसा	246782
22.	पांडिचेरी	7369
23.	पंजाब	13160
24.	राजस्थान	71915
25.	सिक्किम**	1228
26.	तमिलनाडु	607675
27.	त्रिपुरा	291761
28.	उत्तर प्रदेश	401362

1	2	3
29.	उत्तराखंड	19322
30.	पश्चिम बंगाल	686254
	कुल अखिल भारत	6551354

#मेघालय और मिजोरम से आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

**सिक्किम के बुनकरों की संख्या के बारे में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

संवेदनशील मदों का आयात

1114. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संवेदनशील मदों की सूची में सूचीबद्ध उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत वर्षों की तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान संवेदनशील मदों के आयात में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने आगामी वर्षों में ऐसी प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) डी जी सी आई एण्ड एस, कोलकाता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार संवेदनशील मदों के आयात में पिछले तीन वर्षों में घट-बढ़ होती रही है, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:-

(मूल्य करोड़ रुपये में)

2004-05	2005-06	2006-07 (अनंतिम)
18832	16789	18555

संवेदनशील मदों में सूचीबद्ध उत्पादों का ब्यौरा http://dgft.delhi.nic.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(घ) सरकार के आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम के भाग के रूप में और हमारी अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं की शर्तों के अनुसरण में भी वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। तथापि आयातों की लगातार बारीकी से निगरानी की जा रही है और सरकार पाटनरोधी कार्रवाई एवं अनिवार्य बी आई एस विनिर्देशनों सहित टैरिफ एवं अन्य तंत्रों के समुचित उपयोग के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई गम्भीर नुकसान अथवा क्षति न पहुंचे।

सामुदायिक रेडियो स्टेशन

1115. **श्री अनवर हुसैन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विशेषकर पूर्वोत्तर राज्य में आज की तिथि तक स्थापित किए गए ऐसे स्टेशनों की राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में ऐसे स्टेशनों को स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) में यथाप्रदत्त उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आकाशवाणी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में पांच सामुदायिक रेडियो स्टेशन अर्थात् मेघालय में दो, नागालैंड में दो और मिजोरम में एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन की पहले ही स्थापना कर दी है।

(घ) सरकार के पास इस समय सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ने सामुदायिक रेडियो पर एक नीति तैयार की है जिसके द्वारा शैक्षणिक संस्थाएं, नागरिक समिति और शैक्षणिक संगठन, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, आई सी ए आर की संस्थाएं, कृषि विज्ञान केन्द्र, पंजीकृत समितियों, समिति

अधिनियम या इस प्रयोजनार्थ संबंधित किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत स्थायत्तशासी निकाय और सार्वजनिक न्यास जैसे 'गैर-लाभकारी' संगठन नीतिगत दिशा-निर्देशों में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना करने के लिए अनुमति प्राप्त करने की बाबत आवेदन कर सकते हैं। ब्यौरा इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in पर उपलब्ध है।

[हिन्दी]

विशेष आर्थिक जोन

1116. श्री बसंतराव भोरे : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड्स) हेतु विशेष प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे तथा इन जोनों के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की कितनी संभावना है; और

(ग) बेरोजगारी दूर करने में ये विशेष आर्थिक जोन कितने सहायक होंगे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) एसईजेड स्कीम के मुख्य उद्देश्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के साथ-साथ अतिरिक्त आर्थिक कार्यकलाप का सृजन करना, वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यातों का संवर्धन करना, घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश का संवर्धन करना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना हैं। एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियमावली, 2006 के 10 फरवरी, 2006 को लागू होने के समय से 19 राज्यों और 3 केन्द्रशासित क्षेत्रों में फैले 366 एसईजेडों हेतु औपचारिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। इन एसईजेडों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करवाई जाएंगी और चूंकि इन्हें एसईजेड नियमावली, 2006 के अंतर्गत घरेलू टैरिफ क्षेत्र से अपनी अपेक्षाओं का कच्चामाल और सेवाएं प्राप्त करने की अनुमति है, जो इसमें निर्धारित शर्तों के अध्यधीन होगा इसलिए डीटीए के साथ सुदृढ़ बैकवर्ड लिंकेजिज के विकास की अच्छी गुंजाइश बनी रहती है जिसकी समग्र औद्योगिक विकास में परिणति होगी।

(ग) एसईजेड अधिनियम के अंतर्गत अब तक प्रदान किए गए 366 औपचारिक अनुमोदनों में से 136 एसईजेडों को अधिसूचित कर दिया गया है। इन एसईजेडों से अब तक 40153 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराया गया है। यह अनुमान है कि यदि औपचारिक रूप से अनुमोदित सभी 366 एसईजेड प्रचालन करना शुरू कर देते हैं तो वर्ष 2009-10 तक, 4 मिलियन से अधिक अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना

1117. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में देश में संचालित किए जा रहे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आगामी दो वर्षों में स्थानवार कितने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) जी, हां। सरकार का ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 20 नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव है। योजना आयोग के परामर्श के अनुसार, सार्वजनिक व निजी भागीदारी पद्धति में नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया है। कार्यबल, को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। योजना आयोग का "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही स्थान, समय-अनुसूची, अवस्थिति आदि संबंधी ब्यौरे को अंतिम रूप दिया जाएगा।

इस समय भारत सरकार द्वारा चार भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की गयी है तथा वे देश में कार्यशील हैं। ये संस्थान हैं: (1) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (2) अटल बिहारी वाजपेयी-भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध संस्थान, ग्वालियर (3) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग संस्थान, जबलपुर तथा (4) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग संस्थान कांचीपुरम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद का एक विस्तार केंद्र अमेठी में भी स्थापित किया गया है।

प्राथमिकी दर्ज करने संबंधी दिशानिर्देश

1118. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने पुलिस कार्मिकों द्वारा प्राथमिकी नहीं दर्ज करने की प्रवृत्ति रोकने तथा प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर पुलिस कार्मिकों को निलंबित करने हेतु दिशानिर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को ऐसे दिशानिर्देश जारी किये है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई विशेष कार्ययोजना/सतर्कता/अन्य प्रकोष्ठ बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

संकायों हेतु कैरियर एडवांसमेंट स्कीम

1119. **श्री नारायण चन्द्र बरकटकी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरपूर्व क्षेत्र के विश्वविद्यालयों सहित कई केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संकायों में समय पर कैरियर एडवांसमेंट स्कीम नहीं शुरू की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में निश्चित समय सीमा के अंदर कैरियर एडवांसमेंट स्कीम योजना को शुरू करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा सम विश्वविद्यालय संस्थाओं के शिक्षकों के लिए संशोधित कैरियर प्रोन्नति योजना, जिसका पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित अनुरक्षण व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वहन किया जाता है, 27 जुलाई, 1998 से प्रभावी हो गई है।

[हिन्दी]

अवसंरचना प्रबंधन सेवा पाठ्यक्रमों का शुरू किया जाना

1120. **श्री संजय धोत्रे** :
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेक्नीकल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट तथा इंडियन इंस्टीट्यूट आफ हार्डवेयर टेक्नोलाजी ने सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय के साथ मिलकर पहली बार अवसंरचना प्रबंधन सेवाओं संबंधी पाठ्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें कितने विषय शामिल किए गए हैं तथा उनके नाम क्या हैं;

(घ) देश में उक्त कितने केंद्र खोले जाएंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ङ) सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस विश्वविद्यालय ने इंडियन इंस्टीट्यूट आफ हार्डवेयर टेक्नोलाजी के सहयोग से अवसंरचना प्रबंधन सेवा से संबंधित निम्नलिखित दो पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं:-

(i) तीन वर्ष का बी.एस.सी. (अवसंरचना प्रबंधन सेवा)

(ii) एक वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा (अवसंरचना प्रबंधन सेवा)

सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय द्वारा देश के निम्नलिखित राज्यों में 25 अध्ययन केंद्र खोलने प्रस्तावित है:

(i) राजस्थान-2 (ii) दिल्ली-1 (iii) उत्तरांचल-1 (iv) उत्तर प्रदेश-2 (v) पश्चिम बंगाल-1 (vi) झारखंड-2 (vii) कर्नाटक-5 (viii) तमिलनाडु-4 (ix) महाराष्ट्र-4

संयुक्त अरब अमीरात द्वारा चावल का आयात

1121. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री संजय धोत्रे :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब अमीरात (यू ए ई) के एक शिष्टमंडल ने हाल ही में भारत से चावल के आयात में वृद्धि करने के प्रयोजनार्थ भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान संयुक्त अरब अमीरात द्वारा भारतीय चावल की कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया है और संयुक्त अरब अमीरात के बाजार में इसका कितने प्रतिशत हिस्सा रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) प्रतिस्पर्धी कीमतों पर भारत से बासमती चावल की आपूर्तियों में वृद्धि करने के संबंध में एक दीर्घावधि समझौता करने के लिए यू ए ई के चावल आयातकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 25 जुलाई, 2007 को भारत का दौरा किया। एपीडा द्वारा प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के लिए बासमती चावल के निर्यातकों के साथ परस्पर संवाद सत्र का आयोजन किया गया था।

(ग) यू ए ई के आर्थिक मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में पिछले तीन वर्षों के दौरान यू ए ई द्वारा आयातित भारतीय चावल की कुल मात्रा के साथ-साथ यू ए ई के बाजार में उसके प्रतिशत हिस्से के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से यू ए ई को हुए चावल के निर्यातों के साथ-साथ चावल के कुल निर्यातों में उसके प्रतिशत हिस्से का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

यू ए ई को चावल का निर्यात

मात्रा: मी. टन में

	2004-05	2005-06	2006-07
बासमती चावल			
कुल निर्यात	11,62,989	11,66,563	10,40,672
यू ए ई को	61,882	62,100	1,02,492
यू ए ई का हिस्सा (%)	5.32	5.32	9.84
गैर बासमती चावल			
कुल निर्यात	26,15,10	29,21,602	37,04,847
यू ए ई को	1,57,316	1,67,999	1,25,788
यू ए ई का हिस्सा (%)	4.35	5.75	3.4
कुल निर्यात	47,78,099	40,88,165	47,45,519
यू ए ई को	2,19,198	2,30,099	2,28,280
यू ए ई का हिस्सा (%)	4.59	5.63	4.81

(स्रोत: डी जी सी आई एंड एस)

श्रमिक सुरक्षा

1122. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पादन संभावना वाली खानों में वर्तमान में कितने श्रमिक कार्यरत है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार खान दुर्घटनाओं में कितने श्रमिकों की जाने गई;

(ग) क्या श्रमिकों के प्रभावित परिवारों को कोई मुआवजा प्रदान किया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, प्रश्न का उत्तर निम्नानुसार है:

(क) वर्ष 2006 के दौरान खानों में कार्यरत श्रमिकों की औसत दैनिक संख्या लगभग 5.5 लाख है।

(ख) विगत तीन वर्षों की खान दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके श्रमिकों को राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) कोयला कम्पनियों से एकत्र की गई सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान कोयला खानों की दुर्घटनाओं में मारे गए श्रमिकों के परिवारों को दी गई मुआवजा राशि निम्नानुसार है:

वर्ष	राशि (रु. में)
2004	273,80,772
2005	342,50,164
2006	379,03,758

विवरण

वर्ष 2007-07 (31.7.2007 तक) के दौरान खानों में मारे गए व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	विवरण	मारे गए व्यक्तियों की संख्या			
		2004	2005	2006*	2007*$
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	18	18	26	12
2	असम	3	2	3	0
3.	छत्तीसगढ़	10	8	7	11
4.	गोवा	1	0	9	2
5.	गुजरात	1	2	0	1
6.	हिमाचल प्रदेश	1	1	3	0
7.	हरियाणा	1	0	0	0
8.	झारखंड	38	55	78	21
9.	जम्मू व कश्मीर	0	0	1	0
10.	कर्नाटक	1	3	4	1
11.	केरल	1	0	0	0
12.	मध्य प्रदेश	13	16	16	16
13.	महाराष्ट्र	12	8	8	7
14.	उड़ीसा	11	23	11	8
15.	राजस्थान	22	10	20	10
16.	तमिलनाडु	7	7	14	3
17	उत्तरांचल	1	1	1	0
18.	उत्तर प्रदेश	2	2	1	1
19.	पश्चिम बंगाल	17	13	11	2
	संपूर्ण भारत	160	169	213	95

*आंकड़े अनंतिम हैं।

$आंकड़े 31.7.2007 तक के हैं।

[अनुवाद]

भारतीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का खोला जाना

1123. **श्री राम कृपाल यादव :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तीन भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां ये संस्थान खोले गए हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान भारतीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों को खोलने के लिए आबंटित किए गए बजट का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की बिहार में एक भारतीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान खोलने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (च) वैज्ञानिक सलाहकार परिषद द्वारा प्रधानमंत्री को दी गई सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने पूना, कोलकाता तथा मोहाली प्रत्येक में एक-एक भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों के लिए 125.00 करोड़ रु. का बजटीय आबंटन किया गया है। फिलहाल बिहार में इस तरह के भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना पर सरकार विचार नहीं कर रही है।

[हिन्दी]

मसालों का आयात

1124. **श्री हंसराज गं. अहीर** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात किए जा रहे विभिन्न प्रकार के मसालों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मसालों के आयात पर कितनी धनराशि व्यय की जा रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार इनके आयात पर इतनी बड़ी धनराशि के व्यय होने के दृष्टिकोण से मसालों के विषय में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई उपाय करने का है; और

(घ) मसालों का आयात रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान आयातित मसालों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण पत्र संलग्न है।

(ग) देश में मसालों के उत्पादन व उत्पादकता में सुधार करने हेतु भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा विभिन्न संवर्धनात्मक कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं जिनमें गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री की आपूर्ति, जल संसाधनों का विकास जैसे स्रोतों में तालाब, छोटे बांध, बियर तथा इलायची बागानों में खुले कुएं, इलायची तथा दैनीला बागानों में वर्षा के जल के संग्रहण हेतु उपायों को लोकप्रिय बनाना, विदेशी तथा उच्च मूल्य वाले मसालों का विकास, जैविक मसालों के उत्पादन तथा उनके प्रमाणन हेतु गैर-सरकारी संगठनों की कृषक सहकारी समितियों को सहायता देना एवं समेकित कीट प्रबंधन पद्धतियों एवं फसलोपरांत सुधार तकनीकों का संवर्धन शामिल है। पूर्वोत्तर राज्यों में मसालों के विकास हेतु विशेष बल भी प्रस्तावित किया जा रहा है।

(घ) मसालों का आयात मुख्यत: मूल्यवर्धन के लिए और पुन:निर्यात हेतु खसखस, लौंग, काजू, सौंफ आदि जैसी प्रत्याशित वस्तुओं का आयात किया जाता है जिनका उत्पादन घरेलू आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। बड़ी इलायची और ताजा अदरक का आयात भारत और नेपाल के बीच व्यापार संधि के अंतर्गत मुख्यत: पड़ोसी देश अर्थात नेपाल से किया जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार करार के अंतर्गत काली मिर्च, लौंग और दालचीनी जैसे मसालों का आयात भी अनुमत्य है।

भारत में मसालों का मदवार आयात

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	इलायची (छोटी)	352	393.72	437	432.40	625	570.42
3.	इलायची (बड़ी)	4,368	4284.83	4,935	4003.26	6,275	5468.37
4.	मिर्च/पेपरिका	680	300.71	933	444.09	1,250	803.11
5.	अदरक ताजा/सूखा	18,335	3244.55	23,680	4662.62	20,700	2449.66
6.	हल्दी	1,615	702.25	4,022	1676.14	6,700	2391.19
7.	धनिया	1,220	609.81	1,838	813.81	1,660	720.24
8.	जीरा काला/सफेद	1,133	631.58	906	624.05	1,000	878.66
9.	राई	1,987	469.42	3,095	641.06	3,320	739.95
10.	खसखस	8,337	2939.55	5,798	2106.29	8,250	3757.67
11.	लहसुन	19,907	2706.13	2,771	586.79	1,080	193.02
12.	लौंग	6,945	12430.02	7,721	13116.51	7,250	11285.35
13.	जायफल	983	1352.43	862	1244.35	940	1369.22
14.	जावित्री	657	1678.15	525	1481.20	695	1868.21
15.	कत्था	11,899	3446.71	9,721	2763.00	11,100	3362.43
16.	सौंफ	1,779	982.16	2,232	1217.52	2,210	1253.28
17.	अन्य मसाले (1)	4,028	7432.14	3,697	6039.19	6,200	7597.50
18.	तेल एवं ओलियोरेजिन (2)	283	1097.19	367	1712.89	400	2036.25
	कुल	102,241	56311.80	90,412	53923.56	95,405	60386.70
	मूल्य अम. डॉलर में		125.50		121.45		133.40

स्रोत: स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक जोनों पर उत्पाद शुल्क में छूट

1125. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र सरकार से उत्तरांचल राज्य की तरह ननगुनेरी विशेष आर्थिक जोन में विनिर्मित इलेक्ट्रानिक तथा हार्डवेयर उत्पादों के संबंध में उत्पाद शुल्क में छूट देने तथा घरेलू क्षेत्र में वस्तुओं की बिक्री करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) इस संबंध में प्राप्त हुए एक पत्र की वाणिज्य विभाग में जांच की गई थी। विशेष आर्थिक जोन (एस ई जेड) अधिनियम, 2005 तथा एस ई जेड नियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार, जहां विशेष आर्थिक जोनों में स्थित इकाइयां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर के भुगतान के बिना अपने प्राधिकृत कार्यकलापों के लिए अपेक्षित वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त करने की पात्र हैं, वहीं एस ई जेडों की इन इकाइयों द्वारा विनिर्मित वस्तु को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में आयात माना जाता है और उन पर आयातित वस्तुओं के लिए प्रचलित टैरिफ के अनुसार शुल्क का भुगतान किया जाना अपेक्षित होता है।

प्राकृतिक रबर का मूल्य

1126. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों में प्राकृतिक रबर का मूल्य गिरा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टायर उद्योग ग्राहकों को घटे मूल्य का फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं;

(घ) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) मार्च, 2007 से घरेलू प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में गिरावट आई है। पिछले तीन तीन वर्षों तथा अप्रैल से जुलाई, 2007 के दौरान रिब्ड स्मोक्ड शीट (आर एस एस)-4 ग्रेड शीट रबड़ की मासिक औसत कीमत का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

कोट्टायम, केरल में आर एस एस-4 ग्रेड प्राकृतिक रबड़ का मूल्य

माह	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
अप्रैल	5779	5840	8634	8979
मई	5855	6214	9841	8685
जून	6343	6173	10692	8093
जुलाई	6560	6562	9821	7943
अगस्त	5572	6084	9182	
सितम्बर	5163	6034	8169	
अक्टूबर	5277	6555	8709	
नवम्बर	5207	6566	8260	
दिसम्बर	5188	6886	8615	
जनवरी	5311	7360	9716	
फरवरी	5149	8045	9757	
मार्च	5447	8069	9057	

(ग) से (च) टायर डी-लाइसेंस एवं डी-रिजर्व मद है। टायर की कीमतें और प्राकृतिक रबड़ सहित निविष्टियों की कीमतें बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं।

[हिन्दी]

नशीली दवाओं का दुर्व्यापार

1127. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री धर्मेन्द्र प्रधान :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न एजेंसियों द्वारा कराए गए अध्ययनों के अनुसार गोल्डन ट्रैंगल तथा गोल्डन क्रेसेंट के बीच स्थित होने के कारण भारत होकर बहुत बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं का दुर्व्यापार होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गोल्डन ट्रैंगल तथा गोल्डन क्रेसेंट के बीच स्थित देशों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इस मामले पर सरकार ने उक्त देशों के साथ वार्ता की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) विश्व की लगभग 92% अवैध अफीम अफगानिस्तान में पैदा की जाती है। गोल्डन क्रिसेंट देशों के बीच स्थित होने के कारण भारत के जरिए अफगान हेरोइन का कुछ दुर्व्यापार होता है। अफगानिस्तान में कुल उत्पादन और बाहर भेजे जाने वाली हेरोइन की तुलना में भारत के जरिए दुर्व्यापार की जाने वाली अफगान हेरोइन बहुत कम है। यह पता 2005 के दौरान हेरोइन/मोरफिन की जब्ती की मात्रा से चलता है, जोकि नीचे दी गई है:

(कि.ग्रा.)

देश	मात्रा
पाकिस्तान	24,341
ईरान	12,493
रूस	4,681
ताजिकिस्तान	2,345

(स्रोत : यू एन ओ डी सी द्वारा प्रकाशित विश्व नशीली दवा रिपोर्ट 2007)

वर्ष 2005 के दौरान भारत में जब्त की गई हेरोइन/मोरफिन 1028 कि.ग्रा. थी जिसमें से 266 कि.ग्रा. दक्षिण पश्चिम एशिया (अफगानिस्तान/पाकिस्तान) से भेजी गई थी। गोल्डन ट्रैंगल देशों में अफीम उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण कमी आई है। भारत में इन देशों से अफीम/हेरोइन का कोई महत्वपूर्ण दुर्व्यापार नहीं होता।

गोल्डन ट्रैंगल देशों में थाईलैंड, म्यांमार और एल ए ओ एस आते हैं जबकि गोल्डन क्रेसेंट देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान आते है।

(ग) और (घ) भारत और पाकिस्तान की नशीली दवा नियंत्रक एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर नियमित बैठकें की जाती हैं और इनमें नशीली दवाओं के दुर्व्यापार को नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा की जाती है। इसके अतिरिक्त बी एस एफ और पाकिस्तान रेंजरों के बीच आवधिक बैठकें होती हैं जिनमें सीमा पार से नशीली दवाओं के दुर्व्यापार पर भी चर्चा की जाती है।

भारत और म्यांमार ने दोनों देशों के बीच हेरोइन के दुर्व्यापार को कारगर ढंग से नियंत्रित करने के लिए 30.02.1993 को एक समझौता किया था। भारत और म्यांमार के बीच अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में बारी-बारी से नियमित सीमा बैठकें की जाती है।

[अनुवाद]

उत्तर पूर्व राज्यों में बुनकर

1128. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र पारंपरिक रेशम क्षेत्र हाल ही में उग्रवादियों की धमकी एवं उनके डर से वहां से बड़ी संख्या में बुनकरों के पलायन के कारण बुनकरों की भारी कमी से जूझ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उनके बड़ी संख्या में पलायन से रेशम उत्पादन कितना प्रभावित हुआ है; और

(ग) पारंपरिक रेशम बुनकरों को सुरक्षा प्रदान करने तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेशम उत्पादन हेतु कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) जी, नहीं। हथकरघा विभाग, असम सरकार अथवा असम सरकार विपणन निगम (एजीएमसी), असम कारीगर शीर्ष बुनकर संघ (ए आर टी एफ ई डी) आदि जैसी अन्य वाणिज्यिक एजेंसियों में इस प्रकार की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सीमा क्षेत्र विकास परियोजनाएं

1129. श्री भरहरि मेहता : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में विशेषरूप से पश्चिम बंगाल में सीमा क्षेत्र विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में अंतर्ग्रस्त वित्तीय परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सीमा क्षेत्र विकास परियोजनाएं किस प्रकार कार्यान्वित की जाती हैं;

(ग) सीमा क्षेत्र विकास परियोजनाओं के समुचित तथा प्रभावी कार्यनिष्पादन में राज्यों तथा केन्द्र सरकारों की क्या भूमिका है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सीमा क्षेत्र विकास परियोजनाओं के अंतर्गत किए गए कार्यों का वर्षवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) के तहत गत तीन वर्षों के दौरान सभी सत्रह सीमावर्ती राज्यों और पश्चिम बंगाल राज्य को जारी की गई निधियां नीचे दी गई हैं:

(लाख रुपए)

वर्ष	सभी 17 राज्यों को जारी की गई निधियां	पश्चिम बंगाल को जारी की गई निधियां
2004-05	32499.21	3739.95
2005-06	32500.00	4160.00
2006-07	52000.00	5765.25

(ख) और (ग) बी ए डी पी, 100% केन्द्रीय निधिबद्ध कार्यक्रम है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट वाले स्थानों पर स्थित दूर दराज और अगम्य क्षेत्रों में रह रहे लोगों की विशेष विकासात्मक जरूरतों को पूरा करना है। जहां भारत सरकार, राज्यों के साथ परामर्श करके विस्तृत मार्गनिर्देश निर्धारित करती है वहीं यो ए डी पी के तहत शुरू की जाने वाली योजनाओं/कार्यों को संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय छानबीन समितियों द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है और अनुमोदन किया जाता है तथा राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित भी किया जाता है। केन्द्र और राज्यों में आवधिक निरीक्षण, मानीटरिंग और समीक्षायें भी की जाती हैं।

(घ) बी ए डी पी के तहत राज्यों में शुरू किए गए कार्यों का संबंध, माडल गांवों, संपर्क सड़कों, पूलों/पुलियाओं, सामुदायिक केन्द्रों, पीने के पानी की सुविधाओं, गांवों का विद्युतीकरण, सड़कों पर सोलर बिजली की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधायें, चलती-फिरती डिस्पेंसरियों की व्यवस्था, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, कृषि और संबंधित क्षेत्र तथा पर्यटन आदि से है।

दंगा पीड़ितों को मुआवजा

1130. **श्री असादुद्दीन ओवेसी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2002 के दंगा पीड़ितों के संबंध में मुआवजा तथा पुनर्वास की स्थिति का पता लगाने के लिए गुजरात का दौरा करने करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त दौरे कब किए जाएंगे;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पहले गुजरात का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने क्या सिफारिश की थी;

(ङ) इस पर गुजरात सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) दंगा पीड़ितों के पुनर्वास तथा उनको मुआवजा देने हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भविष्य में क्या रणनीति अपनाई जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (घ) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन एच आर सी) के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायाधीश श्री जे.एस. वर्मा के नेतृत्व में एक टीम ने 19 मार्च से 22 मार्च, 2002 के बीच अहमदाबाद, बडोदरा और गोधरा का दौरा किया और दो पहलुओं अर्थात् कानून और व्यवस्था तथा पुनर्वास पर सिफारिशें कीं। कानून और व्यवस्था के संबंध में एन एच आर सी ने अन्य बातों के साथ-साथ मामलों को त्वरित अभियोजन के लिए सी बी आई, पुलिस सुधार, विशेष न्यायालय, विशेष अभियोजनकर्ता को सौंपने, मामलों की प्रगति के लिए विशेष प्रकोष्ठ, जांच के लिए समय सीमा, राहत शिविरों में पुलिस

डेस्कों की उपलब्धता, सभी प्रभावित व्यक्तियों का सर्वेक्षण, गैर सरकारी संगठनों और अन्यों द्वारा एकत्रित सामग्री का विश्लेषण, भडकाऊ विवरणों पर कार्रवाई, दोषी लोक सेवकों की पहचान करना, मौजूदा सांविधिक उपबंधों, परिपत्रों और दिशा निर्देशों का उचित कार्यान्वयन तथा विभिन्न शिविरों आदि में वरिष्ठ राजनैतिक नेताओं और अधिकारियों का दौरा आदि पर सिफारिशें की।

पुनर्वास पक्ष पर एन एच आर सी ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की कि निजी क्षेत्र सहित औषध उद्योग से राहत और पुनर्वास प्रक्रिया में सहायता करने, क्षतिग्रस्त और नष्ट स्थलों/स्मारकों की पूरी सूची तैयार करने और इसे जिलावार प्रकाशित करवाने, मृत्यु और स्वामित्व प्रमाणपत्र आदि प्राप्त करने संबंधी प्रक्रिया को सरल और कारगार बनाने का अनुरोध किया जाना चाहिए।

(ङ) "गुजरात में दंगा प्रभावित व्यक्तियों के राहत और पुनर्वास" तथा "गोधरा हत्याकाण्ड के पश्चात पर टिप्पणी" संबंधी दिनांक 31.01.2005 की अपनी दोनों रिपोर्टों में गुजरात राज्य सरकार ने साम्प्रदायिक हिंसा की पृष्ठभूमि और प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई सहित गुजरात सरकार द्वारा की गई पहलों जैसे कि प्रभावित व्यक्तियों को किया गया अनुग्रह राशि का भुगतान, नगद अनुदान और घेरलू किटों के लिए सहायता, राहत शिविरों के अश्रितों को खाद्यान्न की आपूर्ति और अन्य सहायता, चिकित्सा सुविधायें, दंगा प्रभावित क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को खाद्यान्न, आवास सहायता, अनाथ बच्चों और विधवाओं आदि का पुनर्वास आदि का उल्लेख किया गया है।

(च) एन एच आर सी ने दंगा पीड़ितों के पुनर्वास और क्षतिपूर्ति के लिए अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं बनाए हैं।

दिल्ली में पुलिस स्मारक

1131. **श्री के.सी. पल्लानी शामी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पुलिस स्मारक के निर्माण पर सरकार द्वारा आज की तिथि तक कितनी राशि व्यय की गयी है;

(ख) क्या इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार की पुलिस स्मारक को अन्यत्र ले जाने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं और इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितना नुकसान होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) अभी तक 13.35 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

(ख) और (ग) स्मारक का निर्माण पूरा नहीं हुआ है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

कृषि निर्यात जोन

1132. **श्री एम. अंजनकुमार यादव :**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में कृषि निर्यात जोन स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्थापित जोन का ब्यौरा क्या है तथा ये कहां स्थित हैं;

(घ) अभी भी स्थापित किए जाने वाले जोनों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) निर्यात जोनों की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) प्रत्येक राज्य में कृषि निर्यात जोन (एईजेड) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 20 राज्यों में 60 कृषि निर्यात जोन स्थापित किए जा चुके हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) कोई नया एईजेड स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

कृषि निर्यात जोनों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	वस्तु	एईजेड में शामिल क्षेत्र
1	2	3	4
1.	पश्चिम बंगाल	अनानास	दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार और जलपाईगुडी
		लीची	मुर्शिदाबाद, माल्दा, 24 परगना (उ.) और 24 परगना (द.)
		आलू	हुगली, बर्दवान, मिदनापुर (प.) उदय नारायणपुर और हावड़ा
		आम	माल्दा और मुर्शिदाबाद
		सब्जियां	नाडिया, मुर्शिदाबाद, उत्तरी 24 परगना
		दार्जिलिंग चाय	दार्जिलिंग
2.	कर्नाटक	खीरा	टुमकुर, बंगलौर, शहरी, बंगलौर ग्रामीण, हासन, कोलार, चित्रादुर्गा, धारवाड और बागलकोट
		गुलाबी प्याज	बंगलौर शहरी बंगलौर (ग्रामीण), कोलार
		फूल	बंगलौर (शहरी) बंगलौर (ग्रामीण), कोलार, टुमकुर, कोडागु और बेलगाम
		वनीला	दक्षिण कन्नड, उत्तर कन्नड, उदुपी, शिमोगा, कोडागु, चिकमंगलूर जिले
3.	उत्तरांचल	लीची	उधमसिंह नगर, नैनीताल और देहरादून
		फूल	देहरादून, पंतनगर जिले
		बासमती चावल	उधमसिंह नगर, नैनीताल, देहरादून और हरिद्वार जिले
		औषधीय एवं सुगंधित पादप	उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून और नैनीताल जिले
4.	पंजाब	सब्जियां	फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, संगरूर, रोपड और लुधियाना
		आलू	सिंहपुरा खिरकपुर (पटियाला) रामपुरा फूल, मुक्तसर, लुधियाना, जालंधर
		बासमती चावल	गुरूदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर और नवांशहर जिले

1	2	3	4
5.	उत्तर प्रदेश	आलू	आगरा, हाथरस, फरूखाबाद, कन्नौज, मेरठ, अलीगढ़ और बागपत
		आम एवं सब्जियां	लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर और बाराबंकी
		आम	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत और बुलंदशहर
		बासमती चावल	बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बदायूं, बिजनौर, मुरादाबाद, जे. बी. फूलेनगर, सहारनपुर, मुज़फ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद जिले
6.	महाराष्ट्र	अंगूर एवं दाखलता	नासिक, सांघली, पुणे, सतारा, अहमदनगर और शोलापुर
		आम (अलफान्सो)	रत्नगिरी, सिन्धुदुर्ग, रायगढ़ और थाणे जिले
		केसर आम	औरंगाबाद, बीड, जालना, अहमदनगर और लातूर जिले
		फूल	पुणे नासिक, कोल्हापुर और सांगली
		प्याज	नासिक, अहमदनगर, पुणे, सतारा, जलगांव और शोलापुर जिले
		अनार	सोलापुर, सांगली, अहमदनगर, पुणे, नासिक, ओसमानाबाद एवं लातूर
		केला	जलगांव, धुले, नानदरबाद, बुलधाना, परभणी, हिन्डोली, नांदेड और वर्धा
		संतरा	नागपुर और अमरावती
7.	आंध्र प्रदेश	आम का गूदा और ताजी सब्जियां	चित्तूर
		आम एवं अंगूर	रंगारेड्डी, मेडक जिले और महबूबनगर के हिस्से
		आम	कृष्णा जिला
		खीरा	महबूबनगर, रंगारेड्डी, मेड़क, करीमनगर, वारंगल, अनंतपुर और नलगोन्डा
		लाल मिर्च	गुन्टूर
8.	जम्मू एवं कश्मीर	सेब	श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा, बड़गाम और पुलवामा
		अखरोट	बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा, बडगाम, कुपवाड़ा और श्रीनगर, डोडा, पुंछ, उधापुर, राजौरी और कठुआ

1	2	3	4
9.	त्रिपुरा	जैविक अनन्नास	कुमारघाट मनु, मेलागढ़, माताबाड़ी और काकरबन ब्लॉक
10.	मध्य प्रदेश	आलू, प्याज, लहसुन	मालवा, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, शजाजपुर, रतलाम, नीमच और मंदसौर
		बीज मसाले	गुना, मंदसौर, उज्जैन, राजगढ़, रतलाम, शजाजपुर और नीमच
		गेंहू (डुरुम)	उज्जैन जोन (नीमच, रतलाम, मदसौर, उज्जैन, इंदौर जोन इंदौर, धार, शजाजपुर और देवास) भोपाल (सिहोर विदिशा रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर और भोपाल)
		मसूर एवं चना	शिवपुरी, गुना, विदिशा, रायसेन, नरसिंगपुरा, छिंदवाड़ा
		संतरा	छिंदवाडा, होशंगाबाद, बेतूल
11.	तमिलनाडु	फूल	धर्मपुरी
		फूल	नीलगिरी जिला
		आम	मदुरई, थेनी, डिन्डुगुल, विरूधनगर और तिरूनेलवली
		काजू गिरी	कडालोर, थंजावुर, पुडुकोटाई और सिवागंगा
12.	बिहार	लीची, सब्जियां एवं शहद	मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हाजीपुर, वैशाली, पूर्व और पश्चिम चम्पारन, भागलपुर, बेगूसराय, खगडिया, सीतामढ़ी, सारन और गोपालगंज
13.	गुजरात	आम एवं सब्जियां	अहमदाबाद, खड़िया, आनंद, वडोदरा, सूरत, नवसारी, वल्साड, भरूच और नर्मदा
		मूल्यवर्धित प्याज	भावनगर, सुरेन्द्र नगर, अमरेली, राजकोट, जूनागढ़ और जामनगर
		तिल के बीज	अमरेली, भावनगर, सुरेन्द्र नगर, राजकोट, जामनगर
14.	सिक्किम	फूल (आर्किड) और चेरी मिर्च	पूर्वी सिक्किम
		अदरक	उत्तरीपूर्वी दक्षिणी एवं पश्चिमी सिक्किम
15.	हिमाचल प्रदेश	सेब	शिमला, सिरमौर, कुल्लु, मंडी, चम्बा और किन्नौर
16.	उड़ीसा	अदरक एवं हल्दी	कान्धामल
17.	झारखंड	सब्जियां	रांची, हजारीबाग और लोहरदगा
18.	केरल	बागवानी उत्पाद	थ्रिसुर, एर्नाकुलम, कोट्टायम अलापुझा पठानुमथठा, कोल्लाम, तिरूअनंतपुरम इडुक्की और पालक्कोड

1	2	3	4
		औषधीय पादप	वायानाड, मल्लापुरम, पलक्काड, थ्रिसुर, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोल्लाम, पथनामिट्ठा, तिरूवनंतपुरम
19.	असम	ताजा एव प्रसंस्कृत अदरक	कामरूप, नलबाड़ी बारपेटा, डारांग, नागांव, मोरीगांव, कारबी, अंगलोंग और उत्तर कचार जिले
20.	राजस्थान	धनिया	कोटा, बून्दी, बारान, झालावाड़ एवं चितौड़
		जीरा	नागौर, बाडमेर, जालौर, पाली और जोधपुर

[अनुवाद]

कच्चा रेशम

1133. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या देश में कच्चे रेशम की मांग उत्पादन से अधिक है,

(ख) देश में उत्पादित कच्चे रेशम की कुल मात्रा कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इसका कितनी मात्रा में आयात किया गया, और

(ग) देश में कच्चे रेशम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) जी, हां। देश में रेशम का वर्तमान (2006-07) उत्पादन, 26,000 एम.टी. की अनुमानित मांग की तुलना में 18,775 एम.टी. है।

(ख) पिछले तीन वर्षों (2004-05 से 2006-07) के दौरान कच्ची रेशम का उत्पादन एवं आयात नीचे दिया गया है:-

वर्ष	कच्ची रेशम का उत्पादन	कच्ची रेशम का आयात
इकाई	एम.टी.	एम.टी
1	2	3
2004-05	16,500	7,948
2005-06	17,305	8,383
2006-07	18,775	5,567

(ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा कच्ची रेशम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए गए प्रमुख उपाय जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी (जे आई सी ए) की सहायता से नये द्विफसलीय बीज विकसित कर अंतर्राष्टीय स्तर के आयात प्रतिस्थापनीय श्रेणी के भारतीय रेशम का उत्पादन करने के लिए अनुसंधान एवं विकास करना, द्विफसलीय रेशम कीट की ट्रापिकेलाइजिंग में सफलता, तथा रेशम उत्पादकता में सुधार करने के लिए अधिक उपज वाली शहतूत पौधों के नई किस्मों का विकास, रेशम की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करने में सहायता के लिए उन्नत उपकरण, नई मशीनें तथा उपष्कर विकसित करना, मोटर चालित रेशम रीलिंग/कताई मशीनों की शुरूआत तथा सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना एवं रेशम उत्पादन किसानों/रीलरों को गुणवत्ता एवं उत्पादकता में सुधार लाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के वास्ते सहायता है।

भारतीय बाजार तक शुल्क मुक्त पहुंच

1134. **श्रीमती मिनाती सेन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने दक्षेस के अल्पविकसित देशों की भारतीय बाजार तक शुल्क मुक्त पहुंच की प्रधानमंत्री की घोषणा के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों में संरक्षण पर भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) नई दिल्ली में 3-4 अप्रैल, 2007 को आयोजित चौदहवें दक्षेस शिखर सम्मेलन में भारत ने इस क्षेत्र के सबसे बड़े देश के रूप में पारस्परिकता पा जोर दिए बगैर उसके बाजार दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के लिए खुले हुए होने सहित असममित उत्तरदायित्वों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहने का संकेत दिया। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ यह घोषणा की कि भारत चालू वर्ष की समाप्ति से पूर्व दक्षेस के अल्प विकसित देशों (एलडीसी) को अपने बाजारों में शुल्क मुक्त पहुंच की अनुमति देगा। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) संबंधी करार, जो 1 जुलाई, 2006 से लागू हो गया है, के चरणबद्ध व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम (टीएलपी) के अनुसार भारत को दक्षेस के गैर अल्प विकसित देश के रूप में दक्षेस के एलडीसी सदस्यों हेतु टैरिफों को घटाकर शून्य से पांच प्रतिशत करना है। प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार भारत दक्षेस के अल्प विकसित देशों के लिए यह व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम 31.12.2007 से अर्थात एक वर्ष पहले पूर्ण करेगा। विभिन्न क्षेत्रों में अपने घरेलू उद्योग के हितों के संरक्षण के लिए प्रतयेक सदस्य देश द्वारा रखी गई संवेदनशील सूची की मदों पर साफ्टा टैरिफ रियायतें लागू नहीं होतीं।

भारतीय संस्कृति

1135. **श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :**
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्राथमिक, सैकेण्डरी, उच्चतर माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर एक विषय के रूप में भारतीय संस्कृति को पढ़ाने की शुरूआत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में कब से पढ़ाया जाना आरंभ किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (यथासंशोधित 1992) में पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक विषयवस्तु को यथासंभव अधिकाधिक रूपों में सुदृढ़ करने की परिकल्पना की गई है। भारत विद्या, भारतीय दर्शन, नृविज्ञान, इतिहास तथा समाज विज्ञान विषयों जिनमें भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण घटक निहित रहता है, के पाठ्यक्रम प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर पर पहले से ही पढ़ाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

वाइन और स्पिरिट के आयात पर सीमा शुल्क

1136. **श्री दलपत सिंह** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के विवाद निपटान निकाय से भारत में वाइन और स्पिरिट सीमा शुल्क लगाए जाने के संबंध में शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा www.wto.org पर उपलब्ध है।

(ग) अमरीका ने जिन उपायों के विरूद्ध शिकायत की है, उन्हें न्यायोचित ठहराने के लिए सरकार विवाद निपटान पैनल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक लिखित अनुरोध तैयार कर रही है।

[अनुवाद]

त्रिभाषा फार्मूला

1137. **श्री मिलिन्द देवरा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को त्रिभाषा फार्मूला के कार्यान्वयन हेतु महाराष्ट्र सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने इस मंत्रालय को एक पत्र लिखा था जिसमें यह कहा गया था कि वह एस.एस.सी. स्तर तक त्रिभाषा सूत्र को लागू करने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और भारतीय विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा परिषद को निदेश दे।

यह पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी कक्षा viii तक तीन भाषाओं का अध्ययन करते हैं। कोई भी विद्यार्थी कक्षा x के अन्त में इस बोर्ड की माध्यमिक विद्यालय परीक्षा देने का पात्र तब तक नहीं होगा जब तक कि वह तीसरी भाषा की परीक्षा पास नहीं कर लेता।

कक्षा ix और x के विद्यार्थियों को अध्ययन स्कीम के अनुसार दो अथवा तीन भाषाओं का अध्ययन करने का विकल्प प्राप्त है। माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी से तीन भाषाओं में से दो भाषाओं का अध्ययन करने की अपेक्षा की जाती है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, कोई विद्यार्थी कक्षा ix और x में अतिरिक्त विषय के रूप में तीसरी भाषा का अध्ययन कर सकता है।

भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद ने यह सूचित किया है कि उससे सम्बद्ध सभी विद्यालयों के विद्यार्थी कक्षा v से कक्षा viii तक अनिवार्य रूप से तीन भाषाओं का अध्ययन करते हैं। कक्षा ix और x में उन्हें दो अथवा तीन भाषाओं का अध्ययन करने का विकल्प प्राप्त है।

जूट के थैलों में अनिवार्य पैकेजिंग

1138. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्यान्नों और चीनी की जूट से बने थैलों में पैकेजिंग को अनिवार्य बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस की ऐसी घोषणा से जूट उद्योग को किस प्रकार लाभ प्राप्त होगा?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) और (ख) जी हां, केंद्र सरकार ने दिनांक 9.8.2007 के आदेश द्वारा वर्ष 2007-08 के दौरान खाद्यान्नों एवं चीनी की पटसन थैलों में 100% अनिवार्य पैकेजिंग का आदेश दिया है।

(ग) उपर्युक्त प्रावधान आश्वस्त बाजार, रोजगार, उत्पादन, बिक्री और उससे लाभ सुनिश्चित करते हुए पटसन उत्पादकों, पटसन कामगारों और संपूर्ण पटसन उद्योग को लाभ देना।

[हिन्दी]

नाल्को की वित्तीय स्थिति

1139. **श्री चन्द्र शेखर दूबे** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी (नाल्को) को हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में आज तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नाल्को की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) से (ग) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी सतत रूप से एक लाभ कमाने वाली कंपनी है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष का नाल्को का शुद्ध लाभ नीचे दिया गया है:

वर्ष	कर पश्चात लाभ (रुपए करोड़ में)
2004-05	1,235
2005-06	1,562
2006-07	2,381
2007-08 (अप्रैल-जून, 07)	447

[अनुवाद]

आंगनवाड़ी परियोजना के माध्यम से भोजन

1140. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आंगनवाड़ी परियोजना के माध्यम से भोजन का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के सभी बच्चों गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(च) बच्चों और महिलाओं को सुविधाएं देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) आंगनवाड़ी केन्द्रों में आ रहे सभी बच्चों को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। इन बच्चों में जनजातीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी शामिल हैं।

(ग) से (च) 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा गर्भवती एवं शिशुवती माताओं के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से समेकित बाल विकास सेवा स्कीम, जो एक सतत् स्कीम है, के तहत 6 सेवाओं को पैकेज प्रदान किया जाता है। इन सेवाओं में पूरक पोषण, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच, रैफरल सेवाएं, स्कूल-पूर्व एवं औपचारिक शिक्षा तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा शामिल हैं। इसलिए, इस समय कोई अन्य प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विशेष आर्थिक जोनों द्वारा विद्युत वितरण

1141. श्री बसुदेव आचार्य : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष आर्थिक जोनों (सेज) द्वारा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में विद्युत की बिक्री हेतु कोई फार्मूला तैयार किया है जैसाकि 25 जुलाई, 2007 के "इकॉनॉमिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है/किये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में विशेष आर्थिक जोनों (सेज) द्वारा बिजली की बिक्री हेतु कोई फार्मूला तैयार नहीं किया गया है। तथापि, सेज में उत्पादित अतिरिक्त बिजली बिक्री सेज के बाहर करनी होगी जिसके लिए शुल्क का भुगतान पूर्व निर्धारित दरों पर करना होगा।

बासमती चावल का पेटेंट

1142. श्री फ्रांसिस फैन्चम : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के कुछ भागों में बासमती चावल 'मेड इन इटली' के रूप में बिक रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हाल ही में बासमती चावल का भारत के उत्पाद के रूप में पेटेंट कराने का कार्य शुरू किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) एक भारतीय उत्पाद के रूप में बासमती चावल को पेटेंट कराने में सरकार को क्या कठिनाइयां हो रही हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) वाणिज्य विभाग के अधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपेडा) के अनुसार, उसकी जानकारी में ब्राजील का एक मामला आया था जिसमें वहां बासमती चावल के एक पैकेट पर "मैन्युफैक्चर्ड एंड प्रोसेस्ड इन इटली" का लेबल पाया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने यह मामला भारत में इटली के दूतावास के कूटनीतिक संपर्कों एवं नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के कार्यालय के जरिये उठाया। फलस्वरूप, आवेदक ने बासमती चावल के उत्पत्ति स्थान के बारे में दावा छोड़ते हुए लेबल को संशोधित करने की इच्छा जतायी है।

(ख) और (ग) भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 3(ञ) के अनुसार, बासमती चावल अपने आप पेटेंटनीय विषय नहीं है। "हेरिटेज", हरियाणा नामक एक लाभ-निरपेक्ष संगठन ने भौगोलिक सूचक रजिस्ट्री, चेन्नई में बासमती चावल को एक भौगोलिक, सूचक के तौर पर संरक्षण प्रदान करने हेतु एक आवेदन दायर किया है।

(घ) चूंकि बासमती चावल का एक भौगोलिक सूचक है, जिसका उत्पत्ति-स्थान भारत और पाकिस्तान में फैला एक भौगोलिक क्षेत्र है,

अत: नामित क्षेत्र में समस्त बासमती उत्पादकों के हितों को बचाये जाने की आवश्यकता है।

वयस्क साक्षरता

1143. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पचास के दशक में भारत से प्रति व्यक्ति कम आय वाले देश आज वयस्क शिक्षा के मामले में बेहतर स्थिति में हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) अन्य देशों की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति आय तथा प्रौढ़ शिक्षा के अन्त: संबंधों के बारे में वर्ष 1950 से लेकर अब तक के तुलनात्मक आंकड़े इस विभाग में नहीं रखे जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सीमेंट की उपलब्धता

1144. **श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :**
श्री मदन लाल शर्मा :
श्री नवजोत सिंह सिद्धू :
प्रो. एम. रामदास :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट की कमी के कारण उद्योग बुरी तरह प्रभावित है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत दो वर्षों के दौरान सीमेंट की मांग तेजी से बढ़ी है;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान और चालू वर्ष में अलग-अलग देश में सीमेंट की कुल मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार सीमेंट की कमी के मद्देनजर इसका आयात करने का है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार किन देशों से सीमेंट आयात करने का विचार कर रही है; और

(च) ऐसे आयात के कब तक किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ग) सीमेंट विनिर्माता संघ के अनुसार, वर्ष 2005-06 2006-07 तथा वर्ष 2007-08 के पहले चार महीनों में सीमेंट का कुल उत्पादन क्रमश: 141.81 मिलियन टन, 155.66 मिलियन टन तथा 55.25 मिलियन टन था। सीमेंट की मांग से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, सीमेंट के मूल्य में वृद्धि मांग एवं आपूर्ति के मध्य असंतुलन को दर्शाता है।

(घ) से (च) सीमेंट के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है बशर्ते कि यह बीआईएस मानकों के अनुरूप हो तथा मानक चिन्ह धारण करता हो। सीमेंट पर आयात शुल्क को 12.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है। सीमेंट पर तदनुरूप शुल्क तथा विशिष्ट अतिरिक्त सीमा शुल्क को भी हटा दिया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) विदेशी विनिर्माताओं के आवेदनों को शीघ्रता से निपटा रहा है। इसके अलावा एक सरकारी उपक्रम, एमएमटीसी लिमिटेड को सीमेंट आयात के लिये सीमेंट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2003 के प्रावधानों के तहत विशेष छूट प्रदान की गई है। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये बाजार में सीमेंट आपूर्ति बढ़ाने हेतु ये उपाय किये गए हैं।

रीयल एस्टेट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1145. **श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :**
डा. चिन्ता मोहन :
श्री के.एस. राव :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रीयल एस्टेट परियोजनाओं में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) हुआ है

और इस क्षेत्र में एफडीआई की कम आवक के लिए जिम्मेदार कारक कौन से हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार रीयल एस्टेट तथा निर्माण क्षेत्र में निजी क्षेत्र भवन निर्माताओं तथा विदेशी निवेशकों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वर्तमान विनियमों को और लोचदार बनाने के लिए एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली वाली नीति तैयार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) दिनांक 3.3.2005 के प्रेस नोट 2(2005 श्रृंखला) के द्वारा नगर, आवास, निर्मित अवसंरचना तथा निर्माण विकास परियोजनाओं (जिसमें आवास वाणिज्यक परिसर, होटल, रिसार्ट्स, अस्पताल शिक्षण संस्थाएं, मनोरंजन सुविधाएं, शहर एवं क्षेत्रीय स्तर की अवसंरचना शामिल होंगे, लेकिन ये इन मदों तक सीमित नहीं होंगे) में न्यूनतम पूंजीकरण/न्यूनतम क्षेत्र विकास मानकों के अध्यधीन स्वत: मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। स्थावर संपदा परियोजनाओं के लिए अलग से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह की व्यवस्था केवल वर्ष 2005-06 से की गई है। स्थावर संपदा क्षेत्र में वर्ष 2005-06 में प्राप्त एफडीआई अंतर्वाह 38.04 मिलियन अमरीकी डालर था तथा वर्ष 2006-07 में 467.34 मिलियन अमरीकी डालर था। स्थावर संपदा क्षेत्र हेतु वर्ष 2004-05 के लिए पृथक अंतर्वाह उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) निर्माण विकास तथा स्थावर संपदा क्षेत्र में एफडीआई हेतु सरकार ने एक उदार नीति लागू की है जिसके तहत स्वत: मार्ग के तहत्, बिना किसी पूर्व सरकारी अनुमोदन के 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों को स्वीकृत

1146. **श्री अनवर हुसैन** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 31 मार्च, 2007 तक राज्यवार कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन कंपनियों द्वारा कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया;

(ग) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के किसी प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) अप्रैल, 2004 से मार्च, 2007 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अनुमोदनों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं। अप्रैल, 2004 से मार्च, 2007 के दौरान एफडीआई अंतर्वाहों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) अप्रैल, 2004 से मार्च, 2007 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में एफडीआई अनुमोदनों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिये गये हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

अप्रैल, 2004 से मार्च, 2007 के दौरान अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) तथा विदेशी प्रौद्योगिकी मामलों (एफसीटी) के राज्यवार ब्यौरे

(राशि मिलियन अमेरिकी डालर में)

क्र. सं.	राज्य	2004-05 अप्रैल-मार्च		2005-06 अप्रैल-मार्च		2006-07 अप्रैल-मार्च		कुल	
1	2	3		4		5		6	
1.	आंध्र प्रदेश	78	149.99	25	83.09	8	109.58	111	342.66

1	2	3		4		5		6	
2.	असम	1	0.09	1	0.12	0	0.00	2	0.21
3.	गुजरात	35	375.15	9	33.65	4	14.72	48	423.52
4.	हरियाणा	16	7.70	12	12.95	5	1.23	33	21.88
5.	हिमाचल प्रदेश	2	11.44	1	2.07	0	0.00	3	13.51
6.	जम्मू और कश्मीर	0	0.00	0	0.00	1	0.00	1	0.00
7.	कर्नाटक	191	240.19	39	204.62	20	1,057.59	250	1,502.40
8.	केरल	11	50.10	6	17.40	2	0.02	19	67.52
9.	मध्य प्रदेश	1	0.01	2	1.35	1	0.00	4	1.36
10.	महाराष्ट्र	302	944.12	111	885.93	64	2,903.11	477	4,133.16
11.	उड़ीसा	2	1.41	1	0.08	1	41.74	4	43.23
12.	पंजाब	10	151.14	3	4.37	1	0.38	14	155.90
13.	राजस्थान	4	0.90	2	0.04	1	0.00	7	0.95
14.	तमिलनाडु	109	77.68	39	59.85	19	179.64	167	317.17
15.	उत्तर प्रदेश	15	4.03	9	18.61	4	1.16	28	23.79
16.	पश्चिम बंगाल	29	62.91	9	25.76	7	3.88	45	92.55
17.	छत्तीसगढ़	3	45.57	0	0.00	1	369.66	4	415.24
18.	झारखंड	1	0.43	0	0.00	0	0.00	1	0.43
19.	उत्तरांचल	0	0.00	3	6.50	0	0.00	3	6.50
20.	चंडीगढ़	9	27.82	0	0.00	0	0.00	9	27.82
21.	दिल्ली	213	234.22	71	165.44	37	724.40	321	1,124.07
22.	गोवा	39	1.97	3	9.04	0	0.00	42	11.01
23.	पांडिचेरी	2	0.03	0	0.00	1	1.11	3	1.14

1	2	3		4		5		6	
24.	दमन और दीव	2	1.20	0	0.00	0	0.00	2	1.20
25.	नहीं दर्शाये गये राज्य	84	126.69	79	394.87	29	622.63	192	1,144.19
	कुल योग	1159	1,914.80	425	1,925.73	206	6,030.86	1790	9,871.39

विवरण-II

अप्रैल, 2004 से मार्च, 2007 के दौरान राज्यवार एफडीआई अंतर्वाह संबंधी विवरण

(राशि अमेरिकी मिलियन डालर में)

क्र. सं.	भारतीय रिजर्व बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय	सम्मिलित राज्य	2004-05 अप्रैल-मार्च	2005-06 अप्रैल-मार्च	2006-07 अप्रैल-मार्च	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	162.71	238.20	594.24	995.15
2.	गुवाहाटी	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर	2.91	0.00	0.00	2.91
3.	पटना	बिहार, झारखंड	0.00	0.00	0.13	0.13
4.	अहमदाबाद	गुजरात	133.39	150.83	368.92	653.13
5.	बंगलौर	कर्नाटक	249.53	412.37	714.34	1,376.24
6.	कोच्ची	केरल, लक्षद्वीप	7.37	13.09	13.56	34.01
7.	भोपाल	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	15.24	9.67	29.09	54.01
8.	मुंबई	महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	698.32	969.25	3,599.13	5,266.70
9.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	0.00	70.59	10.62	81.21
10.	जयपुर	राजस्थान	1.00	0.76	50.20	51.96
11.	चेन्नई	तमिलनाडु, पाण्डिचेरी	79.52	268.15	1,311.94	1,659.61
12.	कानपुर	उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल	0.01	0.08	12.83	12.83

1	2	3	4	5	6	7
13.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	101.93	91.81	57.89	251.64
14.	चंडीगढ़	चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश	2.97	85.51	21.82	110.30
15.	नई दिल्ली	दिल्ली, उत्तर प्रदेश का भाग और हरियाणा	816.74	1,040.77	2,446.12	4,303.63
16.	पणजी	गोवा	22.50	7.62	74.78	104.90
17.	नहीं दर्शाए गये राज्य		924.54	2,181.10	3,186.16	6,291.81
		कुल योग	3,218.69	5,539.72	12,491.77	21,250.18

टिप्पण: 1. उपरोक्त राज्यवार अंतर्वाह भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई द्वारा प्रस्तुत किये गये भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रवार अंतर्वाहों के अनुसार वर्गीकृत किये गये हैं।

2. उपरोक्त अंतर्वाह अनंतिम हैं और ये भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई के आंकड़ों के साथ सामंजस्य की शर्त के अध्यधीन हैं।

विवरण-III

अप्रैल, 2004 से मार्च, 2007 के दौरान अनुमोदित एफडीआई के विस्तृत ब्यौरे

असम राज्य

(राशि मिलियन में)

क्र. सं.	पंजीकरण संख्या तथा तारीख	भारतीय कंपनी का नाम पता तथा तारीख	विदेशी सहयोगी का नाम तथा पता	विदेशी इक्विटी (अमरीकी डालर में)
1	2	3	4	5
		देश: एनआरआई		
1.	44 09 नवंबर 2004	आरती प्लांटेशन्स एंड ग्रो प्रोडक्टस प्रा. लि., त्रिनायानी, नाग माह लेन, सिल्चर, असम-788004	सुश्री सुमन्ता चौधरी यूएसए	0.09
		स्थापना-स्थल : कान्चेर (असम) अनुमोदन सं. (तारीख) : 3(31 जनवरी, 2005)		विनिर्माण की मद: चाय बागान

1	2	3	4	5
2.	48 16 दिसंबर 2004	कोरामंडल इलैक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड, धून बिल्डिंग 827, अन्ना सलाई, चैन्नई-600002	सुश्री उमा मैनामपति 143 ग्रेसन ड्राइव बेले मीड एन जे 08502 यूएसए	0.12
		स्थापना-स्थल : काचेर (असम) अनुमोदन सं. (तारीख) : 3(30 अप्रैल, 2005)		विनिर्माण की मद: विद्युत उत्पादन

जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ

1147. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्राइल के एक उच्चस्तरीय सैन्य प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद का मुकाबला करने और घुसपैठरोधी रणनीति पर चर्चा करने के लिए भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस्राइली प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ को रोकने के लिए क्या उपाय सुझाए हैं;

(घ) क्या अचानक नियंत्रण रेखा का मुद्दा गरमा गया है क्योंकि आतंकवादी सीमा-पार से भारत में घुसने के लिए संयुक्त प्रयास कर रहे हैं

(ङ) यदि हां, तो क्या आंकड़े इस वर्ष अप्रैल और मई के दौरान वर्ष 2005 और 2006 की इसी अवधि की तुलना में घुसपैठ में दो-तीन गुणा वृद्धि को दर्शाते है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थिति से निटपने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) जी हां। इजरायली सुरक्षा बल के एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 13-18 जून, 2007 तक भारत का दौरा किया है। इस दौरे का उद्देश्य आतंकवाद सहित सुरक्षा सहयोग में वृद्धि करना था। इस दौरे के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू और कश्मीर का भी दौरा किया था। दोनों देशों द्वारा आतंकवाद से निपटने में इस्तेमाल किए जा रहे तौर-तरीकों से संबंधित जानकारी का परस्पर आदान-प्रदान किया गया।

(घ) से (ङ) वर्ष 2005, 2006 और 2007 के दौरान अप्रैल और मई में हुई घुसपैठ का तुलनात्मक ब्यौरा निम्नवत् है:-

वर्ष	2005	2006	2007
अप्रैल	44	43	[illegible]
मई	33	[illegible]	68

तथापि, वर्ष 2007 में 30 जून तक हुई कुल घुसपैठ (256) में वर्ष 2006 की इसी अवधि में हुई घुसपैठ (246) की अपेक्षा मामूली वृद्धि हुई है।

(च) सरकार ने जम्मू और कश्मीर में सीमा-पार से हो रही घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य में घुसपैठ और आतंकवाद समर्थक कार्रवाई रोकने के लिए सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना और अंतर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा तथा घुसपैठ के हमेशा परिवर्तित होते रहने वाले मार्गों के निकट बहु-स्तरीय एवं बहु-माडल तैनाती किया जाना, सुरक्षा बलों के लिए प्रोन्नत प्रौद्योगिकी, शस्त्र और उपकरण, प्रोन्नत आसूचना और आप्रेशन समन्वयन तथा आसूचना प्रसार को संकलित करना शामिल है।

नकदी फसल हेतु योजना

1148. श्री पी. करूणाकरन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा केरल में नकदी फसलों के लिए विशेष पैकेज योजना लागू करने हेतु क्या उपाय किए गए है;

(ख) इस योजना के फलस्वरूप कितने चाय, इलायची और काफी बागानों ने अपने कार्यकलाप शुरू कर दिए हैं;

(ग) सरकार द्वारा बागान क्षेत्र में कामगारों को राहत देने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) **चाय** : पुराने चाय बागानों में पुन:रोपण एवं नवीकरण का कार्य शुरू करने के लिए चाय उपजकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सरकार ने जनवरी,, 2007 से एक विशेष प्रयोजन चाय निधि (एसपीटीएफ) की शुरूआत की है। यह कार्यक्रम 2,12,000 हेक्टेयर क्षेत्र में चाय के पुराने और गैर किफायती प्रखण्डों में पौधों को उखाड़ने, पुन:रोपण/नवीकरण की परिकल्पना करता है। यह स्कीम दीर्घावधिक ऋण (50%) और सब्सिडी (25%) के जरिए इकाई लागत की 75% सीमा तक धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करके पुन:रोपण एवं नवीकरण की गति में वृद्धि करने की परिकल्पना करती है। उपजकर्ताओं से कुल लागत का केवल 25% अंशदान अपेक्षित है। इस स्कीम का अनुमानित परिव्यय 567.10 करोड़ रुपए अर्थात एसपीटीएफ में 91 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश जमा 476.10 करोड़ रुपए सब्सिडी होगी।

वर्ष 1999 के मध्य से 2004 तक उद्योगव्यापी मन्दी के कारण वित्तीय दृष्टि से कमजोर चाय बागान बन्द कर दिए गए थे और इन बागानों के कामगारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। केन्द्रीय सरकार और केरल की राज्य सरकार के मिले-जुले प्रयासों के परिणामस्वरूप दिनांक 1.4.2007 की स्थिति के अनुसार बंद पड़े हुए 17 चाय बागनों में से 8 बागान खोले गए हैं।

बंद पड़े चाय बागानों को फिर खोलने और उनके पुनर्वास को सुगम बनाने हेतु भारत सरकार ने हाल ही में एक पुनरूद्धार पैकेज अधिसूचित किया है। इस पैकेज में बकाया बैंक ऋणों की पुन:संरचना, चाय बोर्ड के ऋण माफ करना तथा सरकार से ब्याज सब्सिडी सहित बैंकों से नया कार्यशील पूंजी उपलब्ध करना और चाय बोर्ड की विभिन्न योजना स्कीमों के अंतर्गत ग्राह्य अन्य प्रकार की सहायता का प्रावधान है।

कॉफी : पुराने और नकारा काफी बागानों, जो वर्तमान स्थितियों में गैर किफायती हैं, के पुनरूद्धार के लिए सरकार ने वर्ष 2007-08 के केन्द्रीय बजट में एसपीटीएफ की तर्ज पर काफी बाजारों के लिए एक निधि का प्रस्ताव किया है। काफी बोर्ड ने कुल 3.81 लाख हेक्टेयर में से लगभग 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र अभिज्ञात किया है, जो गैर किफायती है और आने वाले समय में इसकी उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए इस पर पुन:रोपण जरूरी है। तदनुसार, काफी बोर्ड ने पुन:रोपण हेतु सब्सिडी के रूप में 180 करोड़ रुपए के परिव्यय से विकास सहायता नामक 11वीं पंचवर्षीय योजना स्कीम के भाग के रूप में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। रूग्णता के कारण किसी भी काफी बागान के बन्द होने की सूचना नहीं दी गई है।

रबड़ : सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 के बजट में की गई घोषणा के अनुसरण में रबड़ बोर्ड ने लगभग 50 करोड़ रुपए के परिव्यय से देश में 33,500 हेक्टेयर पुराने एवं गैर किफायती रबड़ बागानों में पुन:रोपण हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें विकास लागत की 25% की दर से रोपण अनुदान के भुगतान हेतु वित्तीय आवश्यकता के रूप में उपर्युक्त राशि अपेक्षित है।

मसाले : स्पाइसेज बोर्ड ने इलायची बागानों के पुन:रोपण एवं नवीकरण हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें 211.35 करोड़ रुपए का सब्सिडी संघटक शामिल है और छोटे व बड़े इलायची बागानों का लगभग 65,000 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है। किसी भी इलायची बागान के बन्द होने की सूचना नहीं दी गई है।

कपास का आयात

1149. **श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :**
श्री महेश कनोडीया :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कपास के आयात को हतोत्साहित करने और घरेलू कपास की मांग सृजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कपास के आयात को हतोत्साहित करने हेतु आयात शुल्क की वर्तमान दर को 10% से बढ़ाकर 30% करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कपास उत्पादकों के हित की रक्षा हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) और (ख) प्रयोक्ता वस्त्र मिलों को प्रतिस्पर्द्धी मूल्य पर अपेक्षित गुणवत्ता मानदंडों वाले कच्चे माल खरीदने में समर्थ बनाने के लिए, कपास का आयात मुक्त है। कच्ची कपास के आयात पर मौजूदा आधारभूत सीमाशुल्क 10% है। कपास मौसम 2003-04 के दौरान, देश में कपास के उत्पादन में प्रभावशाली बढ़ोत्तरी शुरू हुई और पिछले दो मौसमों से, घरेलू वस्त्र उद्योग की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के बाद भी, देश में निर्यात बिक्री के लिए अतिरिक्त कपास है। इस बदले हुए परिदृश्य के साथ, देश में कपास के आयात में काफी कमी आयी है और यह अब कपास की अत्यधिक लंबी स्टेपल (इ एल एस) किस्मों तक सीमित है जिसकी देश में कम आपूर्ति होती है। जब तक इ एल एस किस्मों के घरेलू कपास उत्पादन में बढ़ोत्तरी नहीं होती तब तक आयात शुल्क में किसी प्रकार की वृद्धि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है और विशिष्ट श्रेणियों की कपास, जिनकी आपूर्ति कम है, आवश्यकता पूरी करने में घरेलू वस्त्र उद्योग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है।

(ग) इस समय, कपास पर आयात शुल्क बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए, भारत सरकार हर वर्ष कपास (बीज कपास) के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) की घोषणा करती है। भारतीय कपास निगम लि. (सीसीआई) को उन सभी कपास उत्पादक राज्यों में बिना किसी मात्रात्मक सीमा के समर्थन मूल्य अभियान चलाने का अधिकार प्राप्त है जहां मूल्य एम एस पी स्तर पर चल रहे होते हैं। भारत सरकार ने एम एस पी अभियान चलाने के लिए एक अतिरिक्त मूल्य समर्थन एजेंसी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी संघ लि. (नेफेड) को भी नामित किया है।

शिक्षा हेतु आवंटन

1150. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान शिक्षा पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) उच्च शिक्षा पर दी जा रही राजसहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्च शिक्षा पर दी जा रही राजसहायता में कटौती किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके पीछे क्या तर्क है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2003-04 से 2005-06 के दौरान शिक्षा विभाग (योजनागत तथा योजनेत्तर) केन्द्र और राज्यों द्वारा शिक्षा पर किए गए व्यय और इसी अवधि के दौरान तकनीकी शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा की हिस्सेदारी इस प्रकार है:-

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	शिक्षा पर किया गया व्यय	तकनीकी शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा पर किया गया व्यय	उच्चतर शिक्षा की हिस्सेदार
1	2	3	4
2003-04	73044.88	11893.23	16.28%
2004-05	85686.68	13273.22	15.49%
2005-06	96230.71	14408.57	14.97%

(ख) से (घ) उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को प्रदान किया गया अनुदान इन संस्थाओं द्वारा खर्च की गई प्रति-विद्यार्थी शिक्षा लागत की राजसहायता को प्रभावित करता है। अनुदान को कम करने की कोई संभावना नहीं है। 11वीं योजना को अंतिम रूप दिए जाने की शर्त के अधीन वास्तव में इन संस्थाओं को प्रधान की जाने वाली निधियों को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है ताकि उच्चतर शिक्षा की सुलभता और नामांकन में वृद्धि को सुविधाजनक बनाया जा सके।

[हिन्दी]

व्यापार वार्ता

1151. श्री थावरचन्द गेहलोत :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
श्री रामजीलाल सुमन :
श्री जे.एम. आरून रशीद :
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी-4 देशों के बीच महत्वपूर्ण व्यापार वार्ता विफल हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) जी-4 देशों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या भारतीय उद्योग ने विशेष रूप से विशेष उत्पादों, घरेलू सहायता और कृषि उत्पादों के बाजार तक पहुंच से संबंधित मुद्दों पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) से प्राप्त अद्यतन सूचना पर चिंता व्यक्त की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) की दोहा दौर की वार्ताओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सर्वसम्मति प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए जी-4 देशों (भारत, ब्राजील, अमेरिका और ई सी) के व्यापार मंत्रियों की एक बैठक 19 से 21 जून 2007 को पोट्सडैम (जर्मनी) में हुई थी। 21 जून को वार्ताए स्थगित कर दी गई थीं क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दों पर सर्वसम्मति नहीं बन सकी थी।

(घ) से (च) जी, नहीं। कृषि विशेष सत्र संबंधी समिति और डब्ल्यू टी ओ के बाजार पहुंच संबंधी वार्ताकारी समूह के अध्यक्ष ने 17 जुलाई, 2007 को क्रमश: कृषि तथा गैर कृषि बाजार पहुंच (एन ए एम ए) से संबंधित पेशकशों को शामिल करते हुए हुए रूपरेखाओं के पाठ का मसौदा प्रकाशित किया था। इन रूपरेखाओं के मसौदे को डब्ल्यू टी ओ की वेबसाइट www.wto.org पर देखा जा सकता है। इन पाठों पर सितम्बर, 2007 में होने वाली संबंधित समितियों की बैठकों में आगे विचार-विमर्श किया जाएगा।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा परिदृश्य

1152. चौधरी लाल सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में विशेषरूप से निर्बाध उग्रवाद के संदर्भ में सुरक्षा परिदृश्य कैसा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उग्रवाद संबंधी अभियानों में कितने सुरक्षाकर्मियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए और कितने सुरक्षाकर्मी घायल हुए/उनका अपहरण किया गया/मारे गए;

(ग) क्या मृतकों के बच्चों/परिवारों का अभी तक पुनर्वास किया गया है/उन्हें रोजगार दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) हताहत नागरिकों को दी गई अनुग्रह राशि का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान हिंसा के स्तर में लगातार गिरावट आई है। आतंकवाद से संबंधित हिंसा की घटनाओं की संख्या में 2005 की तुलना में 2006 में 16% और 2006 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 2007 (जुलाई तक) में 33% तक की कमी आई है।

विगत तीन वर्षों के दौरान घायल हुए/अपहरण किए गए/मारे गए सुरक्षा बलों के कार्मिकों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	घायल	अपहृत और फिर मारे गए	मारे गए
2005	433	15	189
2006	484	8	151
2007 (जुलाई तक)	221	2	68

(ग) से (छ) राज्य सरकार, आतंकवाद से संबंधित घटनाओं के विरूद्ध कार्रवाई में मारे गए पुलिस कार्मियों, सुरक्षा बलों के कार्मियों और स्वयंसेवी विशेष पुलिस अधिकारियों के निकट संबंधियों को 2.00 लाख रुपए तथा स्थाई रूप से अपंग होने और आंशिक रूप से अपंग होने पर क्रमश: 75,000/- रुपए और 10,000/- रुपए प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार भी आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में मारे गए जम्मू और कश्मीर पुलिस के कार्मिकों के निकट संबंधियों को 3.00 लाख रुपए का सीधे भुगतान करती है।

पुलिस कार्मिकों के अतिरिक्त उग्रवाद के पीड़ित लोगों की मृत्यु होने पर सरकारी भी उनके निकट संबंधियों को 1.00 लाख रुपए, स्थाई अपंगता, गंभीर रूप से घायल होने और मामूली रूप से घायल होने पर क्रमश: 72,000/- रुपए, 5,000/- रुपये और 1,000/- रुपए की दर से अनुग्रह राहत प्रदान करती है।

राज्य सरकार के उपर्युक्त सभी व्ययों की प्रतिपूर्ति ''सुरक्षा से संबंधित व्यय'' (एस आर ई) शीर्ष के तहत केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही है अनुग्रह/राहत/क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए एस आर ई के तहत 1989-90 से 2006-07 तक 450.785 करोड़ रुपए की राशि की प्रतिपूर्ति की गई है।

[हिन्दी]

ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति

1153. श्री गणेश सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य पिछड़ा वर्गों के छात्रों को मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति का भुगतान करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सूचित किया है कि वर्ष 2007-08 में अब तक 12 राज्य सरकारों से अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को पूर्व-मैट्रिक और उत्तर-मैट्रिक दोनों छात्रवृत्ति स्कीमों के तहत छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और गुण-दोष के आधार पर इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

गैर-कश्मीरी कामगारों का पलायन

1154. श्री ए. साई प्रताप :
श्री मोहन सिंह :
श्री कैलाश बैठा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जम्मू और कश्मीर से गैर-कश्मीरी कामगारों का बड़ी संख्या में पलायन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 20 जुलाई, 2007 को लंगेट, हंदवाड़ा, में एक युवा कश्मीरी युवती के साथ तथाकथित बलात्कार और बाद में उसकी हत्या किए जाने पर, जम्मू और कश्मीर राज्य के बाहर से 2 व्यक्तियों सहित 4 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया/उन्हें गिरफ्तार किया गया और कतिपय अलगाववादी ग्रुपों द्वारा राज्य के बाहर के लोगों (मुख्य रूप से राज्य में बाहर से आए कामगार) को राज्य छोड़ने की धमकियां दी गई और कालें की गई। जिसके परिणामस्वरूप, घाटी से काफी संख्या में गैर-स्थानीय कामगारों और श्रमिकों में हलचल देखी गई।

सरकार ने राज्य सरकार को सलाह जारी की है और संयुक्त रूप से उभरते सुरक्षा परिदृश्य का प्रबोधन किया है। राज्य सरकार ने, राज्य में बाहर से आए लोगों के बीच विश्वास निर्माण की भावना पैदा करने के लिए मुख्य मंत्री और विभिन्न पार्टियों और संगठनों के अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए बयानों और अपीलों सहित तत्काल कदम उठाए हैं। विभिन्न स्रोतों से पड़ रहे दबाव के तहत, अलगाववादी ग्रुपों द्वारा भी धमकियों से मुकरते हुए बयान दिए गए हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में, राज्य में बाहर से आकर ठहरे श्रमिकों और कामगारों वाले क्षेत्रों में सुरक्षा प्रबंधों को सुदृढ़ करना और अभियान चलाना, ऐसे कामगारों के सर्वेक्षण सहित मुद्दे के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए प्रत्येक जिले में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और सहायक श्रम आयुक्त वाली संयुक्त समितियों का गठन करना, ऐसी गतिविधियों के विरूद्ध और राज्य में बाहर से आकर ठहरे हुए कामगारों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करने हेतु आम धारणा पैदा करने के उद्देश्य से क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों के साथ बैठकें करना शामिल हैं।

किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप, राज्य में बाहर से आकर ठहरे लोगों की राज्य से बाहर जाने की आवाजाही/पलायन में पर्याप्त रूप से कमी आई है और उपलब्ध सूचना के अनुसार, कुछ लोग जो घाटी से पलायन कर गए हैं, भी वापस घाटी में आ गए हैं।

वस्त्र क्षेत्र हेतु व्यावसायिक शिक्षा

1155. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्रों और परिधानों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने हेतु परिधान उत्पादन एक-मात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा हेतु सरकारी-निजी भागीदारी मॉडल को प्रोत्साहन देने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) वस्त्र और क्लोदिंग का उत्पादन एवं निर्यात बढ़ाने के लिए सिले-सिलाए परिधान एक प्रमुख कारक है। देश के कुल वस्त्र निर्यात में इसका लगभग 43% हिस्सा है। वर्ष 2006-07 के दौरान सिले-सिलाए परिधान निर्यात 8.08 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया है जो वर्ष 2005-06 की इसी अवधि में किए गए निर्यात से 1.12% अधिक है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) और अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजाइन केन्द्र (ए टी डी सी) वस्त्र उद्योग विशेषकर अपैरल, डिजाइन, व्यापार और विपणन के क्षेत्र की कुशल जनशक्ति आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश के विभिन्न स्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहा है।

छात्र संघों रहित विश्वविद्यालय

1156. **श्री बालासाहिब विखे पाटील** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विश्वविद्यालयों में छात्र संघ नहीं है जैसा कि दिनांक 20 जुलाई, 2007 के 'एशियन एज-दिल्ली स्पेशल एज' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने भी यह इच्छा प्रकट की है कि देश भर के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय छात्र संघों के लिए चुनाव कराएं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के कब तक गठित होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ङ) विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थाएं होती हैं और छात्र प्रतिनिधित्व के मामले सहित शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्यकलापों के संबंध में अपने संबंधित अधिनियमों/सांविधियों/आदेशों द्वारा अभिशासित होते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, के कुलपति ने इस मंत्रालय द्वारा श्री जे.एम. लिंगदोह, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों, जिसमें यह कहा गया है कि देश के विश्वविद्यालयों और कालेजों की छात्र प्रतिनिधि निकायों में छात्रों

की नियुक्ति हेतु सामान्य तौर पर आवश्यक रूप से चुनाव आयोजित करने चाहिए, को ध्यान में रखते हुए एक समिति गठित की है जो छात्र प्रतिनिधित्व के मॉडल का प्रारूप तैयार करेगी। श्री गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय एक राज्य विश्वविद्यालय है। 'लिंगदोह' समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की है कि जहां विश्वविद्यालय परिसर का वातावरण शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के अनुकूल नहीं है वहां विश्वविद्यालय, उसके संघटक कालेजों एवं विभागों को चाहिए कि वे नामांकन आधारित छात्र प्रतिनिधि प्रणाली की शुरूआत करें, विशेषकर वहां जहां इस समय चुनाव आयोजित किया जा रहा हो। जहां चुनाव आयोजित नहीं किया जा रहा है अथवा जहां नामांकन आधारित प्रणाली लागू है, वहां नामांकन आधारित मॉडल को कुछ सीमित अवधि के लिए जारी रहने दिया जाना चाहिए। 'लिंगदोह' समिति की सिफारिश है कि परिसर में अनुशासन संबंधी प्रासंगिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सभी संस्थानों को प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए कि वे आवश्यक रूप से सिफारिशों के कार्यान्वयन की तिथि से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति तक छात्र चुनाव का संरचित प्रणाली कार्यान्वित करें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सलाह दी गई है कि वह इस संबंध में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने एवं वृहद प्रचार-प्रसार करने हेतु आवश्यक कदम उठाएं। प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए अलग-अलग समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

स्कीम फॉर यूनिवर्सल एक्सेस एंड क्वालिटी एट सैकेंडरी स्टेज

1157. डा. एम. जगन्नाथ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में ''स्कीम फॉर यूनिवर्सल एक्सेस एंड क्वालिटी एट सैकेंडरी स्टेज'' (एसयूसीसीईएसएस) शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने इस योजना को अनुमोदित कर दिया है;

(घ) योजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) योजना हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ङ) 11 वीं योजना के दौरान माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के सर्वसुलभीकरण तथा गुणवत्ता सुधार की एक स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए एक अभिकल्पना नोट तैयार किया गया है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य सभी को उनके आवास से उचित दूरी के भीतर अच्छी गुणवत्ता वाले माध्यमिक स्कूल सुलभ कराना है। योजना आयोग ने कुछ शर्तों के साथ अभिकल्पना नोट में प्रस्ताव को 'सैद्धान्तिक रूप' से अनुमोदित कर दिया है। इस स्कीम हेतु 2007-08 के बजट में 1305 करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं।

बासमती चावल का संयुक्त पंजीकरण

1158. श्री एन. जनार्दन रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के वाणिज्य सचिव एक भौगोलिक संकेतक के रूप में बासमती चावल का संयुक्त पंजीकरण कराने पर विचार करने हेतु हाल ही में दिल्ली में मिले थे;

(ख) यदि हां, तो जिन अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई उनका ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच कोई वैचारिक मतभेद थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उन मतभेदों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोग के संबंध में संयुक्त वार्ता के कार्यढांचे के भीतर वाणिज्य सचिव स्तरीय भारत-पाकिस्तान वार्ता का चौथा सत्र दिनांक 31 जुलाई-1 अगस्त, 2007 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ भौगोलिक संकेतन के रूप में बासमती चावल के संयुक्त पंजीयन से संबंधित मुद्दे पर भी विचार-विमर्श किया गया था।

(ख) भारती पक्ष ने याद दिलाया कि दिनांक 28-29 मार्च, 2006 को इस्लामाबाद में हुई संयुक्त वार्ता के तीसरे सत्र के दौरान दोनो पक्षों ने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने हेतु एक कार्यदल गठित

करने का निर्णय लिया था, जिसके अनुसरण में भारत ने अपने कार्यदल का गठन कर दिया है जबकि पाकिस्तान द्वारा कार्यदल में अपने प्रतिनिधियों को अभी नामित किया जाना है। पाकिस्तानी पक्ष संयुक्त कार्यदल में प्रतिनिधियों को नामित करने पर सहमत हो गया और दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि इस दल की बैठक शीघ्र आयोजित की जाएगी।

(ग) से (ङ) पाकिस्तानी पक्ष ने भारत द्वारा "सुपर बासमती चावल" को निर्यात हेतु अनुमोदित किस्म घोषित करने के संबंध में जारी अधिसूचना का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि सुपर बासमती खास तौर से चावल की पाकिस्तानी किस्म है। भारतीय पक्ष इस मुद्दे की जांच पर सहमत हो गया।

[हिन्दी]

विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा सुविधा

1159. **श्री तूफानी सरोज :**
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :
श्री हरिभाऊ राठौड :
श्री गिरिधारी यादव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अभी तक राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितने विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की सुविधा प्रदान की गई है;

(ख) कम्प्यूटर शिक्षा की सुविधा से वंचित रहे विद्यालयों का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) शेष विद्यालयों में यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा हेतु प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को प्रदान की गई वित्तीय सहायता/अनुदान का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) "विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अभी तक, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी स्कीम के अंतर्गत 4067 विद्यालयों के लिये संस्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

उपरोक्त के अलावा, प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिये सर्व शिक्षा अभियान के एक घटक, कम्प्यूटर आधारित अध्ययन के तहत सम्पूर्ण देश के 25928 विद्यालयों को इसमें सम्मिलित किया गया है। राज्य-वार ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है। सर्व शिक्षा अभियान स्कीम के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर कम्प्यूटर आधारित अध्ययन के लिये प्रत्येक जिले को प्रत्येक वर्ष 15 लाख रु. की धनराशि "नवाचार निधियां" के रूप में प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) विद्यालयों को शामिल करना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों और स्कीम के तहत निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(घ) "विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी" स्कीम वर्ष 2005-06 से कार्यान्वित की गई थी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान प्रदान की गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-III और विवरण-IV में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सर्व शिक्षा अभियान स्कीम के अंतर्गत राज्यों को आबंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है।

विवरण-I

उन विद्यालयों की संख्या, जिन्हें अब तक इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता संस्वीकृत की गई है

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्कूलों की संख्या जिनके लिये संस्वीकृति दी गई
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12
2.	आंध्र प्रदेश	200

1	2	3
3.	अरुणाचल प्रदेश	154
4.	बिहार	180
5.	चंडीगढ़	20
6.	छत्तीसगढ़	100
7.	दादरा और नगर हवेली	6
8.	दमन और दीव	15
9.	दिल्ली	75
10.	गोवा	230
11.	गुजरात	150
12.	हरियाणा	100
13.	जम्मू और कश्मीर	140
14.	कर्नाटक	480
15.	केरल	125
16.	लक्षद्वीप	12
17.	मध्य प्रदेश	230
18.	महाराष्ट्र	200
19.	मिजोरम	60
20.	नागालैंड	200
21.	उड़ीसा	200
22.	पांडिचेरी	25
23.	पंजाब	20
24.	राजस्थान	100
25.	सिक्किम	103
26.	तमिलनाडु	125
27.	त्रिपुरा	200
28.	उत्तर प्रदेश	200
29.	उत्तराखंड	25
30.	पश्चिम बंगाल	200
	कुल	4067

विवरण-II

शामिल किए गए विद्यालयों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शामिल किए गए विद्यालयों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—
2.	आंध्र प्रदेश	3575
3.	अरुणाचल प्रदेश	105
4.	असम	500
5.	बिहार	306
6.	चंडीगढ़	28
7.	छत्तीसगढ़	320
8.	दादरा और नगर हवेली	—
9.	दमन और दीव	अभी शामिल नहीं किया गया है
10.	दिल्ली	200
11.	गोवा	251

1	2	3
12.	गुजरात	1217
13.	हरियाणा	911
14.	हिमाचल प्रदेश	282
15.	जम्मू और कश्मीर	84
16.	झारखंड	346
17.	कर्नाटक	1000
18.	केरल	878
19.	लक्षद्वीप	—
20.	मध्य प्रदेश	3361
21.	महाराष्ट्र	1175
22.	मेघालय	132
23.	मिजोरम	597
24.	नागालैंड	86
25.	उड़ीसा	600
26.	पांडिचेरी	100
27.	पंजाब	6732
28.	राजस्थान	500
29.	सिक्किम	40
30.	तमिलनाडु	1165
31.	त्रिपुरा	28
32.	उत्तर प्रदेश	465
33.	उत्तरांचल	551
34.	पश्चिम बंगाल	393
	कुल	25928

विवरण-III

वर्ष 2005-06 के दौरान "विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी स्कीम" के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संस्वीकृत राशि (रु. लाख में)	पिछले वर्ष खर्च न की गई शेष राशि का समायोजन/अन्य स्कीमें (रु. लाख में)	जारी की गई राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	928.62	19.50	444.81
2.	बिहार	900.00	225.00	0.00
3.	गोवा	1150.00	0.00	292.50
4.	हरियाणा	500.00	19.50	230.50

1	2	3	4	5
5.	जम्मू और कश्मीर	844.20	90.00	0.00
6.	कर्नाटक	2400.00	0.00	1200.00
7.	केरल	625.00	0.00	312.50
8.	मध्य प्रदेश	1150.00	575.00	0.00
9.	मिजोरम	306.18	0.00	150.00
10.	नागालैंड	319.59	0.00	319.59
11.	उड़ीसा	1000.00	500.00	0.00
12.	पंजाब	1000.00	500.00	0.00
13.	राजस्थान	500.00	446.74	53.26
14.	सिक्किम	621.09	0.00	270.00
15.	तमिलनाडु	625.00	310.40	2.10
16.	उत्तराखंड	150.75	0.00	75.00
17.	पश्चिम बंगाल	1000.00	0.00	393.17
18.	दमन और दीव	75.00	8.70	25.00
	कुल	14095.43	2694.84	3768.43

विवरण-VI

वर्ष 2006-07 के दौरान "विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी स्कीम" के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संस्वीकृत राशि (रु. लाख में)	पिछले वर्ष खर्च न की गई शेष राशि का समायोजन/अन्य स्कीमें (रु. लाख में)	जारी की गई राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	60.00	30.00	0.00

1	2	3	4	5
2.	आंध्र प्रदेश	1000.00	299.72	200.28
3.	चंडीगढ़	100.00	14.80	35.20
4.	छत्तीसगढ़	500.00	2.30	247.70
5.	दादरा और नगर हवेली	30.00	6.56	0.00
6.	दिल्ली	375.00	134.60	40.53
7.	गुजरात	750.00	375.00	0.00
8.	लक्षद्वीप	60.00	21.60	8.40
9.	महाराष्ट्र	1000.00	337.50	0.00
10.	नागालैंड	886.41	0.00	443.21
11.	पांडिचेरी	125.00	12.80	34.47
12.	त्रिपुरा	1206.00	0.00	603.00
13.	उत्तर प्रदेश	1000.00	500.00	0.00
	कुल	7092.41	1734.88	1612.79

कृपया ध्यान दें : इसके अतिरिक्त 2029.76 लाख रुपए की राशि (अरुणाचल प्रदेश सरकार के लिए 267.26 लाख रुपए, हरियाणा सरकार के लिए 250.00 लाख रुपए, कर्नाटक सरकार के लिए 1200.00 लाख रुपए और केरल सरकार के लिए 312.50 लाख रुपए) वर्ष 2005-06 में संस्वीकृत विद्यालयों के लिए दूसरी किस्त के रूप में दी गई है।

विवरण-V

2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को आबंटित निधियों

क्र.सं.	राज्य	2004-05 में आबंटन (रु. लाख में)	2005-06 में आबंटन (रु. लाख में)	2006-07 में आबंटन (रु. लाख में)
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	30.00	30.00	58.19
2.	आंध्र प्रदेश	329.76	321.25	309.20

1	2	3	4	5
3.	अरुणाचल प्रदेश	225.00	152.60	179.13
4.	असम	102.74	230.00	345.00
5.	बिहार	1013.11	680.50	417.60
6.	चंडीगढ़	15.00	150.00	15.00
7.	छत्तीसगढ़	241.81	409.10	211.15
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	11.00
9.	दमन और दीव	30.00	20.00	30.00
10.	दिल्ली	113.76	248.31	303.92
11.	गोवा	0	60.00	57.04
12.	गुजरात	375.00	375.00	750.00
13.	हरियाणा	517.96	313.87	300.00
14.	हिमाचल प्रदेश	180.00	180.00	180.00
15.	जम्मू और कश्मीर	113.76	184.38	210.00
16.	झारखंड	618.32	330.00	635.61
17.	कर्नाटक	405.00	810.00	810.00
18.	केरल	310.30	318.70	226.68
19.	लक्षद्वीप	28.09	30.00	15.00
20.	मध्य प्रदेश	1099.84	1216.91	989.29
21.	महाराष्ट्र	418.00	487.48	994.51
22.	मणिपुर	109.95	13.68	40.00
23.	मेघालय	105.00	0.00	105.00
24.	मिजोरम	230.87	120.80	120.00

1	2	3	4	5
25.	नागालैंड	120.00	128.18	120.00
26.	उड़ीसा	450.00	450.00	450.00
27.	पांडिचेरी	60.00	60.00	60.00
28.	पंजाब	240.00	255.00	255.00
29.	राजस्थान	231.00	384.00	480.00
30.	सिक्किम	60.00	60.00	60.00
31.	तमिलनाडु	435.00	1450.00	435.00
32.	त्रिपुरा	40.00	60.00	60.00
33.	उत्तर प्रदेश	915.00	1050.00	2100.00
34.	उत्तरांचल	195.00	195.00	195.00
35.	पश्चिम बंगाल	283.00	281.23	300.00
	कुल	9642.27	10920.99	11828.32

क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्र

1160. **श्री अनंत गुढ़े :**
श्री श्रीचन्द कृपलानी :
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रों के माध्यम से क्षेत्रीय निर्माताओं को प्रदान की जा रही सुविधाओं का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या क्षेत्रीय निर्माता अधिक प्रसारण प्रभारों के कारण गुणवत्ता वाले कार्यक्रम नहीं बना पा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा प्रतिभाशाली क्षेत्रीय कलाकारों को बढ़ावा देने और उन्हें रोजगार देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) दूरदर्शन केंद्र अच्छे कार्यक्रमों के निर्माण के लिए क्षेत्रीय निर्माताओं को जनशक्ति के साथ-साथ निम्नलिखित सुविधाएं भी किराया-आधार पर उपलब्ध कराते हैं:

(i) ई एन जी उपस्कर, (ii) स्टूडियो की सुविधाएं और (iii) संपादन इकाई।

इसी प्रकार से आकाशवाणी के सभी स्टेशन नाममात्र प्रभार पर बाह्य एजेंसियों/विज्ञापनदाताओं को को अपने स्टूडियो किराए पर मुहैय्या कराने की सुविधा प्रदान करते हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि सभी दूरदर्शन केंद्रों के पास विभिन्न कार्यक्रमों के लिए उनके कार्यक्रम जोन में उपलब्ध प्रतिभा की पहचान करने और समय-समय पर घरेलू कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नियमित रूप से उन्हें आमंत्रित करने की एक प्रणाली है। आकाशवाणी विभिन्न कार्यक्रमों में स्वर-परीक्षित और गैर स्वर-परीक्षित कलाकारों को आमंत्रित करता है जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार शुल्क का भुगतान किया जाता है।

उग्रवादी गतिविधि

1161. श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री नवीन जिन्दल :
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री रामदास आठवले :
श्री एन.एन. कृष्णदास :
श्री अजीत जोगी :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री काशीराम राणा :
श्री जोयाकिम बखला :
श्री सुव्रत बोस :
श्री जी. करूणाकर रेड्डी :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री पंकज चौधरी :
श्री बची सिंह रावत "बच्चदा" :
श्री संतोष गंगवार :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री धर्मेन्द्र प्रधान :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर जम्मू व कश्मीर तक पूर्वोत्तर राज्यों में आंतकवादियों/नक्सलियों/उग्रवादियों की गतिविधियां बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006-07 के दौरान घटी ऐसी घटनाओं का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितने सुरक्षाकर्मी और सिविलियन मारे गए/घायल हुए;

(घ) मुठभेड़ों में राज्यवार कितने आतंकवादी मारे गए/कितने गिरफ्तार किए गए;

(ङ) आतंकवादियों से जब्त किए गए हथियारों और गोला-बारूदों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार के पास राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा करने हेतु कोई योजना है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(झ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2006 और 2007 (31 जुलाई तक) के दौरान जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और नक्सल प्रभावित राज्यों में घटनाओं, मारे गए सुरक्षा बलों के कार्मिकों, सिविलियनों और आतंकवादियों तथा गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों की संख्या नीचे दी गई है।

वर्ष 2006 और 2007 (31.7.2007 तक) के दौरान जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा

राज्य	2006					2007 (31.07.2007 तक) (31.07.2006)*				
	घटनायें	मारे गए सुरक्षा बलों के कार्मिक	मारे गए सिविलियन	मारे गए आतंकवादी/ उग्रवादी	गिरफ्तार किए गए नक्सली	घटनायें	मारे गए सुरक्षा बलों के कार्मिक	मारे गए सिविलियन	मारे गए आतंकवादी/ उग्रवादी	गिरफ्तार किए गए नक्सली
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जम्मू और कश्मीर	1667	151	389	593	429	672	68	103	264	271
						(1001)	(68)	(257)	(338)	(210)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
असम	413	32	164	46	321	302	15	178	83	264
						(210)	(09)	(74)	(28)	(156)
मणिपुर	498	28	96	187	890	340	26	82	100	583
						(288)	(17)	(53)	(132)	(459)
नागालैंड	309	02	29	116	80	171	01	27	63	48
						(149)	(01)	(17)	(57)	(33)
त्रिपुरा	87	14	14	22	46	64	04	09	11	48
						(43)	(05)	(07)	(14)	(38)
मेघालय	38	00	06	20	51	11	00	05	06	09
						(29)	(00)	(06)	(17)	(26)
अरुणाचल प्रदेश	16	00	00	04	17	18	02	07	17	14
						(11)	(00)	(00)	(03)	(14)
मिजोरम	05	00	00	00	01	01	00	00	06	00
						(05)	(00)	(00)	(00)	(01)

*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े, 2006 की तदनुरूपी अवधि के ब्यौरे दर्शाते हैं।

वर्ष 2006 और 2007 (31.7.2007 तक) के दौरान नक्सल प्रभावित राज्यों में हिंसा

राज्य	2006					2007 (31.07.2007 तक) (31.07.2006)*				
	घटनाएं	मारे गए पुलिस कार्मिक	मारे गए सिविलियन	मारे गए नक्सली	गिरफ्तार किए गए नक्सली	घटनाएं	मारे गए पुलिस कार्मिक	मारे गए सिविलियन	मारे गए नक्सली	गिरफ्तार किए गए नक्सली
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
छत्तीसगढ़	715	84	304	74	286	399	134	125	54	151
						(453)	(58)	(248)	(36)	(154)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
झारखंड	310	43	81	20	254	259	07	64	09	133
						(191)	(23)	(52)	(15)	(163)
आंध्र प्रदेश	183	10	37	133	316	82	02	24	24	175
						(122)	(06)	(18)	(84)	(150)
बिहार	107	05	40	06	257	87	18	21	02	184
						(75)	(05)	(31)	(04)	(156)
उड़ीसा	44	04	05	14	29	47	02	10	06	29
						(29)	(04)	(02)	(12)	(06)
महाराष्ट्र	98	03	39	19	46	63	01	12	04	15
						(63)	(01)	(27)	(05)	(33)
मध्य प्रदेश	06	00	01	00	08	08	00	02	00	06
						(05)	(00)	(00)	(00)	(06)
उत्तर प्रदेश	11	00	05	04	25	04	00	02	01	11
						(08)	(00)	(04)	(03)	(18)
पश्चिम बंगाल	23	08	09	02	32	12	00	02	00	47
						(15)	(04)	(08)	(00)	(20)

*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े, 2006 की तदनुरुपी अवधि के ब्यौरे दर्शाते हैं।

इसके अतिरिक्त, 2006 में वाराणसी, नागपुर, मुम्बई और मालेगांव में आतंकवादी हिंसा की कुछ बड़ी घटनायें घटी हैं। इन घटनाओं में 235 व्यक्ति मारे गए और 1253 व्यक्ति घायल हुए। चालू वर्ष के दौरान आतंकवादी हिंसा की दो बड़ी घटनायें घटी हैं। इनमें से एक घटना 18.02.2007 को पानीपत के निकट अटारी/समझौता एक्सप्रेस के अनारक्षित डिब्बों में आग लगने/विस्फोटों की और दूसरी घटना 18.05.2007 को मक्का मस्जिद, हैदराबाद में विस्फोट होने की है। इन घटनाओं में 80 व्यक्ति मारे गए और 72 व्यक्ति घायल हुए।

(ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार 2006 और 2007 (31 जुलाई तक) के दौरान देश के विभिन्न भागों में आतंकवादी तत्वों से 4108 हथियार/शस्त्र और बड़ी मात्रा में गोली बारुद/मैग्जीन बरामद की गई हैं। बरामद किए गए हथियारों में पिस्तौल/रिवाल्वर, ए के-47/56/74 राइफलें, एल एम जी, एस एल आर, रॉकेट लूस्टर, 303 राइफलें, स्निपर राइफलें, कार्बाइन आदि शामिल हैं।

(च) से (ज) सरकार ने अलग-अलग राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई

कदम उठाए हैं जिनका ब्यौरा, लोक हित में प्रकट नहीं किया जा सकता है।

(झ) सरकार, आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध रहती है। इसके लिए राज्य सरकारों के साथ निकट सहयोग करके बहु-अयामी रणनीति अपनाई जा रही है जिसमें सीमा पार की घुसपैठ रोकने के लिए उपाय करना, आतंकवादी हिंसा के संभावित क्षेत्रों में केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करना, सुभेद्य क्षेत्रों में और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के चारों ओर निरंतर सतर्कता बरतना और सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करना, आसूचना का आदान-प्रदान करना और पुलिस आधुनिकीकरण योजनाओं के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए राज्य पुलिस बलों को सुदृढ़ बनाना और उनकी क्षमताओं में उन्नयन करना तथा इंडिया रिजर्व बटालियनों आदि का गठन करना शामिल हैं। परस्पर कानूनी सहायता, प्रत्यर्पण संधियों, सूचना और आसूचना आदि के आदान-प्रदान की व्यवस्था से आतंकवाद का मुकाबला करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय और बु-पक्षीय सहयोग को सुदृढ़ बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

हस्तशिल्प उत्पादन हेतु सहायता

1162. **श्री सी.के. चन्द्रपन्न** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने हस्तशिल्प के उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में कार्य कर रहे केरल स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता देने हेतु सरकार से सम्पर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.पी.के.एस. इलंगोवन) : (क) जी, नहीं। केरल सरकार ने चालू वित्त अर्थात 2007-08 के दौरान हस्तशिल्पों के उत्पादन एवं निर्यात में कार्य कर रहे केरल के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को किसी प्रकार की सहायता के लिए अनुरोध करते हुए केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रत्येक राज्य हेतु स्वतंत्र चैनल:

1163. **श्री पी.सी. थामस** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राज्यों के सूचना मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण परिणाम निकले;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने प्रत्येक राज्य हेतु अलग से एक-एक स्वतंत्र दूरदर्शन चैनल की मांग की है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के सूचना एवं चलचित्र मंत्रियों का अंतिम सम्मेलन 16 अप्रैल 2005 को आयोजित किया गया।

(ख) से (घ) चर्चित मुद्दों और उन पर निष्कर्ष का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण-I

दिनांक 16 अप्रैल, 2005 को आयोजित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के सूचना एवं चलचित्र मंत्रियों के पिछले सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई:-

1. मनोरंजन कर का सरलीकरण
2. पाइरेसी का मुद्दा और भारतीय दंड संहिता और प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत इसके निदान की जरूरत है। ऑप्टिकल डिस्क कानून पर चर्चा।
3. टेलीविजन चैनलों की विषय-वस्तु के संबंध में अधिनियमों, नियमों, एवं संहिताओं के बारे में राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारियों को जागरूक बनाना तथा केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें प्राप्त करने के लिए राज्य के सूचना

एवं जनसंपर्क विभागों से शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति।

4. टी वी चैनलों के प्रसारण एवं वितरण से संबंधित मुद्दों पर ट्राई की सिफारिशें - राज्य सरकारों की टिप्पणियां।

5. राज्यों द्वारा प्रसार भारती को कर में छूट, प्रसार भारती के प्रतिष्ठानों को भूमि, भवन, विद्युत पूर्ति की उपलब्धता तथा उसके प्रतिष्ठानों एवं कार्मिकों की सुरक्षा।

6. भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आर एन आई), राज्यों के जिला एवं जनसूचना अधिकारियों को समाचारपत्रों द्वारा प्रेषित किए जाने वाले वार्षिक विवरण का संग्रहण।

7. टी वी चैनलों पर विषय-वस्तु का विनियमन।

विवरण-II

दिनांक 16 अप्रैल, 2005 को आयोजित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के सूचना एवं चलचित्र मंत्रियों के पिछले सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित मुद्दों पर निष्कर्ष/सर्वसम्मति हुई:-

1. राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकरणों के अधिकारियों को पर्याप्त शक्तियों के साथ पाइरेसी-रोधी कानून का अधिक कारगर कार्यान्वयन।

2. राज्य सरकार द्वारा वीडियो लाइब्रेरी की लाइसेंसिंग या पंजीयन।

3. केबल ऑपरेटरों पर निगरानी रखने के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना।

4. सिनेमा उद्योग को पुनरूज्जीवित करने के लिए मनोरंजन कर में और अधिक कटौती करने की दिशा में कार्य करना ताकि इसे घटाकर 25-30% तक लाया जा सके।

5. समाचारपत्रों के संबंध में वार्षिक विवरणी/विवरण एकत्र करने के लिए जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारियों को नामोद्दिष्ट करना और उनको भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय को अग्रेषित किया जाना।

6. राज्य सरकारें प्रसार भारती को भूमि और विद्युत आदि जैसी अन्य संभारतंत्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सहमत हुई।

7. राज्य सरकारें सीमावर्ती क्षेत्रों व पहाड़ी क्षेत्रों में और कमजोर वर्गों के लिए डी टी एच सेट टॉप बॉक्स उपलब्ध कराने के लिए भी सहमत हुई। यह सिफारिश की गई थी कि भारत सरकार और राज्य स्कूल, आंगनवाड़ियों आदि को सेट टॉप बॉक्स उपलब्ध कराने के लिए एक साथ मिलकर स्कीम तैयार करें।

8. राज्य सरकारों ने सुझाव दिया कि केबल ऑपरेटरों को भविष्य में, मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार डाकखानों की बजाय जिला मजिस्ट्रेट या उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त के कार्यालयों में पंजीकृत कराया जाए।

9. तीन महानगरों - दिल्ली, मुम्बई एवं कोलकाता में संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से कैस विधान के संबंध में भारत सरकार द्वारा एक विस्तृत स्कीम तैयार की जाए।

10. अंततः यह निर्णय लिया गया कि आगे से सिमकॉन का प्रतिवर्ष आयोजन किया जाएगा और अधिकारी स्तर पर वर्ष में दो बार विचार-विमर्श किया जाएगा।

[हिन्दी]

बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित कानूनों में संशोधन

1164. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित कानूनों को संशोधित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) सरकार का विचार व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 को संशोधित करने का है। प्रस्तावित संशोधन चिन्हों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से संबंधित मैड्रिड प्रोटोकॉल में शामिल होने के सरकार के निर्णय पर आधारित

है जिसके लिए व्यापार चिन्ह अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक है। इससे व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के रजिस्ट्रार को भारत से आरंभ होने वाले एवं अनुबंधकर्ता पार्टियों से प्राप्त होने वाले, दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट कर सकेगा एवं प्रोटोकॉल दायित्वों के कार्यान्वयन में सहायता कर पाएगा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 में कुछ सुझाये गए संशोधन रखे हैं।

समेकित बाल विकास सेवा योजना में भ्रष्टाचार

1165. **श्री वी.के. दुग्मर :**
श्री काशीराम राणा :

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार व्यापत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार कितने लोगों को भ्रष्टाचार की गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है;

(घ) क्या सरकार ने भ्रष्टाचार की जांच कर रहे उच्च अधिकारियों के आचरण की जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) से (च)प्रश्न नहीं उठता।

गुमशुदा बच्चे

1166. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्रत्येक वर्ष करीब सात हजार बच्चे गुम होने की सूचना है और उनमें से अधिकांश कभी नहीं मिलते;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष लड़के और लड़कियों के संबंध में अलग-अलग तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान आज तक पाए गए ऐसे बच्चों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बच्चों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:

वर्ष	सूचित लापता बच्चे		पाए गए लापता बच्चे		न पाए गए लापता बच्चे	
	लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	लड़का	लड़की
2004	3913	2477	2628	1406	1285	1071
2005	4222	2704	3045	1559	1177	1145
2006	4118	2910	3446	2196	672	714
2007 (31 जुलाई तक)	2359	1736	1786	1216	573	520

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल है:- विशेषकर विद्यालयों, महाविद्यालयों, रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों, सिनेमा हॉलों, बाजारों आदि में अपने संबंधित क्षेत्रों में घुसपैठियों और अपराधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए डिवीजन/बीट स्टाफ को नियमित रूप से ब्रीफ करना; पैदल गश्त सहित मोटर साइकिल गश्त में वृद्धि करना; महत्वपूर्ण स्थानों पर विशेष पिकेटस की स्थापना करना; प्रत्येक पुलिस स्टेशन में गुमशुदा व्यक्तियों के रजिस्टर का अनुरक्षण; रजिस्टर में प्रविष्ट सारी संबंधित सूचना को गुमशुदा व्यक्ति स्क्वाड में अग्रेषित करना; गुमशुदा व्यक्ति स्क्वाड का कम्प्यूटरीकरण करना; वायरलैस संदेश को तत्काल अखिल भारत आधार पर भेजना; गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में पोस्टरों को सार्वजनिक स्थानों अर्थात् रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों, बाजारों आदि में प्रदर्शित करना; मीडिया के जरिए गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में प्रचार करना; प्रत्येक पुलिस स्टेशन में जिला वरिष्ठ अधिकारियों को बाल कल्याण अधिकारी के रूप में तैनात करना; प्रत्येक जिले में जिला गुमशुदा व्यक्ति एककों का कार्य करना; कालेज/विद्यालय के समय के दौरान डिवीजन/बीट अधिकारियों की तैनाती; दिल्ली पुलिस की वैबसाइट के जरिए उपलब्ध सूचना को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करना जिससे गुमशुदा व्यक्ति स्क्वाड की सूचना से लोग परिचित हो सकें; उत्तरी जिले के नई कोतवाली पुलिस स्टेशन में स्थापित दिल्ली पुलिस के कम्प्यूटर अथवा इंटरनैट तक निःशुल्क पहुंचने की समाज के कमजोर वर्गों को अनुमति प्रदान करना जिससे कि वे दिल्ली पुलिस और समीपवर्ती राज्यों की वैब साइट पर अपने गुमशुदा रिश्तेदारों के बारे में सूचना को देख सकें।

बेल्जियम के साथ व्यापार

1167. **श्री राजनरायन बुधौलिया** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेल्जियम सरकार ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने में अपनी गहरी अभिरूचि दिखायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच इस संबंध में कोई वार्ता हुई थी, और

(घ) यदि हां, ताके तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) जी, हां। बेल्जियम ने भारत से व्यापार बढ़ाने में हार्दिक रूचि प्रदर्शित की है। दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने एक बड़े व्यावसायिक शिष्टमंडल के साथ नवम्बर, 2006 में भारत का दौरा किया था। इससे पूर्व मार्च, 2005 में बेल्जियम की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों की 126 कम्पनियों के प्रतिनिधित्व वाले 250 सदस्यीय व्यावसायिक शिष्टमंडल के साथ बेल्जियम के युवराज फिलिप ने भी भारत का दौरा किया था। आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वालून (बेल्जियम) की प्रांतीय सरकार के आर्थिक एवं वाणिज्य मंत्री के नेतृत्व में एक आर्थिक एवं व्यापार मिशन मार्च, 2006 में भारत आया था। द्विपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के स्तर पर भारत-बेल्जियम-लक्जमबर्ग संयुक्त आयोग (भारत-बी एल ई यू जे सी एम) के कार्यढांचे के तहत और द्विपक्षीय दौरों के दौरान विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श किया जाता है। दोनों देशों के बीच गठित एक संयुक्त व्यापार परिषद दोनों देशों के व्यवसाय-दर-व्यवसाय समुदायों के बीच सीधी बातचीत के लिए उत्तरदायी है। भारत और बेल्जियम के बीच व्यापारिक एवं आर्थिक शिष्टमंडलों का परस्पर आदान-प्रदान नियमित रूप से किया जाता है।

प्रसार भारती का विभाजन

1168. **श्री सूरज सिंह** :
श्री वसुदेव आचार्य :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रसार भारतीय को विभिन्न प्रभागों में बांटने का है जैसाकि 1 अगस्त, 2007 के 'दि इकोनॉमिक टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंजीनियरिंग कॉलेजों हेतु प्रवेश-परीक्षा

1169. **श्री संतोष गंगवार** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन संस्थानों ने वर्ष 2006 और 2007 के दौरान इंजीनियरिंग/मैनेजमेण्ट/मेडिकल हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित की;

(ख) देश में प्रत्येक पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा प्रवेश-प्रक्रिया हेतु कोई निगरानी तंत्र की व्यवस्था की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रति वर्ष अखिल भारतीय इंजीनियरी/आर्किटैक्चर प्रवेश परीक्षा (आई.आई.टी.-जे.ई.ई.) आयोजित करता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान चक्रानुक्रम आधार पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा (आई.आई.टी.-जेईई) आयोजित करते हैं। आई.आई.टी.-जे.ई.ई. वर्ष 2006 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर तथा वर्ष 2007 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई द्वारा आयोजित की गई। भारतीय प्रबंध संस्थानों में दाखिले हेतु सामान्य प्रवेश परीक्षा (कैट) भारतीय प्रबंध संस्थनों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाती है। मेडिकल/डेन्टल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रतिवर्ष अखिल भारतीय प्री-मेडिकल/प्री डेन्टल प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है। प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीट संबंधी आंकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते। परीक्षा आयोजक संस्थान/निकाय समय-समय पर प्रवेश प्रक्रिया की समीक्षा करते हैं तथा आवश्यक होने पर सरकार के परामर्श से आवश्यकतानुसार कार्रवाई करते हैं।

सीमा पर बाड़ लगाना

1170. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सीमा क्षेत्रों का सीमा-वार ब्यौरा क्या हैं जहां सुरक्षा दृष्टिकोण से बाड़ लगाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) सीमा-वार कुल कितने किलोमीटर क्षेत्र में बाड़ लगाने का कार्य अब तक हो चुका हैं;

(ग) बाड़ लगाने के शेष कार्य सीमा-वार कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(घ) अब तक खर्च की गयी निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन क्षेत्रों से मुख्य रूप से नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी होती रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) से (घ) सरकार ने भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर बाड़ निर्माण का कार्य शुरू किया है। पूरा हो चुका बाड़ का काम, इस पर किया गया व्यय और बाकी कार्य पूरा होने का सीमा-वार संभावित समय नीचे दिया गया है:

भारत-पाकिस्तान सीमा

राज्य का नाम	सीमा की कुल लम्बाई (कि.मी.)	सीमा पर की जाने वाली बाड़ की लम्बाई (कि.मी.)	सीमा पर अब तक की गई बाड़ की लम्बाई (कि.मी.)	सीमा पर की जाने वाली प्रस्तावित बाड़ की लम्बाई (कि.मी.)	किया गया व्यय (करोड़ रुपए)	बाकी कार्य पूरा होने का संभावित वर्ष
1	2	3	4	5	6.	7
पंजाब	553	461	462.45*	—	90.49	1993 में काम पूरा हो गया है।

1	2	3	4	5	6	7
राजस्थान	1037	1056.63	1048.27*	—	193.40	1999 में काम पूरा हो गया है।
जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा	210	180	185.59*	—	51.60	2006-07 में काम पूरा हो गया है।
गुजरात	508	310	217	93	313.00	2008-09
कुल	2308	2007-63	1912.31	93	648.49	

*स्थानीय भौगोलिक कारकों/सरेखण के कारण बाड़ की लम्बाई अलग-अलग है।

भारत-बांग्लादेश सीमा

राज्य का नाम	सीमा की कुल लम्बाई (कि.मी.)	सीमा पर की जाने वाली बाड़ की लम्बाई (कि.मी.)	सीमा पर अब तक की गई बाड़ की लम्बाई (कि.मी.)	सीमा पर की जाने वाली प्रस्तावित बाड़ की लम्बाई (कि.मी.)	किया गया व्यय (करोड़ रुपए)	बाकी कार्य पूरा होने का संभावित वर्ष
पश्चिम बंगाल	2216.70	1528.00	1180.00	348.00	931.06	2008-09
असम	263.00	223.81	197.38	26.43	241.35	2008-09
मेघालय	443.00	399.06	380.12	18.94	370.35	2008-09
त्रिपुरा	856.00	736.00	658.06	77.94	1047.92	2008-09
मिजोरम	318.00	400.00*	91.01	308.99	278.44	2008-09
कुल	4096.70	3286.87	2506.57	780.30	286912**	

*स्थानीय भौगोलिक कारकों/सरेखण के कारण बाड़ की लम्बाई अलग-अलग है।

**इसमें सड़कों और पुलों के निर्माण का व्यय शामिल है।

(ङ) से (छ) सीमा सुरक्षा बल द्वारा भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमा पर नशीले पदार्थ और हथियार जब्त किए जाने की घटनाओं की सूचना दी गई है। सरकार ने सीमाओं पर नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सीमाओं पर बाड़ लगाना और तेज रोशनी करना, आसूचना नेटवर्क का उन्नयन करना और सहयोगी आसूचना एजेंसियों के साथ समन्वय करना, सीमावर्ती सड़कों का निर्माण करना शामिल है ताकि सीमा पर गश्त लगाना आसान बनाया जा सके, विशेष अभियान चलाये जा सकें, अतिरिक्त संख्या में निगरानी चौकियां

स्थापित की जा सकें और आधुनिक निगरानी उपकरणों का उपयोग किया जा सके।

[अनुवाद]

विद्यालयों में यौन शिक्षा

1171. **श्री पी.एस. गढ़वी :**
श्री हंसराज गं. अहीर :
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :
श्री निखिल कुमार :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री अधीर चौधरी :
श्रीमती करूणा शुक्ला :
श्री जे.एम. आरून रशीद :
श्री एम. अप्पादुरई :
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास देश में विद्यालयों हेतु आदर्श यौन शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने व विकसित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारें/शैक्षणिक संस्थाओं से सम्बद्ध स्वैच्छिक संगठन इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में आगे क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, नहीं। तथापि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के सहयोग से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन के लिए किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम नामक एक शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किया है। यह किशोरावस्था की तीन मुख्य बातों पर केन्द्रित है: (i) किशोरावस्था के दौरान विकास की प्रक्रिया, (ii) एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम तथा (iii) नशीले पदार्थ (ड्रग) के सेवन की रोकथाम।

(ख) से (ङ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार शिक्षकों के लिए टूलकिट की सामग्री पर कुछ आपत्तियां की गई हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित सामग्री की गहन रूप से समीक्षा करने के लिए समिति गठित की है। इसके अलावा, सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को यह सलाह दी गई है कि वे सामग्री को स्थानीय माहौल तथा सामाजिक-सांस्कृतिक लोकाचार के अनुरूप बनाने हेतु इसकी समीक्षा करें।

[हिन्दी]

एन डी एम सी और एम सी डी पार्किंग

1172. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उच्च अधिकारियों के साथ मिली-भगत करके अवैध रूप से अनेक पार्किंग स्थल संचालित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) एम सी डी और एन डी एम सी के अधिकृत पार्किंग स्थलों की अलग-अलग संख्या और नाम क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन पार्किंग स्थलों को अवैध रूप से संचालित करने हेतु कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरूद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) इस समय दिल्ली नगर निगम के 151 पार्किंग स्थल और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के 123 पार्किंग स्थल संचालित किए जा रहे हैं। इन पार्किंग स्थलों के नाम अनुलग्नक में दिए गए है।

(घ) दिल्ली में पार्किंग स्थलों को अवैध रूप से संचालित करने के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :-

वर्ष	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
2004	शून्य
2005	10
2006	04
2007 (31.07.2007 तक)	03

दिल्ली पुलिस ने उनके विरूद्ध मामलें दर्ज किए हैं।

(ङ) अनाधिकृत पार्किंग स्थलों की समस्या को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में अतिरिक्त पार्किंग शुल्क और पार्किंग की जगह का यौक्तिकीकरण करना और अवैध और अनाधिकृत पार्किंग स्थलों को वैध पार्किंग स्थलों में परिवर्तित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण करना एन डी एम सी और एम सी डी पार्किंग के संबंध में 21.08.2007 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1172 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

(एक) दिल्ली नगर निगम की पार्किंग स्थलों की सूची

क्र.सं.	पार्किंग स्थल
1	2
(1) शाहदरा दक्षिण क्षेत्र	
1.	डी वी वी, कड़कड़डूमा
2.	माल के निकट व्यापारिक केन्द्र कड़कड़डूमा
3.	मधु विहार मार्किट, नरवाना अपार्टमेन्ट के समीप
4.	वाणिज्यिक काम्प्लेक्स प्रीत विहार
5.	अनाज मंडी शाहदरा
(2) शाहदरा उत्तरी क्षेत्र	
1.	शाहदरा फ्लाईओवर के नीचे
2.	डी वी वी, जी टी रोड़, दिलशाद गार्डन
3.	दूरभाष केन्द्र, दिलशाद गार्डन
4.	उपायुक्त कार्यालय, उत्तरी नंद नगरी के बाहर
5.	उपायुक्त कार्यालय, दिल्ली नगर निगम पूर्वोत्तर के बाहर
6.	रेड क्रास अस्पताल, सीमा पुरी
(3) दक्षिण क्षेत्र	
1.	सपना सिनेमा, ईस्ट ऑफ कैलाश
2.	पी वी आर, अनुपम, साकेत
3.	एम-ब्लॉक, जी के-I
4.	एन-ब्लॉक, जी के-I
5.	सी सी, गुलमोहर एन्क्लेव, युसुफ सराय
6.	बंसत लोक सी सी, पी वी आर, प्रिया सिनेमा के आस-पास
7.	सी सी, कमल सिनेमा के निकट
8.	एल एस सी, एम ब्लॉक, जी के-I
9.	बी-ब्लॉक मार्किट, सफदरजंग एन्क्लेव
10.	पुष्प भवन, एल एस सी, मदनगीर
11.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ईस्ट ऑफ कैलाश के बाहरी हिस्से में

1	2
12.	मैसर्स भारती सेल्युलर कंपनी कार्यालय की बिल्डिंग, एम बी रोड, सैदुलाजाब के निकट
13.	टी पी टी अथॉरिटी शेख सराय-II के चारों ओर
14.	एम पी एल पार्क कैलाश कॉलोनी, मार्किट के चारों ओर
15.	वाणिज्यक काम्प्लेक्स, जमरूदपुर
16.	इंडियन ऑयल बिल्डिंग सहित युसुफ सराय
17.	मद्दनगीर मेन रोड से पुष्पा भवन और यहां से मदनगीर दिल्ली तक
18.	डिफेंस कॉलोनी मार्किट, गुम्बद कम्पलीट मार्किट के नजदीक
19.	मैक्स मेडिकेयर पंचील पार्क
20.	कुतुब इंस्टिट्यूशन क्षेत्र
21.	ग्रीन पार्क मार्किट
22.	उपहार सिनेमा काम्प्लेक्स
23.	शिव मंदिर गिरी नगर कालकाजी के सामने
24.	मैक्स हॉस्पिटल इंस्टिट्यूट खिड़की एक्सटेंशन
25.	वाणिज्यिक काम्प्लैक्स पंचील पार्क
(4)	मध्य क्षेत्र
1.	साऊथ एक्सटेंशन-I
2.	साऊथ एक्सटेंशन-II
3.	पुलिस स्टेशन के सामने, अंलकार (3 सी एस) के नजदीक, लाजपत नगर
4.	बालाजी एस्टेट, कालाकाजी
5.	न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, कॉम्यूनिटी सेंटर
6.	डी टी टी डी सी कार्यालय, डिफैंस कॉलोनी
7.	एम-ब्लॉक, जी के-II
8.	लोटस टैम्पल के बाहरी तरफ
9.	सेन्ट्रल मार्किट, लाजपत नगर
10	मैक्स हाऊस के बाहरी तरफ, ओखला स्टेशन के नजदीक
11.	ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-I
12.	हल्दीराम की दुकान के नजदीक, रिंग रोड, लाजपत नगर
13.	ओखला औधोगिक क्षेत्र फेज-III
14.	साऊथ एक्स-II सर्विस रोड एन आई आई टी
15.	डिफेंस कॉलोनी मार्किट
16.	एम टी एन एल कार्यालय नेहरू प्लेस
17.	बी एस ई एस कार्यालय नेहरू प्लेस
18.	नाथ् स्वीट्स ओखला
19.	ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-II
(5)	सिविल लाइन्स क्षेत्र
1.	सिटी वाल के समानान्तर, मोरी गेट
2.	हेमिल्टन रोड
3.	तिब्बती मार्किट, मॉंटेसरी, आई एस बी टी के नजदीक
4.	जवाहर नगर, कमला नगर
5.	नानी वाला बाग वाणिज्यिक काम्प्लेक्स
6.	बत्तरा सिनेमा काम्प्लेक्स, डा. मुखर्जी नगर
7.	वजीरपुर औधोगिक क्षेत्र वाणिज्यिक काम्पलेक्स

1	2
8.	कृपा नारायण मार्ग
9.	8 अंडर हिल रोड टी पी टी अथॉरिटी
10.	जी पी ओ कश्मीरी गेट का पुलिस स्टेशन
11.	सिविल लाइन जोन
12.	मोरी गेट टर्मिनल से लगी बस पार्किंग
13.	शास्त्री नगर चौक से घंटा घर
14.	नागिया पार्क के चारों ओर
15.	जी टी करनाल रोड, एम टी एन एल कार्यालय, आर्य भट्ट
(6)	पश्चिमी क्षेत्र
1.	बी के दत्ता मार्किट, राजौरी गार्डन
2.	ज्वाला हेड़ी मार्किट, पश्चिम विहार
3.	तिलक नगर, फ्लाईओवर के नीचे
4.	राजौरी गार्डन, मेन मार्किट
5.	सेन्ट्रल मार्किट, रोड़ नं. 43 के नजदीक, पंजाबी बाग
6.	कर्मपुरा वाणिज्यिक काम्प्लेक्स
7.	पी वी आर, वाणिज्यिक काम्प्लेक्स, जी-ब्लॉक, विकासपुरी
8.	खजान बस्ती, नांगल राया
9.	एम सी डी जोनल कार्यालय, वेस्ट जोन, विशान एन्क्लेव
10.	महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग की बाहरी लेन
11.	सिटी स्कवेयर माल (नई) राजौरी के चारों ओर
12.	सोनिया तीन जगहों को छोड़कर पी वी आर के बाहर विकास पुरी वाणिज्यिक काम्प्लेक्स
13.	कैंपा कोला फैक्टरी (न्यू) के सामने
14.	रिवाइटेल जिम से खन्ना ज्वैलर्स (न्यू)
15.	डिस्ट्रिक्ट सैंटर जनकपुरी
16.	पोस्ट ऑफिस टैगोर मार्किट, कीर्ति नगर के नजदीक कालरा हॉस्पिटल
17.	कीर्ति नगर थाना, महिला अपराध प्रकोष्ठ से लगा
18.	अग्रवाल ग्लास से जनक पार्लर, राजा गार्डन चौक
(7)	रोहिणी क्षेत्र
1.	सम्राट सिनेमा, शकरपुर
2.	एस सी डी प्राथमिक विद्यालय के समीप, रानी बाग, संत नगर
3.	शिवा मार्किट, पीतमपुरा
4.	जे डी ब्लॉक मार्किट, पीतमपुरा
5.	जगन्नाथ इंस्टिट्यूट के आस-पास, सेक्टर 5 रोहिणी
6.	दूरभाष केन्द्र, जयपुर गोल्डन अस्पताल के निकट
7.	नीमड़ी कॉलोनी वाणिज्यिक काम्प्लेक्स
8.	उप रजिस्ट्रार का कार्यालय, आर यू ब्लॉक पीतमपुरा
9.	संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, ट्रक पार्किंग
10.	सी एस सी-III, अशोक विहार
11.	डी टी सी डिपो वजीरपुर के पीछे, नेताजी सुभाष पैलेस के निकट
(8)	नजफगढ़ क्षेत्र
1.	सामुदायिक केन्द्र, बी-7, वसंत कुंज
2.	फोर्टिस अस्पताल के चारों ओर

1	2
(9)	करोल बाग क्षेत्र
1.	सरस्वती मार्ग
2.	आर्य समाज रोड-I
3.	आर्य समाज रोड-II
4.	टैंक रोड
5.	गुरूद्वारा रोड
6.	वाणिज्यिक काम्प्लैक्स, पी वी आर नारायणा
7.	अजमल खां रोड-I
8.	अजमल खां रोड-II
9.	जैड ब्लॉक, लोहा मंडी
10.	अजमल खां पार्क के चारों ओर की सड़कें
11.	टी पॉइन्ट नारायण
12.	जीवन माला अस्पताल
13.	सरयन भवन
14.	शास्त्री पार्क, करोल बाग
15.	घास मंडी जखीरा
16.	झील थाना प्रसाद नगर के चारों ओर
17.	ओल्ड और न्यू राजेन्द्र नगर मार्किट
(10)	शहरी क्षेत्र
1.	पुल मिठाई
2.	राधा मोहन क्लब
3.	नन मिशन रोड
4.	गांधी मैदान

1	2
5.	महावीर वाटिका
6.	आसफ अली रोड एम एल यू जी कार पार्किंग
7.	अजमेरी गेट से हमदर्द चौक
8.	अजमेरी गेट से लाहौरी गेट
9.	रामलीला ग्राउंड
10.	लाजपत राय मार्किट
11.	अप्पू घर गेट नं. 04
12.	बाग दीवार स्कूटर पार्किंग
13.	इन्द्रप्रस्थ डाक घर
14.	परेड ग्राउंड
15.	बिक्रीकर कार्यालय, आई टी ओ के पीछे
16.	आसफ अली रोड, डिलाइट सिनेमा के पीछे
17.	कोटला रोड, बाल भवन के बाहर का क्षेत्र
18.	बी एस जेड मार्ग के सामने इन्द्रप्रस्थ डाक घर की बाहरी लेन
19.	7-बी, नेताजी सुभाष मार्ग के समीप, दरियागंज
20.	शहीद पार्क, आई टी ओ के बाहर
21.	जगत सिनेमा के सामने
22.	मानक भवन
23.	निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन
24.	भागीरथ प्लेस
25.	जामा मस्जिद, गेट सं. 3
26.	पुरानी दिल्ली साईकल मार्किट, लाल किला के सामने

1	2
(11) सदर पहाड़गंज क्षेत्र	
1.	कुतुब रोड, लाहौरी गेट के नजदीक
2.	रानी झांसी रोड
3.	विडियोकॉन टॉवर (स्थल 2) के निकट
4.	इम्पीरियल सिनेमा चूना मंडी (साईकल/रिक्शा)
5.	कुतुब रोड सदर बाजार
6.	यंमत रोड पहाड़गंज
7.	सदर बाजार बारादूटी

(दो) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की पार्किंग स्थलों की सूची

क्रम.सं.	पार्किंग स्थल
1	2
1.	सी-ब्लॉक इनर सर्किल कनाट प्लेस
2.	डी ब्लॉक इनर सर्किल कनाट प्लेस
3.	ई ब्लॉक इनर सर्किल कनाट प्लेस
4.	एफ ब्लॉक इनर सर्किल कनाट प्लेस
5.	एम ब्लाक बाहरी सर्कल कनाट प्लेस
6.	जी ब्लॉक आर आर पी के एस मार्ग
7	जी ब्लॉक, मद्रास होटल के सामने
8.	जी ब्लाक, पी के रोड (मरीना होटल) के सामने
9.	एच ब्लॉक चेम्सफोर्ड रोड
10	एच ब्लॉक मिडल सर्कल
11.	ए ब्लॉक मिडल सर्कल
12.	बी-ब्लॉक मिडल सर्कल
13.	सी-ब्लॉक मिडल सर्कल
14.	डी-ब्लॉक मिडल सर्कल
15.	ई-ब्लॉक मिडल सर्कल
16.	एफ-ब्लॉक मिडल सर्कल
17.	के-ब्लॉक आर आर सं. 5, मास्जिद वाली पार्किंग के समीप
18.	के-ब्लॉक कनॉट प्लेस
19.	एल-ब्लॉक बाहरी सर्कल
20.	आर आर सं. 5 ओडियन सिनेमा
21.	एन ब्लॉक, स्टेट्समैन के सामने
22.	एन ब्लॉक, सिंधिया हाऊस के सामने
23.	पी-ब्लॉक, मद्रास होटल के सामने
24.	एच-ब्लॉक, आर आर पी के रोड
25.	एच-ब्लॉक एंटरी ए आर सी एच (केवल स्कूटरों के लिए)
26.	एम-ब्लॉक एंटरी ए आर सी एच (केवल स्कूटरों के लिए)
27.	जी-ब्लॉक एंटरी ए आर सी एच (केवल स्कूटरों के लिए)
28.	एन-ब्लॉक एंटरी ए आर सी एच (केवल स्कूटरों के लिए)
29.	ए-ब्लॉक इनर सर्कल कनाट प्लेस
30.	बी-ब्लॉक इनर सर्कल कनाट प्लेस
31.	ए-ब्लॉक आर आर पी के रोड

1	2
32.	बी-ब्लॉक आर आर पी के रोड
33.	ई-ब्लॉक आर आर बी के रोड
34.	एफ-ब्लॉक आर आर बी के रोड
35.	मिंटो रोड के और एल ब्लॉक के बीच
36.	मरीना होटल, जी और एच ब्लॉक के बीच
37.	बी के रोड, एम और एन ब्लॉक के बीच
38.	एम ब्लॉक आर आर सं. 7 कनाट प्लेस
39.	के-ब्लॉक आर आर सं. 4, गोला रेस्टोरेन्ट के सामने
40.	एम ब्लॉक आर आर सं. 6 कनॉट प्लेस
41.	एल ब्लॉक आर आर सं. 6 नरूला होटल
42.	ई ब्लॉक आर आर सं. 6 कनॉट प्लेस
43.	डी-ब्लॉक आर आर सं. 6 कनॉट प्लेस
44.	बी ब्लॉक आर आर सं. 4 कनॉट प्लेस
45.	सी ब्लॉक आर आर सं. 4 कनॉट प्लेस
46.	मयूर भवन विशिष्ट पार्किंग
47.	द्विस्तरीय पार्किंग बी के एस मार्ग
48.	सुपर बाजार
49.	शंकर मार्किट
50.	सिंधिया हाऊस, फेडरल मोटर्स के सामने
51.	बी के एस मार्ग, पुलिस स्टेशन से लगा हुआ
52.	बी के एस मार्ग, शिव मंदिर के सामने
53.	एच टी बिल्डिंग के पीछे
54.	सोना रूपा के सामने, जनपथ
55.	जनपथ गेस्ट हाऊस
56.	इंडियन कॉफी हाऊस, जनपथ
57.	कौनलिंग लेन
58.	मर्केन्टाइल बिल्डिंग के सामने
59.	सिंधिया हाऊस, त्रिभुवन दास ज्वैलर के सामने
60.	मोहन देव बिल्डिंग के पीछे
61.	आई ओ बी जनपथ
62.	टॉलस्टॉय हाऊस (कोन्नल सिंगल रो)
63.	नरेन्द्र प्लेस डी एल एफ के सामने
64.	यशवंत प्लेस शॉपिंग काम्प्लेक्स
65.	आकाश दीप बिल्डिंग से वर्ल्ड ट्रेड टॉवर तक
66.	आकाश दीप बिल्डिंग
67.	दिल्ली हॉट
68.	आई एन ए मार्किट के बाहरी क्षेत्र में
69.	पार्क ऑफिस काम्प्लेक्स यशवंत प्लेस और सत्य मार्ग के बीच गैराज
70.	जीवन भारती बिल्डिंग
71.	बंगाली मार्किट
72.	नीति मार्ग
73.	अतिरिक्त पार्किंग स्थल दिल्ली हाट
74.	हाल में विकसित क्षेत्र एस. नगर
75.	बाबू मार्किट के सामने, एस नगर

1	2
76.	सरोज़िनी मार्किट सब्जी मार्किट के पीछे
77.	डी पी एस लाइब्रेरी सरोजिनी नगर के पीछे
78.	डी-ऐवन्यू सरोजनी नगर
79.	फर्स्ट क्रासिंग रोड, एस नगर
80.	बाबू मार्किट की जी-ऐवन्यू बाउंडरी वाल
81.	एस.एन. मार्किट के नजदीक काम्यूनिटी हॉल के चारों ओर का एच-एवेन्यू
82.	एस.एन. मार्किट के नजदीक काम्यूनिटी हॉल के चारों ओर का बी-एवेन्यू
83.	दुकान सं. 96 से 196 तक के सामने डी-ऐवन्यू एस. नगर में पार्किंग स्थल
84.	पंडारा रोड मार्किट
85.	पालिका भवन
86.	माल्वा मार्ग मार्किट
87.	क्लारिज होटल
88.	कनॉट होटल का बाहरी हिस्सा
89.	होटल जनपथ के पीछे
90.	पेट्रोल पंप के सामने होटल ताज मान सिंह से लगा क्षेत्र
91.	अशोका होटल
92.	रिवोली सिनेमा के पीछे पार्किंग स्थल
93.	थापर हाऊस जनपथ
94.	ईस्टर्न कोर्ट के सामने
95.	रेडियल रोड के जी मार्ग

1	2
96.	रेडियल रोड जाकिर हुसैन मार्ग
97.	रेडियल रोड तिलक मार्ग
98.	रेडियल रोड चिल्ड्रन पार्क
99.	दूरदर्शन और यू सी ओ पार्क
100.	दिल्ली उच्च न्यायालय के चारों ओर
101.	जीवन विहार से जीवन तारा बिल्डिंग
102.	बंगला स्वीट बंगला साहिब रोड के सामने
103.	पटियाला हाऊस की चारदीवारी के साथ लगा पार्किंग स्थल
104.	कामनी ऑडिटोरियम और प्रसार भारती
105.	रेल म्यूजियम
106.	तानसेन मार्ग पर संगीता भारती और एफ आई सी सी आई ऑडिटोरियम
107.	वी एस एन एल कार्यालय, बंगला साहिब मार्ग
108.	इंपीरियल होटल
109.	गेलार्ड रेस्टोरेन्ट के पीछे, केवल स्कूटरों के लिए
110.	पार्क होटल
111.	चंदेरगुप्ता पार्क चाणक्य पुरी में पार्किंग स्थल
112.	चंदेरगुप्ता पार्क चाणक्य पुरी में पार्किंग स्थल
113.	पालिका प्लेस आर के आश्रम मार्ग
114.	सैंट कोलम्बस स्कूल भाई वीर सिंह मार्ग के सामने पार्किंग स्थल
115.	काली मंदिर लेन पर पार्किंग स्थल
116.	होटल ताज पैलेस में पार्किंग स्थल

1	2
117.	अमेरिकन एम्बेस्सी स्कूल के सामने पार्किंग स्थल
118.	शहीद भगत मार्ग, डी ए वी स्कूल की चारदिवारी से लगा क्षेत्र
119.	पुराना किला, एन एस सी आई क्लब के नजदीक
120.	हंस प्लाजा के सामने
121.	स्टेट्समैन हाऊस के सामने
122.	गोपाल दास बिल्डिंग के सामने
123.	कंचनजंगा बिल्डिंग के सामने

[अनुवाद]

वस्त्र मिलें

1173. श्री अमिताभ नन्दी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रही वस्त्र मिलों का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार इन मिलों में कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ;

(ग) क्या वस्त्र उद्योग में बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितने श्रमिकों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है; और

(च) यदि हां, तो इसे रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) देश में राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रचालित वस्त्र मिलों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान इन मिलों में उत्पादन की मात्रा विवरण-II और विवरण-III में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

देश में राज्यवार और संघशासित क्षेत्र-वार प्रचलित मिलों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/सं.शा. क्षेत्र	प्रचालनरत मिलों की सं.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	66
2.	असम	1
3.	बिहार	2
4.	दादरा और नगर हवेली	7
5.	दमन और दीव	1
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	51
8.	हरियाणा	45
9.	हिमाचल प्रदेश	18
10.	जम्मू व कश्मीर	1
11.	झारखंड	1
12.	कर्नाटक	34
13.	केरल	26
14.	मध्य प्रदेश	39

1	2	3
15.	महाराष्ट्र	142
16.	उड़ीसा	3
17.	पांडिचेरी	10
18.	पंजाब	67
19.	राजस्थान	33
20.	तमिलनाडु	755
21.	उत्तर प्रदेश	24
22.	उत्तरांचल	4
23.	पश्चिम बंगाल	17
	कुल	1348

विवरण-II

वस्त्र मिलों द्वारा स्पन यार्न का राज्यवार उत्पादन

(गैर-एसएसआई + एसएसआई)

('000 कि.ग्रा.)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्पन यार्न का उत्पादन		
	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4
राज्य			
आंध्र प्रदेश	156889	159266	175205
असम	87	95	81
बिहार	0	0	0
छत्तीसगढ़	0	0	0
दिल्ली	66	57	71
गोवा	642	510	521
गुजरात	225076	231111	240589
हरियाणा	106046	114620	121634
हिमाचल प्रदेश	103375	110089	133548
जम्मू और कश्मीर	23507	28453	30828
झारखंड	1142	1453	1478
कर्नाटक	73753	78056	78682
केरल	36907	41144	43365
मध्य प्रदेश	168996	176502	186014
महाराष्ट्र	310728	326369	364988
मणिपुर	0	0	0
उड़ीसा	2036	3828	2598
पंजाब	332613	372063	444882
राजस्थान	245083	264554	276631
तमिलनाडु	1262000	1369467	1516389
उत्तरांचल	3532	6847	22077
उत्तर प्रदेश	83168	91113	91701
पश्चिम बंगाल	36024	35397	33299
संघ शासित क्षेत्र			
दादरा व नगर हवेली	34695	32873	35306
दमन व दीव	792	1141	2015
पांडिचेरी	16354	13284	11483
कुल	3323511	3458292	3813385

विवरण-III

मिल क्षेत्र द्वारा कपड़ा का राज्यवार, उत्पादन अनन्य

(मी. वर्ग मी.)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-05	2005-06	2006-07
1.	गुजरात	468.94	516.4	540.39
2.	कर्नाटक	3.78	4.8	4.49
3.	केरल	2.79	2.8	2.79
4.	हरियाणा	44.35	40.9	63.02
5.	मध्य प्रदेश	41.17	40.2	60.58
6.	महाराष्ट्र	393.3	401.3	291.89
7.	पंजाब	146.47	173.1	209.25
8.	राजस्थान	111.61	113.2	174.77
9.	तमिलनाडु	104.09	119.7	127.9
10.	उत्तर प्रदेश	28.96	28.9	25.17
11.	पश्चिम बंगाल	3.43	4.2	4.17
12.	पांडिचेरी	28.76	22.9	21.99
13.	हिमाचल प्रदेश	34.11	34.1	59.75
14.	दादरा नगर व हवेली	114.05	153.3	159.53
	कुल	1525.81	1655.75	1745.69

अर्द्ध-सैनिक बलों में रिक्तियां

1174. **श्री इन्नान मोल्लाह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्द्ध-सैनिक बलों में रिक्तियां बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है;

(ग) क्या युवा अर्द्ध-सैनिक बलों में नौकरी करने की ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की नई बटालियनों का गठन करने और उनका विस्तार करने से रिक्त पदों में बढ़ोतरी हुई है।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और बल भर्ती बोर्डों की मदद से भर्तियां किया जाना एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) काफी संख्या में युवा व्यक्ति विभिन्न रैंकों में भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[हिन्दी]

जी.एस.आई. आंकड़ों के अनुसार खनन

1175. **श्री रामजीलाल सुमन :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन गतिविधियां भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण द्वारा मुहैया कराये गए आंकड़ों के अनुसार नहीं की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं;

(ग) जून, 2007 के अनुसार देश में विभिन्न खनिजों के संबंध में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण की रिपोर्ट की विषयवस्तु क्या है तथा उन खनिजों के नाम क्या हैं; और

(घ) उन खनिजों का ब्यौरा क्या है जिनका निष्कर्षण उनकी उपलब्धता मात्रा का 50 प्रतिशत ही किया जा रहा है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) और (ख) देश में खनन कार्यकलाप राज्य सरकारों के खान तथा भूविज्ञान निदेशालयों (डी एम जी) अथवा भारतीय खान ब्यूरो (आई बी एम) जैसा भी मामला हो, द्वारा अनुमोदित खनन प्लानों के अनुसार किए जाते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई), डी एम जी तथा दूसरी गवेषण एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए डाटा का खनिजों द्वारा लाभप्रद पाए गए संभव सीमा तक उपयोग किया जाता है।

(ग)जी एस आई खनिज अन्वेषणों पर रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें अन्वेषण के क्षेत्र, वेधन प्रचालन, रासायनिक विश्लेषण तथा संसाधन आंकलन संबंधी ब्यौरे होते हैं। फील्ड सत्र 1997-98 से 2005-06 के दौरान निम्नलिखित खनिजों के लिए आंकलित संसाधन नीचे दिए गए हैं:-

क्रम सं.	खनिज	संसाधन (मिलियन टन में)
1.	आधारधातु (सीसा, जस्ता, कॉपर)	52.61
2.	बॉक्साइट	5.704
3.	कैल्सियम	0.109
4.	क्ले	231.06
5.	कोयला	16458.75
6.	स्वर्ण अयस्क	68.465
7.	ग्रेफाइट	1.080
8.	लौह अयस्क	132.42
9.	लिग्नाइट	1343.59
10.	चूना पत्थर	7761.50
11.	मैगनीज अयस्क	15.152
12.	मोलिब्डेनम	0.484
13.	प्लेटिनम समूह की धातु	14.494

(घ) संसाधन संभावना का आंकलन तथा खनिजों का निष्कर्षण डायनेमिक प्रक्रियाएं हैं और खनिजों का निष्कर्षण विभिन्न कारकों जैसे अयस्क की किस्म, निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी तथा खनन की आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है। इसलिए, निष्कर्षण को संसाधन संभावना के साथ सीधे तौर से सहबद्ध करना व्यवहार्य नहीं है।

[अनुवाद]

सरकारी स्कूलों एवं कालेजों में प्रवेश

1176. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी स्कूलों तथा कॉलेजों में प्रवेश में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश के विशेष संदर्भ सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकारी स्कूलों तथा कॉलेजों में प्रवेश की संख्या में वृद्धि करने तथा साथ ही सरकारी स्कूलों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय केवल दो प्रकार के ऐसे स्कूल हैं जो प्रत्यक्षत: केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन हैं और इन दो संस्थाओं में से किसी में प्रवेश में कोई कमी नहीं आई है। अपितु, इन संस्थाओं में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या में वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के मामले में, निजी और स्व-वित्तपोषित उच्च शैक्षिक संस्थाओं में काफी वृद्धि के बावजूद अब भी सरकारी संस्थाओं को उनकी शिक्षा की गुणवत्ता तथा वहनीय खर्च के कारण वरीयता दी जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) . प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना तथा अध्यापक शिक्षा जैसी प्रत्यक्ष हस्तक्षेपी योजनाओं के जरिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और विभिन्न स्तरों पर छात्रों के अधिगम उपलब्धि स्तरों में वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपाय/क्रियाकलाप करती रही है।

बच्चों के लिए टेलीविजन चैनल

1177. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रसारणकर्त्ताओं को विनियमित करने हेतु व्यापक विषयवस्तु संहिता जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन टेलीविजन चैनलों को भी विनियमित करने का है जो बच्चों के लिए 24 घंटे कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन विनियमों से बच्चों को किस हद तक लाभ मिलने की संभावना है; और

(च) इन विनियमों के कब तक लागू होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (च) जी, हां। केबल टी वी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं तथा उनके तहत बनाए गए नियमों तथा फिल्मों के प्रमाणन के संबंध में चलचित्र अधिनियम, 1952 के अंतर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति इन संहिताओं एवं दिशा-निर्देशों को प्रतिपादित करने एवं अद्यतन बनाने के उद्देश्य से एक नई विषय-वस्तु संहिता का प्रारूप तैयार कर रही है ताकि उन्हें अधिक विशिष्ट एवं विस्तृत बनाया जा सके तथा समकालीन सामुदायिक मानकों के अनुसार यथावश्यक पाए गए नए प्रावधानों को लागू करने के साथ-साथ चैनलों के बीच स्व-विनियमन को सुविधाजनक बनाया जा सके। अभी तक समिति की सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं।

[हिन्दी]

जासूसी मामले

1178. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :**
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी कंपनियों में कार्यरत कई व्यक्तियों को जासूसी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कुल कितने व्यक्तियों के गिरफ्तार किया गया है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) भारत में ऐसी विदेशी कंपनियों के कार्यकरण को सरकार किस प्रकार नियंत्रित करती है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) जी नहीं।

तथापि, शासकीय गुप्त बात अधिनियम के तहत एक व्यक्ति के विरूद्ध एक मामला हाल में दर्ज किया गया है जिसके विदेशी कम्पनी में कार्यरत होने की सूचना है।

[अनुवाद]

चमड़ा उद्योग के लिए पृथक बोर्ड

1179. **श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास गैर-मान्यता प्राप्त चमड़ा उद्योग के लिए एक पृथक बोर्ड के गठन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे चमड़ा उद्योग को किस हद तक लाभान्वित होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) जी, नही।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चमड़ा पार्क

1180. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चमड़ा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों में चमड़ा पार्कों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार ने भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत फुटवियर काम्प्लैक्स, चेन्नई (तमिलनाडु); फुटवियर कंपोनेंट पार्क, चेन्नई (तमिलनाडु) और लैदर गुड्स पार्क, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) की स्थापना करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा दहेज संबंधी शिकायतें

1181. **श्री रेवती रमन सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों ने पुलिस द्वारा प्रतिषेध अधिनियम की धारा 498 क के दुरूपयोग के बारे में शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दहेज प्रतिषेध अधिनियम के उपबंध के अंतर्गत दर्ज किए गए 58000 मामलों में से 25000 मामले जाली पाए गए हैं;

(घ) क्या उपबंध के विरूद्ध मामला बनाने के लिए वेबसाइट 498 डॉट ओ आर जी की भी स्थापना की गई है; और

(ङ) कानून को और अधिक संतुलित तथा उद्देश्यपरक बनाने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) से (ग) धारा 498-क केवल भारतीय दंड संहिता (आई पी सी) का एक अनुच्छेद है न कि दहेज प्रतिषेद अधिनियम, 1961 का। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2005 के दौरान आई पी सी की धारा 498-क के अंतर्गत दर्ज मामलों की संख्या 58319 थी।

तथापि, अनिवासी भारतीयों से प्राप्त शिकायतों के संबंध में सूचना अलग से संकलित नहीं की जाती है।

(घ) सरकार के पास इस संबंध में कोई सूचना नहीं है।

(ङ) सरकार को, आई पी सी की धारा 498-क में संशोधन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2003 में अन्य बातों के साथ-साथ आई पी सी की धारा 498-क को शमनीय करने के लिए एक प्रस्ताव था लेकिन महिला संगठनों के अनुरोध पर इसके विधिक उपबंध की प्रभावकता को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को निकाल दिया गया।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों की व्यवहार्यता

1182. **श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार :**
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक तथा विश्व व्यापार संगठन ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों की व्यवहार्यता पर प्रश्न उठाया है जैसा कि दिनांक 25 मई, 2007 के ''बिजनेस स्टैण्डर्ड'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) इस विभाग को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशियाई विकास बैंक से ऐसा कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड) को दिए गए कर प्रोत्साहनों के संबंध में इन संगठनों द्वारा की गई टिप्पणियां मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से ध्यान में आयी हैं। विश्व व्यापार संगठन ने हाल ही में सम्पन्न भारत की व्यापार नीति समीक्षा बैठक में यह टिप्पणी की थी कि वृद्धिशील निवेश एवं रोजगार सृजित करने में एसईजेड स्कीम की लागत-प्रभावशीलता के बारे में सवाल किए जा सकते हैं। तथापि, इस संदर्भ में यह नोट करने योग्य है कि दिनांक 10 फरवरी, 2006 को विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) और नियमावली अधिसूचित किए जाने के पश्चात 18 महीनों में 45000 करोड़ रु. से अधिक के निवेश पहले ही किए जा चुके हैं और 100000 करोड़ रु. के अन्य निवेश किए जा रहे हैं। अब तक 40153 से अधिक लोग प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त कर चुके हैं और यदि औपचारिक रूप से अनुमोदित सभी 366 एसईजेड प्रचालन करना शुरू कर देते हैं तो इस कैलेण्डर वर्ष के अंत तक यह संख्या बढ़कर 100,000 और वर्ष 2010 के अंत तक 4 मिलियन होने की आशा की जाती है। यह भी उम्मीद है कि बड़ी संख्या में स्थापित किए जा रहे वस्त्र, परिधान, रत्न और चर्म एसईजेड अपेक्षाकृत कम दक्ष श्रम शक्ति को रोजगार उपलब्ध कराएंगे।

खान कामगारों के लिए सुरक्षा

1183. **श्री विजय कृष्ण** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की विभिन्न खानों में कार्यरत कामगारों के लिए सुरक्षा उपाय निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो खानों के प्रबंध की अनिवार्य अपेक्षाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ खानों में सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन में कमी पाई गई है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा चूककर्ताओं के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है तथा खानों में सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी सुब्बारामी रेड्डी) : श्रम तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर प्रश्न का उत्तर निम्नानुसार है:

(क) और (ख) जी, हां। खानों में काम करने वाले कामगारों की सुरक्षा के उपाय खान अधिनियम 1952 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों तथा विनियमों में निर्धारित किये गये हैं।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन मामलों में सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन में प्रबंधन की कमी पायी गई उनकी संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	मामलों की संख्या
2004	33700
2005	34596
2006	28164

(ङ) श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन खान सुरक्षा महानिदेशालय (डी जी एम एस) को संविधियों में निर्धारित सुरक्षा के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डी जी एम एस सुरक्षा कानूनों के अनुपालन की जांच करने के लिए तथा उल्लंघनों को निर्दिष्ट करने, सुधार नोटिस जारी करने, अनुमतियां वापस लेने, रोजगार के निषेध के लिए आदेश जारी करने और चूककर्ताओं के खिलाफ अदालत में अभियोजन आरंभ करने जैसी कार्रवाई करने के लिए खानों का आवधिक निरीक्षण भी करता है। डी जी एम एस सुरक्षा प्रचालनों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत भी जारी करता है, सूचना प्रसार के माध्यम से सुरक्षा संबंधी जागृति पैदा करता है तथा देश में विभिन्न खानों में काम करने वाले कामगारों की सुरक्षा तथा कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विभिन मंचों पर विचार-विमर्श करता है।

सुरक्षा-सम्बद्ध व्यय योजना

1184. **श्री सैयद शाहनवाज हुसैन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सुरक्षा-सम्बद्ध व्यय योजना (एस.आर.ई.एस.) के लिए कुल कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ख) उक्त अवधि के द्वारा कुल कितनी राशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या सरकार ने एस.आर.ई.एस. के अंतर्गत शेष राशि का उपयोग नक्सली, माओवादी तथा आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सुरक्षा संबंधी व्यय के तहत आवंटित और उपयोग में लाई गई निधियां नीचे दी गई हैं:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	आबंटन (बी ई)	उपयोग
2004-05	503.00	318.21
2005-06	366.00	330.79
2006-07	360.01	376.25*

*आंकड़े अनंतिम

(ग) और (घ) इस योजना के तहत राज्य सरकारों को सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। राज्य सरकारें, योजना के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के अंदर अपनी जरूरत पर आधारित वार्षिक योजनायें तैयार करती हैं। सुचारू और समय पर इसके कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को लेखागत अग्रिम प्रदान किया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा किए गए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति, केन्द्र सरकार द्वारा आवधिक रूप से की जाती है। राज्य सरकारों को लगातार यह कहा जाता है कि वे इस योजना के तहत समय पर और गुणात्मक उपयोग सुनिश्चित करें।

[हिन्दी]

बलात्कार पीड़ितों की राहत तथा उनके पुनर्वास के लिए योजना

1185. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बलात्कार पीड़ितों को राहत तथा उनके पुनर्वास के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी योजनाओं को किन-किन राज्यों में क्रियान्वित किया गया है;

(घ) चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आज की तिथि तक उक्त योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाली अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार ने इन पीड़ितों के लिए एक आपराधिक क्षतित राहत तथा पुनर्वास बोर्ड की स्थापना की है;

(च) यदि हां, तो क्या बोर्ड ने यह सुनिश्चित किया है कि इन पीड़ितों के पुनर्वास के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का 'क्रियान्वयन उचित ढंग से किया जाता है; और

(छ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राहत तथा पुनर्वास प्रदान करने के लिए उक्त बोर्ड द्वारा अपनाए गए मानदण्ड/प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) इस बारे में स्कीम विचाराधीन है।

(ख) से (छ)प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वस्त्र उद्योग का निष्पादन

1186. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनिर्माण संबंधी एक उच्चस्तरीय समिति ने हाल ही में वस्त्र तथा परिधान उद्योग के निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समिति द्वारा पाई गई कमियां क्या हैं;

(घ) क्या वस्त्र मशीनरी के विकास से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए एक कार्यदल का गठन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) वस्त्र एवं परिधानों के विकास के लिए एक कार्य एक कार्य योजना अभी हाल ही में विनिर्माण संबंधी उच्च स्तरीय समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखी गई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) वस्त्र मशीन विनिर्माण में नव निवेश और क्षमता निर्माण की समस्याओं की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी।

[हिन्दी]

लौह-अयस्क खानों का आबंटन

1187. **श्री हंसराज गं. अहीर** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र को लौह-अयस्क खानों का आबंटन करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लौह-अयस्क खानों के आबंटन के लिए निजी क्षेत्र द्वारा कितने प्रस्ताव सरकार को भेजे गए हैं;

(घ) इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) आज की तिथि तक निजी क्षेत्र को कितनी लौह-अयस्क खानों का आबंटन किया गया है;

(च) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र की खानों को लौह-अयस्क का निर्यात करने की अनुमति देने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) लौह अयस्क का खनन, निजी क्षेत्र के लिए खुला है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा किसी भारतीय नागरिक अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उप-धारा (1) में यथा-परिभाषित किसी कंपनी को खनिज रियायत प्रदान की जा सकती है। एमएमडीआर एक्ट की प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध खनिजों जिसमें लौह अयस्क भी शामिल है, के संबंध में खनिज रियायत प्रदान करने से पूर्व केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य है।

(ख) से (ङ) यह ब्यौरा खान मंत्रालय की वेबसाइट (http://www.mines.nic.in) पर उपलब्ध है।

(च) और (छ) लौह अयस्क का निर्यात, सरकार द्वारा अधिसूचित आयात-निर्यात नीति द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा घरेलू हिंसा अधिनियम, 2006

1189. **श्री एन.एस.वी. चित्तन** : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 2000 तथा घरेलू हिंसा (प्रतिषेध) अधिनियम, 2006 के संबंध में उद्देश्यों को प्राप्त किए जाने के संबंध में क्या स्थिति है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उक्त अधिनियमों के अंतर्गत राज्य-वार कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) से (ग) गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित सूचना के अनुसार दहेज प्रतिबोध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वर्ष 2003-05 के दौरान दर्ज मामलों, आरोप-पत्र दाखिल व्यक्तियों तथा दोष-सिद्ध व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

ब्यूरो के पास घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मामलों की सूचना इस समय नहीं है, क्योंकि यह अधिनियम 26.10.2006 को ही लागू हुआ है।

विवरण

वर्ष 2003 से 2005 के दौरान दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों (द.मा.), गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों (गि.व्य.), आरोप पत्र दाखिल व्यक्तियों (आ.प.व्य.), मुकदमा चलाए गए व्यक्तियों (मु.व्य.), दोष-सिद्ध व्यक्तियों (दो.व्य.) तथा बरी किए गए व्यक्तियों (ब.व्य.) की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003						2004						2005					
		द.मा.	आ.प.व्य	गि.व्य.	मु.व्य.	दो.व्य.	ब.व्य.	द.मा.	आ.प.व्य	गि.व्य.	मु.व्य.	दो.व्य.	ब.व्य.	द.मा.	आ.प.व्य	गि.व्य.	मु.व्य.	दो.व्य.	ब.व्य.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	195	405	464	289	39	250	339	476	394	522	80	442	306	452	394	563	76	487
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	92	135	93	62	10	52	36	46	51	149	24	125	82	122	88	36	15	21
4.	बिहार	706	1831	1468	1685	406	1279	1220	1966	1463	1136	146	990	789	1898	1517	1121	149	972
5.	छत्तीसगढ़	16	33	33	14	6	8	7	28	24	58	22	36	5	16	16	49	31	18
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	3	3	3	0	0	0	6	7	7	6	0	6	7	10	10	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	7	8	10	10	0	10	5	3	3	3	0	3	1	12	7	7	0	7
10.	जम्मू व कश्मीर	4	7	7	0	0	0	2	1	1	7	0	7	0	0	0	1	0	1
11.	झारखंड	261	774	650	765	119	646	199	774	650	765	119	646	313	566	579	652	124	528
12.	कर्नाटक	341	772	415	431	11	420	337	572	763	317	22	295	361	730	615	574	29	545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13.	केरल	4	8	7	6	0	6	2	1	1	5	0	5	4	3	1	9	0	9
14.	मध्य प्रदेश	29	73	78	44	19	25	40	106	107	89	43	46	36	94	94	102	35	67
15.	महाराष्ट्र	29	83	87	28	1	27	21	59	47	28	4	24	23	75	74	34	4	30
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	412	716	710	512	42	470	532	697	662	510	104	406	446	1059	1026	774	81	693
21.	पंजाब	3	6	5	0	0	0	7	2	1	5	5	0	5	11	2	0	0	0
22.	राजस्थान	3	1	1	0	0	0	13	23	23	1	1	0	1	0	0	2	0	2
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	175	353	360	165	27	138	294	356	325	427	195	232	193	512	534	313	147	166
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	367	1019	960	778	358	420	477	1064	912	977	552	425	586	1498	1464	1104	526	578
27.	उत्तरांचल	1	5	9	1	1	0	2	5	5	4	2	2	2	4	4	3	3	0
28.	पश्चिम बंगाल	17	26	0	5	0	5	36	43	16	2	1	1	18	97	90	50	16	34
	कुल (राज्य)	2665	6258	5360	4795	1039	3756	3575	6229	5455	5017	1320	3697	3178	7159	6515	5394	1236	4158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा व नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	14	14	16	4	4	0	11	25	20	0	0	0	9	15	14	52	13	39
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	5	15	12	0	0	0	6	7	2	11	0	11	17	23	18	16	7	9
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	19	29	28	4	4	0	17	32	22	11	0	11	26	38	32	68	20	48
	कुल (अखिल भारत)	2684	6287	5388	4799	1043	3756	3592	6261	5477	5028	1320	3708	3204	7197	6547	5462	1256	4206
महानगर																			
1.	चेन्नई	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	0	0	5	36	6	14	0	14
2.	दिल्ली (शहर)	14	14	15	4	4	0	11	25	21	0	0	0	7	13	11	52	13	39
3.	कोलकाता	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	मुम्बई	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[हिन्दी]

वनवासियों की स्थिति

1190. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :
श्री फ्रांसिस फैन्थम :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :
श्री गणेश सिंह :
श्री एस.के. खारवेनथन :
श्री स्वदेश चक्रवर्ती :
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनों में रह रहे लोगों की संख्या कितनी है तथा इनमें से कितने लोग जनजातियों के हैं;

(ख) कितने लोगों को वनों में रहने की अनुमति दी गई है तथा इनमें से कितने व्यक्ति जनजातीय तथा कितने गैर-जनजातीय हैं;

(ग) क्या जनजातीय लोगों को वनों से अपनी आजीविका अर्जित करने की अनुमति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या देश में वनवासियों तथा जनजातीय लोगों की खराब आर्थिक स्थिति के कारणों का पता लगाने के लिए हाल में कोई अध्ययन किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. खिन्डिया) : (क) और (ख) देश के वनों में रह रहे लोगों के संबंध में जनसांख्यिकी ब्यौरा संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों द्वारा रखा जाता है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) भागों के उत्तर को देखते हुए यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(च) और (छ) जी, नहीं। देश में वनवासियों और जनजातीय लोगों की खराब आर्थिक स्थिति के भौगोलिक अलगाव, संयोजकता का अभाव, मूलभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता, कौशल, शिक्षा और जागरूकता का अभाव, सहायक अवसंरचना और प्रशासन आदि का अभाव जैसे विभिन्न कारण हैं।

हथकरघा तथा हस्तशिल्प को प्रोत्साहन

1191. श्री हरिसिंह चावडा :
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जिन मुख्य देशों को हस्तशिल्प मदें निर्यात की गई हैं उनका ब्यौरा निम्नलिखित अनुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	देश	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	आस्ट्रेलिया	200.16	238.44	271.77
2.	कनाडा	392.70	450.25	538.19
3.	फ्रांस	539.65	615.76	805.72
4.	जर्मनी	1384.82	1526.50	1725.90
5.	इटली	425.34	476.40	608.31
6.	जापान	381.48	423.86	482.93
7.	नीदरलैंड	369.30	416.63	537.07
8.	साऊदी अरब	290.51	352.53	455.96

1	2	3	4	5
9.	स्विटजरलैंड	198.35	229.89	266.63
10.	संयुक्त राज्य अमरीका	3856.92	4462.76	5419.99
11.	यू.के.	1495.88	1669.55	1927.24
12.	अन्य देश	3497.59	3664.28	4248.43
	कुल	13032.70	14526.85	17288.14

(ख) वर्ष 2004-05 से वर्ष 2006-07 तक के दौरान इनसे अर्जित की गई विदेशी मुद्रा की धनराशि इस प्रकार है:-

वर्ष	धनराशि (रुपये में)	धनराशि अमरीकी डॉलर में
2004-05	13032.70	3811.26
2005-06	14526.85	3282.56
2006-07	17288.14	2983.69

[अनुवाद]

वाल्व क्लस्टर

1192. **श्री मंजुनाथ कुन्नुर :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषकर कर्नाटक में कितने वाल्व क्लस्टरों को विचारार्थ लिया गया;

(ख) भविष्य में कितने वाल्व क्लस्टरों पर विचार किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार का विचार कर्नाटक राज्य के हुबली में वाल्व क्लस्टर तथा शिमोगा में ऑटोमोबाइल क्लस्टर शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ङ) औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस) के तहत अब तक वाल्व क्लस्टर हेतु कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। कर्नाटक सरकार से, हुबली में वाल्व क्लस्टर एवं शिमोगा में आटो तथा संबद्ध घटक क्लस्टर की ढांचागत सुविधाओं के उन्नयन हेतु जनवरी, 2005 और मार्च, 2005 में दो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनकी परियोजना लागत क्रमश: 14.60 करोड़ रुपये 58.36 करोड़ रुपये थी। इन प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि दसवीं योजना के लिए 675 करोड़ रुपये का संपूर्ण आवंटन पहले ही स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निर्धारित है।

शैक्षणिक संस्थाओं को आवंटन

1193. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आंध्र प्रदेश सहित देश में उन शैक्षणिक संस्थानों का राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा अनुदान आवंटित किया गया;

(ख) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार आज की तिथि तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(घ) इन योजनाओं को लागू करके प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा क्या उपलब्धियां हासिल की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) यह मंत्रालय, इस मंत्रालय के तहत विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं जिनमें स्वायत्त संगठन शामिल हैं, गैर-सरकारी संगठनों तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा बालिका छात्रावास योजना आदि जैसी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत अनुदान प्रदान करता है। तथापि सभी योजनाओं के तहत प्रत्येक शैक्षिक संस्था को दिए जाने वाली अनुदान राशि के संबंध में कोई केन्द्रीकृत आंकड़े नहीं रखे जाते। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग में केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2004-05 के दौरान जारी अनुदान (योजनागत)

(रु. लाख में))

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एस. एस. ए.	शिक्षक शिक्षा	डी.पी. ई.पी.	महिला समाख्या	केजी बीवी	लोक जुम्बिश	मध्याह्न भोजन	शिक्षा कर्मी	साक्षरता अभियान और आपरेशन रेस्टोरेशन	जन शिक्षण संस्थान	सतत् शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा हेतु स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	28000.00	1841.81	15500.00	0.00	1823.77	0.00	21645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	3009.00	0.00	0.00	0.00	210.74	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	20654.00	1093.49	0.00	0.00	0.00	0.00	8105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	31970.56	0.00	3700.00	0.00	4.00	0.00	20909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	20786.76	1018.16	0.00	0.00	810.33	0.00	10458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	14072.00	1384.11	2297.00	0.00	497.03	0.00	4233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	12881.55	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	6144.00	0.00	0.00	0.00	192.47	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू व कश्मीर	7747.18	0.00	0.00	0.00	4.33	0.00	3083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	झारखंड	16568.50	0.00	7751.00	0.00	4.00	0.00	13317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12. कर्नाटक		26280.70	1638.46	0.00	0.00	845.47	0.00	6513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. केरल		8939.00	636.47	0.00	0.00	0.00	0.00	22088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14. मध्य प्रदेश		44608.92	2348.14	0.00	0.00	700.81	0.00	26355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15. महाराष्ट्र		35489.79	1232.45	0.00	0.00	527.61	0.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16. मणिपुर		1225.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. मेघालय		2930.81	149.93	0.00	0.00	13.32	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18. मिजोरम		3300.24	322.68	0.00	0.00	0.00	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19. नागालैंड		2088.49	322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20. उड़ीसा		21807.27	555.43	2991.00	0.00	884.02	0.00	3297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21. पंजाब		3040.00	280.80	0.00	0.00	32.55	0.00	20276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22. राजस्थान		23549.40	1648.07	10500.00	0.00	350.65	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23. सिक्किम		1000.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24. तमिलनाडु		26517.00	2046.01	0.00	0.00	644.39	0.00	1297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25. त्रिपुरा		4703.96	0.00	0.00	0.00	32.54	0.00	2134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26. उत्तर प्रदेश		87761.00	2453.87	9469.00	0.00	676.03	0.00	41188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27. उत्तरांचल		9144.70	0.00	1310.00	0.00	291.11	0.00	29701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28. पश्चिम बंगाल		46024.36	205.00	6291.00	0.00	711.43	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	272.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	447.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नागर हवेली	111.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	225.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36.	एनजीओ/अन्य एजेंसियां	2660.85	0.00	0.00	1475.00	0.00	2941.00	0.00	5204.00	2539.14	2782.07	15546.47	1793.82
कुल (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)		513975.29	20253.38	59809.00	1475.00	9256.60	2941.00	282053.00	5204.00	2539.14	2782.07	15546.47	1793.82

शब्द संक्षेप :

एस.एस.ए. : सर्व शिक्षा अभियान

केजीबीवी : कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

डीपीईपी : जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग में केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2004-05 के दौरान जारी अनुदान (योजनागत)

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वी.ई.	स्कूलों में गुणवत्ता सुधार	आईआईटीसी	स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी	समान पहुंच	एआईएम एमपी	भाषा शिक्षकों की नियुक्ति	संस्कृत का विकास	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	प्रतिभावन ग्रामीण बच्चों के लिए छात्रवृत्ति	कुल सी.एस.एस. दोनों विभाग
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	आंध्र प्रदेश	500.55	0.00	0.00	527.59	0.00	0.00	120.40	0.00	0.00	0.00	69959.12
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.13	0.00	0.00	0.00	3728.87
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29852.49
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00	56626.76
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	33073.49
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	8060.34
7.	गुजरात	0.00	0.00	765.87	0.00	0.00	0.00	8.40	33.13	0.00	0.00	23290.54
8.	हरियाणा	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	1.20	0.00	0.00	0.63	15850.61
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.81	0.00	0.00	6687.28
10.	जम्मू व कश्मीर	599.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11434.20
11.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	37648.30
12.	कर्नाटक	0.00	0.00	772.91	389.52	0.00	0.00	406.60	0.00	0.00	0.00	36846.66

1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
13.	केरल	1425.00	0.00	337.38	0.00	0.00	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	33436.05
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	118.57	0.00	0.00	478.84	1.80	285.51	0.00	23.24	74920.83
15.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	123.02	0.00	0.00	0.00	88.74	0.00	0.00	15.95	38451.56
16.	मणिपुर	0.00	0.00	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	3983.67
17.	मेघालय	0.00	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	3413.03
18.	मिजोरम	150.00	64.37	61.46	0.00	0.00	0.00	330.82	0.00	0.00	0.00	5087.57
19.	नागालैंड	0.00	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	20663.97
20.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.17	0.00	0.00	29562.89
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	23641.35
22.	राजस्थान	0.00	0.00	67.55	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	36387.07
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.83	0.00	0.00	12289.08
24.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	1.20	4.95	0.00	0.00	30511.27
25.	त्रिपुरा	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	45.72	0.00	12.78	1.26	0.01	6996.95
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1229.72	34.80	29.04	8.42	0.00	142849.88
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40446.81
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	164.64	0.00	0.00	0.00	63.60	0.00	0.00	0.00	53472.03
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	322.03

1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	3.34	0.00	0.00	494.01
31.	दादरा और नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.91
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.21	1370.24
33.	दिल्ली	0.00	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	0.60	4.56	0.00	0.26	610.68
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.10	0.10	1229.97
36.	एनजीओ/अन्य एजेंसियां	4.54	457.28	1107.04	1021.58	372.36	0.00	0.00	202.39	0.00	0.00	38107.54
कुल (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)		2813.69	521.65	3657.51	1938.69	372.36	2205.72	1487.49	751.99	21.81	42.40	931442.08

शब्द संक्षेप

वी.ई. : व्यावसायिक शिक्षा

आई.ई.डी.सी. : विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा

प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग में केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2005-06 के दौरान जारी अनुदान (योजनागत)

(रु. लाख में))

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एस. एस. ए.	शिक्षक शिक्षा	डी.पी. ई.पी.	मध्याह्न भोजन	महिला समाख्या	केजी बीवी	शिक्षा कर्मी	साक्षरता अभियान और आपरेशन रेस्टोरेशन	जन शिक्षण संस्थान	सतत् शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा के लिए एन.जी.ओ. को सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	37999.00	496.20	1000.00	21201.44	0.00	2679.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	4442.51	420.40	0.00	401.90	0.00	258.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	13850.00	675.67	0.00	10885.25	0.00	350.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	32399.56	0.00	6000.00	36782.62	0.00	2794.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	30184.39	0.00	0.00	9675.89	0.00	766.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	728.12	0.00	0.00	177.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	15084.84	227.20	795.10	10526.76	0.00	326.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	10196.55	0.00	0.00	4050.12	0.00	182.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	7614.66	0.00	0.00	2196.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	18530.65	0.00	0.00	1542.56	0.00	186.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	झारखंड	28568.50	0.00	6145.00	13162.89	0.00	4083.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	28303.78	2101.85	0.00	14726.33	0.00	1584.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	केरल	5939.00	496.16	0.00	4476.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	77173.12	1839.74	0.00	26197.07	0.00	1769.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	50235.31	50.00	0.00	13563.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मणिपुर	3208.44	601.52	0.00	915.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	1921.00	381.30	0.00	1600.93	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	2559.15	440.21	0.00	290.97	0.00	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	2323.01	592.58	0.00	550.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	32792.50	822.19	2706.50	7304.95	0.00	2114.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	14683.89	1644.34	0.00	1774.16	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	60313.43	2434.69	12552.42	17410.58	0.00	1272.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	1062.50	0.00	0.00	463.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	35329.53	0.00	0.00	13646.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	7070.19	6.73	0.00	1688.40	0.00	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	182799.00	4971.48	17842.00	51277.82	0.00	3768.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तरांचल	10004.00	1617.39	5651.00	2962.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	34199.79	630.01	3790.00	45464.52	0.00	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	163.00	0.00	0.00	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30.	चंडीगढ़	350.00	0.00	0.00	172.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	111.91	0.00	0.00	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	1100.00	600.00	0.00	3093.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	529.40	0.00	0.00	128.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36.	एनजीओ/अन्य एजेंसियों	5069.27	0.00	0.00	0.00	1900.00	0.00	650.00	3029.75	4208.42	14909.01	1486.02
	कुल (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	756840.00	21049.66	56482.02	318512.87	1900.00	22362.89	650.00	3029.75	4208.42	14909.01	1486.02

शब्द संक्षेप :

एस.एस.ए. : सर्व शिक्षा अभियान

डीपीईपी : जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

केजीबीवी : कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	व्यावसायिक शिक्षा	स्कूलों में गुणवत्ता सुधार	आईआईडीसी	स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी	समान पहुंच	एआईएम एमपी	भाषा शिक्षकों की नियुक्ति	संस्कृत का विकास	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	कुल सी.एस.एस दोनों विभाग
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1035.20	125.48	0.00	57.00	64594.05
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	444.81	0.00	0.00	204.00	0.00	2.99	6174.90
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.68	25791.70
4.	बिहार	0.00	0.00	54.37	0.00	0.00	79.92	0.00	0.00	0.00	78111.16
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.36	19.56	40671.97
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	1199.08
7.	गुजरात	0.00	0.00	690.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.55	27722.87
8.	हरियाणा	24.52	0.00	41.56	230.50	0.00	0.00	0.00	5.28	48.25	14778.96
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.40	1.43	10082.24
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.94	20271.40
11.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.24	51987.66
12.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	665.60	0.00	0.00	48581.73

1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
13.	केरल	0.00	0.00	499.02	312.50	0.00	59.04	0.00	10.80	0.00	11792.61
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	1496.72	0.00	0.00	384.00	27.48	407.98	47.13	109342.56
15.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	77.50	0.00	0.00	3.16	0.00	2.46	68.10	64000.41
16.	मणिपुर	20.12	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27	4758.23
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	3918.06
18.	मिजोरम	538.00	0.00	50.27	150.00	0.00	0.00	484.00	0.00	1.24	4547.82
19.	नागालैंड	0.00	0.00	4.18	319.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	3792.83
20.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.96	0.00	33.48	93.13	46035.80
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18117.09
22.	राजस्थान	0.00	0.00	102.04	53.26	0.00	0.00	0.00	83.17	30.95	94252.83
23.	सिक्किम	454.05	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	46.14	0.03	2296.59
24.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	51.59	49030.18
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.72	0.00	5.50	3.50	8951.44
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.12	0.00	8.00	153.70	261690.71
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	31.56	0.00	9.80	20351.18
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	598.08	393.17	0.00	0.00	0.00	7.52	74.49	85191.66
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	220.51

1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
30.	चंडीगढ़	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.23	535.10
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	89.63
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	187.88
33.	दिल्ली	0.00	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.79	4812.80
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	20.78
35.	पांडिचेरी	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29	711.78
36.	गैर-सरकारी संगठन/सोसायटियां/ अन्य एजेंसियां आदि	0.00	222.96	497.60	742.00	389.90	0.00	0.00	0.00	0.00	33104.93
	कुल (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	1093.69	222.96	4147.96	4510.43	389.90	2646.12	1538.12	905.09	836.22	1217721.13

शब्द संक्षेप

आई.ई.डी.सी. : विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा

ए.आई.एम.एम.पी. : क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम

प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग में केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2006-07 के दौरान जारी अनुदान (योजनागत)

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एसएसए	शिक्षक शिक्षा	डीपीईपी	मध्याह्न भोजन	महिला समाख्या	केजीबीवी	साक्षरता अभियान और आपरेशन रेस्टोरेशन	जन शिक्षण संस्थान	सतत् शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा के लिए एन.जी.ओ. को सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	46245.56	25.00	0.00	36885.00	0.00	2535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	7143.74	49.97	0.00	2841.00	0.00	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	51464.72	419.62	0.00	29729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	107744.39	0.00	0.00	47830.00	0.00	2330.44	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	50182.20	0.00	0.00	15533.00	0.00	473.44	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	724.12	0.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	14806.97	2410.71	0.00	17641.00	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	25647.12	0.00	0.00	5927.00	0.00	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	6250.75	0.00	0.00	4400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	22083.37	0.00	0.00	5940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	झारखंड	51515.00	0.00	0.00	15429.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	54206.98	610.08	0.00	24746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	केरल	6382.00	415.01	0.00	6232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	110879.68	739.00	0.00	49718.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	52158.56	1167.38	0.00	45328.00	0.00	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मणिपुर	9.24	283.72	0.00	1415.00	0.00	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	4294.00	377.53	0.00	2651.00	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	3441.69	284.88	0.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	2315.20	384.28	0.00	1693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	44010.95	167.99	6601.14	27981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	12879.92	373.40	0.00	6225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	75809.82	2174.54	3398.86	27562.00	0.00	1689.38	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	402.14	0.00	0.00	789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	37329.65	2815.91	0.00	14484.00	0.00	706.30	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	5330.01	0.00	0.00	2762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	206654.00	4092.60	0.00	81389.00	0.00	1608.75	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तरांचल	16934.00	496.28	0.00	6223.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	61736.80	78.84	0.00	39644.00	0.00	357.94	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	419.62	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	300.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नागर हवेली	100.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	4230.24	518.70	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	87.47	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.00	81.29	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36.	गैर-सरकारी संगठन/सोसायटियां/ अन्य एजेंसियां आदि	4935.09	3.26	0.00	0.00	2575.00	0.00	2585.70	4047.87	12264.17	1580.82
	कुल (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	1088655.00	17969.99	10000.00	523308.00	2575.00	11633.02	2585.70	4047.87	12264.17	1580.82

शब्द संक्षेप :

एस.एस.ए. : सर्व शिक्षा अभियान

डीपीईपी : जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

केजीबीवी : कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग में केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2006-07 के दौरान जारी अनुदान (योजनागत)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	व्यावसायिक शिक्षा	आईईडीसी	स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी	समान पहुंच	ए.आई.एम. एम.पी.	भाषा शिक्षकों की नियुक्ति	संस्कृत का विकास	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	कुल सी.एस.एस. दोनों विभाग
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	201.61	200.28	0.00	712.85	372.21	2.19	0.00	87179.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	267.26	0.00	0.00	204.00	0.00	0.15	10579.22
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.90	25.34	0.00	81887.58
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.41	75.60	158001.84
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	247.70	0.00	242.92	0.00	0.00	30.17	66709.43
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	2.73	1007.60
7.	गुजरात	0.00	1302.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7.62	110.82	36407.08
8.	हरियाणा	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2.64	24.56	31887.88
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.74	10661.49
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	28035.97
11.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67334.00
12.	कर्नाटक	0.00	1606.01	1200.00	0.00	77.41	313.21	2.56	88.51	82850.76
13.	केरल	0.00	406.68	312.50	0.00	338.91	0.00	0.00	0.00	14087.10

1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	287.69	0.00	560.18	48.71	163208.26
15.	महाराष्ट्र	0.00	339.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.94	99168.81
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	1743.56
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7328.47
18.	मिजोरम	0.00	53.14	0.00	0.00	0.00	1292.38	0.00	0.00	5694.09
19.	नागालैंड	0.00	7.72	443.21	0.00	0.00	143.00	0.00	6.60	4993.01
20.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	189.84	0.00	80.00	51.62	79082.54
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19478.32
22.	राजस्थान	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.15	110704.21
23.	सिक्किम	250.00	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	81.33	0.00	1533.54
24.	तमिलनाडु	0.00	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	77.56	55562.16
25.	त्रिपुरा	0.00	12.00	603.00	0.00	45.72	0.00	12.46	5.46	8770.65
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	2481.96	0.00	11.00	59.02	296296.33
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	109.03	0.00	0.72	0.00	23943.03
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	19.31	0.00	102287.49
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.62
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	35.20	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	435.92

1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
31.	दादरा और नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	25.32
33.	दिल्ली	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	5711.31
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.87
35.	पांडिचेरी	15.53	5.55	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.84
36.	गैर-सरकारी संगठन/ अन्य एजेंसियां आदि	0.00	553.60	0.00	299.34	0.00	0.00	497.49	0.00	29342.34
	कुल (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	265.53	5128.61	3602.02	299.34	4499.65	2573.70	1327.72	717.20	1693033.34

शब्द संक्षेप

आई.ई.डी.सी. : विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा

ए.आई.एम.एम.पी. : क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम

[हिन्दी]

श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट

1194. **श्री मोहन सिंह :**
श्री गुरूदास दासगुप्त :
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मार्च, 1993 को मुम्बई में सिलसिलेवार हुए बम विस्फोटों की घटना से पूर्व हुए साम्प्रदायिक दंगों के बारे में न्यायमूर्ति श्री कृष्ण की अध्यक्षता वाले न्यायिक आयोग से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) सरकार को दिसम्बर, 1992 और जनवरी, 1993 के दौरान मुम्बई में हुए दंगों की जांच करने के लिए मुम्बई उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षत में 25.1.1993 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत गठित जांच आयोग द्वारा 16.2.1998 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की जानकारी है। महाराष्ट्र सरकार ने जांच आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, 6.8.1998 को राज्य विधान मंडल में रखी थी जो उक्त अधिनियम की धारा 2(क) (ii) के अनुसार उचित सरकारी माध्यम है।

[अनुवाद]

एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें

1195. **श्री अधीर चौधरी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकों का मूल्य कम करने का है; और

(ख) इनका मूल्य कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जी, नहीं। मूल्य निर्धारण सूत्र के आधार पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पाठ्यपुस्तकों का उचित मूल्य हैं।

गैर-सरकारी संगठनों का योगदान

1196. **श्री रघुनाथ झा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को योजना-वार तथा राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत तथा जारी की गई;

(ख) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा शिक्षा क्षेत्र में कितना मूल्यवर्धन किया गया तथा योगदान दिया गया;

(ग) क्या सरकार गैर-सरकारी संगठनों का केवल चुनिन्दा नवीन योजनाओं में वित्त-पोषण कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा क्या उपलब्धियां हासिल की गई; और

(ङ) यह कार्यक्रम किस प्रकार लाभकारी रहा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) वर्ष 2005-06 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को जारी की गई निधियों के ब्यौरे इस मंत्रालय की वर्ष 2006-07 की वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ सं. 260-277 और 291-292 पर उपलब्ध हैं। वार्षिक रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट www.education.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान जारी की गई निधियों के संबंध में समेकित सूचना इस वर्ष के अंत तक ही उनलब्ध होगी।

(ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (वर्ष 1992 में यथासंशोधित) के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता समूहों सहित गैर-सरकारी और स्वैछिक प्रयास को प्रोत्साहन दिया जाएगा और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तदनुसार सरकार के प्रयासों का सम्पूर्ण और अनुपुरण करने और जमीनी स्तर पर गैर-सरकारी संगठनों को लेक्षित समूहों तक पहुंचने में आमतौर पर भागीदार बनाने के उद्देश्य से साक्षरता और शिक्षा से संबंधित क्रियाकलापों के संवर्धन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को विभिन्न योजनाओं में भाग लेने हेतु प्रोत्साहन दिया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण के लिए प्रस्ताव

1197. **चौ. मुनव्वर हसन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एन डी एम सी) को वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान उद्योग मार्ग, नई दिल्ली में सामुदायिक केन्द्र तथा कर्मचारी केन्द्रों के निर्माण के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने इस संबंध में कोई आपत्ति उठाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह प्रस्ताव कब तक स्वीकृत हो जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी) : (क) से (ङ) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् को भारत संचार निगम लिमिटेड से उदयन मार्ग, नई दिल्ली पर सामुदायिक केन्द्र के निर्माण के लिए 9.8.2005 को एक प्रस्ताव और उदयन मार्ग, नई दिल्ली पर एक स्टाफ क्वार्टर के निर्माण का एक अन्य प्रस्ताव 06.3.2006 को प्राप्त हुआ था। सामुदायिक केन्द्र के निर्माण का प्रस्ताव अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के 3.10.2005 के आदेश के तहत अस्वीकार कर दिया गया और स्टाफ क्वार्टर के निर्माण का प्रस्ताव अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के दिनांक 1.05.2006 के आदेश के तहत अनुमोदित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

अंग्रेजी भाषा के शिक्षण संस्थानों की स्थापना

1198. **श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोप्पा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अंग्रेजी भाषा के शिक्षण संस्थान की स्थापना करने के लिए राज्यों को धनराशि आबंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ आबंटित धनराशि का उपयोग करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा उन राज्यों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है जिन्होंने धनराशि का पूर्णत: उपयोग नहीं किया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान सहायता योजना के संचालन और अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थानों तथा क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थानों में कार्यक्रमों के आयोजन हेतु केन्द्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं देती है। राज्य सरकारें केन्द्र सरकार के अनुमोदन से इन संस्थानों की स्थापना करती है। तदुपरांत प्रत्येक संस्थान को राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार 50-50 आधार पर वित्तीय सहायता देती है।

(ख) से (घ) हालांकि, अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थानों की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा की जाती है, परंतु इस स्कीम के संचालन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा साझेदारी आधार पर निधियां प्रदान की जाती हैं। अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान स्कीम के तहत राज्यों को पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई राशि इस प्रकार है:

क्र. सं.	ई.एल.टी.आई./आर.आई.ई. के नाम	कुल अनुदान (रु. लाख में)		
		2004-2005	2005-2006	2006-2007
1	2	3	4	5
1.	एससीईआरटी, आईजोल (मिजोरम)	8,00,000	4,00,000	6,50,000

1	2	3	4	5
2.	ईएलटीआई, इलाहाबाद, उ.प्र.	17,00,000	5,00,000	8,00,000
3.	एसआईईएम, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	2,00,000	3,00,000	7,00,000
4.	आरआईई, बंगलौर (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु)	46,00,000	47,00,000	13,55,000
5.	ईएलटीआई, भोपाल (मध्य प्रदेश)	13,00,000		7,00,000
6.	ईएलटीआई, भुवनेश्वर (उड़ीसा)	19,00,000	10,00,000	8,00,000
7.	आरआईई, चंडीगढ़ [चंडीगढ़ (सं.शा.प्र.) हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब)	4,00,000	20,00,000	16,55,000
8.	ईएलटीआई, गुवाहाटी (असम)	14,00,000	12,00,000	7,00,000
9.	इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	3,00,000	13,00,000	8,50,000
10.	एससीईआरटी, पटना (बिहार)	3,00,000	3,00,000	4,00,000
11.	एससीईआरटी, रायपुर (छत्तीसगढ़)	5,00,000	12,00,000	8,00,000
12.	ईएलटीआई, रांची (झारखंड)	8,00,000	3,00,000	9,00,000
13.	एससीईआरटी, उदयपुर (राजस्थान)	9,00,000	3,00,000	4,00,000
14.	एच.एम. पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च वल्लभ विद्या नगर (गुजरात)	15,00,000	12,00,000	12,00,000
	कुल	1,66,00,000	1,47,00,000	1,19,10,000
	कुल योग		4,32,10,000 रु. (चार करोड़ बत्तीस लाख तथा दस हजार रु.)	

खनन पट्टा हेतु समिति

1199. **श्री जुएल ओराम** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खनन पट्टा के मामलों में तेजी लाने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा समीक्षा किए गए तथा स्वीकृत किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) खनन पट्टा संबंधी मामलों को स्वीकृत करते समय किन-किन कारकों पर ध्यान दिया गया?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) से (घ) खनन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय खनिज नीति की समीक्षा करने तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 में संभावित संशोधनों की सिफारिश करने हेतु योजना आयोग में एक उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसी) गठित की गई थी। एचएलसी के आदेशपत्र में, खनन पट्टे प्रदान करने के व्यक्तिगत मामलों की समीक्षा और निपटान करना शामिल नहीं था।

जम्मू एवं कश्मीर में कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा

1200. **श्री दुष्यंत सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-कश्मीर की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के लिए सरकार के एक उच्च स्तरीय दल ने वहां का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निकले निष्कर्षों तथा दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उच्च स्तरीय दल की सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) राज्य में कानून और व्यवस्था सहित आंतरिक सुरक्षा स्थिति की समीक्षा हेतु, केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में 30.6.2007 को श्रीनगर में एक बैठक हुई जिसमें जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री भी उपस्थित हुए। राज्य सरकार सहित सभी संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को अन्य बातों के साथ-साथ राज्य में आतंकवाद पर रोक लगाने के उद्देश्य से सुरक्षा चिन्ताओं का कारगर ढंग से मुकाबला करने के लिए सम्मिलित प्रयास करने के लिए कहा गया है।

आतंकवाद/घुसपैठ को रोकने के प्रयासों की समीक्षा राज्य सरकार (जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले दो एकीकृत मुख्यालयों सहित) और केन्द्र सरकार के विभिन्न स्तरों पर आवधिक रूप से की जाती है।

पाकिस्तानी नागरिकों पर प्रतिबंध

1201. **कुंवर मानवेन्द्र सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में अपने रिश्तेदारों से मिलने आने वाली पाकिस्तानी नागरिकों से प्रतिबंध हटा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) और (घ) सुरक्षा की दृष्टि से मौजूदा प्रतिबंधों को जारी रखा जा रहा है।

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना

1202. **श्रीमती निवेदिता माने**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) को पुनः शुरू करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार उक्त सेवा को चलाने के लिए सरकारी-निजी भागीदारी पर भी विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत कौन-कौन से क्षेत्र शामिल किए जाएंगे; और

(च) इस योजना को कब से शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) से (च) जी, हां। तथापि, ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग

1203. **श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :**
श्री गुरूदास दासगुप्त :
श्रीमती मनोरमा माधवराज :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग (एसआरसी) गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आयोग को क्या विचारार्थ विषय सौंपे जाएंगे; और

(घ) इसका गठन कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) अभी तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अभियांत्रिकी शिक्षा

1204. **श्री सुरेश कलमाडी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को वाशिंगटन समझौते का अस्थाई सदस्य बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो वाशिंगटन समझौते के अन्य सदस्य देश कौन-कौन हैं;

(ग) भारत के इसका स्थाई सदस्य कब तक बन जाने की संभावना है; और

(घ) इससे क्या लाभ होंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी हां। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड को 20 जून, 2007 से 'वाशिंगटन समझौते' में अस्थायी सदस्यता प्रदान की गई है।

(ख) यू.के., यू.एस.ए. कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, लीरीया, ताईवान, दक्षिण अफ्रीका, जापान के इंजीनियरी प्रत्यायन निकायें इसके पूर्ण सदस्य हैं और रूस, भारत, श्रीलंका, मलेशिया, जर्मनी के इंजीनियरी प्रत्यायन निकायें अस्थायी सदस्य हैं।

(ग) भारत जून, 2009 तक पूर्ण सदस्य बन जाएगा।

(घ) यह समझौता इन संगठनों द्वारा प्रत्यायित कार्यक्रमों को समतुल्य मान्यता देता है और सिफारिश करता है कि हस्ताक्षर करने वाले किसी भी देश में प्रत्यायित कार्यक्रमों में स्नातकों को अन्य देशों द्वारा भी मान्यता दी जाए कि उन्होंने इंजीनियरी कार्य में प्रवेश के लिए आवश्यक शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया है।

[हिन्दी]

लौह अयस्क का उत्पादन

1205. **श्री राजेश पाठक** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक खान से उत्पादित लौह अयस्क के उत्पादन का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कुल उत्पादन में से निर्यात किए गए लौह अयस्क का मूल्य कितना है;

(ग) क्या देश में लौह अयस्क के पर्याप्त भण्डार हैं; और

(घ) यदि हां, तो मूल्य के संदर्भ में लौह अयस्क के निर्यात तथा आयात में कुल अनुमानित अन्तर कितना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों का लौह अयस्क का उत्पादन और निर्यातित लौह अयस्क का मूल्य नीचे दिया गया है:

(मूल्य करोड़ रुपये में)

वर्ष	उत्पादन (टन में)	निर्यात का मूल्य (करोड़ रु. में)
2004-05	145941854	4427
2005-06	165230526 (अनन्तिम)	5495
2006-07	180657041 (अनन्तिम)	5828

(ग) भारत के पास अयस्क का अनुमानत: 25.25 बिलियन टन का पर्याप्त संसाधन है और यह बढ़ता ही जा रहा है। भण्डार जोकि विस्तृत गवेषण के कार्य हैं, को 7.21 बिलियन टन आंका गया है।

(घ) वर्ष 2006-07 (फरवरी 2007 तक) की आयातित तथा निर्यातित लौह अयस्क के मूल्य में 5680 करोड़ रुपये का कुल अनुमानित अन्तर है।

[अनुवाद]

पॉलिटेक्निकल शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना

1206. डा. पी.पी. कोया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में कितने केंद्रीय पॉलीटेक्निकल शैक्षणिक संस्थान चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान लक्षद्वीप में कुछ संस्थानों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ चुने गए स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) संघ राज्य क्षेत्र लक्षदीप में कोई केंद्रीय पालिटेक्नीक शैक्षिक संस्था कार्य नहीं कर रही है। सरकार ने देश के कुछ विशेष रूप से चिन्हित जिलों, जहां अभी कोई पालिटेक्नीक नहीं है, में नए पालिटेक्नीकों की स्थापना के लिए एक योजना आरंभ की है, जिसके अंतर्गत एककालिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में ऐसे किसी जिले की पहचान नहीं की गई है।

महिला अध्ययन केन्द्र की स्थापना

1207. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तेजपुर विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय में एक महिला अध्ययन केन्द्र आरंभ करने के लिए कोई संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्तावित केन्द्र की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर (असम) ने 11वीं योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास एक प्रस्ताव पुन: भेजा है जिसका शुरूवाती लक्ष्य महिला आधिकारिता, उद्यमशीलता विकास, कंप्यूटर साक्षरता से संबंधित अल्पकालिक पाठ्यक्रम शुरू करना और महिला विकास से संबंधित ऐसे अन्य पाठ्यक्रम शुरू करना है। 11वीं योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

एम एम टी सी द्वारा लौह अयस्क का निर्यात

1208. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एम एम टी सी द्वारा प्रति वर्ष कितनी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है;

(ख) किस दर पर इसका निर्यात किया जाता है;

(ग) क्या निर्यात की दर खुले बाजार की तुलना में कम है; और

(घ) यदि हां, तो एम एम टी सी द्वारा उठाई गई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एम एम टी सी द्वारा निर्यातित मात्रा एवं निर्यात दर का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	मात्रा (मिलियन टन में)	निर्यात दर (रुपये/टन)
2004-05	11.92	1,792,57
2005 06	10.08	2,141.27
2006-07	08.14	2,334.79

(ग) निर्यात दर बाजार के अनुसार है। जहां दीर्घावधिक करारों के अंतर्गत जापान और दक्षिण कोरिया को लौह अयस्क का निर्यात न्यूनतम निश्चित वार्षिक कीमतों पर किया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यों की वृद्धि-ह्रास को ध्यान में रखते हुए प्रति वर्ष निर्धारित किए जाते हैं, वहीं चीन को लौह अयस्क का निर्यात तत्स्थानी कीमतों के आधार पर किया जाता है।

(घ) लौह अयस्क के निर्यात के कारण एम एम टी सी को कोई घाटा नहीं हुआ है।

आतंकवादरोधी प्रकोष्ठ

1209. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य आतंकवादरोधी प्रकोष्ठ तकनीकी रूप से सज्जित आतंकवादियों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ख) क्या इसमें प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी है, कर्मचारी कम हैं तथा सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसमें काउंटर इंटेलिजेंस प्रणाली का अभाव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) यह स्पष्ट नहीं है कि प्रश्न से किस राज्य के आतंकवाद-विरोधी प्रकोष्ठ का उल्लेख किया गया है। तथापि, यह सूचित किया जाता है कि आतंकवादी तत्वों के वर्तमान और भावी खतरों को निष्क्रिय करने के लिए राज्य और केन्द्रीय सुरक्षा तथा आसूचना एजेंसियां एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही हैं। आतंकवाद की चुनौती का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए सरकार का निरंतर ही यह प्रयास रहता है कि इन एजेंसियों के कौशल और उनकी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाया जाए। केन्द्र सरकार, आतंकवादियों से निपटने के लिए राज्य सरकारों को उनके राज्य पुलिस बलों और विशेष शाखाओं का उन्नयन करने तथा उनके द्वारा अपनाई जा रही नई तकनीकों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है।

संयुक्त तटवर्ती गश्त तथा निगरानी

1210. **श्री वी.एम. सिद्दीश्वर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तटवर्ती क्षेत्रों के लिए कोई संयुक्त गश्त तथा निगरानी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक तैयार कर लिया जाएगा; और

(घ) उक्त योजना हेतु धनराशि के आवंटन का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) जी, हां। गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में "आपरेशन स्वान" के अंतर्गत तटीय रक्षक जलयान (वैसल) तैनात करके संयुक्त तटीय गश्त की जाती है। तट रक्षकों ने फरवरी, 2006 से गुजरात तट की गश्त शुरू कर रखी है।

इसके अतिरिक्त, 9 तटीय राज्यों और 4 संघ शासित प्रदेशों में एक "तटीय सुरक्षा स्कीम" भी कार्यान्वयनाधीन है। इसमें तटीय रेखा के साथ 73 तटीय पुलिस स्टेशन और अन्य आधारभूत ढांचा स्थापित करके तटीय पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने की परिकल्पना की गई है। कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्यों में तट रक्षकों के साथ संयुक्त तटीय गश्त शुरू की गई है। कुछ अन्य तटीय राज्यों में स्थानीय रूप से व्यवस्थित नावों के साथ तटीय गश्त शुरू की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) "आपरेशन स्वान" में अवरोधक नावों के लिए 311.62 करोड़ रुपए और 3 तट रक्षक स्टेशनों की स्थापना के लिए 30.94 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

तटीय सुरक्षा स्कीम में 2005-06 से शुरू करके 5 वर्षों के लिए 400 करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय तथा 151 करोड़ रुपए के आवर्ती व्यय की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

राजभाषा हिन्दी का विश्वकोष

1211. **श्री रघुवीर सिंह कौशल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजभाषा हिन्दी का "विश्वकोष" तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त विश्वकोष के विश्व की अन्य भाषाओं के समान तुलनात्मक विकास अद्यतन तथा उन्नयन हेतु कोई प्रणाली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय जो राजभाषा से संबंधित मामलों पर कार्य करता है, ने राजभाषा के रूप में हिन्दी का कोई विश्वकोष तैयार नहीं किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो भाषा के रूप में हिन्दी के संवर्धन से संबंधित कार्य करता है, ने भी ऐसा कोई विश्वकोष तैयार नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान

1212. **श्री एस.के. खारवेनथन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन किन स्थानों पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान (आई आई आई टी डी एण्ड एम) स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का चेन्नई में ऐसे एक संस्थान की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त संस्थान की कब तक स्थापना का दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या देश में विनिर्माण के उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) वर्तमान में, दो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, मध्य प्रदेश के जबलपुर तथा तमिलनाडु के कांचीपुरम में हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम ने संस्थान कर अपनी अवसंरचना और सुविधाएं तैयार किए जाने तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के परिसर से कार्य करना आरंभ कर दिया है।

(घ) और (ङ) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, की स्थापना सरकार द्वारा देश में डिजाइन और विनिर्माण में उत्कृष्टता केंद्र निर्मित करने के प्रयास में की गयी है।

वस्त्र निर्यातकों की समस्याएं

1213. **श्री ई.जी. सुगावनम :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रुपए के मजबूत होने के मद्देनजर वस्त्र निर्यातकों को आ रही समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का वस्त्र निर्यातकों को राहत देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार विस्तारित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (टीयूएफएस) में सुधार करने तथा कताई उद्योग और अन्य कमजोर क्षेत्रों तक कुछ लाभ पहुंचाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) सरकार को उन समस्याओं की जानकारी है जिनका परिधान निर्यातक रुपए के मजबूत होने के बाद सामना कर रहे हैं। निर्यात संवर्धन परिषदों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार/वस्त्र उद्योग रुपए के मजबूत होने के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है।

(ग) और (घ) सरकार ने शुल्क त्रुटियों और डीईपीबी दरों में पुनरीक्षा की है जिससे वस्त्र क्षेत्र को लाभ मिलेगा।

(ङ) और (च) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के प्रचालन के आठ वर्षों के दौरान विशिष्ट क्षेत्रों में लाभ के विशिष्ट स्तर को देखे गये हैं। कताई और मिश्रित उन्नयन जैसे कुछ क्षेत्रों को अपेक्षित स्तर तक लाभ मिला है जिससे प्रसंस्करण, परिधान आदि जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देने की संभावना रह गई है। इस योजना में तकनीकी और वित्तीय मानदंडों में युक्तिकरण शामिल है जिनसे निम्नलिखित आशा की जाती है-

1. फाइबर, यार्न, फैब्रिक और परिधान उत्पादन श्रृंखला के लिए विकास मानदंडों को प्राप्त करने के वास्ते वस्त्र क्षेत्र में पूंजीगत निवेश आकर्षित करना।

2. प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से गतिशील और बढ़ रहे वैश्विक और घरेलू बाजारों का लाभ उठाने में वस्त्र क्षेत्र की सहायता जिसके फलस्वरूप वस्त्र उद्योग के लिए विजन स्टेटमेंट (2007-12) में उल्लखित लक्ष्यों के अनुरूप लागत प्रभावोत्पादकता, गुणवत्ता उत्पादन, कार्य क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त की जा सके।

3. 16% वार्षिक विकास प्राप्त करना और वस्त्र क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करना।

4. इस क्षेत्र में 150600 करोड़ रु. का निवेश।

[हिन्दी]

फलों एवं सब्जियों का निर्यात

1214. **प्रो. प्रेम कुमार धूमल :**
डा. धीरेंद्र कुमार :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा निर्यात किए गए फलों तथा सब्जियों का राज्य-वार तथा देश-वार ब्यौरा क्या है तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या संबंधित राज्यों में फलों और सब्जियों के उत्पादन की तुलना में इनके निर्यात का प्रतिशत संतोषजनक है; और

(ग) संबंधित राज्यों से फलों तथा सब्जियों के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) भारत से निर्यातित प्रमुख फल एवं सब्जियां हैं- आम, केला, अंगूर, सेब, संतरे, आलू, लहसुन, मटर, खीरा और प्याज। प्रमुख आयातक देशों को फलों एवं सब्जियों के निर्यात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(मात्रा : मी टन में, मूल्य: करोड़ रु. में)

देश	2003-04		2004-05		2005-06	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
बांग्लादेश	456138.92	401.26	478596.57	410.96	478409.787	421.30
कनाडा	2786.29	7.36	2532.24	5.95	2472.68	7.85
फ्रांस	6658.90	14.77	3177.00	10.58	1332.51	7.80

1	2	3	4	5	6	7
जर्मनी	6499.42	28.79	6185.13	22.81	5807.88	33.40
कुवैत	8919.28	18.54	10058.57	17.60	13037.56	20.12
मलेशिया	178077.92	161.60	180324.96	135.52	234606.40	184.45
मॉरीशस	14378.20	14.36	15519.54	12.27	18339.62	16.99
नेपाल	128146.93	64.14	124498.60	65.75	113796.30	54.37
श्रीलंका	114858.40	92.39	122997.19	79.71	154601.39	108.55
संयुक्त अरब अमीरात	179105.04	225.48	188558.34	215.39	215203.97	293.45
युनाइटेड किंगडम	16308.20	74.02	18553.52	84.94	22628.21	104.65

निर्यात के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) वर्ष 2004-05 के लिए फलों और सब्जियों के निर्यात का उनके कुल उत्पादन में प्रतिशत नीचे दिया गया है:-

(मात्रा मीलियन मीट्रिक टन में)

	उत्पादन	निर्यात	% हिस्सा
फल	49.2	0.23	0.46
सब्जियों	101.4	1.02	1.00

(स्रोत: उत्पादन संबंधी आंकड़े : एनएचबी; निर्यात संबंधी आंकड़े : डीजीसीआईएस)

इन आंकड़ों से स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि फलों और सब्जियों के कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में निर्यात मामूली रहा है। निर्यात के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) देश में फलों और सब्जियों के निर्यात के संवर्धन हेतु कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा किए गए उपायों में मेलों, संवर्धनात्मक अभियानों में भागीदारी, प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं उनका उन्नयन, शीघ्र खराब होने वाले कार्गो हेतु केन्द्रों, पैक हाउसों और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना करना, अवशिष्ट निगरानी योजनाओं तथा बाजार पहुंच पहलों का कार्यान्वयन शामिल है। विभिन्न फलों और सब्जियों के लिए कृषि निर्यात जोनों की स्थापना की गई है। एपीडा अपनी स्कीमों के अंतर्गत निर्यातकों को अवसंरचना विकास, बाजार विकास, गुणवत्ता विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा परिवहन सहायता हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

[अनुवाद]

जनजातीय लोगों हेतु योजनाएं

1215. श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कितनी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान अब तक प्रत्येक योजना हेतु कितनी धनराशि आबंटित तथा उपयोग की गई?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय, कर्नाटक राज्य सहित देशभर में गैर-सरकारी संगठनों के मध्यम से अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन करता रहा है, अर्थात् (1) अनुसूचित जनजातियों

के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-अनुदान (2) जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर (3) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (4) कोचिंग और सम्बद्ध योजना तथा (5) आदिम जनजातीय समूहों का विकास।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कर्नाटक को प्रत्येक योजना के अधीन अब तक आवंटित निधियों और निर्मुक्त अनुदानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वित्तीय वर्ष (2007-08) के दौरान कर्नाटक को प्रत्येक योजना के अंतर्गत आवंटित निधि और निर्मुक्त अनुदानों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	आवंटित धनराशि	निर्मुक्त धनराशि
1.	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	200.00	61.23
2.	जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर	100.20	0.00
3.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	—	5.14
4.	कोचिंग एवं सम्बद्ध*	—	—
5.	आदिम जनजातीय समूहों का विकास	76.00	0.00
	कुल धनराशि	376.20	66.37

टिप्पणी- निर्धारित ग्रेट बजट के कारण व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों और कोचिंग एवं सम्बद्ध योजनाओं के अधीन आवंटन नहीं किए गए हैं।

*इस योजना के अधीन राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

अफ्रीका के साथ व्यापार

1216. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अफ्रीका देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या रणनीति अपनाई गई है;

(घ) अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार के वर्तमान स्तर का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे किस सीमा तक बढ़ाया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अफ्रीकी देशों से भारत के द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को और बढ़ाने तथा प्रगाढ़ बनाने के उद्देश्य से "फोकस अफ्रीका कार्यक्रम" दिनांक 31.3.2002 से शुरू किया गया था। प्रारम्भ में इसमें उप सहारा अफ्रीकी (एस एस ए) क्षेत्र के सात देश अर्थात दक्षिण अफ्रीका, नाईजीरिया, मॉरीशस, तंजानिया, केन्या, घाना और इथियोपिया शामिल थे। तत्पश्चात दिनांक 1.4.2003 से इस कार्यक्रम का दायरा और बढ़ाकर इसमें अंगोला, बोत्स्वाना, आईवरी कोस्ट, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, सेनेगल, सेशेल्स, यूगाण्डा, जाम्बिया, नामीबिया और जिम्बाब्वे, मिस्र, लीबिया, ट्यूनिशिया, सूडान, मोरक्को तथा अल्जीरिया को भी शामिल किया गया। अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार संवर्धन हेतु व्यापार करार, संयुक्त व्यापार समितियां एवं संयुक्त व्यापार आयोग जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण, व्यापार-दर-व्यापार परस्पर वार्ता और उच्च स्तरीय दौरों आदि जैसे अन्य अनेक उपाय भी किए गए हैं।

(घ) और (ङ) डी जी सी आई एस, कोलकाता के डाटायेस के अनुसार अफ्रीकी देशों के साथ गैर तेल वस्तु व्यापार 2005-06 में 11872.09 मिलियन अम.डॉलर की तुलना में 2006-07 के दौरान 15031.05 मिलियन अम.डॉलर का हुआ।

टसर सिल्क

1217. **श्री मणी कुमार सुब्बा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के टसर सिल्क उद्योग को टसर की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और यह मुख्यत: चीन के सस्ते सिल्कयार्न पर निर्भर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों के टसर सिल्क उद्योग की क्षमता कितनी है तथा वह किस सीमा तक आयातित सिल्कयार्न पर निर्भर है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में टसर सिल्क उद्योग हेतु कितनी मात्रा में इस प्रकार के यार्न का आयात किया गया तथा इसका किस देश से आयात किया गया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) जी हां।

(ख) असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में तसर रेशम की अनुमानित आवश्यकता लगभग 55 एम.टी. है। तथापि इस क्षेत्र में ओक तसर रेशम का कुल उत्पादन लगभग 3.00 मी.टी. ही है। इसलिए, तसर रेशम यार्न की लगभग 52 एम.टी. की कमी है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में तसर रेशम के उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है-

राज्य	तसर कच्ची रेशम का उत्पादन (एम.टी. में)		
	2004-05	2005-06	2006-07 (अनंतिम)
असम	–	–	–
अरुणाचल प्रदेश	–	नगण्य	नगण्य
मणिपुर	3.0	3.0	1.3
मिजोरम	नगण्य	नगण्य	–
नागालैंड	0.2	नगण्य	0.1
कुल	3.2	3.0	1.4

नगण्य - 50 कि.ग्रा. से कम

तसर रेशम की अतिरिक्त आवश्यकता को मुख्य रूप से आयात से पूरा किया जाता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में आयात की गई गैर-शहतूती रेशम और रेशम यार्न का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

तसर कच्ची रेशम और रेशम यार्न का वर्षवार आयात

वर्ष	कच्ची रेशम				डुपियन रेशम यार्न				स्पन रेशम यार्न				नोएल रेशम यार्न			
	चीन लोक गणराज्य		कुल		चीन लोक गणराज्य		कुल		चीन लोक गणराज्य		कुल		चीन लोक गणराज्य		कुल	
	मात्रा (एम.टी.)	मूल्य (करोड़ रु.)	मात्रा (एम.टी.)	मूल्य (करोड़ रु.)	मात्रा (एम.टी.)	मूल्य (करोड़ रु.)	मात्रा (एम.टी.)	मूल्य (करोड़ रु.)	मात्रा (एम.टी.)	मूल्य (करोड़ रु.)	मात्रा (एम.टी.)	मूल्य (करोड़ रु.)	मात्रा (एम.टी.)	मूल्य (करोड़ रु.)	मात्रा (एम.टी.)	मूल्य (करोड़ रु.)
2004-05	1364	105.89	1379	107.38	750	56.48	775	58.52	223	14.3	225	14.49	15	0.26	16	0.29
2005-06	1659	142.96	1659	142.96	601	54.28	626	56.16	367	29.19	375	29.77	—	—	—	—
2006-07 (अनं)	527	56.32	551	59.21	996	123.72	1019	127.31	249	27.87	250	28.06	2	0.03	2	0.03

अनं: अनंतिम

स्रोत : भारतीय विदेश व्यापार सांख्यिकी (प्रमुख वस्तुएं एवं देश) डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता

सीमा पर पाकिस्तान की गतिविधियां

1218. श्री नरहरि महतो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने वर्ष 2006-07 के दौरान सीमा पर नए बंकर बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उसने हामाला नाला पर विवादित पिलर सं. 62 के निकट एक बांध का निर्माण किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ यह मामला उठाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) आधुनिकीकरण हेतु प्रस्तावित कार्य योजना तथा सीमा के साथ नई चौकियां स्थापित करने संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी) : (क) और (ख) वर्ष 2006-07 में निम्नलिखित राज्यों में सीमा पर पाकिस्तान द्वारा निम्नलिखित संख्या में बंकरों का निर्माण किया गया है:-

जम्मू	–	95 संख्या
पंजाब	–	08 संख्या
राजस्थान	–	25 संख्या

(ग) से (च) पाकिस्तान द्वारा ऐसे किसी बांध का निर्माण नहीं किया गया है।

(छ) सरकार ने 3.5 कि.मी. औसतन आंतरिक बी ओ पी दूरी के साथ भारत पाकिस्तान सीमा हेतु 697 बी ओ पी मंजूर की हैं। सीमा के लिए निम्नलिखित हाई टैक इलैक्ट्रोनिक निगरानी उपकरण भी मंजूर किए गए हैं:-

(i) हैंड हैल्ड थर्मल इमेजर 316 संख्या।

(ii) स्टालकर-II/मोबाइल निगरानी वाहन 09 संख्या।

(iii) युद्धभूमि निगरानी रडार 28 संख्या।

(iv) लम्बी दूरी की टोह और अवलोकन प्रणाली (एल ओ आर आर ओ एस) 20 संख्या।

चाय के बागानों की मैपिंग

1219. श्री के.सी. पल्लानी रामी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड ने देश में चाय के बागानों की मैपिंग हेतु भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ समझौता करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उसने ग्राम संसाधन केन्द्रों की स्थापना करने तथा प्रत्येक बागान के साथ संपर्क स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में विशेषकर तमिलनाडु के चाय बागानों में चाय के उत्पादन को और प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, हां। 11वीं योजना अवधि के दौरान चाय बोर्ड ने चाय उद्योग के लाभार्थ दूर संवेदन तथा जी आई एस के क्षेत्रों में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की सेवाओं का उपयोग करने के उद्देश्य से इसके साथ सहयोग करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) और (घ) जी, हां। चाय उत्पादन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सूचना के संग्रहण के लिए ग्राम संसाधन केन्द्रों का प्रत्येक चाय बागान से भी संपर्क स्थापित किया जाएगा।

(ङ) देश में चाय उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने विशेष प्रयोजन चाय निधि (एस पी टी एफ) नामक एक प्रमुख स्कीम को मंजूरी दी है जो अन्य बातों के साथ-साथ चाय की पुरानी झाड़ियों को उखाड़ने एवं पुन:रोपण करने/नवीकरण करने के लिए

तमिलनाडु राज्य में स्थित चाय बागानों सहित सभी चाय बागानों को दीर्घावधिक ऋण तथा आर्थिक सहायता के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है।

खेल-कूद के सामान का निर्यात

1220. श्री नवीन जिन्दल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खेल-कूद के सामान का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ख) क्या सरकार के पास खेल-कूद के सामान के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि करने के लिए विनिर्माताओं को और अधिक प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) खेल-कूद के समान के निर्यात को बढ़ावा देने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) खेल सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार अमेरिकी डॉलर के हिसाब से पिछले तीन वर्षों के दौरान खेल सामग्री के निर्यात निम्नानुसार रहे हैं:-

2004-05	87.94 मिलियन
2005-06	103.22 मिलियन
2006-07	112.50 मिलियन

(ख) से (घ) विदेश व्यापार नीति (2004-09) के अध्याय 3 के उपबंधों के अंतर्गत खेल सामग्री को "फोकस उत्पाद" के रूप में घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार क्रेता-विक्रेता बैठकों के आयोजन और विदेशों में मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए बाजार पहुंच पहल स्कीम और बाजार विकास सहायता स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। खेल सामग्री के परीक्षण के लिए उत्पाद एवं प्रक्रिया विकास केन्द्र कार्यरत है।

बांग्लादेशी अपराधी

1221. श्री हितेन बर्मन :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी जघन्य अपराधों/डकैतियों में संलिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को इंटरपोल से बांग्लादेशी अपराधियों की कोई सूची प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की क्या प्रतिक्रिया है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) ऐसे बांग्लादेशियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनका देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में अपना कारोबार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) और (ख) वर्ष 2004, 2005, 2006 और 31 जुलाई, 2007 तक के दौरान दिल्ली में सूचित अपराधों के उन मामलों की संख्या जिनमें बंगलादेशी नागरिक शामिल थे, नीचे दी गई है:-

क्रम सं.	अपराध शीर्ष	वर्ष-वार सूचित मामलों की संख्या			
		2004	2005	2006	2007
1.	डकैती	4	8	1	1
2.	हत्या	2	1	0	0
3.	हत्या के प्रयास	3	4	3	0
4.	लूटपाट	11	3	1	0
5.	बलात्कार	1	0	0	0
	कुल	21	16	5	1

(ग) और (घ) सी बी आई की इंटरपोल विंग को इंटरपोल ढाका (बंगलादेश) अथवा इंटरपोल मुख्यालय, फ्रांस से बंगलादेशी अपराधियों की कोई सूची नहीं मिली है। तथापि, इंटरपोल विंग सी बी आई को इंटरपोल ढाका से भारत में अपने चार वांछित अपराधियों के संबंध में अलग से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं जो कलकत्ता में हो सकते हैं। उनमें से एक पासपोर्ट -जालसाजी मामले में सी आई डी, पश्चिम बंगाल द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

(ङ) ऐसे आंकड़े रखे नहीं जाते हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम द्वारा ऋण

1222. **श्री महावीर भगोरा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में ऋण देने, वसूल करने और ब्याज दर निर्धारित करने के लिए किन उपबंधों का पालन किया जाता है और वर्तमान ब्याज दर क्या हैं;

(ख) निगम द्वारा गत तीन वर्षों में राज्य-वार जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान निगम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए गए लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्दिया) : (क) एनएसटीएफडीसी जीवनक्षम स्व-रोजगार उपक्रम/कार्यकलाप प्रारंभ करने के लिए अनुसूचित जनजातियों के पात्र लोगों को राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से ऋण प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी का निदेशक मंडल प्रावधानों, वसूली अवधि, ब्याज की दर आदि के ब्यौरों का निर्धारण करता है। इस समय, एनएसटीएफडीसी की कई योजनाएं हैं, जैसे सावधि ऋण/ब्रिज ऋण, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई), लघु-ऋण योजना, विपणन समर्थन सहायता, कौशल और उद्यमशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रम, एससीए के डाटाबेस के कंप्यूटरीकरण के लिए अनुदान आदि। इसके अतिरिक्त, इसके ब्यौरे निगम की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध हैं।

(ख) और (घ) 2004-05 से 2006-07 के दौरान एससीए को निर्मुक्त निधियों और लाभार्थियों की तुलनात्मक संख्या का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2004-05 से 2006-07 की स्वीकृतियों के संबंध में वित्तीय लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

लाभार्थियों की संख्या सहित एनएसटीएफडीसी की चैनेलाइजिंग एजेंसियों की निधियों का वर्षवार संवितरण

(धनराशि लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2004-05		2005-06		2006-07	
		धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	धनराशि	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
क. आय सृजनात्मक गतिविधियों के लिए सावधि ऋण							
1.	आंध्र प्रदेश	1,181.71	2965	311.36	409	898.90	11813

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	छत्तीसगढ़	734.07	170	983.61	690	716.15	294
3.	गुजरात	—	0	—	0	1,435.10	9700
4.	हिमाचल प्रदेश	31.96	9	29.14	10	84.24	161
5.	जम्मू व कश्मीर	74.33	26	51.40	12	234.54	80
6.	झारखंड	601.91	403	535.05	220	143.10	60
7.	कर्नाटक	202.90	1120	257.10	315	100.20	334
8.	केरल	17.13	33	18.45	41	14.25	35
9.	लक्षद्वीप	—	0	43.98	32	27.82	24
10.	महाराष्ट्र	436.83	652	999.96	413	1,068.51	1560
11.	मध्य प्रदेश	—	0	576.89	436	32.94	6
12.	नागालैंड	244.09	56	163.93	40	172.74	40
13.	उड़ीसा	27.72	8	—	0	6.05	2
14.	राजस्थान	454.89	380	405.17	416	202.33	408
15.	सिक्किम	116.00	40	394.13	186	386.18	306
16.	त्रिपुरा	—	0	—	0	329.65	232
17.	उत्तरांचल	11.20	8	34.64	8	—	0
18.	पश्चिम बंगाल	711.75	6938	301.03	2999	768.20	6292
	कुल	4,846.49	12808	5,105.84	6227	6,620.90	31347
ख.	**विपणन समर्थित गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता**						
1.	ट्राइफेड, नई दिल्ली	—	0	100.00	2000	—	0
2.	जीसीसी, आंध्र प्रदेश	500.00	283000	750.00	113400	1,080.00	125800

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	एनसीडीसी, झारखंड	–	0	–	0	300.00	90000
	कुल	500.00	283000	850.00	115400	1,380.00	215800
	कुल योग	5,346.49	295808	5,955.84	121627	8,000.90	247147

विवरण-II

वास्तविक स्वीकृतियों की तुलना में स्वीकृतियों के लिए राज्य-वार लक्ष्यों का ब्यौरा

(धनराशि लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2004-05		वर्ष 2005-06		वर्ष 2006-07	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
क.	**आय सृजनात्मक गतिविधियों के लिए सावधि ऋण**						
1.	आंध्र प्रदेश	612.00	1,069.41	573.00	893.70	512.00	2,036.64
2.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	50.00	–	50.00	–	50.00	–
3.	अरुणाचल प्रदेश	80.00	–	80.00	–	72.00	–
4.	असम	419.00	–	377.00	–	337.00	–
5.	बिहार	83.00	–	87.00	–	77.00	77.02
6.	छत्तीसगढ़	833.00	591.75	755.00	697.96	675.00	627.25
7.	दादरा व नागर हवेली	50.00	–	50.00	–	50.00	–
8.	गोवा	50.00	–	50.00	–	50.00	30.12
9.	गुजरात	898.00	–	854.00	–	763.00	1,435.10
10.	हिमाचल प्रदेश	50.00	–	50.00	107.87	50.00	98.02
11.	जम्मू और कश्मीर	128.00	214.10	126.00	259.92	113.00	203.17

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	झारखंड	881.00	533.86	809.00	718.63	723.00	171.60
13.	कर्नाटक	279.00	250.80	395.00	290.10	353.00	345.10
14.	केरल	50.00	42.35	100.00	21.00	100.00	65.50
15.	लक्षद्वीप	50.00	20.76	50.00	4.67	50.00	21.25
16.	मणिपुर	92.00	–	112.00	–	100.00	–
17.	महाराष्ट्र	1,066.00	1,174.06	978.00	454.00	874.00	1,107.68
18.	मेघालय	221.00	–	227.00	–	203.00	18.09
19.	मध्य प्रदेश	1,411.00	457.88	1,396.00	987.59	1,247.00	604.78
20.	मिजोरम	100.00	–	100.00	–	100.00	27.90
21.	नागालैंड	155.00	278.93	202.00	141.03	181.00	172.74
22.	उड़ीसा	1,025.00	471.03	929.00	610.10	830.00	97.50
23.	राजस्थान	798.00	582.86	810.00	488.74	724.00	496.29
24.	सिक्किम	50.00	232.00	50.00	281.27	50.00	386.18
25.	तमिलनाडु	84.00	–	74.00	–	66.00	–
26.	त्रिपुरा	124.00	126.40	113.00	–	101.00	305.70
27.	उत्तरांचल	50.00	92.35	50.00	34.00	50.00	66.40
28.	उत्तर प्रदेश	50.00	–	50.00	–	50.00	–
29.	पश्चिम बंगाल	555.00	667.10	503.00	761.53	449.00	654.78
	कुल (क-i)	10,294.00	6,805.64	10,000.00	6,752.11	9,000.00	9,048.81
	क्लस्टर आधारित परियोजनाएं						
1.	झारखंड – बाडी	–	–	–	–	–	133.95
	कुल (क-ii)	–	–	–	–	–	133.95
	कुल [(क-i) + (क-ii)]	10,294.00	6,805.64	10,000.00	6,752.11	9,000.00	9,182.76

1	2	3	4	5	6	7	8
ख. विपणन समर्थित गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता							
1.	ट्राइफेड, नई दिल्ली	–	–	–	250.00	–	–
2.	जीसीसी, आंध्र प्रदेश	–	500.00	–	1,000.00	–	1,050.00
3.	एनसीडीसी, झारखंड	–	–	–	–	–	300.00
	कुल (ख)	–	500.00	–	1,250.00	1,000.00	1,350.00
	कुल योग	10,294.00	7,305.64	10,000.00	8,002.11	10,000.00	10,532.76

[अनुवाद]

अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

1223. **श्री संजय धोत्रे** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरंभिक शिक्षक शिक्षा (ई टी ई) जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (जे बी टी) और नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण (एन टी टी) को पेशेवर/व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छात्रों को उपर्युक्त पेशेवर पाठ्यक्रमों के साथ-साथ निजी अथवा पत्राचार के माध्यम से बी ए/बी कॉम पाठ्यक्रम करने की अनुमति है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एक ही वर्ष में पेशेवर और शैक्षिक दोनों पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते समय इन दोनों अर्हताओं को एक साथ दर्शाने की विधिक रूप से अनुमति है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या किसी उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में हाल ही में कतिपय आदेश पारित किए हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम तथा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार पूर्व प्राथमिक/प्रारंभिक, बी.एड./एम.एड. पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करती है।

(ग) से (च) शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णकालिक प्रत्यक्ष भागीदारी वाला पाठ्यक्रम है। तथापि, बी.एड. तथा एम.एड. पाठ्यक्रमों को दूरस्थ पद्धति में भी मान्यता प्रदान की जाती है। कुछेक संस्थाओं में एम.एड. पाठ्यक्रमों को अंशकालिक आधार पर चलाया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति दो डिग्री कार्यक्रमों में एक साथ भाग ले सकता है, यदि एक कार्यक्रम दूरस्थ पद्धति से हो तथा दूसरा कार्यक्रम नियमित, रूप से हो, बशर्ते कि दोनों संबद्ध विश्वविद्यालयों को इस संबंध में कोई आपत्ति न हो।

(छ) से (ज) यह मंत्रालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित इस प्रकार के किसी आदेश से अवगत नहीं है।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना

1224. **श्री मिलिन्द देवरा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय खोज परीक्षा और ओलम्पियाड में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या के आधार पर राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्डों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन के तौर पर राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्डों को वित्तीय सहायता देने संबंधी एक स्कीम का सुझाव दिया था, ताकि राज्य बोर्ड गुणवत्ता की ओर अधिक ध्यान दे सकें। इसी प्रकार, उन्होंने सुझाव दिया था कि जिन उच्चतर माध्यमिक बोर्डों के विद्यार्थी ओलम्पियाड में गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयनित किए जाते हैं, उन्हें प्रति विद्यार्थी 5.00 लाख रुपये का अनुदान देने के लिए स्कीम बनाई जाए।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की किसी भी स्कीम के अंतर्गत ऐसा प्रावधान न होने के कारण महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया जा सका।

माओवादियों की गतिविधियां

1225. श्री सुभाष महरिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रभावित राज्यों में पुलिस थानों पर हुए माओवादी हमलों का वर्ष-वार और राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन हमलों के कारण जान-माल की कितनी हानि हुई है; और

(ग) इस समस्या को नियन्त्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) पुलिस पर हमलों, मारे गए सिविलियनों और मारे गए पुलिस कार्मिकों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

नक्सलवादी कुछ विशेष प्रकार के सरकारी भवनों और सड़क तथा रेल संबंधित आधारभूत ढांचे और हाल के महीनों में कुछ मामलों में पावर ट्रान्समीशन सुविधाओं को लक्ष्य बनाते रहे हैं। ऐसी सम्भावनाओं को कम करने और संबंधित सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा निरन्तर कार्रवाई की जाती है।

केन्द्र सरकार विभिन्न उपायों के जरिए राज्य सरकारों के प्रयासों और संसाधनों में मदद करती है और उनको समन्वित करती है जिसमें शामिल हैं, केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की 33 बटालियनों की तैनाती जोकि संबंधित राज्य सरकारों की कमान के अंतर्गत कार्य करती हैं, 29 इंडिया रिजर्व बटालियनों की मंजूरी, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम के जरिए स्थानीय पुलिस और आसूचना एजेंसियों को सुदृढ़ करना, सुरक्षा संबंधी व्यय स्कीम के जरिए वित्तीय सहायता, राज्य पुलिस बलों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं में मदद करना, आसूचना का आदान-प्रदान तथा अन्तर-राज्य समन्वय स्थापित करना।

तथापि, संविधान की स्कीम के अंतर्गत कानून और व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण प्रभावपूर्ण कार्रवाई हेतु दायित्व राज्य सरकार के पास निहित है। विशेष तौर पर उनको अपने पुलिस बलों में मौजूदा रिक्तियों को शीघ्र भरने, उनको आधुनिकीकृत करने और सुसज्जित करने के लिए उक्त सहायता का अधिकतम उपयोग करने तथा केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय रिजर्व बटालियनों का गठन करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही राज्य सरकारों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में परिस्थितियों में सुधार करने के लिए विकास से संबंधित बड़ी संख्या में स्कीमों का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है।

विवरण

पुलिस पर हमलों, मारे गए सिविलियनों और मारे गए पुलिस कार्मिकों की राज्यवार संख्या

राज्य	पुलिस पर हमलों की संख्या		
	2004	2005	2006
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	26	41	17
बिहार	17	19	6

1	2	3	4
छत्तीसगढ़	102	73	134
झारखंड	27	23	24
महाराष्ट्र	33	25	17
उत्तर प्रदेश	3	–	–
मध्य प्रदेश	2	1	–
पश्चिम बंगाल	4	1	6
उड़ीसा	17	8	5
कर्नाटक	1	2	1
कुल	232	193	210

राज्य	मारे गए सिविलियनों की संख्या		
	2004	2005	2006
आंध्र प्रदेश	68	186	37
बिहार	166	72	40
छत्तीसगढ़	75	121	304
झारखंड	128	92	81
महाराष्ट्र	9	29	39
उत्तर प्रदेश	9	1	5
मध्य प्रदेश	4	2	1
पश्चिम बंगाल	2	6	9
उड़ीसा	4	13	5
कर्नाटक	1	2	–
कुल	466	524	521

राज्य	मारे गए पुलिस कार्मिकों की संख्या		
	2004	2005	2006
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	6	22	10
बिहार	5	24	5
छत्तीसगढ़	8	47	84
झारखंड	41	27	43
महाराष्ट्र	6	24	3
उत्तर प्रदेश	17	–	–
मध्य प्रदेश	–	1	–
पश्चिम बंगाल	13	1	8
उड़ीसा	4	1	4
कर्नाटक	–	6	–
कुल	100	153	157

भारतीय विज्ञान संस्थान का उन्नयन

1226. **श्री रायापति सांबासिवा राव :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उन्नयन करके इसे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसा विश्वस्तरीय संस्थान बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ बजट में वृद्धि करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) भारत सरकार ने पूना, कोलकाता तथा मोहाली प्रत्येक में एक-एक अर्थात कुल तीन नए भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की है। इन संस्थानों में उच्चतम क्षमता से युक्त ऐसे अनुसंधान विश्वविद्यालय बनाने की परिकल्पना की गई है जिसमें आधारभूत विज्ञान में अध्यापन और शिक्षा पूरी तरह से अत्याधुनिक शोध से समेकित होगी। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान आधारभूत और प्राकृतिक विज्ञान में सर्वोत्कृष्टता के केंद्र हैं और इनमें दो मुख्य शैक्षिक सह अनुसंधान कार्यक्रम अर्थात (i) समेकित स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम और (ii) डॉक्टोरल कार्यक्रम होंगे। प्रत्येक भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की कुल लागत 500.00 करोड़ रु. है जिसमें भवन निर्माण और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए 241.00 करोड़ रु. तथा 7 वर्षों की अवधि के आवर्ती व्यय के लिए 259.00 करोड़ रु. शामिल हैं। नए संस्थान होने के कारण, इन संस्थानों के उन्नयन का कोई प्रस्ताव नहीं है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के लिए 125.00 करोड़ रु. का बजटीय आवंटन रखा गया है।

तंबाकू के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1227. **श्री बाडिगा रामकृष्णा** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच प्रमुख मजदूर संघों ने तंबाकू के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के निर्णय का विरोध करते हुए केन्द्र सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तंबाकू के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने हेतु कोई अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) तंबाकू क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति प्रदान करने हेतु जनवरी, 2007 से मई, 2007 के दौरान प्राप्त किए गए अभ्यावेदनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

तंबाकू क्षेत्र में एफडीआई हेतु प्राप्त अभ्यावेदनों की सूची

क्र.सं.	अभ्यावेदन करने वाले
1.	कर्नाटक टोबेको ग्रोअर्स फोरम, हंसुर (कर्नाटक)
2.	कर्नाटक वी.एफ.सी टोबेको ग्रोअर्स एसोसिऐशन, पेरियापटना (कर्नाटक)
3.	कर्नाटक टोबेको ग्रोअर्स फोरम, हंसुर (कर्नाटक)
4.	श्री बेल्लम कोटइया, भूत पूर्व उपाध्यक्ष तंबाकू बोर्ड, प्रकाशम (आंध्र प्रदेश)
5.	ह्यूमन ऑर्गनाइजेशन फॉर पावर्टी इराडिकेशन (होप) खम्मान (आंध्र प्रदेश)
6.	चैतन्य डेवेलपमेण्ट सोसाइटी, गुन्टूर (आंध्र प्रदेश)
7.	ह्यूमन ऑर्गनाइजेशन फॉर पावर्टी इराडिकेशन (होप) खम्मान (आंध्र प्रदेश)
8.	सोसाइटी फॉर हेल्थ एण्ड एग्रीकल्चरल डेवेलपमेण्ट (शेड), खम्मान (आंध्र प्रदेश)
9.	रूरल एक्शन टू कीप सेफ हैरिटेज एण्ड नैचुरल एसेट्स (रक्शाना), प्रकाशम (आंध्र प्रदेश)
10.	सोसाइटी फॉर नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू रूरल डेवेलपमेण्ट (आंध्र प्रदेश)
11.	इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, चिरला (आंध्र प्रदेश)
12.	सेण्ट्रल ट्रेड यूनियन्स
13.	श्री आर सम्बशिव राव, सांसद (लोक सभा) और 39 अन्य सांसद

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करना

1228. **श्री प्रभुनाथ सिंह :**
श्री रघुनाथ झा :

क्या गृह मंत्री विद्यालयों को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करने के बारे में 13 मार्च, 2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1858 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो सूचना एकत्रित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) यह सूचना कब तक एकत्रित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) से (घ) दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर परिषद, दिल्ली अग्नि शमन सेवा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से सूचना मांगी गई थी। नई दिल्ली नगर परिषद से वृहत् सूचना प्राप्त हुई है। तथापि, अन्यों से पूर्ण सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

भूकम्प के विनाशकारी प्रभाव से निपटना

1229. **श्री रामदास आठवले :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भूकम्पों के विनाशकारी प्रभाव से निपटने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति तैयार की है/तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भूकम्पप्रवण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जान-माल की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) से (ग) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुसार भूकम्प जोखिम को कम करने और भूकम्पों के प्रभाव, जनहानि और सम्पत्ति को हुई क्षति को कम करने की दृष्टि से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए) ने अप्रैल, 2007 में "भूकम्पों के प्रबंधन" के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। दिशा-निर्देशों में केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों के लिए आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने के लिए उपाय निर्धारित किए गए हैं जिसमें भूकम्प जोखिम प्रबंधन पर विशिष्ट अवयव शामिल हैं। उपाय निम्न हैं:

I. नई संरचनाओं का भूकंप रोधी निर्माण;

II. मौजूदा प्राथमिक संरचनाओं और जीवन रेखा संरचनाओं को चयनित भूकम्पीय रूप से सुदृढ़ करना और पुनः व्यवस्थित करना;

III. विनियमन और प्रवर्तन;

IV. जागरूकता और तैयारी;

V. क्षमता विकास (शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), क्षमता निर्माण और प्रलेखन);

VI. आपातकालीन प्रतिक्रिया।

(घ) भूकंपों के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय शुरू किए हैं:

I. भूकंप जोखिम प्रबंधन में इंजीनियरों और वास्तुकारों की क्षमता का निर्माण करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयनाधीन है ताकि प्रसिद्ध संस्थानों में ढांचागत इंजीनियरों और वास्तुकारों के प्रशिक्षण द्वारा भूकंप सुरक्षित निर्माण सुनिश्चित किए जा सकें।

II. भूकंप जोखिम से बचने के लिए बेहतर क्रिया योजना और ढांचागत सुरक्षा अपनाने के लिए उन 38 शहरों में, जिनकी जनसंख्या 0.5 मिलियन या अधिक है और जो भू-कंपीय क्षेत्र III से V में आते हैं, शहरी भूकंप सुभेद्यता न्यूनीकरण परियोजना शुरू की गई है।

III. सरकार ने समय-समय पर राज्य सरकारों और संघ शासित

क्षेत्र प्रशासनों को इस आशय की सलाह भी दी है कि वे भूकंप रोधी निर्माण सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक भवन निर्माण उप-नियमों को अपनाकर भूकंप प्रशमन और तैयारी से संबंधित उपायों सहित विभिन्न प्रकार के आपदा प्रशमन और तैयारी उपायों को अपनायें।

IV. सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए विद्यालय पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन शुरू किया गया है। राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है कि वे अपने-अपने पाठ्यक्रमों में ऐसे ही पाठ्यक्रम शुरू करें।

इनके अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया गया है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि एन डी एम ए द्वारा तैयार किए गए विशिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक राज्य द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जाए। राज्य आपदा प्रबंधन योजना में अन्य बातों के साथ-साथ आपदा निवारण और प्रशमन के लिए अपनाए जाने वाले उपाय और क्षमता निर्माण तथा किए जाने वाले तैयारी उपाय शामिल हैं।

[अनुवाद]

खतरनाक अपशिष्ट का आयात

1230. **श्री किसनभाई वी. पटेल :**
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खतरनाक अपशिष्ट के आयात हेतु कोई दिशा-निर्देश/मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी फर्में अवैध रूप से खतरनाक अपशिष्ट का आयात कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इन मानदंडों का उल्लंघन करने वाली फर्मों का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान कितने मूल्य के अपशिष्ट का आयात किया गया है;

(ङ) ऐसी फर्मों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(च) ऐसे आयात को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) भारत में खतरनाक अपशिष्ट का आयात वर्ष 2000 तथा 2003 में यथा संशोधित खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) संशोधन नियम, 1989 के उपबंधों के अध्यधीन है। पाटन तथा निपटान के प्रयोजनार्थ देश में किसी भी खतरनाक अपशिष्ट के आयात की अनुमति नहीं है। तथापि, पंजीकृत पुनर्चक्रण यूनिटों को ऐसे अपशिष्ट, जिसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है, का आयात मामला दर मामला आधार पर अनुमत्य है। इसके अलावा वर्ष 2000 तथा 2003 में यथासंशोधित खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) नियम, 1989 की अनुसूची 8 में यथाविनिर्दिष्ट खतरनाक अपशिष्ट अथवा ऐसे खतरनाक अपशिष्ट युक्त अथवा इनसे संदूषित पदार्थों का आयात निषिद्ध है।

(ग) से (च) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सीमाशुल्क विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना एकत्र की जा रही है। प्राप्त होने पर इसे प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

विभिन्न निर्यात क्षेत्रों को हुआ नुकसान

1231. **श्री एल. राजगोपाल :**
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार :
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
श्री मनोरंजन भक्त :
प्रो. प्रेम कुमार धूमल :
श्री अजीत जोगी :
श्री असादुद्दीन ओवेसी :
श्री वाडिगा रामकृष्णा :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री नवीन जिन्दल :
श्री के.सी. पल्लानी शामी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी मुद्राओं की तुलना में रुपए के मूल्य में आई गिरावट के कारण चमड़े, सूचना प्रौद्योगिकी, वस्त्र और विभिन्न अन्य निर्यात क्षेत्रों को नुकसान उठाना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय निर्यात संगठन संघ ने सरकार से अपने नुकसान की भरपाई के लिए डीईपीबी को बढ़ाने अथवा ड्यूटी ड्रा बैक करने का अनुरोध किया है;

(ग) क्या सरकार को इन निर्यातकों को हुए नुकसान के मुआवजे की मांगे प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 2006-07 की तुलना में उपर्युक्त वर्णित निर्यात क्षेत्र ने वर्ष 2007-08 के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी हां। प्रमुख मुद्राओं विशेष रूप से अमरीकी डालर की तुलना में रुपए के मूल्य में वृद्धि के कारण रुपए के अनुसार निवल निर्यात वसूली (चर्म निर्यातों हेतु उसके सहित) में पिछले एक वर्ष के दौरान लगभग 13% की कमी की गई हैं।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) जी हां। मांगे गए मुआवजे संबंधी उपाय नीचे सूचीबद्ध हैं :-

(i) डीईपीबी और शुल्क वापसी दरों में बढ़ोतरी करना;

(ii) निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) वसूली पर आधारित प्रतिपूर्ति तंत्र;

(iii) रुपए को प्रतिस्पर्धी देशों की मुद्राओं के निर्यात समूह के अनुरूप स्थिर बनाना;

(iv) गैर-दर्जा धारकों सहित सभी निर्यातकों को 360 दिनों के लिए एक समान बैंक दर पर निर्यात ऋण प्रदान करना;

(v) धारा 80 एचएचसी आयकर लाभ को पुन: शुरू करना;

(vi) निर्यात संवर्धन उपायों की लागत की क्षतिपूर्ति करने हेतु विस्तार/आर एंड डी पूर्ववर्ती धारा 35 (ख) में किए प्रावधान के अनुसार 'निर्यात लाभ रिजर्व' सृजित करके;

(vii) बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कीम को संशोधित करना;

(viii) निर्धारित समय-सीमा के भीतर केन्द्रीय और राज्य लेवियों की वापसी करना;

(ix) निर्यात आय विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते को ब्याज अर्जित करने वाला खाता बनाना;

(x) आयातों पर उपकर लगाना।

(ङ) अप्रैल से जून, 2007-08 के दौरान पण्य निर्यातों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा और वर्ष 2006-07 में इसी अवधि के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है:-

अवधि	अर्जित विदेशी मुद्रा (रुपए करोड़ में)
2006-07 (अप्रैल से जून)	1,32,164,90
2007-08 (अप्रैल से जून)	1,41,330.65
प्रतिशत वृद्धि	6.94%

(च) सरकार ने इस प्रकार प्राप्त अनुरोध पर विचार किया और निर्यातकों को तत्काल राहत के रूप में निम्नलिखित उपाय किए:-

(i) दिनांक 1.4.2007 से निम्नलिखित 9 क्षेत्रों के लिए डीईपीबी दरों में 3% और अन्य क्षेत्रों के लिए 2% की वृद्धि की गई है।

(क) वस्त्र (हथकरघा सहित)

(ख) सिले-सिलाए परिधान

(ग) चर्म उत्पाद

(घ) कालीन सहित हस्तशिल्प

(ङ) इंजीनियरी उत्पाद

(च) संसाधित कृषि उत्पाद

(छ) समुद्री उत्पाद

(ज) खेल का सामान

(झ) खिलौने

(ii) दिनांक 1.4.2007 से बढ़ाई गई शुल्क वापसी दरें।

(iii) 10% से घाटई गई ईसीजीसी की प्रीमियम दरें।

(iv) 2% से घटाई गई पूर्व और पश्चात लदान ऋण पर ब्याज दर।

(v) अंतिम उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय बिक्री कर मानद निर्यात प्रतिअदायगी शुल्क की वापसी संबंधी निपटाए गए सभी लंबित मामले।

(vi) आरबीआई से ईईएफसी खाते को ब्याज अर्जित करने वाला खाता बनाने की संभावना पर कार्य करने का अनुरोध किया गया है।

(vii) विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अनुसार सेवाकर छूट/वापसी संबंधी अधिसूचना को तत्काल अंतिम रूप देने और जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।

रेशम का उत्पादन

1232. **श्री पी.सी. गद्दीगउडर : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार रेशम उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रेशम उत्पादन हेतु प्रदान की गई धनराशि का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सेन्ट्रल सिल्क वर्म सीड कमिटी के अंतर्गत बीज के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त की गई उपलब्धियों का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ प्रदान की गई धनराशि का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में सिल्क वर्म सीड की मांग और उपलब्धता का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सिल्क वर्म सीड की मांग और उपलब्धता की तुलना में इसकी मांग अधिक है;

(छ) यदि हां, तो इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैं; और

(ज) इस संबंध में प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के लिए देश में कच्चे रेशम के राज्य-वार उत्पादन का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) देश में रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) सरकार की अग्रणी योजना है। पिछले तीन वर्षों अर्थात 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान भारत सरकार ने केंद्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से क्रमश: 48.44 करोड़ रु., 68.57 करोड़ रु. और 64.22 करोड़ रु. खर्च/जारी किये हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान सीडीपी के तहत खर्च/जारी की गई राशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) केंद्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2006 के तहत केंद्रीय रेशम कीट बीज समिति का गठन औपचारिक रूप से अभी किया जाना है। इस समिति का प्राथमिक कार्य देश में बीज उत्पादन की गुणवत्ता की मानिटरिंग करना होगा।

(घ) शहतूत क्षेत्र के तहत 10वीं योजना के दौरान बीज उत्पादन के लिए कोई अनन्य योजनाएं नहीं थी। तथापि, वन्य रेशम क्षेत्र के तहत, बीज गुणन अवंसरचना का उन्नयन, बीज रियअर्स को सहायता, निजी ग्रेनियरों को सहायता आदि जैसे योजनाओं के लिए निधियां जारी की गई थी। नीचे दी गई तालिका 10वीं योजना के पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों का ब्यौरा दर्शाती है।

10वीं योजना के अंतिम तीन वर्षों (2004-05 से 2006-07) के दौरान रेशम कीट बीज के उत्पादन में सुधार लाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उत्प्रेरक विकास योजना के तहत सीएसबी द्वारा प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है-

(लाख रु. में)

राज्य	2004-05	2005-06	2006-07	कुल
1	2	3	4	5
नागालैंड	15.95	22.57	9.52	48.04
छत्तीसगढ़	48.24	33.84	25.49	107.57
आंध्र प्रदेश	2.81	15.18	5.81	23.80
असम	130.80	121.39	52.63	304.82
उड़ीसा	0.74	55.78	32.98	89.50
पश्चिम बंगाल	8.96	9.53	3.22	21.71
मणिपुर	11.18	35.35	16.11	62.64
मिजोरम	7.00	14.45	18.03	39.48
उत्तर प्रदेश	5.13	2.49	—	7.62
मेघालय	8.93	24.98	21.53	55.44
महाराष्ट्र	—	0.79	0.19	0.98
अरुणाचल प्रदेश	—	19.29	2.05	21.34
झारखंड	—	72.00	129.31	201.31
बिहार	4.93	—	—	4.93
उत्तरांचल	3.30	—	—	3.30
सिक्किम	16.92	—	—	16.92
मिजोरम	11.34	—	—	11.34
मध्य प्रदेश	—	—	1.00	1.00
कुल	276.23	427.64	317.87	1,021.74

(ङ) और (च) रेशम कीट बीज की मांग बीज उत्पादन में शामिल एजेंसियों द्वारा पूर्ण रूप से पूरी की जाती है और कोई कमी नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में शहतूत और गैर शहतूत रेशम कीट बीज की उपलब्धता/उत्पादन नीचे दिया गया है-

वर्ष	शहतूत और वन्य रेशम कीट बीज उत्पादन (रोग मुक्त अंडे लाख में)
2004-05	2994.39
2005-06	2969.65
2006-07	3150.45

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार शहतूत और कच्ची रेशम का उत्पादन

(इकाई: मी.टन)

राज्य	2004-05					2005-06					2006-07(अनं)				
		वन्य रेशम					वन्य रेशम					वन्य रेशम			
	शहतूत	तसर	एरी	मूगा	कुल	शहतूत	तसर	एरी	मूगा	कुल	शहतूत	तसर	एरी	मूगा	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
आंध्र प्रदेश	5084	16	10	—	5110	5375	20	27	—	5422	5526	21	32.6	—	5580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
असम	9	—	554	104	667	8	—	745	104	857	11	—	750	107.2	868
अरुणाचल प्रदेश	नगण्य	—	4	0.1	4.1	1	नगण्य	10	0.24	11	0.3	नगण्य	5.6	1.37	7
बिहार	8	8	15	—	31	3	14	3	—	20	4	11	1.5	—	17
छत्तीसगढ़	2.3	120	1	—	123.3	3	90	2	—	95	4	104.5	3	—	112
गुजरात															
हिमाचल प्रदेश	12	—	—	—	12	16	—	—	—	16	14	—	—	—	14
हरियाणा	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
जम्मू और कश्मीर	90	—	—	—	90	95	—	—	—	95	102	—	—	—	102
झारखंड	नगण्य	91	1	—	92	1	96	नगण्य	—	97	1	120	0.23	—	122
कर्नाटक	7301.9	—	—	—	7301.9	7471	—	—	—	7471	8205	—	—	—	8205
केरल	8	—	—	—	8	12	—	—	—	12	13	—	—	—	13
मध्य प्रदेश	14	14	—	—	28	23	16	—	—	39	27	11.35	11	—	49
महाराष्ट्र	37	5	—	—	42	44	6	—	—	50	50	11.25	—	—	61
मणिपुर	54	3	431	0.1	488.1	48	3	235	0.06	286	69	1.3	374	0.18	444
मिजोरम	5	नगण्य	3	0.1	8.1	6	नगण्य	3.2	0.07	9	5	—	4.5	0.2	10
मेघालय	2.5	—	327	5.4	334.9	3	—	280	5.4	288	1	—	202	5.64	209
नागालैंड	0.5	0.2	98	0.1	98.8	1	नगण्य	130	0.18	131	1	0.1	115	0.18	116
उड़ीसा	2	33	1	—	36	2	21	2	—	25	2	34.89	4.3	—	41
पंजाब	4	—	—	—	4	4	—	—	—	4	4	—	—	—	4
राजस्थान	0.3	—	—	—	0.3	0	—	—	—	—	0.3	—	—	—	0
सिक्किम	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
तमिलनाडु	443	—	0.6	—	443.6	739	—	नगण्य	—	739	1125	—	—	—	1125
त्रिपुरा	4	—	—	—	4	4	—	—	—	4	3	—	—	—	3

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
उत्तर प्रदेश		9.5	2	—	—	11.5	19	3	0.5	—	23	23.5	—	3.2	—	30
उत्तरांचल		9	4	0.6	—	13.6	14	5	नगण्य	नगण्य	19	15	—	—	—	15
पश्चिम बंगाल		1520.09	26	2	0.2	1548.3	1552	34	4	0.2	1591	1598	21	8	0.22	1627
कुल		14620.09	322.2	1448.2	110	16500.5	15445	308	1442	110	17305	16805	340	1515	115	18775

एसएस: 10-08-2007 नगण्य = 50 कि.ग्रा. से कम अनं - अनंतिम

पिछले तीन वर्षों (2004-05 से 2006-07) के दौरान रोग मुक्त अंडे का उत्पादन व खरीद

वर्ष	स्रोत				
	राज्य	सीएसबी	एलएसपी	अन्य	कुल
2006-07 (अनं)	424.28	299.87	1290	839.45	2853.60
वितरण का %	14.9	10.5	45.2	29.4	100
2005-06	326.87	249.80	1220.56	828.25	2625.48
वितरण का %	12.4	9.5	46.5	31.5	100
2004-2005	337.02	239.16	1206.62	782.48	2565.28
वितरण का %	13.1	9.3	47.0	30.5	100

अन्य - राज्य/स्रोत से उत्पादन अनं - अनंतिम एसएस - 10-08-2007

विवरण-II

उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2004-05 से 2006-07 के दौरान राज्य-वार खर्च की गई/जारी की गई राशि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	खर्च की गई/जारी की गई राशि		
		2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	कर्नाटक	825.38	1212.43	1153.24
2.	तमिलनाडु	166.58	269.42	594.67
3.	जम्मू व कश्मीर	262.84	594.79	297.32
4.	आंध्र प्रदेश	1203.59	1658.04	1315.31
5.	पश्चिम बंगाल	112.63	133.97	154.45
6.	महाराष्ट्र	50.80	48.83	177.92
7.	मध्य प्रदेश	79.65	187.04	343.17

1	2	3	4	5
8.	उड़ीसा	24.32	154.49	133.26
9.	बिहार	88.99	161.79	14.88
10.	उत्तर प्रदेश	92.05	60.24	153.02
11.	केरल	106.32	34.32	23.94
12.	गुजरात	0.00	0.00	0.00
13.	पंजाब	0.39	0.00	17.25
14.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00
15.	हिमाचल प्रदेश	308.41	17.91	49.47
16.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00
17.	छत्तीसगढ़	156.35	128.55	154.69
18.	झारखंड	0.00	100.84	189.08
19.	उत्तरांचल	117.43	178.38	208.84
20.	सिक्किम	43.27	25.51	54.00
21.	असम	442.21	922.53	611.95
22.	अरुणाचल प्रदेश	88.63	54.19	61.58
23.	मणिपुर	67.24	80.25	62.89
24.	मेघालय	173.19	183.49	142.88
25.	मिजोरम	141.71	367.91	182.71
26.	नागालैंड	106.45	151.59	127.77
27.	त्रिपुरा	185.73	130.43	198.13
	कुल	4844.14	6856.94	6422.42

[हिन्दी]

जनजातीय कल्याण योजनाओं के लिए धनराशि का उपयोग

1233. **श्री रशीद मसूद** : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में उनके विकास के लिए बजट सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जनजातियों के कल्याण के लिए बजट प्रावधानों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वास्तव में कितना खर्च हुआ;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने जनजातियों के विकास के लिए प्रदान किये गए आबंटन का उपयोग नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है और इस बारे में समुचित दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय देश के जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। मंत्रालय की इन योजनाओं के तहत देश में कुल अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश की अनूसूचित जनजातीय जनसंख्या के आधार पर राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकारों को निधियां आबंटित की जाती हैं।

(ख) अपेक्षित ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान		वास्तविक खर्च
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	
2004-05	1146.00	1069.45	1053.06
2005-06	1498.82	1390.82	1391.95
2006-07	1656.90	1652.68	1648.14

(ग) से (ङ) मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए निर्मुक्त की गई निधियों का उपयोग स्वीकृति के 12 माह के अन्दर किया जाना अपेक्षित है। राज्यों द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता स्थिति से पता चलता है कि महाराष्ट्र सहित अधिकतर राज्यों ने विनिर्दिष्ट समय सीमा में निर्मुक्त राशि के 75% से अधिक राशि का उपयोग कर लिया है। मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त निधियों के उपयुक्त एवं शीघ्र उपयोग के लिए मंत्रालय ने राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों से यह पुन: कहा है, कि निधियों की आगे और निर्मुक्ति इस बात पर निर्भर करेगी कि निधियों का उपयोग निर्धारित समय सीमा के भीतर हो।

[अनुवाद]

आदिम जनजातियां

1234. श्री अबु अयीश मंडल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश के कुछेक भागों में आदिम जनजातियां विलुप्त हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विलुप्त हो रही आदिम जनजातियों को बचाये रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय को किसी राज्य सरकार/केन्द्रशासित क्षेत्र से आदिम जनजातीय समूहों (पी.टी.जी.) के विलुप्त होने के बारे में कोई औपचारिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) यह मंत्रालय आदिम जनजातीय समूह के समग्र विकास के लिए 1998-99 से "आदिम जनजातीय समूहों का विकास" नामक एक 100% केन्द्रीय क्षेत्र की योजना कार्यान्वित करता रहा है। यह एक अत्यंत लचीली योजना है। आदिम जनजातीय समूहों के अस्तित्व, संरक्षण एवं विकास से संबद्ध कोई भी गतिविधि/कार्य इस योजना के अंतर्गत किया जा सकता है। इन गतिविधियों/कार्यों में गृह निर्माण, भूमि वितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, मवेशी विकास, आय सृजनात्मक कार्यक्रम, स्वास्थ्य परिचर्या, अवसंरचना विकास, सामाजिक सुरक्षा आदि जैसे कार्यों का प्रावधान सम्मिलित हो सकता है। विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तावित वार्षिक गतिविधियों के आधार पर दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 105.03 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई। इसमें भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन श्री बीमा योजना के अंतर्गत पी.टी.जी. परिवारों के 4.09 लाख मुखियाओं का बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए 20.48 करोड़ रुपयों की निर्मुक्ति सम्मलित है। इसके अतिरिक्त 11वीं पंचवर्षीय योजना से पी.टी.जी. के विकास की योजना के अंतर्गत मंत्रालय ने छोटे गांवों/वास स्थलों को अपनाने की कार्रवाई की है।

[हिन्दी]

नक्सलियों की गतिविधियां

1235. श्री कीरेन रिजीजू :
श्री रूपचन्द मुर्मू :
श्री तूफानी सरोज :
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री संतोष गंगवार :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री जोयाकिम बखला :
श्री रनेन बर्मन :
श्री के.एस. राव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नक्सली विद्युतगृहों, सिंचाई परियोजनाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को अपना निशाना बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अर्ध सैनिक बलों विशेषकर सी.आर.पी.एफ. को विशेष शक्तियां दी गई हैं/दिए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दलित तथा समाज के कमजोर वर्ग नक्सलियों के प्रभाव में आ रहे है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस स्थिति का सामना करने के लिए अर्धसैनिक बलों को अत्याधुनिक हथियार देने तथा अद्यतन उपकरण एवं विधियां प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) नक्सलवादियों को कुछ सड़क एवं रेल संचार से संबंधित सरकारी इमारतों और आधारभूत संरचना को हाल ही के महीनों में कुछ मामलों में, विद्युत संचारण सुविधाओं को लक्ष्य बनाते हुए देखा गया है। ऐसी संभावनाओं को कम करने और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है।

(ग) और (घ) जी नहीं। राज्य पुलिस बलों की सहायता हेतु राज्यों में तैनात केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल संबंधित राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन कार्य करते हैं।

(ङ) और (च) नक्सलवादी केडरों और उनके समर्थकों की वर्ग-वार रूपरेखा के विशिष्ट ब्यौरे गृह मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं।

(छ) कानून और व्यवस्था राज्य के विषय हैं। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के प्रयासों और संसाधनों को समन्वित और पूरा करती है। अभी हाल में, राज्य पुलिस बलों की सहायता के लिए नक्सलवाद विरोधी ड्यूटियों पर केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की 33 बटालियनें तैनात की गई हैं। विभिन्न राज्यों द्वारा गठित किए जाने के लिए 29 इंडिया रिजर्व बटालियनें स्वीकृत की गई हैं। राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत आधुनिक हथियारों, नवीनतम संचार उपकरण, आवाजाही और अन्य सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति भी केन्द्रीय सरकार द्वारा की जा रही है। सुरक्षा बलों से राज्यों को सहायता उपकरण, प्रशिक्षण और बचाव अभियानों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। राज्य पुलिस बलों के प्रशिक्षण की आवश्यकता में सहायता केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के माध्यम से प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण

1236. डा. आर. सेनथिल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/अन्य एजेंसियों ने इस दलील का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है कि कम ग्रेड वाले व्यक्तियों को प्रवेश देने से संस्थाओं में शिक्षा स्तर प्रभावित होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सभी शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण और कोटे से जुड़े समस्त मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक निकाय का गठन करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ङ) ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है अथवा सरकार के ध्यान में लाया गया है। शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण और कोटे से संबंधित ऐसे मुद्दों का अध्ययन करने के लिए किसी निकाय का गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि सरकार का मानना है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक-शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के व्यक्ति मेरिट में पीछे नहीं है।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी योजना

1237. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंगनवाड़ी योजना के उद्देश्य क्या हैं और इसे किस तिथि को शुरू किया गया था तथा उन बच्चों की आयु सीमा कितनी है, जिनके लिए इसे शुरू किया गया था;

(ख) क्या उक्त योजना के उद्देश्य हासिल कर लिए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान समेकित बाल विकास योजना (आंगनवाड़ी) के अंतर्गत निर्धारित प्रति व्यक्ति व्यय और वास्तविक रूप में किये जा रहे प्रति व्यक्ति व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रति व्यक्ति खर्च की जा रही वर्तमान धनराशि एक बच्चे के संपूर्ण पोषण के लिए पर्याप्त है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस आवंटन में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए समेकित बाल विकास सेवा स्कीम वर्ष 1975 में शुरू की गई।

यह स्कीम लक्ष्यित वर्गों के बच्चों एवं महिलाओं की पोषाहारीय और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से शुरू की गई।

(ख) विभिन्न सर्वेक्षणों से यह पता चला है कि मृत्यु दरों और कुपोषण के स्तर में कमी लाने के क्षेत्र में यह स्कीम काफी कारगर रही है। प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली के अनुसार, शिशु मृत्यु दर वर्ष 1981 में 110 प्रति हजार जीवित जन्मों से कम होकर वर्ष 2004 में 58 प्रति हजार जीवित जन्म रह गई है। इसी प्रकार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर वर्ष 1983 में 161 प्रति हजार बच्चे से कम होकर वर्ष 2003 में 77 प्रति हजार बच्चे रह गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के वर्ष 1992-93 में प्रथम चक्र की तुलना में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III (2005-06) में 3 वर्ष से कम आयु के कुपोषित बच्चों के प्रतिशत में 6 प्रतिशत की कमी आई है।

(ग) इस स्कीम के अंतर्गत पूरक पोषण पर किए गए व्यय का आकलन प्रति लाभार्थी लागत के आधार पर किया जाता है।

लागत के मौजूदा मानक इस प्रकार हैं :

बच्चे	मानक
6 माह से 72 माह की आयु के बच्चे	2.00 रुपए प्रति बच्चा/प्रतिदिन
गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे (6 माह से 72 माह के आयु के बच्चे।	2.70 रुपए प्रति बच्चा/प्रतिदिन
गर्भवती महिलाएं एवं शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताएं/किशोरियां (किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत)	2.30 रुपए प्रति लाभार्थी/प्रतिदिन

पूरक पोषण हेतु किए गए वास्तविक व्यय के 50 प्रतिशत अथवा लागत मानकों के 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, तक की केन्द्रीय सहायता सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 में शुरू की गई।

(घ) राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, पूरक पोषण पर किया गया व्यय वर्ष 2005-06 हेतु 1.10 रुपए प्रति लाभार्थी और वर्ष 2006-07 हेतु 1.27 रुपए प्रति लाभार्थी था। इससे यह पता चलता है कि राज्य पूरक पोषण पर निर्धारित वित्तीय मानकों से कम राशि खर्च करते रहे हैं।

(ङ) से (छ) आबंटन में वृद्धि के प्रस्ताव पर, यदि कोई हो, मंत्रालय द्वारा आई.सी.डी.एस. स्कीम में सुधार के समय विचार किया जाएगा।

समुद्री तस्करी और आतंकवाद

1238. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तटीय क्षेत्रों में आतंकवादी घटनाओं, लूटपाट, डकैती और स्वापक औषधियों की तस्करी के कितने मामले हुए;

(ख) क्या तटीय क्षेत्रों पर नए सेंसर राडारों की स्थापना किए जाने और उक्त क्षेत्र की हवाई चौकसी किए जाने की आवश्यकता है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के साथ समन्वय करके भारतीय तट रक्षकों ने कुल 07 जब्तियां की थीं, भारतीय तट रक्षकों द्वारा 01 हथियार जब्त किया गया।

(ख) और (ग) 38 राडार स्टेशनों के रूप में भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के साथ-साथ स्टेटिक सेंसरों की एक श्रृंखला स्थापित

करने का प्रस्ताव, रक्षा मंत्रालय के विचाराधीन है। ये सेंसर, फोर्स मल्टीप्लायर होंगे और तट से 30 मील की दूरी तक तटवर्ती क्षेत्रों की निगरानी करेंगे।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में जीरो लाइन पर बाड़ लगाया जाना

1239. **चौधरी लाल सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जीरो लाइन के पीछे कुछेक किलोमीटर तक सीमा पर बाड़ लगाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने बाड़ लगाने के स्थल को आगे बढ़ाए जाने और इसे जीरो लाइन पर ही पुनः लगाए जाने का विवेकपूर्ण निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो इस कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त की गई एजेंसी का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसान सीमा की सुरक्षा करने वाले बलों द्वारा लगाए गए सुरक्षा प्रतिबंधों के कारण वर्तमान बाड़ क्षेत्र और जीरो लाइन के बीच पड़ी भूमि को नहीं जोत पा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो जीरो लाइन पर रहने वाले किसानों के बीच आशंका को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) से (ग) कतिपय रूकावटों के कारण शून्य रेखा (आई बी) से 400 मीटर से 1.5 कि.मी. की दूरी पर 185 कि.मी. में से केवल 38.015 कि.मी. बाड़ का निर्माण किया गया था। सरकार ने इस भाग को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के और निकट ले जाने का निर्णय लिया है और इस कार्य को करने के लिए सी पी डब्ल्यू डी को नियुक्त किया गया है।

(घ) और (ङ) सुरक्षा दृष्टिकोण से इसमें कुछ अवरोध हैं, तथापि, जिन किसानों की जमीन बाड़ के दूसरी तरफ है उन सभी किसानों को सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ) अपने खेत जोतने की अनुमति दे रहा है जिसके लिए स्थानीय लोगों के साथ परामर्श करके गेट खोलने और बंद करने का समय निश्चित किया जाता है।

अर्ध-सैनिक बलों में महिलाकर्मी

1240. **श्री ए.साई. प्रताप :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अर्ध-सैनिक बलों (पी.एम. एफ.) में महिलाकर्मियों की संख्या बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) सरकार की नीति, केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों में महिला कर्मियों की संख्या में वृद्धि उनकी तैनाती इत्यादि की बाधाओं को ध्यान में रखते हुए करने की है।

(ग) यह एक सतत प्रक्रिया है।

राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालय शिक्षा बोर्ड

1241. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने एक राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या संस्कृत विद्यालयों को सुचारू और सुदृढ़ बनाए जाने की नितांत आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने

देशभर में पारंपरिक संस्कृत 'पाठशालाओं' में पाठ्यचर्या तथा अध्यापन पद्धतियों को विनियमित करने हेतु राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालय शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया है।

(ग) और (घ) योजना आयोग ने इस आधार पर इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है कि मौजूदा संरचना जिसमें केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सार्वजनिक परीक्षा संचालन शामिल है, संस्कृत अध्ययन हेतु पर्याप्त है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान अपनी नियमित योजनाओं के जरिए देशभर में संस्कृत विद्यालयों को सुदृढ़ बनाता है। पाठ्यचर्याओं तथा परीक्षाओं को भी सरल एवं कारगर बनाने की आवश्यकता है और आशा है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय बोर्ड इस कार्य को पूरा करेगा।

शिक्षा में स्थानीय भागीदारी

1242. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसेवाओं में स्थानीय समुदायों की भागीदारी बेहतर विकास परिणाम हासिल करने में महत्वपूर्ण है; और

(ख) यदि हां, तो शिक्षा सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाए किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (वर्ष 1992 में यथासंशोधित) में यह प्रावधान है कि उपयुक्त निकायों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को स्कूल सुधार के कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी।

सर्व शिक्षा अभियान राज्यों और स्थानीय निकायों के साथ भागीदारी में एक समयबद्ध दृष्टिकोण के साथ प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वर्ष 2001-2002 में शुरू किया गया एक राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रम है। यह समुदाय की देख-रेख में गुणवत्ता शिक्षा के प्रावधान के जरिए सभी बच्चों (6 से 14 वर्ष आयु) की क्षमता में सुधार के लिए अवसर प्रदान करने का एक प्रयास भी है।

सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन की संरचना समुदाय को चरणबद्ध रूप से लामबंद बनाने और विकेन्द्रीकृत भागीदारी तथा पर्यवेक्षण का प्रभावी तंत्र तैयार करने को अधिकतम महत्व देती है। स्कूल से संबंधित मामलों के लिए निधियों की स्थापना और उनका प्रवाह ग्राम शिक्षा समितियों अथवा उनके समकक्ष निकायों के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल से संबंधित सभी व्ययों के लिए 50% से अधिक निधियों का प्रवाह समुदाय आधारित निकायों के माध्यम से किया जाता है। प्रारंभिक शिक्षा में स्कूल संबंधी कार्यों के मानीटरन, पर्यवेक्षण तथा निष्पादन तथा स्कूल प्रभाविता एवं स्कूल बाह्य बच्चों के नामांकन का मानीटरन करने हेतु उनकी भूमिका और कार्यों के प्रति समुदाय सदस्यों को उन्मुख और संवेदनशील बनाया जाता है। राज्यों, विशेषकर उन राज्यों जिनमें पंचायती राज संस्थाओं को ऐसे कार्य नहीं सौंपे गए हैं, के लिए जिला तथा उप-जिला स्तरों, में पंचायती राज संस्थाओं की सभी श्रेणियों में प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम पर विशिष्ट पर्यवेक्षण भूमिकाओं को दर्शाना आवश्यक बनाकर सर्व शिक्षा अभियान के मानीटरन और पर्यवेक्षण में पंचायतों की केंद्रीयता सुनिश्चित करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान की संरचना में संशोधन किए गए हैं।

गेहूं की कीमतों में वृद्धि

1243. **श्रीमती मिनाती सेन** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बाजार में गेहूं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री चकराम रमेश) : (क) और (ख) जी, हां। रूस, यूक्रेन, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और ई यू विश्व के प्रमुख गेहूं उत्पादक एवं निर्यातक देश हैं। इस वर्ष विश्व भर में गेहूं की कीमतों में उछाल दक्षिणी रूस तथा यूक्रेन में गर्म एवं शुष्क मौसम के फलस्वरूप पैदावार और उत्पादन की मात्रा कम करने के कारण आया है। यह अनुमान लगाया गया है कि इस वर्ष रूस से निर्यातयोग्य आपूर्तियों में लगभग 16 प्रतिशत और यूक्रेन से लगभग 55 प्रतिशत की कमी होगी। इसी प्रकार, अमेरिका में गेहूं की घटिया गुणवत्ता की सूचना मिली है। कनाडा में जौ, जई, कनोला तथा दुरूम गेहूं जैसी फसलों की बुवाई किए जाने के कारण गैर-दुरूम गेहूं के उत्पादन में कमी आ रही है। अन्य फसलों से प्रतिस्पर्धा और उर्वरकों की बढ़ी हुई लागत के कारण अर्जेंटीना में भी फसल में लगभग 7 प्रतिशत की गिरावट आई है।

(ग) और (घ) कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए भारत सरकार द्वारा फरवरी, 2006 से गेहूं का आयात किया जा रहा है। दिनांक 9 फरवरी, 2007 से निर्यातों पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार द्वारा देश के भीतर गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करने के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं।

सी आर एफ के मानदंडों में संशोधन

1244. डा. एम. जगन्नाथ :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री जसुभाई धनाभाई बारड़ :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :
श्री एम. शिवन्ना :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष सहित गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार को आपदा राहत के लिए कुल कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष और आपदा राहत कोष से आपदा राहत के लिए विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय सहायता के मानदंडों में सशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आपदा राहत के लिए केन्द्रीय सहायता बढ़ाए जाने हेतु निर्धारित मापदंड क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष को संपूर्ण स्वीकृत धनराशि जारी कर दी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस कोष को सूपर्ण स्वीकृत धनराशि जारी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के मानदंडों को कब तक संशोधित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती बी. राधिका सेल्वी) : (क) से (छ) वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान आपदा राहत निधि (सी आर एफ) से किया गया आबंटन और जारी निधियों और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन सी सी एफ) से जारी निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा क्रमश: विवरण-1 और विवरण-2 पर दिए गए हैं।

राज्यों से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात सी आर एफ के केन्द्रीय अंशदान को दो समान किश्तों में जारी किया जाता है- पहली को जून में और दूसरी को दिसम्बर में।

12वें वित्त आयोग के पंचाट के बाद सी आर एफ/एन सी सी एफ से सहायता की मदों और मानदंडों की समीक्षा करने और उनमें संशोधन करने की सिफारिश करने के लिए गृह मंत्रालय में एक विशेषज्ञ ग्रुप का गठन किया गया था। इस विशेषज्ञ ग्रुप में राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल थे। राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों से प्राप्त सुझावों/दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञ ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारत सरकार ने, विशेषज्ञ ग्रुप की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, पहचान की गई प्राकृतिक आपदाओं के होने पर सी आर एफ/एन सी सी एफ से सहायता के मानदडों में संशोधन किया है। सहायता की संशोधित मदों और मानदंडों को 27 जून, 2007 को अधिसूचित किया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान सीआरएफ के केन्द्रीय अंशदान का आबंटन और उसे जारी करना

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	2005-06		2006-07		2007-08	
		आबंटन	जारी की	आबंटन	जारी की	आबंटन	जारी की
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	258.06	258.06	270.96	335.48	284.51	219.99

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	21.23	21.23	21.84	21.84	22.48	11.24
3.	असम	144.79	72.40	148.97	221.37	153.36	76.68
4.	बिहार	111.69	55.85	114.92	55.85	118.31	174.07*
5.	छत्तीसगढ़	83.81	41.91	86.23	150.33	88.76	22.19
6.	गोवा	1.58	0.79	1.66	2.45	1.74	0.87
7.	गुजरात	184.50	184.50	193.73	246.87	203.41	48.57
8.	हरियाणा	93.28	83.95	97.95	107.28	102.85	51.43
9.	हिमाचल प्रदेश	75.52	75.52	77.70	77.70	79.99	40.00
10.	जम्मू और कश्मीर	64.84	64.84	66.72	66.72	68.68	34.34
11.	झारखंड	94.56	94.56	97.28	48.64	100.15	48.64
12.	कर्नाटक	86.00	86.00	90.28	113.98	94.81	71.11
13.	केरल	64.13	64.13	67.33	67.33	70.70	70.70
14.	मध्य प्रदेश	190.67	190.67	196.18	246.67	201.97	50.50
15.	महाराष्ट्र	167.18	167.18	175.54	220.00	184.31	47.70
16.	मणिपुर	4.17	—	4.29	—	4.42	10.67
17.	मेघालय	8.47	4.24	8.71	12.95	8.96	4.48
18.	मिजोरम	4.94	2.47	5.08	5.01	5.23	●
19.	नागालैंड	2.87	1.44	2.95	—	3.03	4.39
20.	उड़ीसा	226.16	226.16	232.68	291.34	239.53	61.11
21.	पंजाब	109.52	54.76	115.00	112.26	120.74	57.50
22.	राजस्थान	311.73	311.73	327.32	413.66	343.68	85.50
23.	सिक्किम	13.15	13.15	13.53	—	13.93	13.53

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	तमिलनाडु	156.81	78.41	164.65	243.06	172.88	@
25.	त्रिपुरा	9.64	—	9.92	14.6	10.21	10.07
26.	उत्तर प्रदेश	221.95	221.95	228.36	228.36	235.10	117.55
27.	उत्तराखंड	71.02	71.02	72.44	36.22	73.93	36.22
28.	पश्चिम बंगाल	176.05	176.05	181.12	181.12	186.47	93.24
	कुल	2958.32	2622.94	3073.34	3521.06	3194.14	1287.31

@सी आर एफ के केन्द्रीय अंशदान की पहली किस्त को पहले से जारी धनराशियों को जमा करने और उपयोग प्रमाण-पत्र संबंधी सूचना के न होने पर जारी नहीं किया गया है।

*इसमें वर्ष 2006-07 के लिए 114.42 करोड़ रु. के केन्द्रीय अंशदान को जारी करना भी शामिल है।

विवरण-II

वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान एन.सी.सी.एफ. से सहायता को जारी करना

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	जारी की गई सहायता		
		2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	100.00	203.06	17.8
2.	अरुणाचल प्रदेश	68.44	44.38	—
3.	असम	—	—	—
4.	बिहार	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—
6.	गोवा	—	—	—
7.	गुजरात	304.31	545.69	—
8.	हरियाणा	—	—	—
9.	हिमाचल प्रदेश	112.97	25.14	—
10.	जम्मू और कश्मीर	309.77	—	13.51
11.	झारखंड	—	—	—
12.	कर्नाटक	358.85	384.97	—
13.	केरल	17.94	—	50
14.	मध्य प्रदेश	—	30.85	—
15.	महाराष्ट्र	657.25	589.90	168.92
16.	मणिपुर	—	—	—
17.	मेघालय	—	—	—
18.	मिजोरम	—	—	—
19.	नागालैंड	—	0.81	—

1	2	3	4	5
20.	उड़ीसा	–	25.00	–
21.	पंजाब	–	–	–
22.	राजस्थान	–	100.00	–
23.	सिक्किम	–	5.20	–
24.	तमिलनाडु	1131.91	–	–
25.	त्रिपुरा	–	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	–	–	–
27.	उत्तराखंड	–	7.06	–
28.	पश्चिम बंगाल	–	–	–
	कुल	3061.44	1962.05	250.23

[हिन्दी]

वस्त्र निर्यात

1245. श्री तूफानी सरोज :
श्री गणेश सिंह :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में देशवार कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का वस्त्र और तैयार परिधान निर्यात किया गया;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान देश में इनके निर्यात में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने ग्यारहवीं योजना में इनके निर्यात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) से (ग) भारत से वस्त्र मदों का निर्यात 100 से ज्यादा देशों को किया जाता है। शीर्ष बीस देशों को वर्ष-वार एवं मूल्य-वार-वस्त्र निर्यात को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। वस्त्र निर्यात वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शा रहा है।

(घ) और (ङ) 11वीं योजना के दौरान वस्त्र और अपैरल के निर्यातों के अनुमान संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) सरकार निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक कदम उठा रही है। इस संबंध में की गई कुछ प्रमुख पहले निम्नलिखित हैं:-

(i) स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

(ii) सरकार ने सिलेसिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है।

(iii) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू कर दी गई है।

(iv) वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र के उत्पादन आधार के विस्तार के उद्देश्य से "निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना" तथा "वस्त्र केंद्र अवसंरचना विकास योजना" का विलय कर "एकीकृत वस्त्र पार्क योजना" नामक एक नई योजना शुरू की गई है।

(v) वित्तीय शुल्क ढांचा सामान्यत: देश के भीतर विकास एवं अधिकतम मूल्य संवर्धन की स्थिति प्राप्त करने के लिए युक्तिसंगत बना दिया गया है। मानवनिर्मित फिलामेंट यार्न तथा मानवनिर्मित स्टेपल फाइबर पर पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर समग्र मूल्य वर्धन श्रृंखला को उत्पाद शुल्क की छूट का एक विकल्प दिया गया है।

(vi) निवेश प्रोत्साहित करने के लिए तथा वैश्विक बाजार में हमार वस्त्र उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विनिर्दिष्ट वस्त्र एवं परिधान संबंधी मशीनों की मदों के आयात पर सीमाशुल्क की रिआयती दर की अनुमति दी गई है। वित्तीय नीति संबंधी उपायों के माध्यम से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है।

(vii) परिधान निर्यातकों को ट्रिमिंग एवं अलंकरण मदों की 21 मदों का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति दी गई है। यह उनके पिछले वर्ष के दौरान वास्तविक निर्यात निष्पादन के 3% तक हो सकता है।

(viii) वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने 20.4.05 से मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा टीयूएफएस के अधीन 10% की दर पर ऋण संबद्ध पूंजी सहायता योजना शुरू की है।

(ix) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) और अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केंद्र (ए टी डी सी) डिजायन, व्यापार और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग, विशेषकर अपैरल की कुशल कारीगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम चला रहे हैं।

(x) पारि-परीक्षण प्रयोगशालाओं जैसी सुविधाएं तैयार की गई हैं ताकि निर्यातक आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप परिधानों/वस्त्रों का पूर्व-परीक्षण करवा सकें।

विवरण-I

शीर्ष 20 देशों को वर्ष-वार और मूल्य-वार वस्त्र निर्यात

(मिलियन अमरीकी डॉलर में)

क्र. सं.	देश	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007 अप्रैल-दिसम्बर
1	2	3	4	5	6
1.	यूएसए	2932	3464	4747	3475
2.	यूके	923	1058	1374	1005
3.	संयुक्त अरब अमीरात	1121	1126	1001	810
4.	जर्मन संघ गणराज्य	829	828	1145	804
5.	इटली	538	667	817	646
6.	फ्रांस	590	657	826	597
7.	चीन लोक गणराज्य	143	123	546	453
8.	स्पेन	335	406	585	392
9.	नीदरलैंड	292	283	393	330
10.	सऊदी अरब	321	336	361	299
11.	कनाडा	351	370	410	298

1	2	3	4	5	6
12.	बेल्जियम	216	245	298	266
13.	बंगलादेश	270	280	384	251
14.	तुर्की	218	237	270	247
15.	जापान	245	232	276	208
16.	कोरिया गणराज्य	250	196	253	189
17.	श्रीलंका	182	170	220	160
18.	डेनमार्क	123	144	228	158
19.	मिस्र	122	139	178	158
20.	हांगकांग	178	147	174	116
21.	अन्य देश	3339	3238	3396	2970
	कुल योग	13518	14346	17882	13832

विवरण-II

11वीं योजना के दौरान वस्त्र और अपैरल का अनुमानित निर्यात

(मिलियन अम. डॉलर में)

क्र.सं.	मद	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	सिले-सिलाए परिधान	17355	23593	31697	34025
2.	सूत्री वस्त्र	7573	9185	10982	11328
3.	मानव निर्मित वस्त्र	3012	3524	4123	4823
4.	ऊनी व ऊनी वस्त्र	124	141	160	182
5.	रेशम वस्त्र	542	590	643	701
	कुल	28606	37033	47605	51059

1	2	3	4	5	6
6.	हस्तशिल्प	1917	2224	2580	2993
7.	कयर व कयर विनिर्माण	234	276	326	384
8.	पटसन	417	484	561	651
	कुल योग	31174	40017	51072	55087

विद्यालय पाठ्यक्रम में वित्तीय जानकारी

1246. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्यालय पाठ्यक्रम में वित्तीय और निवेशक एवं पूंजी बाजार संबंधी जानकारी शामिल करने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका प्रयोजन क्या है; और

(ग) उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) वित्तीय जानकारी के कुछ घटक केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कक्षा-10 के समाज विज्ञान के पाठ्यक्रम में तथा इसके कक्षा-11 तथा 12 के अर्थशास्त्र तथा व्यापार अध्ययन के पाठ्यक्रम में भी समाकलित हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने +2 स्तर पर फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमैंट को एक ऐच्छिक विषय के रूप में शुरू किया है। यह पाठ्यक्रम व्यापक रूप से निवेशक तथा पूंजी बाजार संबंधी जानकारी से संबंधित है। इसका मूल उद्देश्य वित्त मामलों का प्रबन्धन करने के लिए छात्रों को जानकारी और कौशल से सज्जित करना है।

[अनुवाद]

वस्त्र उद्यान

1247. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन :**
श्री सुबाष सुरेशचंद्र देशमुख :
श्री भर्तृहरि महताब :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित किए गए और किए जाने वाले वस्त्र उद्यानों का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन उद्यानों में राज्यवार और संघ क्षेत्र-वार कितने लोगों को रोजगार दिया गया है;

(ग) इन उद्यानों में राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितना वार्षिक उत्पादन हुआ;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन उद्यानों की स्थापना के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) से (ग) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) के तहत 30 वस्त्र पार्क परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। इन परियोजनाओं में 5.70 लाख लोगों के लिए रोजगार (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष) सृजन और 23674 करोड़ रु. (लगभग) का वार्षिक वस्त्र उत्पादन करने की परिकल्पना की गई है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार सूचना इस प्रकार है-

राज्य	10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित रोजगार सृजन		अनुमानित वार्षिक वस्त्र उत्पादन (करोड़ रु. में)
		प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	
आंध्र प्रदेश	04	85900	135000	7825
गुजरात	07	47350	82400	5574
कर्नाटक	01	2000	2000	350
महाराष्ट्र	06	24095	33795	2112
पंजाब	01	2400	2950	1740
राजस्थान	04	18950	32000	2700
तमिलनाडु	06	20000	35500	3193
पश्चिम बंगाल	01	11600	34800	180
कुल	30	212295	358445	23674

(घ) और (ङ) एसआईटीपी के तहत वस्त्र पार्कों के प्रमुख प्रवर्तक उद्योग संघ/उद्यमी समूह हैं। वस्त्र पार्क परियोजनाएं स्वीकृत करने के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्न क्षेत्रों से अनुरोध प्राप्त हुए थे। 30 परियोजना प्रस्तावों, जो योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार थे, और जिन्हें संभावित रूप से अर्थक्षम समझा गया, को 10वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य के अनुसार स्वीकृत किया गया, अर्थात् 2005-06 में 9 और 2006-07 में 21। ग्यारहवीं पँचवर्षीय योजना के लिए प्रस्ताव में और अधिक वस्त्र पार्क परियोजनाओं के विकास को शामिल किया गया है।

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम

1248. श्री अनवर हुसैन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक 150 वर्ष मना कर स्वतंत्रता संग्राम में पूर्वोत्तर के योगदान को शामिल करने तथा लोकप्रिय बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ डी.ए.वी.पी. को आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए असम के अमर देशभक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाने की सांग एण्ड ड्रामा डिवीजन की योजनाएं हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की 150वीं वर्षगांठ को समुचित तरीके से मनाने के लिए कार्यक्रम व कार्यकलाप तैयार करने की बाबत माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति और माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति गठित की है। दिनांक 11 मई, 2007 को उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया था। संस्कृति मंत्री द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आयोजन कार्यक्रम परिचालित

किया गया। यह आयोजन कार्यक्रम अभिप्रेरणात्मक है और राज्य सरकारें अन्य कार्यक्रम भी शुरू करने के लिए प्रोत्साहित हैं जिनमें इस क्षेत्र में घटित हो गई घटनाओं पर विशेष बल दिया जाएगा।

(ग) प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 के 150 वें वर्ष के स्मरणोत्सव कार्यक्रम के भाग के रूप में सरकार सचल रेलगाड़ी में एक प्रदर्शनी परियोजना को कार्यान्वित कर रही है जिसका कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी डी ए वी पी है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 14.84 करोड़ रु. है जिसमें सभी सहयोगी मंत्रालय/संगठन शामिल हैं।

(घ) से (च) गीत एवं नाटक प्रभाग के गुवाहाटी क्षेत्रीय केन्द्र ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 150वें वर्ष पर नए कार्यक्रम पैकेज तैयार किए हैं। उपर्युक्त विषय पर नव-विकसित पैकेज के साथ बाईस पंजीकृत सांस्कृतिक मंडलियां और दो विभागीय/पैनलबद्ध मंडलियां प्रतिनियुक्त की गई। अभी तक नेहरू युवा केन्द्र तथा असम एवं मणिपुर के संबंधित जिलों के जिला प्रशासनों के समन्वयन से 130 कार्यक्रम पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

मसालों का निर्यात

1249. श्री राजनरायन बुधौलिया :
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :
श्रीमती के. रानी :
श्री एम. शिवन्ना :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आज की तारीख तक प्रसंस्कृत मसालों सहित विभिन्न प्रकार के मसालों की कुल कितनी मात्रा का मद-वार तथा देश-वार निर्यात किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) सरकार द्वारा मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) निर्यात किए गए प्रसंस्कृत मसालों समेत मसालों की विभिन्न मदों की कुल मात्रा एवं उनसे मद वार अर्जित विदेशी मुद्रा के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान देशवार निर्यात के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(ख) मसालों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

1. उच्च मूल्यवर्द्धन हेतु प्रौद्योगिकी का उन्नयन और उभरते हुए वैश्विक खाद्य सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए क्षमताओं का विकास करना।

2. प्रसंस्करण की हाइटेक प्रौद्योगिकियों जैसे क्रायो-ग्राइंडिंग स्टीम विसंक्रमण, सुपर फ्लूइड एक्सट्रेक्शन और पैकेजिंग की उन्नत प्रणाली को अपनाना।

3. मसालों में अन्य चीजों के साथ-साथ कीटनाशी अवशिष्टों, अफ्लाटोक्सीन, भौतिक, रासायनिक और सूक्ष्म जैविक संदूषकों तथा उनके रासायनिक संघटन की जांच हेतु निर्यातकों की इन हाउस प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए सहायता देना।

4. आईएसओ, एचएसीसीपी, एसक्यूएफ 2000, जैविक प्रमाणन आदि के अंतर्गत मान्यता के लिए गुणवत्ता प्रमाणन प्रक्रियाओं को अपनाना।

5. मसालों और मसाला उत्पादों हेतु ब्रांडेड उपभोक्ता पैकों के लिए अभिनव पैकेजिंग का विकास करना और बारकोड अपनाना।

6. विदेशी बाजारों में वितरण हेतु मसालों एवं मसाला उत्पादों संबंधी संवर्धनात्मक पुस्तिकाओं/फोल्डरों को छपवाने के लिए सहायता प्रदान करना।

7. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, बैठकों आदि में भागीदारी हेतु निर्यातकों को प्रोत्साहित करना और सहायता प्रदान करके विदेशी खरीददारों के साथ व्यक्तिगत संपर्क और संबंध बनाने के लिए व्यावसायिक दौरे करना।

8. विदेशों में व्यावसायिक नमूने भेजने के लिए सहायता प्रदान करना।

9. मार्च, 2005 से ब्रांडेड भारतीय मसालों की प्रीमियम श्रेणी अर्थात 'फ्लेवरिट' की विश्वभर में सीधी बिक्री को बढ़ावा देना।

10. मसाला निर्यातकों के बीच उत्तम विनिर्माण प्रक्रियाओं/

स्वास्थ्यवर्धक प्रक्रियाओं/ब्रांडेड उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए मसाला गृह प्रमाण-पत्रों और भारतीय मसाला लोगों प्रदान करना।

11. निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान करके जैविक मसालों के निर्यात का संवर्धन करना।

(क) जैविक मसालों का उत्पादन

(ख) जैविक निविष्टियों का उत्पादन

(ग) जैव-नियंत्रक एजेंटों का उत्पादन

(घ) फार्मों एवं प्रसंस्करण इकाइयों का प्रमाणन

12. गुणवत्ता सुधार

(क) गुणवत्ता/खाद्य सुरक्षा मानकों का सुमेलीकरण

(ख) इन हाउस प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु सहायता

(ग) गुणवत्तायुक्त मूल्यांकन प्रयोगशाला की विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए नमूना जांच वैधीकरण कार्यक्रम।

मसाला बोर्ड नये बाजारों का पता लगाने के लिए व्यावसायिक शिष्टमंडल भेजने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी के जरिए भारतीय मसालों का प्रजातीय संवर्धन भी करता है।

विवरण-I

भारत से मसालों का मदवार निर्यात

(मात्रा टन में और मूल्य लाख रुपए में)

मद	2004-05		2005-06		2006-07 (अनु.)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
काली मिर्च	14,148	12171.08	17,363	15094.81	28,750	30620.00
इलायची (छोटी)	642	2362.40	863	2682.13	650	2236.00
इलायची (बड़ी)	954	1129.86	1,046	1154.65	1,500	1690.00
मिर्च	138,073	49902.92	113,174	40300.51	148,500	80775.00
अदरक	13,890	5985.81	9,411	4295.52	7,500	3975.00
हल्दी	43,097	15624.95	46,405	15286.02	51,500	16480.00
धनिया	33,582	8208.94	23,756	6770.73	20,500	7462.00
जीरा	15,767	11529.21	12,879	9819.07	26,000	20150.00
अजमोदा	4,297	1449.51	4,165	1500.64	3,550	1320.50
मुगरैल	7,590	2749.86	5,725	2782.33	3,575	2380.00

1	2	3	4	5	6	7
मेथी	14,635	2747.73	15,525	3402.87	8,500	2698.50
अन्य बीज (1)	16,576	4018.66	12,670	3321.99	8,000	2240.00
लहसुन	2,929	736.37	34,688	4798.38	11,500	2127.50
इमली	5,944	1833.98	14,101	3078.20	10,200	3000.00
जायफल और जावित्री	1,260	2323.81	1,530	3117.21	2,100	4273.50
वनीला	43	2875.88	72	1226.80	125	1995.50
अन्य मसाले (2)	9,707	5554.25	7,033	4414.57	9,300	4280.00
करी पाउडर	8,415	6697.15	9,340	7838.03	9,500	8692.50
पुदीना उत्पाद (3)	11,143	50218.70	14,544	81320.66	16,250	110095.00
तेल एवं आलियोरेजिन्स	5,831	46930.81	6,074	50557.34	6,250	51079.00
कुल	348,524	235051.87	350,363	262762.45	373,750	357575.00
मूल्य मिलियन अम.डॉ. में		524.15		592.90		792.95

(1) इसमें अजवायन, सोआ बीज, खसखस, सौंफ, सरसों आदि शामिल हैं।

(2) इसमें हींग, दालचीनी, तेजपत्ता, कम्बोज, केसर, मसाले (एनईएस) आदि शामिल है।

(3) इसमें मेंथोल, मैंथोल क्रिस्टल्स और पुदीने के तेल शामिल है।

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस, कोलकाता/पोतलदान बिल/निर्यातकों की विवरणियां।

मद	अप्रैल-जून 2007 (*)		
	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख रुपये)	मूल्य (मिलि.अम.डा.)
1	2	3	4
काली मिर्च	7,000	9,725.50	23.69
इलायची (छोटी)	115	398.00	0.96
इलायची (बड़ी)	325	372.00	0.89
मिर्च	52,000	28,850.00	69.74
अदरक	2,500	890.00	2.15
हल्दी	14,750	4,473.75	10.88
धनिया	6,100	2,248.25	5.46
जीरा	4,000	4,090.00	9.93
अजमोदा	650	237.50	0.57

1	2	3	4
सौंफ	2,100	1,199.00	2.91
मेंथी	4,580	1,262.50	3.06
अन्य बीज (1)	1,700	513.75	1.25
लहसुन	185	94.00	0.23
जायफल एवं जावित्री	300	661.50	1.61
वनीला	45	399.75	0.97
अन्य मसाले (2)	7,000	2,379.25	5.77
करी पाउडर/पेस्ट	2,625	2,417.00	5.87
पुदीना उत्पाद (3)	3,600	23,777.50	57.66
मसाला तेल और ओलियोरेजिन्स	1,575	12,740.75	30.92
ग्वअंस	111,420	96730.00	234.53

विवरण–II

भारत से मसालों का देशवार कुल निर्यात

देश	2004-05		2005-06		2006-07(अ)	
	मात्रा (मी.टन)	मूल्य (लाख रुपये)	मात्रा (मी.टन)	मूल्य (लाख रुपये)	मात्रा (मी.टन)	मूल्य (लाख रुपये)
1	2	3	4	5	6	7
यू.एस.ए.	42402.4	50000.3	43243.7	58231.8	46935.1	73998.5
मलेशिया	40355.1	14849.7	43173.0	14835.9	58545.1	30787.6
चीन	3526.0	12481.0	4926.9	22499.7	4463.2	20782.2
जर्मनी	5252.4	12847.3	6101.6	16278.6	5988.5	19439.9
बंगलादेश	36489.6	9992.2	34094.7	4508.4	42159.5	17999.4
यू.के.	15391.1	13459.7	17737.3	15377.2	16770.1	16491.0
यू.ए.ई.	23933.3	8967.8	27234.3	10041.6	31101.0	13136.2
श्रीलंका	36878.9	9490.2	33319.9	8463.8	27725.4	12770.5
जापान	7026.2	11939.7	8382.6	12947.4	6065.2	10981.8
सिंगापुर	6796.2	7235.7	5983.9	10731.9	6699.0	10369.7
नीदरलैंड	4694.8	4674.1	4492.1	4604.0	4872.5	7575.8

1	2	3	4	5	6	7
सऊदी अरब	10715.2	5788.0	8885.2	5646.4	7264.4	5872.8
नेपाल	22654.9	6206.1	16778.0	5044.4	13643.3	5655.4
इंडोनेशिया	5548.0	2585.3	6264.8	3739.0	7380.6	5145.0
ब्राजील	2010.4	2875.6	1364.3	3413.2	1868.0	4841.2
बेल्जियम	1867.9	2017.7	2172.2	3244.3	2344.0	4817.9
फ्रांस	2945.9	5865.0	2947.5	7701.4	2711.5	4802.5
वियतनाम	127.3	348.2	338.0	591.4	5694.0	4672.6
दक्षिण अफ्रीका	7262.5	3611.9	8853.8	4474.5	6889.1	4592.5
कनाडा	4218.6	4128.8	4604.6	4376.4	4086.3	4377.1
पराग्वे	299.8	949.2	148.3	402.8	789.6	4327.6
आस्ट्रेलिया	3041.2	2800.7	3247.3	3220.2	3743.3	4279.6
हांगकांग	1186.1	1927.0	1240.0	2801.7	1272.1	3662.6
मेक्सिको	3807.4	3019.4	4000.7	3557.4	2664.2	3170.9
स्पेन	1940.5	4842.6	1524.2	3436.6	2035.4	2635.8
कोरिया (दक्षिण)	687.7	2591.7	1075.4	2599.9	697.2	2500.9
इटली	2664.9	1903.7	2465.5	1808.9	2155.7	2219.9
पाकिस्तान	18211.4	4651.1	16115.9	3961.6	4384.7	2206.1
थाईलैंड	455.4	1129.1	732.1	1808.6	1172.8	2088.2
मिस्र (ए आर ई)	7462.7	2231.8	5874.6	1806.5	4585.7	2032.7
रूस	2674.7	1235.9	2463.2	1150.9	3500.5	1946.6
फिलीपीन्स	599.8	1068.8	1164.6	1118.1	1719.9	1648.3
ईरान	903.9	322.0	1492.2	444.9	6250.4	1602.3
कुवैत	2100.5	1187.5	2287.1	1222.5	2168.1	1411.5

1	2	3	4	5	6	7
डेनमार्क	318.8	1058.9	683.1	893.4	419.2	1381.9
ताईवान	990.7	1282.7	694.5	932.1	850.5	1378.9
इजराइल	1677.0	1137.4	1486.7	937.2	1870.5	1308.5
स्वीडन	843.9	836.3	903.8	995.6	790.5	967.0
वाई ए आर	3298.7	819.1	4281.0	963.1	2621.7	897.9
बहरीन	1061.4	631.6	1444.3	709.4	1462.6	833.1
ओमान	607.2	503.0	1090.4	502.9	940.4	800.2
पोलैंड	241.3	312.0	595.3	589.5	545.8	708.6
तुर्की	440.5	438.0	559.0	545.2	505.0	637.3
कतर	943.3	393.8	972.2	432.1	1095.7	617.7
सीरिया	1109.0	382.1	1620.8	456.5	1756.2	595.2
अन्य	10862.6	8032.2	11302.7	8713.3	20746.7	32606.6
कुल	348524.2	235051.9	350363.2	262762.5	373750.0	357575.0

आंगनवाड़ी केन्द्र

1250. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :** क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ आंगनवाड़ी केन्द्रों में अनियमितताओं के मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संस्वीकृत तथा कार्य कर रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या में काफी भिन्नता है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या है;

(ङ) क्या विभिन्न राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की काफी कमी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने आंगनवाड़ी केन्द्रों के प्रचालन में परिवर्तन लाने के लिए एक नीति बनाई है; और

(ज) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ग) 31.3.2007 तक की स्थिति के अनुसार 10.53 लाख

संस्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 8.45 लाख आंगनवाड़ी केन्द्र प्रचालित हैं।

(घ) सी.पी.एम./पर्ट चार्ट के आधार पर मंत्रालय द्वारा कराए गए अध्ययन के अनुसार, किसी भी आंगनवाड़ी केन्द्र को प्रचालित करने में उस केन्द्र की संस्वीकृति की तारीख से 12 माह का समय लगता है। किन्तु बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी केन्द्र प्रचालित न हो पाने के कारण अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं। इन कारणों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं की भर्ती में देरी, न्यायालयों में मामलों का लम्बित रहना इत्यादि शामिल हैं।

(ङ) और (च) संस्वीकृत, कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा उनके रिक्त पदों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(छ) और (ज) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ आई.सी.डी.एस. स्कीम के कार्यान्वयन का निरन्तर मानीटरन एवं समीक्षा कर रहा है और उनसे कह रहा है कि वे संस्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों के यथाशीघ्र प्रचालन हेतु सभी आवश्यक प्रशासनिक उपाय करें।

विवरण

संस्वीकृत, कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा उनके रिक्त पदों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों					
		31.3.2005 तक संस्वीकृत	वर्ष 2005-06 के दौरान संस्वीकृत	वर्ष 2006-07 के दौरान संस्वीकृत	31.03.07 तक कुल संस्वीकृत	भरे हुए पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	56539	9562	7843	73944	60173	5928
2.	अरुणाचल प्रदेश	2359	678	1240	4277	3037	0
3.	असम	25416	6659	5007	37082	24443	7632
4.	बिहार	60813	19715	560	81088	60041	20487
5.	छत्तीसगढ़	20289	9148	5500	34937	25976	3461
6.	गोवा	1012	0	100	1112	1010	2
7.	गुजरात	37961	3523	2695	44179	35837	5647
8.	हरियाणा	13546	2813	833	17192	16328	31
9.	हिमाचल प्रदेश	7354	10894	0	18248	7031	11217
10.	जम्मू और कश्मीर	18772	0	6711	25483	16409	2363

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	झारखंड	24171	6683	1243	32097	22257	8597
12.	कर्नाटक	40301	11313	2646	54260	45275	6339
13.	केरल	25393	3258	3464	32115	27935	716
14.	मध्य प्रदेश	49787	9537	9914	69238	52667	6657
15.	महाराष्ट्र	62126	12864	9877	84867	72395	2595
16.	मणिपुर	4501	0	3120	7621	4495	6
17.	मेघालय	2218	961	209	3388	3162	17
18.	मिजोरम	1361	231	90	1682	1592	0
19.	नागालैंड	2770	265	159	3194	2687	348
20.	उड़ीसा	34201	3279	4217	41697	35139	2341
21.	पंजाब	14730	2691	2748	20169	14615	2806
22.	राजस्थान	35821	11041	1510	48372	42634	4228
23.	सिक्किम	500	488	0	988	805	183
24.	तमिलनाडु	42677	3049	1539	47265	43946	1780
25.	त्रिपुरा	3874	2220	1257	7351	5854	240
26.	उत्तर प्रदेश	106059	31498	13170	150727	122341	15216
27.	उत्तरांचल	6658	1134	1872	9664	7653	139
28.	पश्चिम बंगाल	57540	17100	17512	92152	52714	21926
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	527	94	51	672	621	0
30.	चंडीगढ़	300	29	41	370	329	0
31.	दिल्ली	3902	526	1678	6106	4425	3

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	दादरा व नगर हवेली	138	77	4	219	138	77
33.	दमन व दीव	87	10	10	107	91	6
34.	लक्षद्वीप	74	0	13	87	74	0
35.	पांडिचेरी	677	11	0	688	688	0
	कुल	764454	181351	106833	1052638	814817	130988

संविधान में संशोधन करने के लिए एन.एच.आर.सी. की सिफारिश

1251. **श्री हेमलाल मुर्मू** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) ने भ्रष्टाचार को मिटाने तथा भ्रष्टाचार-रोधी आयोग का गठन करने के लिए संविधान में संशोधन करने के संबंध में सरकार को सिफारिश करने का निर्णय लिया है जैसाकि दिनांक 4 जून, 2007 के "जनसत्ता" में समाचार प्रकाशित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार को ऐसी सिफारिशें कब तक भेजे जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) ने नई दिल्ली में 9-10 मई, 2006 को सुशासन पर भ्रष्टाचार के प्रभावों के बारे में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया और अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया। उनमें से एक सिफारिश संविधान में संशोधन करके एक नया खंड अनुच्छेद 51क में जोड़े जाने से संबंधित है जो मौलिक कर्तव्यों के संबंध में है और जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं होना चाहिए। तथापि, भ्रष्टाचार विरोधी आयोग के गठन के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की गई है। एन.एच.आर.सी. ने उक्त सम्मेलन की सिफारिशों की एक प्रति विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को भेज दी है।

राष्ट्रीय तथा राज्य बाल आयोग

1252. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख** : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय बाल आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी राज्यों में राज्य बाल आयोग गठित किए गए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(च) क्या सरकार ने सभी राज्यों में राज्य बाल आयोग का गठन करने के लिए कोई कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग गठित किया है, जिसने 5 मार्च, 2007 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। अध्यक्ष और दो सदस्य नियुक्त कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) अब तक, केवल गोवा ने राज्य बालक आयोग का गठन किया है।

(ङ) अधिकांश राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि उनके यहां राज्य आयोगों के गठन की प्रक्रिया चल रही है।

(च) और (छ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय समय-समय पर राज्यों/संघ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लिखता रहा है कि वे अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राज्य बालक आयोग का गठन करें।

[अनुवाद]

विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश

1253. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चीन, ताईवान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश आदि की कंपनियों द्वारा किए गए निवेशों की समय-समय पर समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में विदेशी निवेश की संवीक्षा करने के लिए प्राधिकृत ऐजेन्सी का नाम क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (घ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर प्रवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का हस्तांतरण अथवा निर्गम) विनियम, 2000 में सम्मिलित है। ये विनियम उन देशों को दर्शाते हैं जहां से निवेश की अनुमति नहीं है। चीन, ताईवान से निवेश संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि, फेमा के तहत बनाये गये विनियमों में पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के व्यक्तियों अथवा सम्मिलित सत्ताओं से एफडीआई निषेध है। फेमा, 1999 की धारा 13 में अधिनियम अथवा नियमावली/विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए निर्णयादेश के बाद दण्ड लगाने के लिए व्यवस्था है।

अमरीका और ब्रिटेन में डीडी-इंडिया चैनल

1254. **श्री पी.एस. गढ़वी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने अमरीका, ब्रिटेन तथा मध्य पूर्व में डीडी-इंडिया चैनल के प्रभाव तथा पहुंच संबंधी अध्ययन करने के लिए एक निविदा आमंत्रित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरदर्शन ने डीडी-इंडिया को निवेश में तथा मध्य पूर्व में बढ़ावा देने के लिए अध्ययन करवाने हेतु कंपनियों का चयन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अमरीका और ब्रिटेन में दूरदर्शन के डीडी-इंडिया चैनल के प्रभाव तथा पहुंच संबंधी अध्ययन करने के प्रस्ताव पत्र में अमरीका और ब्रिटेन को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन ने अमरीका, ब्रिटेन और मध्य-पूर्व में अपने डीडी-इंडिया चैनल की पहुंच एवं प्रभाव के बारे में अध्ययन कराने के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं। इस कार्य में निहित उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए इस अध्ययन को प्रारंभ में केवल मध्य-पूर्व के देशों तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया था।

(ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि अमरीका और ब्रिटेन में दूरदर्शन (डीडी-इंडिया चैनल) के प्रभाव एवं पहुंच पर अध्ययन कराने के संबंध में प्रस्ताव-पत्र में अमरीका और ब्रिटेन को शामिल करने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

कालीन उद्योग

1255. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :**
श्री काशीराम राणा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान किन-किन देशों

को कालीनों का निर्यात किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) देश में कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों में प्रशिक्षण, कार्यशालाओं/संगोष्ठियों के माध्यम से पणधारियों के बीच नीति एवं कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना शामिल है। इसके अतिरिक्त, कालीन उद्योग को एक गतिशील क्षेत्र बनाने हेतु उद्योग को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए भदोही में एक भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान उन देशों के नामों, जिन्हें कालीन निर्यात किया जाता है, के साथ-साथ अर्जित की जा रही विदेशी मुद्रा की धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	देश	2003-04		2004.05		2005-06	
		(करोड़ रुपये में)	अमरीकी मिलियन डॉलर में	(करोड़ रुपये में)	अमरीकी मिलियन डॉलर में	(करोड़ रुपये में)	अमरीकी मिलियन डॉलर में
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अर्जेंटीना	10.56	2.33	9.82	2.25	5.99	1.35
2.	आस्ट्रेलिया	26.41	5.83	26.54	6.08	42.91	9.69
3.	आस्ट्रिया	24.74	5.46	20.89	4.78	23.47	5.30
4.	बेल्जियम	11.67	2.58	20.85	2.48	28.52	6.44
5.	कनाडा	40.31	8.92	37.46	8.57	41.93	9.47
6.	डेनमार्क	18.90	4.17	19.50	4.47	21.93	4.95
7.	फिनलैंड	14.73	3.25	15.25	3.49	15.96	3.60
8.	फ्रांस	48.92	10.82	49.10	11.23	47.93	10.82
9.	जर्मनी	614.61	135.86	571.24	130.74	585.39	132.22
10.	इटली	25.57	5.65	23.77	5.44	38.25	8.64
11.	जापान	48.92	10.82	49.50	11.33	54.79	12.37
12.	लगजमबर्ग	0.83	0.18	0.90	0.20	0.23	0.05
13.	नीदरलैंड	19.18	4.23	19.18	4.39	30.79	6.95
14.	नोर्वे	6.39	1.42	7.50	1.72	7.53	1.70

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	स्वीडन	18.35	4.05	17.05	3.90	24.37	5.50
16.	स्विटजरलैंड	26.96	5.95	25.06	5.73	15.14	3.42
17.	स्पेन	24.46	5.40	22.74	5.20	32.87	7.42
18.	संयुक्त राज्य अमरीका	1472.17	325.44	1368.28	313.18	1537.51	347.27
19.	यू.के.	112.58	24.88	104.64	23.96	158.98	35.91
20.	अन्य देश	213.53	47.20	184.35	42.21	364.57	83.46
	कुल	2779.79	614.44	2583.62	591.35	3082.06	696.53

[अनुवाद]

राघवन समिति की सिफारिश

1256. **श्री प्रबोध पाण्डा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राघवन समिति ने रैगिंग को एक दण्डनीय अपराध बनाने के लिए भारतीय दण्ड संहिता (आई.पी.सी.) में संशोधन करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) जी हां।

(ख) समिति ने सिफारिश की है कि रैगिंग की प्रत्येक घटना के लिए भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की विभिन्न धाराओं के तहत अलग-अलग तरह के दंड निर्धारित करने के बजाए आई.पी.सी. में एक नई धारा जोड़ी जानी चाहिए जिसमें धारा 498क के तहत आने वाले अपराध के लिए दिए जाने वाले दंड के समान ही रैगिंग को दंडनीय अपराध बनाया जाना चाहिए। यह धारा महिलाओं के प्रति क्रूरता (दहेज से संबंधित घटनाओं के विरूद्ध) से संबंधित है।

(ग) चूंकि आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है इसलिए आई.पी.सी. और अपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने की सिफारिश की राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके जांच किए जाने की जरूरत है और ये कानून, राज्य सरकारों द्वारा लागू किए जाते हैं। सिफारिश का कार्यान्वयन, राज्य सरकारों के विचार प्राप्त किए जाने के अध्यधीन है और केन्द्र सरकार, सिफारिशों के संबंध में समग्र रूप से विचार करती है और साथ ही राज्य सरकारों के विचार प्राप्त करती है तथा उसे संसद में संशोधन विधेयक प्रस्तुत करना तथा उसे पारित करना होता है जिसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों का विकास

1257. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव** :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री हरिभाऊ राठौड़ :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों के नाम क्या हैं तथा उनके पिछड़े होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने उनके मूल्यांकन/आकलन हेतु कोई परामर्श एजेन्सी नियुक्त की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों के विकास हेतु कोई राष्ट्रीय कार्य योजना प्रस्थापित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए राज्यवार कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) वर्तमान में औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों का इस तरह का कोई वर्गीकरण नहीं है। तथापि, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग पूर्वोत्तर राज्यों तथा विशिष्ट श्रेणी के राज्यों, अर्थात् जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड को आर्थिक प्रोत्साहनों का पैकेज प्रदान कर रहा है क्योंकि ये राज्य भौगोलिक रूप से दुर्गम, पहाड़ी, दूरस्थ है और निम्न अवसंरचना सुविधा के साथ-साथ बाजारों तक पहुंच में कठिनाई आती है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार द्वारा संगठित प्रयास किये जा रहे हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय रियायतें प्रदान करना, बेहतर औद्योगिक अवसंरचना सुविधाएं, उद्योगों की स्थापना करने के लिए अनुकूल निवेश माहौल शामिल हैं। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विकास केन्द्र योजना, औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना, पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति पैकेज, विशिष्ट श्रेणी राज्य पैकेज तथा औद्योगिक पार्क योजना क्रियान्वित कर रहा है।

(ङ) निधियों का आवंटन योजनावार किया जाता है और राज्यवार नहीं।

[अनुवाद]

मल्टीपल क्रिमिनल कोड्स

1258. **श्री चन्द्रभूषण सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मल्टीपल-क्रिमिनल कोड्स पर कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो अपराधों से निटपने के लिए एक अलग राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना करने सहित इस समिति द्वारा अन्य क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) समिति द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी) : (क) प्रो. माधव मेनन की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपराध न्याय से संबंधित राष्ट्रीय नीति का एक मसौदा सरकार को दिनांक 01 अगस्त, 2007 को सौपा है। मसौदा नीति में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सभी अपराधों को सामाजिक कल्याण अपराध संहिता, सुधारात्मक अपराध संहिता, दंड संहिता और आर्थिक अपराध संहिता नामक चार संहिताओं में वर्गीकृत किए जाने की संस्तुति की है।

(ख) मसौदा नीति में देश में अपराध न्याय पद्धति को कारगर बनाने के लिए सुधारात्मक सेवाओं सहित अपराध कानून और प्रक्रिया, पुलिस संस्थान, अभियोजना, न्यायपालिका और कारागार में संशोधन किए जाने की भी संस्तुति की है। यह भी सुझाव दिया गया है कि मसौदा नीति में उन सभी अपराधों की पहचान की जाए जिनमें देश की एकता और अखण्डता प्रभावित होती है और ऐसे अपराधों की रोकथाम, जांच-पड़ताल तथा अभियोजन के लिए संबंधित राज्य तंत्र की सहायता और सहयोग से एक संयुक्त राष्ट्रीय एजेंसी सृजित की जाए।

(ग) चूंकि अपराध कानून और दंड प्रक्रिया भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है और राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित की जाती है, इसलिए मसौदा नीति को सभी राज्य सरकारों में उनके विचार/टिप्पणी के लिए परिचालित किया गया है।

वस्त्रों तथा सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात

1259. **श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा प्रणाली समाप्त किए जाने के बावजूद हाल के वर्षों में अमरीका और यूरोपीय देशों को वस्त्रों तथा सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्यात विशेषरूप से अमरीका तथा यूरोपीय देशों के निर्यात में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, भारत से वस्त्र और कपड़े का निर्यात वर्ष 2005-06 के दौरान 17520.07 मिलियन अमरीका डालर मूल्य की तुलना में 2006-07 के दौरान 18729.93 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का हुआ था, जिसमें 6.91% की वृद्धि दर्ज हुई। वर्ल्ड ट्रेड एटलस आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2006 में यूएसए और यूरोपीयन यूनियन के सदस्य देशों को भारतीय वस्त्र तथा क्लोदिंग निर्यात, जो दोनों को मिलाकर कुल वस्त्र और क्लोदिंग निर्यात का दो-तिहाई है, में क्रमश: 8% तथा 14%की वृद्धि दर्ज हुई है।

(ग) सरकार वस्त्र और परिधान उत्पादन तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठा रही है। इस संबंध में की गई कुछ प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं-

(i) स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

(ii) सरकार ने सिलेसिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है।

(iii) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू कर दी गई है।

(iv) वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र के उत्पादन आधार के विस्तार के उद्देश्य से "निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना" तथा "वस्त्र केंद्र अवसंरचना विकास योजना" का विलय कर "एकीकृत वस्त्र पार्क योजना" नामक एक नई योजना शुरू की गई है।

(v) वित्तीय शुल्क ढांचा सामान्यत: देश के भीतर विकास एवं अधिकतम मूल्य संवर्धन की स्थिति प्राप्त करने के लिए युक्तिसंगत बना दिया गया है। मानवनिर्मित फिलामेंट यार्न तथा मानवनिर्मित स्टेपल फाइबर पर पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर समग्र मूल्य वर्धन श्रृंखला को उत्पाद शुल्क की छूट का एक विकल्प दिया गया है।

(vi) निवेश प्रोत्साहित करने के लिए तथा वैश्विक बाजार में हमार वस्त्र उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विनिर्दिष्ट वस्त्र एवं परिधान संबंधी मशीनों की मदों के आयात पर सीमाशुल्क की रिआयती दर की अनुमति दी गई है। वित्तीय नीति संबंधी उपायों के माध्यम से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है।

(vii) परिधान निर्यातकों को ट्रिमिंग एवं अलंकरण मदों की 21 मदों का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति दी गई है। यह उनके पिछले वर्ष के दौरान वास्तविक निर्यात निष्पादन के 3% तक हो सकता है।

(viii) वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने 20.4.05 से मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा टीयूएफएस के अधीन 10% की दर पर ऋण संबद्ध पूंजी सहायता योजना शुरू की है।

(ix) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) और अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केंद्र (ए टी डी सी) डिजायन, व्यापार और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग, विशेषकर अपैरल की कुशल कारीगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम चला रहे हैं।

(x) पारि-परीक्षण प्रयोगशालाओं जैसी सुविधाएं तैयार की गई हैं ताकि निर्यातक आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप परिधानों/वस्त्रों का पूर्व-परीक्षण करवा सकें।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को निःशुल्क शिक्षा

1260. श्री विजय कृष्ण : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी निजी स्कूलों द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के 20 प्रतिशत छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा देने के लिए सरकार को आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) जी नहीं। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के एक अंतरिम आदेश के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने दिल्ली में शिक्षा प्रदान कर रहे ऐसे गैर-सहायता प्राप्त मान्यताप्राप्त गैर सरकारी स्कूलों, जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण, भूमि एवं विकास विभाग और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार आदि जैसी सरकारी एजेंसियों ने भूखंड आवंटित किए हैं, में कुल सीटों का कम से कम 20 प्रतिशत निशुल्क रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए रखने के प्रावधान के संबंध में 25.01.2007 को आदेश जारी किए थे। तथापि, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के अपने दिनांक 30.5.2007 के अंतरिम आदेश में निदेश दिया है कि संस्थाएं "शिक्षा सत्र 2008-09 से दिनांक 25 जनवरी, 2007 की अधिसूचना में परिभाषित आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों को कम से कम 10 प्रतिशत सीटों और स्कूल में कार्यरत शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के बच्चों को कम से कम 5 प्रतिशत सीटों पर दाखिला दें।" यह मामला इस समय न्यायालय के विचाराधीन है।

चाक की स्थिति

1261. **श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :**
श्री महेश कनोडिया :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से चाक को मुख्य खनिज की बजाय गौण खनिज मानने के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा आज की तारीख तक क्या कार्यवाही की गई है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बरामी रेड्डी) : (क) से (ग) गुजरात राज्य सरकार ने चाक को गौण खनिज के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव की जांच करने के बाद, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि खनिज चाक के वैज्ञानिक और क्रमबद्ध विकास के लिए इसे प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

हथकरघा क्षेत्र का कल्याण

1262. **श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैश्विक चुनौतियों के कारण हथकरघा उद्योग के बुनकरों के सामने वित्तीय और वाणिज्यिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन समस्याओं से निपटने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) हथकरघा क्षेत्र को इस योजना से कितना लाभ होने की संभावना है;

(घ) इन लाभों का हथकरघा क्षेत्र के बुनकरों तक पहुंचने का पता लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाएं गए हैं; और

(ङ) इस संबंध में सत्यापन रिपोर्ट का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) जी नहीं। वैश्वीकरण से हथकरघा वस्त्र उद्योग सहित वस्त्र उद्योग के लिए काफी अवसर खुले हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वन अधिकार अधिनियम

1263. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव** : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जनजातियां और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकार अधिनियम के लाभों सं वंचित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार की क्या जिम्मेदारी है;

(ग) क्या ग्राम सभा को सुदृढ़ करने हेतु बनाए गए नियमों से यह वन विभाग के अधीन हो जाता है जैसाकि दिनांक 31 मई, 2007 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन नियमों में संशोधन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) और (ख) यद्यपि, संसद द्वारा अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया है, तथापि, यह अभी तक प्रवृत नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तारीख से उक्त अधिनियम को प्रवृत्त किया जाना है जैसाकि अधिनियम की धारा 1(3) के अंतर्गत अपेक्षा की गई है, उस तारीख को नियत करने से संबंधित अधिसूचना अभी जारी की जानी है। अत: प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) प्रश्न के भाग (ग) में उल्लिखित 31 मई, 2007 के ''द टाइम्स ऑफ इंडिया'' में प्रकाशित समाचार अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा बनाए गए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) नियम, 2007 के मसौदे के संदर्भ में है। मंत्रालय ने 19-06-2007 को भारत के राजपत्र में इन नियमों को पूर्व-प्रकाशित कराते हुए इसे अंतिम रूप देने से पहले जनता और अन्य हितधारियों से टिप्पणियों और सुझाव आमंत्रित किए हैं। प्रस्तावित नियम अभी भी अनन्तिम नियम हैं तथा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार इन्हें अन्तिम रूप दिया जाना है।

[अनुवाद]

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956

1264. **श्री किन्जरपु येरननायडु :**
श्रीमती मिनाती सेन :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 में संशोधन लागू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विधेयक में सम्मिलित किए गए अनैतिक व्यापार का ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 में प्रस्तावित संशोधनों पर मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई की गई। प्रस्ताव का मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके बाद इसे संसद के विचारार्थ एवं पारित करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) प्रस्तावित मुख्य संशोधनों में अवैध देह व्यापारियों को और कड़ी सजा तथा अवैध देह व्यापार के पीड़ितो को पुनर्पीड़ित करने वाली धाराओं को हटाने का प्रस्ताव शामिल है।

एफआईआर का दर्ज किया जाना

1265. **श्री असादुद्दीन ओवेसी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एफआईआर का दर्जन किया जाना आपराधिक न्याय प्रणाली के कार्यकरण में एक बड़ी बाधा है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) ने आसानी से एफआईआर दर्ज कराना सुनिश्चित करने के लिए विकल्प तलाशने हेतु सरकार को सुझाव दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या एआरसी ने पब्लिक किओस्क से अथवा काल सेंटरों के माध्यम से एफआरआई दर्ज कराने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में एआरसी द्वारा की गई अन्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने एआरसी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) एफआईआर दर्ज कराने की नई प्रणाली को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी) : (क) से (ग) प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अन्य

बातों के साथ-साथ सिफारिश की है कि प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज करना, पूरी तरह से नागरिकों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए और पुलिस स्टेशनों तक जनता की पहुंच में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि काल सेंटर और सार्वजनिक खोखे स्थापित करना, इस बारे में संभावित विकल्प हैं।

(घ) से (ज) अन्य सिफारिशों में लोक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सद्भावना, पुलिस सुधार, दांडिक न्याय प्रणाली में सुधार, विशेष कानून सहित संवैधानिक मुद्दे, सिविल सोसाइटियों/मीडिया/राजनीतिक पार्टियों आदि की भूमिका में संबंधित हैं। सिफारिशें विचाराधीन हैं।

नशीले पदार्थों की तस्करी

1266. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता चला है कि देश में नशीले पदार्थों की तस्करी के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार ऐसे कितने मामलों का पता चला;

(ग) इसके नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इसमें लिप्त कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(घ) क्या अधिकांश मामलों में विदेशी नागरिक लिप्त हैं; और

(ङ) यदि हां, तो कितने विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है और उनके मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान नशीले पदार्थों का कार्य देख रही कई कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सूचित मामलों की संख्या और प्रमुख नशीले पदार्थों की बरामदगी की मात्रा निम्न प्रकार है:-

(मात्रा कि.ग्रा. में)

नशीले पदार्थ		2004	2005	2006
अफीम	मात्रा	2237	2009	2826
	मामले	775	997	1172
हेरोइन	मात्रा	1162	981	1182
	मामले	4089	4921	5666
गांजा	मात्रा	144055	153660	157710
	मामले	3840	9580	8671
हशीश	मात्रा	4599	3965	3852
	मामले	1780	1818	2259

(ग) सरकार ने स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों पर रोक लगाने, उनका पता लगाने और उनके अवैध व्यापार को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। गिरफ्तार व्यक्तियों के विरूद्ध स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एन.डी.पी.एस.), अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अनुसार मुकदमा चलाया जाता है।

(घ) और (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों के संबंध में गिरफ्तार विदेशी राष्ट्रिकों की संख्या नीचे दी गई है:-

	2004	2005	2006
गिरफ्तार किए गए विदेशी राष्ट्रिकों की संख्या	179	173	232

चूंकि अभियुक्त व्यक्तियों का विचारण, विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किया जाता है, इसलिए विदेशी राष्ट्रिकों के विरूद्ध मामलों की वर्तमान स्थिति स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के पास उपलब्ध नहीं है।

विवरण

(i) आयात और निर्यात बिंदुओं, भू-सीमाओं, विमानपत्तनों, विदेशी डाक घरों इत्यादि पर कड़ी निगरानी और प्रवर्तन।

(ii) नशीले पदार्थों के ज्ञात मार्गों के साथ-साथ गहन निवारक और निषेध।

(iii) निषेध को व्यापक संसक्ति देने के उद्देश्य से विभिन्न नशीले पदार्थों से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच उन्नत समन्वय।

(iv) परिचालन संबंधी आसूचना के संग्रहण, विश्लेषण और प्रसार में सुधार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को सुदृढ़ करना।

(v) सूचना के आदान-प्रदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बढ़ोतरी करना और प्रिकर्सर रसायनों की आवाजाही पर प्रशासनिक नियंत्रण में जांच-पड़ताल संबंधी सहायता।

(vi) अपराधियों के इलैक्ट्रॉनिक डाटा बेस तैयार करना।

(vii) नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार में कानून प्रवर्तन अधिकारियों को उनकी कौशलता में उन्नयन करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

(viii) स्वापक पदार्थों की बरामदगी की जा सकने वाली सूचना के लिए मुखबिरों और अधिकारियों के लिए वित्तीय पारितोषिक की एक योजना का कार्यान्वयन करना।

(ix) पात्र राज्यों को उनकी स्वापक इकाइयों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पूर्वोत्तर में आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र

1267. **श्री मणि चारेनामै :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय समूहों को आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों के कार्यक्रमों का आबंटन जनजातीय समूह की जनसंख्या पर आधारित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जनजातीय जनसंख्या को आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र के पूरे रेडियो कार्यक्रमों का आनंद लेने हेतु पात्र बनाने के लिए जनसंख्या का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में अनेक जनजातीय समूहों जो 5 प्रतिशत जनसंख्या के मानदंड को पूरा नहीं करते को आकाशवाणी में पूरे रेडियो कार्यक्रम की सुविधा प्रदान की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दूरदर्शन केन्द्र में कोई नियत प्रतिशत नहीं है। तथापि, आकाशवाणी में 5% न्यूनतम आबादी का मापदंड प्रसारण हेतु भाषा/बोली पर निर्णय लेने के लिए मानदंडों में से एक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित कुछ क्षेत्रों के आकाशवाणी स्टेशन संचार संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई जनजातीय बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। यद्यपि आबादी का आकार एक आवश्यक मापदंड है लेकिन यदि एक विशिष्ट जनजातीय समूह अपनी भाषा या बोली के सिवाय उस क्षेत्र की किसी अन्य भाषा या बोली को नहीं समझता है तो आबादी के आकार के निरपेक्ष उस बोली में कार्यक्रमों की व्यवस्था की जानी पड़ सकती है।

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल रख दी जाएगी।

चावल का निर्यात

1268. **श्री जुएल ओराम :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आज तक सरकार द्वारा विभिन्न देशों को कितनी मात्रा में चावल का निर्यात किया गया है;

(ख) क्या वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान चावल के निर्यात में तीव्र गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से चावल का निर्यात निम्नानुसार रहा है:-

मात्रा: मी टन, मूल्य: लाख रुपये

	2004-05		20056-06		2006-07	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
बासमती चावल	1162989	282390	1166564	304310	1040672	277831
गैर बासमती चावल	3615110	394502	2921602	317817	3704847	425788
कुल	4778099	676892	4088166	622127	4745519	703619

(ग) और (ग) जी नहीं।

(घ) सरकार चावल के निर्यात को सतत रूप से प्रोत्साहित कर रही है। बासमती चावल के लिए चीन के बाजार को खोलने के सफल प्रयास किए गए हैं। दिनांक 10 जुलाई, 2007 को एक प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद रूस को भारत से चावल के निर्यात पर लगा प्रतिबंध भी हटवा दिया है। एपीडा अपनी स्कीमों के अंतर्गत चावल निर्यातकों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। बासमती चावल के लिए फसल पूर्व और फसल पश्चात विकास पर ध्यान देने के लिए एक बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान की स्थापना की गई है। ईयू को निर्यात हेतु बासमती चावल के नमूनों के डीएनए परीक्षण के लिए सीडीएफडी, हैदराबाद में एक अनन्य डीएनए परीक्षण सुविधा का सृजन किया गया है।

सी.आर.पी.एफ. हेतु साइंस सिटी

1269. **श्री एम. शिवन्ना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हेतु "साइंस सिटी" स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार राज्य सरकार की भूमि के स्थान पर सी. आर.पी.एफ. की 100 एकड़ भूमि देने के लिए सिद्धांत रूप में सहमत हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसका निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

हीरा उद्योग

1270. **श्रीमती निवेदिता माने :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अफ्रीकी देशों द्वारा बिना तराशे हुए हीरों पर कर लगाए जाने और रुपये के बदले डॉलर के कमजोर होने से भारत में हीरा उद्योग पर प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हीरा उद्योग को कितना घाटा होने का अनुमान है; और

(ग) हीरा उद्योग और इसके कामगारों के हितों की रक्षा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हीरा उद्योग और उसके कामगारों के हित के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(i) विदेश व्यापार नीति (2004-09) में रत्न एवं आभूषणों जिनमें तराशे तथा पॉलिश किए गए हीरे भी शामिल हैं, के निर्यात को एक थ्रस्ट क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

(ii) अपरिष्कृत हीरों की लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त कर दी गई है और अपरिष्कृत हीरों के आयात पर सीमाशुल्क घटाकर शून्य प्रतिशत कर दिया गया है।

(iii) अपरिष्कृत हीरों के आयात हेतु बैंक गारंटी पर जोर दिए बगैर अग्रिम प्रेषण की अनुमति दी गई है।

(iv) विगत वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यातों के एफओबी मूल्य के 1% के बराबर स्वर्ण और प्लेटिनम हेतु खपत योग्य वस्तुओं, औजारों, मशीनरी तथा उपकरणों की शुल्क मुक्त आयात हकदारी।

(v) एक वित्तीय वर्ष में 300,000/- रुपए तक के रत्न एवं आभूषणों के नमूनों अथवा रत्न एवं आभूषण की वस्तुओं के पिछले तीन वर्ष के निर्यात कारोबार की 0.25%, जो भी कम हो, की शुल्क मुक्त आयात हकदारी।

(vi) आयकर अधिनियम की धारा 10क के अंतर्गत छूट के प्रयोजनार्थ तराशने व पॉलिश करने के विनिर्माण माना गया है।

(vii) रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को परिष्करण एवं पुन: आयात हेतु तराशे एवं पॉलिश किए गए बेशकीमती एवं कीमती नगीनों के निर्यात की अनुमति दी गई है।

(viii) तराशे और पॉलिश किए गए हीरों पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

(ix) हीरा यूनिटों हेतु कुल कारोबार के आधार पर आयकर लागू किया गया है, जहां घोषित लाभ कुल कारोबार का 8% अथवा इससे अधिक है।

इसके अलावा, सरकार विदेशी बाजारों में शुरू किए गए विभिन्न विक्रय संवर्धन कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

भारत-यूरोपीय संघ व्यापार

1271. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश समझौते पर सहमति बनाने के लिए यूरोपीय संघ के साथ कोई वार्ता शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य विशेषताओं सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां। हेलसिंकी में अक्तूबर, 2006 में हमारे प्रधानमंत्री और यूरोपीय संघ के राष्ट्रपति के स्तर पर 7वें भारत-ई यू शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मोटे तौर पर द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश करार की सम्भावना का पता लगाने के लिए भारत एवं ई यू के बीच स्थापित एक उच्च स्तरीय व्यापारिक समूह ने सम्मेलन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सम्मेलन में इस बात पर सहमति हुई कि दोनों पक्ष ऐसे एक करार हेतु वार्ताओं की दिशा में आगे बढ़ें। इस करार पर औपचारिक वार्ताएं ब्रुसेल्स में 28 जून, 2007 को शुरू हुई।

(ख) और (ग) वार्ताओं का पहला दौर वस्तुओं के व्यापार, सेवाओं के व्यापार, निवेश, स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपायों, व्यापार में तकनीकी अवरोधों, व्यापार सुधार, सीमाशुल्क सहयोग एवं व्यापार सुगमीकरण के क्षेत्र में सहमति की मोटी-मोटी बातों से संबंधित वार्ताओं एवं विचारों के आदान-प्रदान के कार्यढांचे पर हुए विचार-विमर्श पर केन्द्रित था। इस प्राम्भिक विचार-विमर्श के आधार पर अक्तूबर 2007 में आयोजित होने वाले वार्ताओं के दूसरे दौर में आगे बातचीत हेतु अवधारणात्मक प्रस्ताव तैयार करने के लिए दोनों पक्ष सहमत थे।

सीमेंट का निर्यात

1273. श्री सुरेश कलमाडी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में सीमेंट के बढ़ते मूल्य के मद्देनजर सीमेंट के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्पादकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, नहीं। सीमेंट के निर्यात पर रोक लगाने के संबंध में सरकार का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

लापता बच्चों का डाटा बेस

1273. डा. पी.पी. कोया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में लापता बच्चों के आंकड़े रखती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बच्चों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या कतिपय एन.जी.ओ. लापता बच्चों के डाटा बेस तैयार करने में संलग्न है;

(घ) क्या सरकार द्वारा लापता बच्चों को छुड़ाने और उनके पुनर्वास के क्षेत्र में एन.जी.ओ. को जिम्मेदारियां दी गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संकट के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(च) देश में बच्चों के लापता होने की घटनाओं को रोकने हेतु क्या कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) देश में पुलिस द्वारा प्राप्त प्रथम सूचना रिपोर्टों के आधार पर अपराध आंकड़ों को संकलित करता है। चूंकि व्यक्तियों की गुमशुदगी संज्ञेय अपराध नहीं है, इसलिए एन.सी.आर.बी. इस संबंध में आंकड़ा विषयक सूचना एकत्रित नहीं करता। तथापि, एन.सी.आर.बी. में लापता बच्चों के बारे में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से केवल समन्वय के उद्देश्यार्थ मामले के संबंध में सूचना प्राप्त होती है। वर्ष 2006 के दौरान सूचित मामलों के ब्योरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। तथापि, ये आंकड़े देश में लापता बच्चों की कुल संख्या को नहीं दर्शाते क्योंकि पता लगाए गए लापता व्यक्तियों की सूचना एन.सी.आर.बी. को नहीं भेजी जाती।

(ग) देश में लापता बच्चों के लिए आंकड़ा आधार तैयार करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने के बारे में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) हलांकि लापता बच्चों की "रिहाई" और "पुनर्वास" राज्य सरकारों और संघ प्रशासनों का उत्तरदायित्व है, तथापि, केन्द्र सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों को गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय करके उपयुक्त उपाय करने की सलाह देती रही है।

"लापता बच्चों" पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के अनुसार लापता बच्चों के मामलों में बहुत सी समस्याएं होती हैं जिनमें शामिल हैं, परिवार के सदस्यों और गैर पारिवारिक सदस्यों अथवा अपरिचितों द्वारा अपहरण/व्यपहरण, ऐसे बच्चों जो स्वयं भाग जाते हैं अथवा जो अपने परिवारों की अकाट्य परिस्थितियों और आसपास के परिवेश के कारण भागने के लिए विवश होते हैं, ऐसे बच्चे जो गैर मित्रतापूर्ण और प्रतिकूल माहौल का सामना करते हैं और जिनको घर छोड़ने के लिए कह दिया जाता है अथवा जिनकों त्याग दिया जाता है, ऐसे बच्चे जिनको अवैध रूप से बेच दिया जाता है अथवा जिनकी तस्करी की जाती है अथवा जिनका विभिन्न मकसदों से शोषण किया जाता है, और ऐसे बच्चे जो खो जाते हैं अथवा घायल हो जाते हैं।

(च) महिला और बाल विकास मंत्रालय (एम.डब्ल्यू.सी.डी.) यूनिसेफ और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (निक) के सहयोग से लापता बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय वेबसाइट तैयार करने की प्रक्रिया में है। पश्चिम बंगाल राज्य में पायलट आधार पर लापता बच्चों के बारे में वेबसाइट शुरू कर दी गई है। सरकार ने इस उद्देश्यार्थ कोर समिति पहले ही गठित कर दी है।

विवरण

01.01.2003-31.12.2006 तक लापता बच्चों (0-18 वर्ष) संबंधी रिपोर्ट

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	1	0	1	3	1	0
आंध्र प्रदेश	13	3	0	27	192	156	53
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
असम	3	177	29	93	168	315	169
बिहार	0	0	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	118	73	16	34	38	95	19
छत्तीसगढ़	156	44	0	0	0	0	1
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव	1	1	0	0	0	2	1
दिल्ली	2102	2381	706	1334	1715	340	370
गोवा	1	0	0	0	1	2	0
गुजरात	111	39	28	52	143	91	21
हरियाणा	237	149	150	154	235	221	156
हिमाचल प्रदेश	175	161	121	174	195	177	206
जम्मू और कश्मीर	13	2	13	24	13	5	0
झारखंड	0	0	0	0	0	0	0
कर्नाटक	487	187	59	49	29	13	0
केरल	335	218	104	112	208	168	86
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
मध्य प्रदेश	495	292	125	49	22	1	0
महाराष्ट्र	406	286	111	64	179	146	2
मणिपुर	0	0	1	0	0	2	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	3	0	2	1	0	1	0
उड़ीसा	192	119	108	91	462	338	63
पांडिचेरी	2	0	5	3	2	0	1
पंजाब	117	112	28	50	109	105	85
राजस्थान	14	37	5	13	12	11	7
सिक्किम	6	4	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	53	112	96	128	250	204	33
त्रिपुरा	5	2	1	3	1	6	0
उत्तर प्रदेश	157	168	40	98	214	179	94
उत्तरांचल	42	8	1	1	10	7	20
पश्चिम बंगाल	117	94	42	0	579	1451	2529
कुल	5364	4673	1791	2555	4780	4037	3916

पूर्वोत्तर में कमीशंड प्रोग्राम हेतु दिशा-निर्देश

1274. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती ने देश में विशेषकर पूर्वोत्तर में दूरदर्शन केंद्रों में निष्पादित किए जाने के लिए कमीशंड प्रोग्राम हेतु कोई दिशा-निर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नए दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) देश में विशेषकर पूर्वोत्तर में कमीशंड प्रोग्राम के निर्णय को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कमीशंड

कार्यक्रम पर विचार, कार्रवाई एवं उसके अनुमोदन हेतु संशोधित दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रसार भारती बोर्ड द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात् ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं उपलब्ध होंगी।

(घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि प्रसार भारती बोर्ड द्वारा दिशा-निर्देशों को अनुमोदित किए जाते ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में कमीशंड कार्यक्रम प्रारंभ करने के निर्णय को कार्यान्वित किया जाएगा।

लौह अयस्क का निर्यात

1275. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लौह अयस्क के निर्यात के लिए अन्य देशों के साथ हस्ताक्षर किये गए समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने किसी देश के साथ लौह अयस्क के निर्यात के लिए कोई वचनबद्धता की है

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार अन्य देशों के साथ भी बातचीत करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) मेसर्स एम एम टी सी ने दिनांक 1.4.2006 से 5 वर्षों की अवधि के लिए लौह अयस्क के निर्यात हेतु जापान, दक्षिण कोरिया और चीन की इस्पात मिलों के साथ दीर्घावधिक करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। जापान, दक्षिण कोरिया तथा चीन की इस्पात मिलों को आपूर्ति की जाने वाली वार्षिक मात्रा निम्नानुसार है:-

(मात्रा: मिलियन टन में)

	न्यूनतम	अधिकतम
जापान की इस्पात मिलें	3.47	6.75
पॉस्को, दक्षिण कोरिया	0.80	1.60
चीन की इस्पात मिलें	2.50	3.10

(ख) और (ग) दीर्घावधिक करारों के अंतर्गत मेसर्स एम एम टी सी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली उपर्युक्त मात्राओं के अलावा लौह अयस्क के निर्यात के लिए किसी और देश के साथ अभी कोई वचनबद्धता नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पी.एस.यू. में आर.टी.आई.

1276. श्री चन्द्र शेखर दुबे : क्या खान मंत्री 20 मार्च, 2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2936 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सूचना का अधिकार (आरटीआई) के संबंध में 20 मार्च, 2007 के अतारांकित प्रश्न सं. 2936 के उत्तर में दिए गए आश्वासन संबंधी कार्यान्वयन रिपोर्ट 3 अगस्त, 2007 को खान मंत्रालय ने संसदीय कार्य मंत्रालय को भेज दी है।

[हिन्दी]

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

1277. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए और इसमें कितनी उपलब्धि हासिल हुई;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार इस योजना के लिए जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत लड़कियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का कोई प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा 2180 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संस्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 31.7.2007 तक 1226 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के कार्यशील होने की जानकारी है। गत तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृत और कार्यशील कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और योजना के लिए जारी निधियों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कक्षा VI से VIII तक के लिए आवासीय स्कूल हैं और ये राज्य विशिष्ट उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या को कवर करते हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृत और कार्यशील कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत जारी निधियों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्वीकृत के.जी.बी.वी. (2004-05 से 2007-08)	31 जुलाई 2007 तक कार्यशील के.जी.बी.वी.	कुल जारी निधियां (2004-05 से 2006-07)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	342	134	7038.49
2.	अरुणाचल प्रदेश	25	19	469.03
3.	असम	15	11	350.10
4.	बिहार	350	128	5129.13
5.	छत्तीसगढ़	84	51	2050.54
6.	दादरा और नागर हवेली	1	0	0
7.	गुजरात	52	44	951.29
8.	हरियाणा	9	7	218.74
9.	हिमाचल प्रदेश	10	9	192.47
10.	जम्मू और कश्मीर	51	11	190.58
11.	झारखंड	187	170	4477.03
12.	कर्नाटक	61	61	2429.64
13.	मध्य प्रदेश	185	105	3445.13
14.	महाराष्ट्र	36	15	637.30
15.	मणिपुर	1	1	33.98
16.	मेघालय	1	1	31.73
17.	मिजोरम	1	1	33.98
18.	उड़ीसा	114	114	2998.11
19.	पंजाब	2	2	47.25
20.	राजस्थान	186	136	3312.32
21.	तमिलनाडु	53	37	1350.69
22.	त्रिपुरा	7	7	163.94
23.	उत्तर प्रदेश	323	105	6053.37
24.	उत्तरांचल	25	13	471.11
25.	पश्चिम बंगाल	59	44	1103.45
	कुल	2180	1226	43179.40

[अनुवाद]

फिल्मों और वृत्तचित्रों का वर्गीकरण

1278. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए जारी की जाने वाली फीचर फिल्मों और वृत्तचित्रों के वर्गीकरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास वैज्ञानिक एवं चिकित्सीय विषयों जैसे टेलीविजन कार्यक्रमों और फिल्मों के लिए नई आचार संहिता लागू करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु रिलीज की जाने वाली फीचर फिल्मों और वृत्तचित्रों का वर्गीकरण चलचित्र अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार है। फिल्मों का प्रमाणन चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5क में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। फिल्मों को 'यू', 'यू/ए,' 'ए' अथवा 'एस' प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं।

(ख) से (घ) वैज्ञानिक और चिकित्सकीय मामलों से संबंधित फिल्मों के लिए किसी पृथक संहिता पर विचार नहीं किया जा रहा है। फीचर फिल्मों और गैर-फीचर फिल्मों का प्रमाणन चलचित्र अधिनियम, 1952, जिसमें संशोधन विचाराधीन है, और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

सरकार टी वी के लिए नई विषय-वस्तु संहिता की योजना तैयार कर रही है। ब्यौरा www.mib.nic.in में देखा जा सकता है। केबल टी वी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों और फिल्मों के प्रमाणन के संबंध में चलचित्र अधिनियम, 1952 के अंतर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों की समीक्षा करने तथा एक नई विषय-वस्तु संहिता तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में अनेक समूहों अलावा टी वी उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं और उनके साथ इस संहिता पर चर्चा की गई है। संहिता के पक्ष और विपक्ष में प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। तथापि, समिति की अंतिम सिफारिशें अभी प्राप्त होनी हैं।

योग्यता सह-साधन छात्रवृत्ति

1279. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छात्रों के लिए योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या और अधिक शिक्षकों को नियुक्त करने तथा देश के विद्यालयों में और अधिक कक्षाओं की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) वित्त मंत्री ने दिनांक 28.2.2007 के अपने बजट भाषण में कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों हेतु राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम शुरू करने की घोषणा की थी। इस स्कीम के अंतर्गत, प्रत्येक वर्ष एक लाख छात्रों को 6,000/- रु. की राशि प्रति छात्र प्रदान की जानी है।

(ग) और (घ) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 10वीं योजना में 7.95 लाख शिक्षक भर्ती किए गए हैं। XIवीं योजना में 8.00 लाख शिक्षकों की भर्ती का अनुमान है।

Xवीं योजना के दौरान लगभग 4 लाख अतिरिक्त क्लास रूमों का निर्माण किया गया था। XIवीं योजना अवधि के दौरान 6.87 लाख अतिरिक्त क्लास रूमों का निर्माण होने का अनुमान है।

केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में नया आयोग

1280. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास केन्द्र-राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एक नया आयोग गठित का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह आयोग पिछले आयोग से किस सीमा तक अलग होगा;

(ग) इस आयोग द्वारा विचार किये जाने वाले मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस आयोग का गठन कब तक होने की सम्भावना है और इसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत होगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) सरकार ने दिनांक 27 अप्रैल, 2007 की राजपत्रित अधिसूचना के तहत न्यायधीश श्री मदन मोहन पुंछी (सेवानिवृत्त), भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता के अन्तर्गत केन्द्र-राज्य संबंधों पर एक नया आयोग गठित किया है।

(ख) और (ग) सरकारिया आयोग की तुलना में न्यायाधीश श्री मदन मोहन पुंछी (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता के अंतर्गत नए आयोग के विचारार्थ विषय अधिक व्यापक है। दोनों आयोगों के विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) आयोग को दो वर्षों के भीतर सिफारिशों सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

विवरण

केन्द्र-राज्य संबंधों के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री आर एस सरकारिया (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में जून, 1983 में गठित आयोग के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं:-

"केन्द्र-राज्य संबंधों के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायधीश न्यायमूर्ति श्री आर.एस. सरकारिया (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में जून, 1983 में गठित आयोग के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं:-"

आयोग शक्तियों, कार्यों और दायित्वों के संबंध में संघ और राज्यों बीच विद्यमान व्यवस्थाओं के कार्य संचालन की सभी रूप में जांच और समीक्षा करेगा और ऐसे परिवर्तनों अथवा अन्य उपायों की सिफारिश करेगा जो उपयुक्त हों।

केन्द्र और राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्थाओं के कार्य संचालन की जांच और समीक्षा करते समय और अपेक्षित परिवर्तनों और उपायों की सिफारिशें करते समय आयोग उन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों को ध्यान में रखेगा जो पिछले वर्षों हुए हैं और हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा आजादी की सुरक्षा के लिए और हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा आजादी की सुरक्षा के लिए और देश की एकता और अखण्डता सुनिश्चितर करने के लिए काफी परिश्रम से तैयार की गई उन स्कीमों और संविधान के ढांचे का पूरा सम्मान करेगा जो लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्च महत्व का है।

उपर्युक्त की तुलना में, केन्द्र-राज्य संबंधों के संबंध में भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति श्री मदन मोहन पुंछी (सेवानिवृत) की अध्यक्षता में गठित नए आयोग के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं-

(i) आयोग भारत के संविधान के अनुसार संघ और राज्यों के बीच विद्यमासन व्यवस्थाओं के कार्य संचालन, अपनाए जा रहे स्वस्थ दृष्टातों, विधायी संबंधों, प्रशासनिक संबंधों सहित सभी क्षेत्रों में शक्तियों, कार्यों एवं दायित्वों के संबंध में न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों, राज्यपालों की भूमिका, आपातकालीन उपबंधों, वित्तीय संबंधों, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, पंचायती राज, अंतर-राज्य नदी जल सहित संसाधनों के बंटवारे की जांच और समीक्षा करेगा और व्यवहारिक कठिनाइयों को ध्यान के रखते हुए ऐसे परिवर्तनों अथवा उपायों की सिफारिश करेगा जो उपयुक्त हों।

(ii) केन्द्र और राज्य के बीच मौजूदा व्यवस्थाओं के कार्य संचालन की जांच और समीक्षा करते समय और अपेक्षित परिवर्तनों और उपायों की सिफारिशें करते समय आयोग उन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों को ध्यान में रखेगा जो पिछले वर्षों, खासतौर पर पिछले दो दशकों में हुए हैं और योजना तथा संविधान के ढांचे का पूरा सम्मान करेगा। ऐसी सिफारिशें आवश्यक होंगी जिनसे देश की एकता और अखण्डता को सुदृढ़ करते हुए लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सुशासन सुनिश्चित करने की नई चुनौतियों से निपटा जा सके और नई सहस्त्राब्दि के प्रारंभिक दशकों में गरीबी और अशिक्षा के उन्मूलन के लिए सतत तथा तीव्र आर्थिक विकास के नए अवसर प्राप्त किए जा सकें।

(iii) उपरोक्त के संबंध में जांच और सिफारिशें करते समय आयोग द्वारा निम्नलिखित का विशेष ध्यान रखा जाएगा

किंतु वह अपने अधिदेश को इन तक ही सीमित नहीं रखेगा:-

(क) साम्प्रदायिक हिंसा, जातीय हिंसा के बड़े पैमाने पर एक दीर्घकाल तक जारी रहने के दौरान अथवा अन्य किसी ऐसे सामाजिक संघर्ष, जिसके फलस्वरूप दीर्घकालिक व तीव्र हिंसा हुई हों, के दौरान राज्यों की तुलना में केन्द्र की भूमिका उत्तरदायित्व और क्षेत्राधिकार।

(ख) बड़ी परियोजनाओं की योजना तथा कार्यान्वयन में सूखों की तुलना में केन्द्र की भूमिका, उत्तरदायित्व और क्षेत्राधिकार जैसे कि नदियों और परस्पर जोड़नें की योजना जिन्हें पूरा होने में आमतौर पर 15-20 वर्ष लगेंगे और ये पूरी तरह राज्यों के समर्थन पर निर्भर हैं।

(ग) संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त निकायों सहित पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों को निर्धारित अवधि के भीतर शक्तियों एवं स्वाययत्तता के प्रभावी प्रत्यायोजन को बढ़ावा देने में राज्यों तुलना में केन्द्र की भूमिका, उत्तरदायित्व और क्षेत्राधिकार।

(घ) जिला स्तर पर स्वतंत्र नियोजन एवं बजट बनाए जाने की अवधारणार और प्रथा को बढ़ावा देने में राज्यों की तुलना में केन्द्र की भूमिका, उत्तरदायित्व और क्षेत्राधिकार।

(ङ) विभिन्न प्रकार की केन्द्रीय सहायता को राज्यों की भूमिका के साथ समबद्ध करने में राज्यों की तुलना में केन्द्र की भूमिका, उत्तरदायित्व और क्षेत्राधिकार।

(च) पिछले राज्यों के पक्ष में सकारात्मक विभेद के आधार पर दृष्टिकोण तथा नीतियों को अंगीकार करने में केन्द्र की भूमिका, उत्तरदायित्व और क्षेत्राधिकार।

(छ) विशेष रूप से केंद्र से निधियों अंतरण पर राज्यों की अधिक निर्भरता को देखते हुए केन्द्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के बारे में 8वें से 12वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का प्रभाव।

(ज) मूल्य संवर्धित का प्रणाली की शुरुआत होने के पश्चात माल के उत्पादन तथा बिक्री पर अलग-अलग कर लगाए जाने का आवश्यकता तथा प्रासंगिकता।

(झ) एक एकीकृत एवं अखण्डित एवं अखण्डित घरेलू बाजार स्थापित करने के उद्देश्य से तथा सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के अध्याय XVIII में दी गई सिफारिशों को स्वीकार करने में राज्य सरकार सरकारों की अनिच्छा के संदर्भ में भी अन्तर-राज्य व्यापार को मुक्त करने की आवश्यकता।

(ञ) एक ऐसी केन्द्रीय विधि प्रवर्तन एजेंसी स्थापित किए जाने की आवश्यकता जो उन अपराधों की जांच करने के लिए अधिकृत हो जिनकी अन्तर-राज्य तथा/अथवा अंतर्राष्ट्रीय व्याप्ति हो एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ते हों।

(ट) राज्यों में केन्द्रीय बलों की, जब और जहां परिस्थितियों की ऐसी मांग हो, स्वत: तैनाती के उद्देश्य के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत एक समर्थक विधायन की व्यवहार्यता।

चीन के साथ सहयोग

1281. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने भारतीय रेशम उद्योग के साथ भागीदारी करने में गहरी रूचि व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावित भागीदारी की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) जी नहीं। सरकार को चीन से कोई औपचारिक सहयोगात्मक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ब्रिटेन में दूरदर्शन चैनल

1282. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के पास ग्रेट ब्रिटेन में अपने चैनलों को प्रसारित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य देशों में भी विशेषकर सम्पूर्ण यूरोप में अपने प्रसारण-क्षेत्र में विस्तार करने का भी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) जी, हां। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन ने ब्रिटेन में डीडी-इंडिया और डीडी-न्यूज चैनलों के वितरण के लिए मैसर्स रायत टेलीविजन इंटरप्राइजेज लिमिटेड, यू.के. के साथ करार किए हैं।

(ग) से (ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्वतंत्रता सैनानियों को पेंशन

1283. श्री नवीन जिन्दल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या बढ़ती जा रही है जैसा कि दिनांक 2 जुलाई, 2007 के 'टाईम्स ऑफ इण्डिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक के दौरान राज्य-वार कुल कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने पेंशन प्राप्त की;

(ग) क्या सरकार ने उनकी संख्या में वृद्धि के कारणों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के दावाकर्ताओं की सत्यता की जांच करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) से (ङ) जी नहीं। दिनांक 2 जुलाई, 2007 को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित समाचार में दिए गए आंकड़े उन स्वतंत्रता सैनानियों और उनके आश्रितों को स्वीकृत सम्मान पेंशनों की संचयी संख्या से संबंधित हैं जिन्हें 1972 में स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के शुरू होने से अब तक स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्वीकृत की गई है। ये आकड़े उन स्वतंत्रता सेनानियों की वास्तविक संख्या से संबंधित नहीं हैं जो जीवित हैं और जो वर्तमान में सम्मान पेंशन आहरित कर रहे हैं, जैसा कि प्रकाशित समाचार में गलत उल्लेख किया गया है।

उन स्वतंत्रता सेनानियों की कुल संख्या, जो गत तीन वर्षों के दौरान सम्मान पेंशन आहरित कर रहे थे, उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि ऐसे कोई भी आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं।

[हिन्दी]

खनिज उत्पादन की स्थिति

1284. श्री महावीर भगोरा : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क, एल्युमिनियम, तांबा कोटेड, जिंक (सांद्र), सीसा (सांद्र), स्वर्ण (अयस्क), मैंनीज (अयस्क), क्रोमाईट और हीरे का उत्पादन प्रत्येक वर्ष घटता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन मदों के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य और इन मदों की कुल उत्पादित मात्रा और उक्त मदों की मांग का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उपरोक्त पदार्थों के उत्पादन में गिरावट की वजह से इनकी कीमतों में वृद्धि हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उपरोक्त मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2006-07 में लौह अयस्क, एल्युमीनियम, तांबा सांद्र, जस्ता (सांद्र), सीसा (सांद्र), स्वर्ण (अयस्क), मैंगनीज अयस्क, क्रोमाइट और हीरे के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। तथापि, कुछ खानों में प्रदूषण नियंत्रण संबंधी स्वीकृति के अभाव में खनन कार्य रोक दिए जाने की वजह से वर्ष 2006-07 में हीरे का उत्पादन, पिछले वर्ष की तुलना में घट गया है।

(ग) से (ङ) 1993 में राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा के साथ ही, गैर-ईंधन, गैर-परमाणु खनिज क्षेत्र को निजी निवेश के लिए खोल दिया गया है। इन खनिजों का उत्पादन और खपत, बाजार मांग द्वारा नियंत्रित होती है।

[अनुवाद]

कैदियों के लिए न्यायिक आयोग

1285. **श्री मिलिन्द देवरा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान ने 2007 के आरम्भ में दोनों देशों के सिविल कैदियों को रिहा करने के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया था जैसाकि दिनांक 15 जून, 2007 के 'एशियन ऐज' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) अपने गठन के बाद इस आयोग की कितनी बैठकें हुई हैं;

(ग) अब तक हुई बैठकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस आयोग ने दोनों देशों की जेलों में बंद कैदियों की दयनीय स्थिति का पता लगाने के लिए भारत और पाकिस्तान का दौरा किया है; और

(ङ) यदि हां, तो दोनों देशों की जेलों में कितने कैदी हैं और उन्हें कब तक रिहा किये जाने की सम्भावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) से (ङ) विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि 13-14 जनवरी, 2007 के दौरान विदेश मंत्री पाकिस्तान यात्रा के दौरान दोनों ही पक्ष इस बात पर सहमत थे कि कैदियों के संबंध में एक समिति का गठन किया जाए। इस समिति में उच्च न्यायपालिका के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे जो दोनों देशों की जेलों का दौरा करेंगे और ऐसे कदमों का प्रस्ताव करेंगे जिससे मानवीय व्यवहार और उन कैदियों की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित होगी जिन्होंने कारागार में रहने की अवधि पूरी कर ली हो। 13-14 मार्च, 2007 को हुई विदेश सचिव स्तर की वार्ता में दोनों पक्ष इस बात सहमत थे कि कैदियों से संबंधित समिति में प्रत्येक पक्ष से चार न्यायाधीश हों जो यह सुनिश्चित करेंगे कि दोनों ओर के कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार हो और उन्हें शीघ्र रिहा किया जाए। 3-4 जुलाई, 2007 को नई दिल्ली में हुई गृह सचिव स्तर की वार्ताओं के दौरान दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि दो देशों के ख्यातिप्राप्त सेवानिवृत्त न्यायाधीशों वाली हाल में गठित कैदियों से संबंधित समिति, उन कैदियों की रिहाई और प्रत्यवर्तन को सुकर बनाने के लिए एक उपयोगी माध्यम है जिन्होंने जेल में रहने की अपनी सजा पूरी कर ली हो। इस बात पर सहमति हुई कि तीन माह की अवधि के अंदर बैठकें, एक बैठक भारत में और दूसरी बैठक पाकिस्तान में करने के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी।

हुर्रियत सम्मेलन के साथ बातचीत

1286. **श्री हितेन बर्मन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हुर्रियत सम्मेलन को चर्चा के लिए तैयार करने के लिए नये प्रयास किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर हुर्रियत सम्मेलन की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) हाल ही में हुई चर्चाओं, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) सरकार और विभिन्न विचारधारा वाले लोगों के सभी ग्रुपों और हिंसा का रास्ता छोड़ने के इच्छुक आतंकवादियों के बीच वार्ता के माध्यम से सतत् आधार पर शांति सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार प्रतिबद्ध है। ऑल पार्टी हुर्रियत कान्फ्रेंस के दोनों गुट 24 अप्रैल, 2007 को दिल्ली में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किए गए थे। हालांकि उन्होंने सम्मेलन में भाग नहीं लिया।

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम

1287. **श्री प्रभुनाथ सिंह :**
श्री किन्जरपु यैरननायडु :
श्री नारायण चन्द्र बरकटकी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह संशोधन कब तक किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक, 2006 नामक विधेयक 18.12.2006 को राज्य सभा में पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है

जो पारित होने के पश्चात् विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की जगह ले लेगा। राज्य सभा द्वारा विधेयक को जांच के लिए गृह मंत्रालय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

इण्डियन स्कूल ऑफ माईंस में रिक्त पद

1288. श्री रामदास आठवले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन स्कूल ऑफ माईंस, धनबाद में प्रत्येक श्रेणी में अनुमोदित पदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कुल कितने पद आरक्षित हैं;

(ग) आरक्षित और सामान्य श्रेणी के रिक्त पदों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सामान्य श्रेणी के कुछ व्यक्तियों को आरक्षित पदों पर नियुक्त किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) रिक्त पदों को भरने के लिए की गई/की जाने वाली कार्यवाही क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उच्च शिक्षा में सुधार

1289. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री जसुभाई धनाभाई बारड :
श्री वाडिगा रामकृष्णा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश के उच्च शिक्षा क्षेत्र के पुनर्गठन और सुधार की एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है जैसा कि दिनांक 7 जुलाई, 2007 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अध्यक्ष, यू.जी.सी. और शिक्षा सचिव से परामर्श के पश्चात् 'प्लान पैनल' के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार अभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा और एक समान सेमेस्टर तथा ग्रेड प्रणाली शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) योजना आयोग ने यह संकेत दिया है कि ग्यारहवीं योजना के दौरान केन्द्रीय सहायता में एक अत्यन्त सुदृढ़ सुधार घटक होगा और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य दाखिला, पाठ्यचर्या में पुनरीक्षा, शिक्षण पद्धतियां, प्रबुद्ध संकाय, प्रशिक्षण, कुलपति का चयन अनुसंधान एवं विकास, नेटवर्किंग आदि उच्चतर शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन हेतु सुधारों हेतु सहमत हो। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों को तदनुसार तैयार किया गया है।

(ङ) और (च) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में आई.आई.एम. की स्थापना

1290. श्री एल. राजगोपाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य में एक आई.आई.एम. की स्थापना हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की स्थिति क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कुछ स्थानों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ङ) आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम् में एक भारतीय प्रबन्धन संस्थान की स्थापना करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री को एक पत्र लिखा था। भारत सरकार जब भी देश में नए भारतीय प्रबन्धन संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया आरम्भ करेगी, तभी इस अनुरोध पर विचार किया जाएगा।

कॉफी का उत्पादन

1291. **श्री पी.सी. गद्दीगौडर :**
श्री एम. शिवन्ना :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार विशेषकर कर्नाटक में उत्पादित कॉफी की कुल मात्रा कितनी है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान कॉफी के उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा कॉफी के उत्पादन में वृद्धि के उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कॉफी का राज्य-वार उत्पादन निम्नानुसार है:-

(मीट्रिक टन में)

राज्य	2004-05	2005-06	2006-07(अ)
कर्नाटक	1,98,600	1,96,275	2,06,025
केरल	54,300	56,825	59,475
तमिलनाडु	18,300	18,825	18,225
अन्य	4,300	2,075	4,275
कुल	275,500	2,74,000	2,88,000

(अ) अनन्तिम

(ख) और (ग) वर्ष 2006-07 में कॉफी के उत्पादन में मामूली वृद्धि हुई है। इस तथ्य पर विचार करते हुए की कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे परंपरागत कॉफी उत्पादक राज्यों में कॉफी के क्षेत्र के विस्तार की ज्यादा संभावना नहीं है; आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पूर्वोत्तर जैसे गैर-परम्परागत कॉफी उत्पादक राज्यों में कॉफी के क्षेत्र के विस्तार हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) कॉफी के उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से भारत सरकार कॉफी बोर्ड के जरिए अनेक योजना स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है। इसके अलावा, सभी कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में पुराने कॉफी ब्लॉकों के पुनर्रोपण हेतु समुचित वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

चीन में निर्मित खिलौने

1292. **श्री रशीद मसूद :**
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आयात किए जाने वाले चीन में निर्मित खिलौने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आयात के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत को निर्यात किए जाने वाले चीन में निर्मित खिलौनों पर किए गए पेंट में सीसा और पोलीविनाइल होता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) खिलौने निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अध्याय 95 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। खिलौनों का आयात मुक्त है। विदेश व्यापार नीति के अनुसार, सभी आयात घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं पर लागू होने वाले घरेलू कानूनों, नियमों, आदेशों, विनियमनों, तकनीकी विनिर्देशनों, पर्यावरणीय एवं सुरक्षा मानकों के अधीन हैं।

औद्योगिक विष-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक प्रयोगशाला है, ने 'प्लास्टिक के खिलौनों से थैलेट्स, धातुओं और रंजकों के विक्षालन संबंधी आकलन' पर एक अध्ययन किया था और उसकी रिपोर्ट वर्ष 2002 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत की थी। इस अध्ययन का उद्देश्य प्लास्टिक के ऐसे खिलौने की किस्मों और गुणवत्ता जिनसे बच्चे खेल सकते

हैं, विभिन्न किस्मों से थैलेट प्लास्टिसाइजर्स, धातुओं और रंजकों के विक्षालन की मात्रा, प्लास्टिक के खिलौनों से थैलेट, धातुओं और रंजकों के विक्षालन को प्रभावित करने वाले कारकों और एक प्रश्नावली के प्रयोग से चिकित्सीय जांच के जरिए बच्चों के स्वास्थ्य पर खिलौनों के प्रभाव का सर्वेक्षण करना था।

इस अध्ययन में यह सुझाव दिया गया था कि प्राकृतिक, विष रहित रंगों और रंजकों को बढ़ावा दिया जाए और खिलौने के प्रयोग के दौरान उसके अवयवों के संभावित विक्षालन को कम करने के लिए मानक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाए।

जहां तक खिलौनों के लिए सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं का संबंध है, खिलौने हेतु सुरक्षा अपेक्षाओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने निम्नलिखित तीन मानक प्रकाशित किए हैं:-

1. आईएस 9873 (भाग-1) : 2001/आईएसओ 8124-1 : 2000 खिलौनों के लिए सुरक्षा अपेक्षाएं : भाग: सुरक्षा पहलुओं से संबंधित यांत्रिक एवं भौतिक गुणधर्म

2. आईएस 9873 (भाग-2) : 1999/आईएसओ 8124-2 : 1994 : खिलौनों हेतु सुरक्षा अपेक्षाएं : भाग-2 : ज्वलनशीलता संबंधी अपेक्षाएं

3. आईएस 9873 (भाग-3) : 199/आईएसओ 8124-3 : 1997 खिलौनों हेतु सुरक्षा अपेक्षाएं : भाग 3 : कुछेक तत्वों का विस्थापन, खिलौनों की सामग्री से एन्टीमोनी (एसबी), आर सैनिक (एएस), बेरियम (बीए), कैडमियम (सीडी), क्रोमियम (सीआर) लैड (पीबी), पारा (एचजी) और सेलिनियम (एसई) के लिए निर्धारित अधिकतम स्वीकार्य तत्वों का विस्थापन।

पूर्वोक्त बीआईएस मानक न तो घरेलू विनिर्माताओं और न ही आयातों के लिए अनिवार्य है। तथापि देश में खिलौनों की गुणवत्ता में सुधार हेतु अति लघु, माध्यम और लघु उद्यम मंत्रालय ने मुम्बई और नई दिल्ली स्थित परीक्षण केन्द्रों में खिलौनों के मूल्यांकन हेतु परीक्षण सुविधाओं की स्थापना की है।

[अनुवाद]

द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते

1293. श्री अबु अयीश मंडल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान जी-20 देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी-20 विकासशील देशों का एक समूह है जिनका गठन दोहा दौर के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन की कृषि संबंधी वार्ताओं के ऐसे परिणाम की रक्षा करने के उद्देश्य से 20 अगस्त, 2003 को किया गया था जो दोहा अधिदेश की महत्वाकांक्षा के स्तर और विकासशील देशों के हितों को दर्शाएगा। जी-20 समूह में 23 सदस्य देश शामिल हैं : अफ्रीका के 5 (मिस्र, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और जिम्बाब्वे), एशिया के 6 (चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, फिलीपीन्स और थाइलैंड) तथा लैटिन अमेरिका के 12 (अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राजील, चिली, क्यूबा, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, पराग्वे, पेरू, उरूग्वे और वेनुजुएला)। जी-20 द्विपक्षीय व्यापार के संबंध में कोई मत निर्धारित नहीं किया है।

जी-20 की प्रक्रिया से अलग भारत ने जनवरी, 2004 में मर्कोसुर (अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे और उरूग्वे का एक ब्लॉक) और मार्च, 2006 में चिली के साथ अधिमानी व्यापार करार हस्ताक्षरित किए हैं, ये सभी देश जी-20 के सदस्य हैं।

पालिटेक्निकों में दोहरी पाली

1294. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) ने नए पालिटेक्निकों की स्थापना के लिए भूमि आवश्यकता को 50 प्रतिशत कम करने के लिए पालिटेक्निकों में दोहरी पाली को अनुमति देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भी ऐसी संस्थाओं को शिक्षक प्रदान करने पर विचार कर रही है जो वर्तमान में शिक्षकों की कमी का सामना कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पर्याप्त आधारभूत, संकाय तथा अन्य सुविधाओं से पूर्ण चुनिंदा डिप्लोमा स्तर संस्थाओं को दो परियां संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते ऐसे प्रबन्धों से शिक्षा की गुणवत्ता

प्रभावित न हो। इसके अतिरिक्त उससे विशेषत: कार्यशाला, प्रयोगशालाओं और कान्टेक्ट शिक्षण घन्टों में कमी नहीं आनी चाहिए। डिप्लोमा स्तरीय शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संकाय और अन्य संसाधन भी प्रदान किए जाने चाहिए। परिषद् ने डिप्लोमा स्तर संस्थाओं की स्थापना के लिए भूमि आवश्यकता को 50 प्रतिशत कम कर दिया है। भूमि की नई निर्धारित आवश्यकता निम्न प्रकार है:-

श्रेणी	भूमि (एकड़ में)
बड़े शहर	1.5
राज्य राजधानियों सहित मेट्रो शहर	2.5
अन्य	5

(ख) और (ग) डिप्लोमा स्तर पर संकाय की कमी को दूर करने के लिए, परिषद ने डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के लिए संकाय मानदण्डों में राहत दी है जैसे संकाय छात्र अनुपात 1:15 से 1:20 तक कम कर दिया है और कैडर अनुपात 1:2:6 (विभाग प्रमुख: वरिष्ठ लेक्चरर: लेक्चरर) से 1.3 (विभाग प्रमुख: वरिष्ठ लेक्चर/लेक्चर) में परिवर्तित कर दी है।

जनजातीय कल्याण योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए धनराशि

1295. श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री जुएल ओराम :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यों को प्रशिक्षण के लिए विभिन्न जनजातीय कल्याण योजनाओं के अंतर्गत दी गई निधियों का राज्यवार और योजनावार ब्यौरा क्या है और निधियों के उपयोग और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रशिक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को दी गई धनराशि का राज्यवार और योजना/कार्यक्रमवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित जनजातीय परिवारों का राज्यवार संख्या कितनी है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की योजना का कार्यान्वयन करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वीटीसी) की योजना के अधीन विभिन्न राज्य सरकारों को निर्मुक्त किए गए अनुदानों, उनकी उपयोगिता स्थिति तथा लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (एनजीओ संघटक) की योजना के अधीन गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को योजना-वार और कार्यक्रम-वार दी गई निधियों और स्वैच्छिक संगठनों को दिए गए सहायता-अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण-II और विवरण-III में दिया गया है।

(ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा परिवार-वार लाभार्थियों के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को वीटीसी की योजना के अधीन निर्मुक्त किए गए अनुदान, उनकी उपयोगिता स्थिति और लाभार्थियों की संख्या

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2004-05			2005-06			2006-07		
		निर्मुक्त राशि	राज्य सरकार के पास पड़ी अप्रयुक्त राशि	लाभार्थी	निर्मुक्त राशि	राज्य सरकार के पास पड़ी अप्रयुक्त राशि	लाभार्थी	निर्मुक्त राशि	राज्य सरकार के पास पड़ी अप्रयुक्त राशि	अनुमानित लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	107.90	107.90	900*	67.50	67.50	900

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	असम	62.54	0	500	65.37	65.37	500*	65.37	65.37	500
3.	गुजरात	145.68	0	1415	0	0	0	94.50	94.50	1300
4.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	15.50	0	50	0	0	0
5.	कर्नाटक	66.73	0	1000	68.27	68.27	1000*	67.50	67.50	500
6.	केरल	40.50	40.50	300*	0	0	0	17.32	17.32	175
7.	मध्य प्रदेश	0	0	0	57.00	0	500	198.81	0	1000
8.	मिजोरम	0	0	0	64.78	0	500	0	0	0
9.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	54.00	54.00	400
10.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	63.60	0.66	400	54.00	54.00	400
11.	छत्तीसगढ़	134.55	0	1200	0	0	0	81.00	81.00	1100
12.	सिक्किम		0		42.57	0	300	0	0	0
	कुल	450.00	40.50	4415	485.00	242.20	4150	700.00	501.19	6275

*प्रत्याशित लाभार्थी।

विवरण-II

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठनों की राज्य-वार सूची

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	संगठन का नाम	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
	असम			
1.	डॉ. अम्बेडकर मिशन, कामरूप, असम	1410000	1386000	1410000
2.	ग्राम विकास परिषद, पो.-जुमारपुर, जिला गौगांव, असम	0	2526000	1398000
3.	पठारी वोकेशनल इंस्टीट्यूट, बार लाइब्रेरी, गौगांव, असम	1398000	1398000	1398000
	कुल	2808000	5310000	4206000

1	2	3	4	5
	छत्तीसगढ़			
1.	जिमोलोजिकल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ओल्ड आरटीओ बिल्डिंग देवपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़	0	0	842500
	कुल	0	0	842500
	कर्नाटक			
1.	सोशल एजुकेशनल एंड वोकेशनल एसोसिएशन (सेवा), नं. 12-11-61, अरब मोहल्ला, रायचुर-584101, कर्नाटक	699000	0	0
2.	श्री मंजुनाथ स्वामी विद्या संस्था, देवनगेरे	699000	0	2796000
	कुल	1398000	0	2796000
	मध्य प्रदेश			
1.	अंकित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति, विनय नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	1398000	0	2796000
2.	बंधेवाल शिक्षा समिति, भोपाल	0	1446000	0
	कुल	1398000	1446000	2796000
	महाराष्ट्र			
1.	प्रियदर्शनी ग्रामीण एंड आदिवासी सेवाभावी संस्था, डी.नं. 45-56-9, सालीग्रामपुरम, नरसिम्हनगर अक्कायापालेम, विशाखापत्तनम-500024	0	0	2506201
	कुल	0	0	2506201
	मेघालय			
1.	नॉंगक्रेम यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन, पो.-नॉंगक्रेम, वाया मदामराइटिंग, शिलांग-793021.	50135	396500	1380000
	कुल	50135	396500	1380000

1	2	3	4	5
	राजस्थान			
1.	लक्ष्मी गृह उद्योग सहकारी समिति लि., जिला प्रतापगढ़, राजस्थान	0	0	462000
	ज्वजंस	0	0	462000
	दिल्ली			
1.	भारत सेवाश्रम संघ, श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली	0	188793	0
	कुल	0	188793	0

विवरण-III

विभिन्न प्रशिक्षणों के लिए स्वैच्छिक संगठन को सहायता-अनुदान की योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान वित्तपोषित स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की राज्य-वार सूची

(राशि रुपए में)

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के नाम तथा पते	परियोजना	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6
	आंध्र प्रदेश				
1.	स्वान एजुकेशनल सोसायटी, नजदीक डोक्कालम्मा टेम्पल, आर.पी. रोड, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश	टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र	166320	0	166320
	कुल		166320	0	166320
	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह				
1.	रामकृष्ण मिशन, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0	430020	154152
	कुल		0	430020	154152

1	2	3	4	5	6
	अरुणाचल प्रदेश				
1.	आर.के. मिशन, नरोत्तम नगर, वाया देवमाली जिला तिराप, अरुणाचल प्रदेश	कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	227160	227160	227160
2	विवेकानंद केन्द्र अरुणज्योति, ईटानगर, ईटानगर, जिला पापुम्परे, अरुणाचल प्रदेश	कामगार प्रशिक्षण केन्द्र	350000	350000	0
	कुल		577160	577160	227160
	असम				
1	पथारी वोकेशनल इंस्टीट्यूट, बार लिबराग, नौगांव, असम	कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	312390	208260	208260
2	प्रांतीय सर्वोजनिन कल्याण केन्द्र, लखीमपुर, असम	कताई व बुनाई सिलाई केन्द्र एवं टंकण प्रशिक्षण केन्द्र	0	352500	0
3.	शिशु शिक्षा समिति, गुवाहाटी, असम	कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	227160	0	0
	कुल		539550	560760	208260
	छत्तीसगढ़				
1.	आर.के. मिशन आश्रम, नरसिंहपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़	कृषि प्रशिक्षण एवं सम्बद्ध विषय	0	1503000	1505500
2.	सेवा भारती (मध्य भारत), "मातृच्छाया" स्वामी रामतीर्थ नगर, मैदा मिल के सामने, होशंगाबाद रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश, पिन-462011.	कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र की तीन इकाई	0	445320	227160
	कुल		0	1948320	1732660
	गुजरात				
1.	भारत यात्रा केन्द्र, देदियापाडा, नर्मदा, गुजरात	टंकण प्रशिक्षण केन्द्र	166320	166320	166320

1	2	3	4	5	6
2.	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली-55	दाहोद, गुजरात में कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0	0	405535
	कुल		166320	166320	571855
	झारखंड				
1.	भारत सेवाश्रम संघ (पाकुर), पो./ जिला पाकुर, झारखंड	कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	227160	227160	0
2.	भारत सेवाश्रम संघ (सोनारी), सोनारी (डब्ल्यू), रिवर्स मीट सेड, जमशेदपुर, झारखंड	कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र एवं केन एवं बंबू प्रशिक्षण	427160	427160	427160
3.	आर.के. मिशन विवेकानंद सोसायटी, बिस्तुपुर, जमशेदपुर, झारखंड	कंप्यूटर प्रशिक्षण एवं टंकण प्रशिक्षण केन्द्र	227160	227160	227160
	कुल		881480	881480	654320
	मध्य प्रदेश				
1.	आशसीप कल्याण समिति, 86, विनोबा वार्ड, सिहोरा, जिला-जबलपुर, मध्य प्रदेश	कताई, बुनाई, हथकरघा	0	0	352500
2.	बंधेवाल शिक्षा समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश	कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0	217980	227160
3.	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली-110055	कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0	227160	0
4.	रामा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी, वरीयालखेड़ा, भोपाल, मध्य प्रदेश	कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	227160	227160	227160
5.	सेवा भारती, स्वामी रामतीर्थ नगर, नजदीक मैदा मिल, होशंगाबाद, भोपाल-462011, मध्य प्रदेश	2-कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	227160	224046	227160
	कुल		454320	896346	1033980

1	2	3	4	5	6
	महाराष्ट्र				
1.	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली-110055	कामगार प्रशिक्षण केन्द्र	0	635980	376558
	कुल		0	635980	376558
	मणिपुर				
1.	सेंटर आफ रूरल अपलिफ्टमेंट सर्विस, वांगबाल, जिला थोउबाल, मणिपुर	टंकण व आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र	166320	0	0
2.	क्रिश्चियन ग्रामर स्कूल (चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर), थिंगखाथ, तामेंगलोंग, मणिपुर-795141	कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0	0	2299860
3.	इंस्टीट्यूट आफ सोशल डेवलपमेंट फार वीकर सैक्शन वाईंगखाम लीकाई, खोंगनांग होगीबी, न्यू कच्छार रोड, इम्फाल, मणिपुर	कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	227160	0	0
4.	मणिपुर बार्डर एरिया डेवलपमेंट सोसायटी, चकचिकरोंग, आफो बाजार, चांडेल जिला, मणिपुर	टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र	155160	0	0
5.	रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिला इम्फाल ईस्ट, मणिपुर	कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	316440	0	0
6.	वालंटीयर्स फार रूरल हेल्थ एंड एक्शन, लमदिंग, वांगिंग, मणिपुर	टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र	0	166320	0
	कुल		865080	166320	2299860
	दिल्ली				
1.	भारत सेवाश्रम संघ (दिल्ली), श्रीनिवासपुरी नई दिल्ली	कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	227160	227160	227160
2.	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली-55	कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	227160	227160	227160
	कुल		454320	454320	454320

1	2	3	4	5	6
	उड़ीसा				
1.	अरण्यक, तालमुल ससान, पो. तालमुल, जिला अंगुल, उड़ीसा-759040	कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	90990	0	0
2.	काउंसिल फार ट्राइबल एंड रूरल डेवलपमेंट, प्लॉट नं. 420, साहिद नगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा	कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	94711	0	0
3.	उड़ीसा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, प्लॉट नं. 805 व 823(पी), जयदेव विहार, भुवनेश्वर, उड़ीसा	कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	221265	0	0
4.	आर.के. मिशन, पुरी, उड़ीसा	टंकण व आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र	227160	227160	227160
5.	भारत सेवाश्रम संघ (सोनारी), सोनारी (डब्ल्यू), रिवर्स मीट रोड, जमशेदपुर, झारखंड	कताई, बुनाई व हथकरघा प्रशिक्षण	352500	352500	352500
	कुल		986626	579660	579660
	त्रिपुरा				
1.	आर.के. मिशन, विवेकनगर, त्रिपुरा	कंप्यूटर प्रशिक्षण छात्रावास	227160	227160	227160
	कुल		227160	227160	227160
	पश्चिम बंगाल				
1.	भारत सेवाश्रम संघ (बेलडंगा), बेलडंगा, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	टंकण, आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र	166320	166320	0
2.	भारत सेवाश्रम संघ (मुलुक) वाया बोलपुर, जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल	कताई/बुनाई व हथकरघा	352500	0	352500
3.	भारत सेवाश्रम संघ (नादिया), ग्राम कुसुरिया, पो. प्रीतिनगर, जिला नादिया, पश्चिम बंगाल	कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र व टंकण आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र	393480	393480	393480

1	2	3	4	5	6
4.	भारत सेवाश्रम संघ (पुरुलिया), पो./जिला पुरुलिया, पश्चिम बंगाल	कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	227160	227160	0
	कुल		1139460	786960	745980

[हिन्दी]

राष्ट्रीय तथा राज्य महिला आयोग

1296. श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्रीमती पी. सतीदेवी :

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग की नियमित बैठकें हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग में दर्ज मामलों को शीघ्र निपटाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(च) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य महिला आयोगों और राष्ट्रीय महिला आयोग में दर्ज और निपटाए गए मामलों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(छ) क्या सरकार फास्ट ट्रैक कोर्टों की स्थापना की एन.सी. डब्ल्यू., की मांग के संबंध में कोई पहल करने वाली है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ञ) क्या अभी राज्य स्तरीय आयोग सभी राज्यों में कार्य कर रहे हैं; और

(ट) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय महिला आयोग ने सूचित किया है कि आयोग के अन्य कृत्यों के निर्वहन के साथ-साथ आयोग की अधिकतम बैठकें आयोजित करने के प्रयास किये जाते हैं। पिछले तीन वर्षों में आयोग की 35 बैठकें आयोजित की गयीं।

(ग) से (ङ) आयोग के अनुसार, आमतौर पर आयोग शिकायतों का तेजी से निराकरण करता है, लेकिन शिकायतों का निपटान मुख्य रूप से संबंधित राज्य प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई पर निर्भर करता है।

(च) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उनसे संबंधित सूचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या	उन शिकायतों की संख्या जिनमें कार्रवाई की गई है	अधिदेशित न होने के कारण बन्द मामलों की संख्या
1.	2004	5760	3358	2402
2.	2005	11,610	6629	4454
3.	2006	12,960	7201	4842
4.	2007 (31.03.2007 तक)	3614	1112	514

राज्य महिला आयोगों के संबंध में सरकार सूचना नहीं रखती।

(छ) से (झ) न्याय विभाग द्वारा 'त्वरित विचारण न्यायालय' स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। 11वें वित्त आयोग ने सिफारिश

की थी कि दो वर्ष से अधिक समय से लम्बित पड़े सत्र मामलों के निपटान के लिए राज्यों में 1734 त्वरित विचारण न्यायालय स्थापित किये जाएं, जिनमें से 31.3.2005 तक 1562 न्यायालय कार्य करने लगे थे। 31.3.2005 को इन त्वरित विचारण न्यायालयों के कार्यकाल की समाप्ति पर केन्द्र सरकार ने इन न्यायालयों को 509 करोड़ रुपए की लागत से पांच वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 31.3.2010 तक जारी रखे जाने का अनुमोदन कर दिया।

नियमित न्यायालयों में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए, विधि और न्याय मंत्री ने 10.7.2003 को सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों और सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि केवल महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार के मामलों के निपटान हेतु प्रत्येक जिले में एक त्वरित विचारण न्यायालय निर्धारित किया जाए।

(ञ) और (ट) राष्ट्रीय महिला आयोग राज्य-स्तरीय आयोगों जो स्वतंत्र हैं, के कार्यकरण का पर्यवेक्षण नहीं करता। ये आयोग राज्यों के कार्यक्षेत्र में आते हैं।

[अनुवाद]

कामगार तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना

1297. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक कामगार तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना करने की संभावनाओं पर गौर करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या समिति ने इस विश्वविद्यालय के वित्तपोषण के लिए उद्योग से योगदान की सिफारिश की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस विश्वविद्यालय के मुख्यालय के लिए हैदराबाद की सिफारिश की गई है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) इस मंत्रालय द्वारा डा. जी. संजीवा रेड्डीकी अध्यक्षता में गठित समिति ने दिसम्बर, 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट में एक कामगार तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की गई ताकि अन्य बातों के साथ-साथ कामगारों के परिवारों और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवारों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके जिससे कि उन्हें आज के प्रौद्योगिकी गहन एवं ज्ञान आधारित औद्योगिकी क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप बनाया जा सके।

(घ) और (ङ) जी हां। समिति ने उद्योग जगत से सिफारिश की है कि वे प्रस्तावित विश्वविद्यालय हेतु शिक्षा उपकर के रूप में अपने सकल लाभ का थोड़ा सा हिस्सा (0.5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत तक) योगदान के रूप में दें।

(च) और (छ) जी हां। समिति ने सिफारिश की है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय कामगार तकनीकी विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र पूरा देश होगा और देश के प्रमुख शहरों में क्षेत्रीय केन्द्रों के साथ इसका मुख्यालय हैदराबाद में होगा। मंत्रालय ने एक कोर समिति गठित की है जो राष्ट्रीय कामगार तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना का ब्यौरा तैयार करेगी। 11वीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

सेवा क्षेत्र की जनशक्ति आवश्यकताएं

1298. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा क्षेत्र कृषि और निर्माण क्षेत्रों की तुलना में तीव्र गति से बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों की जनशक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं/प्रस्तावित हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों के लिए पिछले पांच वर्षों के लिए जीडीपी की क्षेत्रीय विकास दरें नीचे दी गई हैं:-

स्थिर मूल्यों पर (1999-2000)

क्षेत्र/वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 क्यू.ई.	2006-07 आर.ई.
1. कृषि	-7.2	10.0	0.0	6.0	2.7
2. उद्योग	7.1	7.4	9.8	9.6	10.9
3. सेवा	7.4	8.5	9.6	9.8	11.0
कारक लागत पर जीडीपी	3.8	8.5	7.5	9.0	9.4

क्यू.ई. : त्वरित अनुमान

आर.ई. : संशोधित अनुमान

(ग) सरकार शिल्पी प्रशिक्षण योजना, एपरेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना, उन्नत व्यवासायिक प्रशिक्षण योजना तथा उच्च-तकनीकी प्रशिक्षण योजना, महिला व्यवासायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षा का व्यावासायीकरण, कम्युनिटी पोलीटेक्निक्स, जन शिक्षण संस्थान आदि जैसे अनेक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास कार्यक्रमों और योजनाओं का संचालन करती है।

हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माणकारी प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद (एनएमसीसी) ने विशेष बल दिए जाने हेतु प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में कौशल उन्नयन को चिन्हित किया है ताकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पुरा किया जा सके।

छात्रों को ऋण

1299. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री वसंतराव भोरे :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार छात्रों को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए न्यून दरों पर ऋण तथा अनुदान प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बड़ी संख्या में छात्र साधनों की कमी के कारण उच्च शिक्षा जारी रखने की स्थिति में नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या वाणिज्यिक बैंक हतोत्साहित करने वाली ब्याज दर प्रभावित करते हैं और संपार्श्विक गारंटी की मांग करते हैं जिससे बैंक ऋण कमजोर वर्गों की पहुंच में नहीं रह पाते;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए न्यून ब्याज दरों पर छात्र ऋण प्रदान करने के लिए एक हायर एजूकेशन रीफाईनांस कॉरपोरेशन की स्थापना की योजना बनाई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) जबकि छात्रों को शिक्षा के लिए कोई सरकारी ऋण की योजना नहीं है तथापि, भारतीय बैंक संघ के पास एक शैक्षिक ऋण योजना है जो बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे पात्र प्रतिभावान छात्रों को (7.5 लाख रुपये तक) तथा विदेश में अध्ययन कर रहे छात्रों को (15 लाख रुपये तक) वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 4 लाख रुपये तक कोई धरोहर अपेक्षित नहीं है तथा पुनर्अदायगी काल/ऋण स्थगन के दौरान सिर्फ साधारण ब्याज लिया जाता है। केन्द्रीय सरकार अपने विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से विदेश अध्ययन फेलोशिप के साथ-साथ राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (भारत में मैट्रिकोत्तर अध्ययन के लिए) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, एकल बालिका बच्चे के लिए इन्दिरा गांधी छात्रवृत्ति योजना, अवरस्नातक स्तर पर ऑनर्स पाठ्यक्रम और जनरल में विश्वविद्यालय रैंक धारक के लिए मैट्रिकोत्तर प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना जैसी अधिकांश छात्रवृत्ति योजना जैसी अधिकांश छात्रवृत्ति योजना चला रही है।

(ङ) से (छ) योजना आयोग और वित्त विभाग से प्राप्त इनपुट के आधार पर एक 'रीफाईनांस कॉरपोरेशन' की स्थापना के लिए प्रस्ताव पर विचार किया गया है और इसके लिए एक वैकल्पिक योजना तैयार की जा रही है।

चाय बागानों में नियोजित महिला कामगारों की समस्याएं

1300. **श्रीमती मिनाती सेन :** क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बागानों में नियोजित महिला कामगार भुखमरी तथा अन्य शोषण के कारण सेक्स वर्कर बन रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कोई पहल कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) असम और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उनके पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बागान फसलें

1301. **डा. एम. जगन्नाथ :**
श्री गणेश सिंह :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बहुत सारी बागान फसलों के लिए एक मेजर रीप्लांटेशन प्रोग्राम शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी फसलें शामिल की गई हैं;

(ग) पुन: उगाई जाने वाली बागान फसलें फसलवार कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र में उगाई जाएंगी; और

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) **चाय:** सरकार ने जनवरी, 2004 में पहले ही चाय उपजकर्ताओं को पुनर्रोपण करने और पुराने चाय क्षेत्रों का नवीकरण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रयोजनार्थ चाय निधि (एसपीटीएफ) शुरू कर दी है। इस कार्यक्रम में चाय के पुराने और खर्चीले खंडों के 2,12,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पुराने पौधों को उखाड़ने और पुनर्रोपण/नवीकरण करने की परिकल्पना की गई है। स्कीम में दीर्घावधि ऋण (50%) और सब्सिडी (25%) के माध्यम से इकाई लागत के 75% की सीमा तक निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करके पुनर्रोपण और नवीकरण की गति तेज करने की परिकल्पना की गई है। उपजकर्ताओं को कुल लागत का केवल 25% हिस्सा लगाना अपेक्षित है। इस स्कीम हेतु 567.10 करोड़ रुपए अर्थात एसपीटीएफ में 91 करोड़ रुपए की मूल पूंजी जमा 476.10 करोड़ रुपए की सब्सिडी का अनुमानित परिव्यय होगा।

कॉफी: सरकार ने वर्ष 2007-08 के केन्द्रीय बजट में पुराने और जीर्ण-शीर्ण काफी बागानों, जो वर्तमान परिस्थितियों में खर्चीले हैं, का पुनरूद्धार करने के लिए कॉफी पुनर्रोपण हेतु एसपीटीएफ की तर्ज पर एक निधि का प्रस्ताव किया है। कॉफी बोर्ड ने कुल 3.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से लगभग 80,000 हेक्टेयर कॉफी क्षेत्र को अभिज्ञात किया है जो खर्चीले हैं और जिनमें अंतत: फार्म उत्पादकता में वांछित स्तरों तक सुधार करने के लिए पुनर्रोपण किया जाना है। इस प्रयोजनार्थ 11वीं योजना में कॉफी बोर्ड द्वारा 180.00 करोड़ रुपए का परिव्यय तैयार किया गया है।

रबड़: रबड़ बोर्ड ने विकास लागत के 25% की दर से रोपण अनुदान के भुगतान हेतु 11वीं योजना में लगभग 50.00 करोड़ रुपए के परिव्यय सहित देश में 33,500 हेक्टेयर में फैले पुराने और खर्चीले रबड़ बागानों के पुनर्रोपण हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया है।

मसाले: मसाला बोर्ड ने इलायची बागानों के पुनर्रोपण और नवीकरण हेतु 11वीं योजना के अंतर्गत छोटी और बड़ी इलायची बागान के लगभग 65,000 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 211.35 करोड़ रुपए के सब्सिडी घटक के साथ चाय हेतु एसपीटीएफ की तर्ज पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

[हिन्दी]

रूस द्वारा भारतीय चावल के आयात पर प्रतिबंध

1302. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी सरकार ने भारतीय चावल, मूंगफली और तिल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) रूसी सरकार द्वारा इन मदों पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हुई हानि की मात्रा कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, हां। (क) उक्त प्रतिबंध चावल में कीटनाशकों के अननुमत्य स्तर का पता चलने (ख) मूंगफली में अन्य कीटों तथा (ग) फफूंदी गंध, एफ्लाटॉक्सिन और धातुचुम्बकीय अधिमिश्रण कर पता चलने के आधार पर लगाया गया था।

(ग) रूस से इन तीनों वस्तुओं के माह-वार आयात की प्रवृत्तियों को देखते हुए दिनांक 1.6.2007, जब रोक लगाई गई थी, से 31.07.2007 तक की अवधि के लिए अनुमानित घाटा 14 करोड़ रुपए का रहा है।

(घ) और (ङ) जी, हां। सरकार ने प्रतिबंध लगाने की रूसी सरकार की मंशा का संकेत मिलते ही तुरंत कदम उठाए हैं। पशु एवं पादप स्वच्छता संबंधी निगरानी के लिए रूसी संघीय सेवा के एक शिष्टमंडल को फरवरी, 2007 में भारत की यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया था। इसके पश्चात, भारतीय शिष्टमंडल के मास्को दौरे के दौरान मास्को में 10 जुलाई, 2007 को चावल हेतु एक प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके बाद रूसी सरकार ने दिनांक 20 जुलाई, 2007 से चावल पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। मूंगफली और तिल पर लगा प्रतिबंध हटाने से संबंधित मामले पर रूसी पक्ष के साथ बातचीत चल रही है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर में नया दूरदर्शन चैनल

1303. **श्री अनवर हुसैन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी राज्यों, विशेषकर पूर्वोत्तर के लिए दूरदर्शन के अतिरिक्त चैनल शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस प्रयोजनार्थ आवंटित धनराशि तथा प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सभी राज्यों विशेषकर पूर्वोत्तर में अतिरिक्त चैनल कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) जी, हां। पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रों में दूरदर्शन की सेवाओं के विस्तार एवं सुधार के लिए एक विशेष पैकेज (चरण-II) को सरकार द्वारा मई, 2006 में अनुमोदित किया गया। इस पैकेज के अंतर्गत अनुमोदित स्कीमों में, अन्य के साथ-साथ, पूर्वोत्तर क्षेत्र के 2 चैनलों की स्कीम शामिल है।

(ग) पूर्वोत्तर पैकेज (चरण-II) की स्कीम के अंतर्गत पूर्वोत्तर चैनलों सहित दूरदर्शन की विभिन्न हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर स्कीमों के संबंध में 256.85 करोड़ रु. की राशि का अनुमोदन किया गया है। ये पूर्वोत्तर चैनल पूर्वोत्तर क्षेत्र के वास्तविक प्रतिनिधि होंगे और वे पूर्वोत्तर क्षेत्र की प्रचलित भाषाओं/बोलियों से सभी पूर्वोत्तर राज्यों से कार्यक्रम प्रसारित करेंगे।

(घ) भू-केन्द्र, गुवाहाटी को पूर्वोत्तर क्षेत्र के उपर्युक्त 2 चैनलों की आर्लिकिंग के लिए एक अतिरिक्त अपलिंक श्रृंखला उपलब्ध कराकर संवर्धित किए जाने की परिकल्पना है। भू-केन्द्र, गुवाहाटी में एक अतिरिक्त अपलिंक श्रृंखला को वर्ष 2008 के दौरान स्थापित कर दिए जाने की आशा है।

[हिन्दी]

भारत और वियतनाम के बीच वार्ता

1304. **श्री राजनारायन बुधौलिया** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और वियतनाम के बीच दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चर्चा के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां।

(ख) वियतनाम के प्रधानमंत्री द्वारा 4 से 6 जुलाई, 2007 तक की गई भारत की सरकारी यात्रा के दौरान वर्ष 2015 तक 5 बिलियन अम.डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार कारोबार हासिल करने की दिशा में कार्य करने पर सहमति हुई थी।

(ग) वियतनाम के प्रधानमंत्री ने भारत और वियतनाम के बीच एक मुक्त व्यापार करार का प्रस्ताव किया। इससे संबंधित विकल्पों पर विचार-विमर्श करने के लिए भारत सहमत हो गया है। भारत ने भारत-आसियान मुक्त व्यापार करार नवम्बर, 2007 तक निष्पादित करने के लिए वियतनाम से समर्थन का अनुरोध किया है।

आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता

1305. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ 'आसियान' के सदस्यों के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समझौते से क्या-क्या लाभ होंगे;

(घ) क्या कुछ आसियान देश श्रीलंका से होकर अवैध व्यापार कर रहे हैं;

(ङ) वित्तीय वर्ष 2005 से 30 जून, 2007 तक भारत और आसियान देशों, चीन और सार्क देशों के साथ कितना व्यापार हुआ; और

(च) सरकार द्वारा सार्क देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए कौन-कौन से प्रयास किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) जी हां। आसियान और भारत के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) संबंधी कार्यढांचा करार पर 8 अक्टूबर, 2003 को बाली, इण्डोनेशिया में हस्ताक्षर किए गए थे। भारत-आसियान व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) पर इस समय वार्ताएं चल रही है। आसियान-भारत सीईसीए से भारत और आसियान के सदस्य देशों के बीच वस्तु, सेवा व्यापार; निवेश और अन्य क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि होने की आशा है।

(घ) अवैध व्यापार के ऐसे किसी विशिष्ट मामले की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) वर्ष 2005 और 30 जून, 2007 के बीच भारत द्वारा आसियान देशों, चीन और सार्क देशों के साथ किए गए व्यापार की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(च) भारत ने नेपाल, भूटान और श्रीलंका के साथ हस्ताक्षरित द्विपक्षीय करारों के तहत इन देशों को शून्य शुल्क बाजार पहुंच प्रदान की है। भारत दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) संबंधी करार पर हस्ताक्षरकर्ता देश है जो दिनांक 1 जनवरी, 2006 से लागू हुआ है। दिनांक 3-4 अप्रैल, 2007 को नई दिल्ली में आयोजित 14 वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान, भारत ने सार्क के अल्प विकसित सदस्य देशों अर्थात बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और नेपाल को इस वर्ष (2007) के अंत तक शून्य शुल्क बाजार पहुंच प्रदान करने का निर्णय लिया है। भारत ने इन अल्प विकसित सदस्य देशों के लिए भारत की संवेदनशील सूची में मदों की संख्या को और कम करने के अपने निर्णय की घोषणा भी की है जिसमें अभी 744 मदें शामिल हैं।

विवरण

आसियान, सार्क तथा चीन के साथ भारत का व्यापार

(मूल्य लाख रुपए में)

देश	2004-2005	2005-2006	% वृद्धि	2006-2007 (अप्रैल-दिसम्बर)
1	2	3	4	5
		निर्यात		
आसियान	3,785,878.06	4,609,447.18	21.75	4,315,587.01

1	2	3	4	5
सार्क	2,069,606.18	2,456,137.14	18.68	2,145,660.87
चीन	2,523,297.00	2,992,491.50	18.59	2,549,394.75
		आयात		
आसियान	4,095,353.64	4,818,583.69	17.66	6,068,842.15
सार्क	448,053.19	625,723.75	39.65	520,078.81
चीन	3,189,230.75	4,811,665.00	50.87	5,764,957.00
कुल	10,255,934.58	13,248,463.94		14,903,272.71

आपदा प्रबंधन निधि

1306. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्यों से आपदा प्रबंधन के लिए केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य को आपदा प्रबंधन के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई और जारी की गई;

(ग) प्रत्येक राज्य के द्वारा इस संबंध में किए गए वास्तविक व्यय और अप्रयुक्त राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को राज्य सरकारों से आपदा प्रबंधन के लिए जारी/लंबित राशि के बारे में सूचना मिलती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) से (ङ) प्राकृतिक आपदाओं के होने पर वित्तीय सहायता आपदा राहत निधि (सी.आर.एफ.) और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन.सी.सी.एफ.) योजनाओं के माध्यम से प्रदान की जाती है, जिसे वित्तीय आयोग की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है।

सी.आर.एफ. का बारहवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) की सिफारिशों के आधार पर आबंटित धनराशि के साथ प्रत्येक राज्य के लिए गठित किया गया है। ये आवंटन, आपदा-वार नहीं किए जाते हैं। सी.आर.एफ. में अंशदान भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच 3:1 अनुपात में किया जाता है। केन्द्रीय अंशदान दो समान किश्तों: पहली जून माह में और दूसरी दिसंबर माह में, में जारी किया जाता है।

गंभीर स्वरूप की आपदा होने पर, जिसमें राहत अभियानों के लिए निधियों की जरूरत राज्य के सी.आर.एफ. खाते में उपलब्ध निधियों से ज्यादा होती है, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के पश्चात राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन.सी.सी.एफ.) से प्रदान की जाती है।

वर्ष 2007 की भारी वर्षा/बाढ़ होने पर अभी तक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश राज्यों ने वित्तीय सहायता की मांग के ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। इन पर कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप की जाती है।

वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान आपदा राहत निधि (सी.आर.एफ.) के केन्द्रीय अंशदान के आबंटन और धनराशि जारी करने और साथ ही राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन.सी.सी.एफ.) से जारी निधियों को दर्शाने वाले ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

1.4.2007 की स्थिति के अनुसार राज्यों के सी.आर.एफ. खाते में सूचित अप्रयुक्त शेष धनराशि को दर्शाने वाला विवरण-III संलग्न है।

विवरण-I

वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान सी.आर.एफ. के केन्द्रीय अंशदान का आबंटन और उसे जारी करना

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	2005-06		2006-07		2007-08	
		आबंटन	जारी की	आबंटन	जारी की	आबंटन	जारी की
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	258.06	258.06	270.96	335.48	284.51	219.99
2.	अरुणाचल प्रदेश	21.23	21.23	21.84	21.84	22.48	11.24
3.	असम	144.79	72.40	148.97	221.37	153.36	76.68
4.	बिहार	111.69	55.85	114.92	55.85	118.31	174.07*
5.	छत्तीसगढ़	83.81	41.91	86.23	150.33	88.76	22.19
6.	गोवा	1.58	0.79	1.66	2.45	1.74	0.87
7.	गुजरात	184.50	184.50	193.73	246.87	203.41	48.57
8.	हरियाणा	93.28	83.95	97.95	107.28	102.85	51.43
9.	हिमाचल प्रदेश	75.52	75.32	77.70	77.70	79.99	40.00
10	जम्मू और कश्मीर	64.84	64.84	66.72	66.72	68.68	34.34
11.	झारखंड	94.56	94.56	97.28	48.64	100.15	48.64
12.	कर्नाटक	86.00	86.00	90.28	113.98	94.81	71.11
13.	केरल	64.13	64.13	67.33	67.33	70.70	70.70
14.	मध्य प्रदेश	190.67	190.67	196.18	246.67	201.37	50.50
15.	महाराष्ट्र	167.18	167.18	175.54	220.00	184.31	47.70
16.	मणिपुर	4.17	—	4.29	—	4.42	10.67
17.	मेघालय	8.47	4.24	8.71	12.95	8.96	4.48

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	मिजोरम	4.94	2.47	5.08	5.01	5.23	@
19.	नागालैंड	2.87	1.44	2.95	—	3.03	4.39
20.	उड़ीसा	226.16	226.16	232.68	291.34	239.53	61.11
21.	पंजाब	109.52	54.76	115.00	112.26	120.74	57.50
22.	राजस्थान	311.73	311.73	327.32	413.66	343.68	85.50
23.	सिक्किम	13.15	13.55	13.53	—	13.93	13.53
24.	तमिलनाडु	156.81	78.41	164.65	243.06	172.88	@
25.	त्रिपुरा	9.64	—	9.92	14.6	10.21	10.07
26.	उत्तर प्रदेश	221.95	221.95	228.36	228.36	235.10	117.55
27.	उत्तराखंड	71.02	71.02	72.44	36.22	73.93	36.22
28.	पश्चिम बंगाल	176.05	176.05	181.12	181.12	186.47	93.24
	कुल	2958.32	2622.94	3073.34	3521.06	3194.14	1287.31

@सी आर एफ के केन्द्रीय अंशदान की पहली किस्त को पहले से जारी धनराशियों को जमा करने और उपयोग प्रमाणपत्र संबंधी सूचना के न होने पर जारी नहीं किया गया है।

*इसमें वर्ष 2006-07 के लिए 114.42 करोड़ रु. के केन्द्रीय अंशदान को जारी करना भी शामिल है।

विवरण-II

वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान एन.सी.सी.एफ. से सहायता को जारी करना

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	जारी की गई सहायता		
		2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	100.00	203.06	17.8
2.	अरुणाचल प्रदेश	68.44	44.38	—
3.	असम	—	—	—
4.	बिहार	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—
6.	गोवा	—	—	—
7.	गुजरात	304.31	545.69	—

1	2	3	4	5
8.	हरियाणा	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	112.97	25.14	–
10.	जम्मू और कश्मीर	309.77	–	13.51
11.	झारखंड	–	–	–
12.	कर्नाटक	358.85	384.97	–
13.	केरल	17.94	–	50
14.	मध्य प्रदेश	–	30.85	–
15.	महाराष्ट्र	657.25	589.90	168.92
16.	मणिपुर	–	–	–
17.	मेघालय	–	–	–
18.	मिजोरम	–	–	–
19.	नागालैंड	–	0.81	–
20.	उड़ीसा	–	25.00	–
21.	पंजाब	–	–	–
22.	राजस्थान	–	100.00	–
23.	सिक्किम	–	5.20	–
24.	तमिलनाडु	1131.91	–	–
25.	त्रिपुरा	–	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	–	–	–
27.	उत्तराखंड	–	7.06	–
28.	पश्चिम बंगाल	–	–	–
	कुल	3061.44	1962.05	250.23

विवरण-III

राज्य-वार अप्रयुक्त शेष धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	1.4.2007 की स्थिति के अनुसार अप्रयुक्त शेष धनराशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.88
3.	असम	118.12
4.	बिहार	475.39
5.	छत्तीसगढ़	150.67
6.	गोवा	11.66
7.	गुजरात	0.00
8.	हरियाणा	558.79
9.	हिमाचल प्रदेश	एन आर
10.	जम्मू एवं कश्मीर	77.977
11.	झारखंड	138.638
12.	कर्नाटक	0.00
13.	केरल	24.81
14.	मध्य प्रदेश	177.35
15.	महाराष्ट्र	0.00
16.	मणिपुर	7.66
17.	मेघालय	47.15

1	2	3
18.	मिजोरम	एन आर
19.	नागालैंड	एन आर
20.	उड़ीसा	19.93
21.	पंजाब	1436.01
22.	राजस्थान	1062.52
23.	सिक्किम	एन आर
24.	तमिलनाडु	एन आर
25.	त्रिपुरा	19.05
26.	उत्तर प्रदेश	827.148
27.	उत्तराखंड	एन आर
28.	पश्चिम बंगाल	574.235

एन आर का अभिप्राय है सूचित नहीं किए गए।

खानों का हवाई सर्वेक्षण

1307. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में खनिजों की खोज और खनन को बढ़ावा देने के लिए कोई हवाई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आज तक कुछ विदेशी कंपनियों को खनिजों का खोज कार्य सौंपा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा भारतीय कंपनियों को सर्वेक्षण कार्य सौंपने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार केवल किसी भारतीय नागरिक अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3(1) के तहत् पंजीकृत किसी कंपनी को खनिज रियायतें प्रदान कर सकती है।

[अनुवाद]

अर्द्धसैनिक बलों तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में एड्स के कारण हुई मौतें

1308. श्री मिलिन्द देवरा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) सहित अर्द्धसैनिक बलों ने जवानों की स्वैच्छिक जांच में एच.आई.वी. पाजिटिव/एड्स के मामलों का पता लगाया है जैसाकि 18 जून, 2007 के 'दि एशियन एज' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार बलवार कितने ऐसे मामलों का पता चला है;

(ग) क्या अर्द्धसैनिक बलों ने जवानों में निवारणात्मक उपायों के बारे में जागरूकता लाने के लिए एक गैर सरकारी संगठन, रिसोर्स सेंटर फोर सेक्सुअल हेल्थ एण्ड एच.आई.वी./एड्स (आर.पी.एस.एच.ए.) की सहायता से 175 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सी.आर.पी.एफ. सहित अर्द्धसैनिक बलों में एच.आई.वी./एड्स के कारण कितनी मौतें हुई हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों में अपनी इच्छा से कराई गई

जांचों के माध्यम से पता लगे एच.आई.वी/एड्स के मामलों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है:-

पी.एम.एफ.	मामलों की संख्या
1	2
ए.आर	458
बी.एस.एफ.	239
सी.आई.एस.एफ.	105
सी.आर.पी.एफ.	521
आई.टी.बी.पी.	25
एन.एस.जी.	06
एस.एस.बी.	09
कुल	1363

(ग) और (घ) सी.आर.पी.एफ. ने भोपाल, गुवाहटी, अवधी और हैदराबाद ग्रुप केन्द्रों पर एन.जी.ओ., रिसोर्स सेन्टर फॉर सेक्सुअल हेल्थ और एच.आई.वी/एड्स (आर.सी.एस.एच.ए.) की सहायता से 158 मास्टर ट्रैनर प्रशिक्षित किए हैं।

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान सी.आर.पी.एफ. कार्मिक जो एच.आई.वी/एड्स के कारण मारे गए कार्मिकों की वर्ष-वार संख्या निम्नानुसार है:-

पी.एम.एफ.	मारे गए कार्मिकों की संख्या (वर्ष वार)				
	2004	2005	2006	आज तक	कुल
ए.आर	14	12	10	04	40
बी.एस.एफ.	26	13	05	12	56
सी.आई.एस.एफ.	07	07	08	03	25
सी.आर.पी.एफ.	28	22	14	08	72
आई.टी.बी.पी.	–	02	02	–	04
एन.एस.जी.	–	01	–	–	01
एस.एस.बी.	–	01	01	–	02
कुल	75	58	40	27	200

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की पुनरीक्षा

1309. श्री प्रबोध पाण्डा :
श्री अधीर चौधरी :
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की पुनरीक्षा करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण और ब्यौरा क्या है;

(ग) यह समीक्षा कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) भारत सरकार के अन्य कौन-कौन से विभागों को समीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ग) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति के लिए केन्द्रीय मंत्रालय के रूप में सतत् आधार पर नीति की समीक्षा करता है।

(घ) एफडीआई संबंधी नीति की समीक्षा अन्तर-मंत्रालयीय परामर्शों के द्वारा की जाती है।

भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों की संबद्धता

1310. **श्री विजय कृष्ण** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों की विदेशी बोर्डों के साथ संबद्धता और विदेशी अध्यापकों को अनुमति देने के संबंध में कोई नीति सुझाने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशें क्या हैं;

(घ) सरकार की तत्संबंधी प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) क्या देश में अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों को स्थापित किए जाने और भारत में इन स्कूलों की विदेशी बोर्ड के साथ संबद्धता के बारे में कोई नीतिगत निर्णय लिया गया है; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (च) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा फरवरी, 2006 में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतिनिधियों और लब्धप्रतिष्ठ शिक्षाविदों को शामिल करके एक समिति गठित की है जो अन्य बातों के साथ-साथ भारत में विदेशी बोर्डों से सम्बद्ध विद्यालय स्थापित करने और ऐसे विद्यालयों में विदेशी शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित नीति का सुझाव देगी। इस समिति द्वारा की जाने वाली मुख्य सिफारिशें किसी विद्यालय को "अंतर्राष्ट्रीय" विद्यालय के रूप में निर्दिष्ट करने, विदेशी बोर्डों से संबंधन, भारतीय संस्कृति, धर्मनिरपेक्षता, विविधता संबंधी मूल्यों के प्रति सम्मान की अपेक्षा, भिन्नता के प्रति सहिष्णुता जैसाकि भारत के संविधान में उल्लिखित है और विदेशी शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित है। सरकार इन सिफारिशों पर विचार कर रही है।

धनराशि का आबंटन

1311. **श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :**
श्री महेश कनोडीया :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के पुन:सर्वेक्षण के लिए धनराशि के अनुमोदन और आबंटन के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. खिन्डिया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निठारी घटना संबंधी जांच समिति

1312. **श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा** : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निठारी, नोएडा में यौन शोषण, बलात्कार और हत्या की जांच के लिए उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) से (ग) जी, हां। निठारी, नोएडा में बड़े पैमाने पर बच्चों के यौन उत्पीड़न, बलात्कार एवं हत्याओं के आरोपों की जांच करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 3 जनवरी, 2007 के आदेश के अनुसार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की, जिसमें गृह मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को 17 जनवरी, 2007 को प्रस्तुत कर दी। यह रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है।

उग्रवादी संगठनों के साथ वार्ता

1313. **श्री हंसराज गं. अहीर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उग्रवादी संगठन, उल्फा के साथ वार्ता करने का विचार है जिससे उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो उन उग्रवादी संगठनों का ब्यौरा क्या है जिनके साथ सरकार ने अभी तक वार्ता की; और

(ग) उनके साथ चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी) : (क) सरकार यूनाईटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) सहित किसी भी उग्रवादी ग्रुप के साथ वार्ता करने के लिए तैयार है बशर्ते कि वे हिंसा त्याग दें। सरकार के पास उल्फा से प्रत्यक्ष बातचीत के लिए कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इस्साक/मुइवा) (एन.एस.सी.एन. (आई/एम), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलैंग) [एन.एस.सी.एन. (के)], यूनाईटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक सॉलिडेरिटी (यू.पी.डी.एस.), दीमा हलम दाओगाह (डी. एच.डी.), नेशनल डेमोक्रटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैंड (एन.डी.एफ. बी.) और अचिक नेशनल वालंटियर काउंसिल (ए.एन.वी.सी.) के साथ संघर्षविराम समझौता/आपरेशनों का स्थगन जारी है।

(ग) यू.पी.डी.एस, डी.एच.डी. और ए.एन.वी.सी. के साथ, उनकी मांगपत्र के संबंध में, त्रिपक्षीय वार्ता के कई दौर आयोजित किए गए हैं और वार्ता अनिर्णीत रही। एन.एस.सी.एन. (आई/एम) के साथ वार्ता आयोजित करने के लिए मंत्री का एक ग्रुप (जी.ओ. एम.) का गठन किया गया है। हाल ही की वार्ता 31.7.2007 को आयोजित की गई। वार्ता अनिर्णीत रही। एन.डी.एफ.बी. और एन.एस. सी.एन. (के) ने अपने मांगपत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं।

[अनुवाद]

वृत्तचित्रों का निर्माण

1314. **श्री किन्जरपु येरनायडु** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सभी केन्द्रों विशेषकर हैदराबाद को वृत्तचित्र और वीडियो कवरेज के लिए दूरदर्शन-वार और राज्यवार आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सभी राज्यों विशेषकर आंध्र प्रदेश के विकास से संबंधित निर्मित वृत्तचित्रों की संख्या क्या है;

(ग) क्या प्राइवेट निर्माताओं/अन्य निर्माताओं द्वारा कोई लघु फिल्में या पूरी लंबाई के वृत्त चित्रों का निर्माण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान वृत्तचित्रवार, राज्यवार स्वीकृत/जारी की गई और खर्च की गई धनराशि कितनी है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि सॉफ्टवेयर निर्माण के लिए निधियों का आवंटन केंद्र-वार किया जा रहा है और केंद्र चैनल की आवश्यकता पर निर्भर करते हुए विभिन्न शैली के कार्यक्रमों की योजना तैयार करते हैं। विभिन्न केंद्रों के लिए सॉफ्टवेयर के संबंध में निधियों के आवंटन का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश के बारे में 38 वृत्तचित्रों सहित सभी राज्यों विशेषकर आंध्र प्रदेश के विकास के संबंध में उक्त अवधि के दौरान निर्मित कुल वृत्तचित्रों की संख्या 2030 है।

(ग) और (घ) जी, हां। वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान दूरदर्शन केंद्र, हैदराबाद में बाह्य निर्माताओं द्वारा निर्मित वृत्तचित्रों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) ब्यौरा विवरण-I में दर्शाया गया है।

विवरण–I

वृत्तचित्रों और वीडियो कवरेज के संबंध में

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	निर्मित वृत्तचित्रों/ फिल्मों की संख्या			कुल आबंटन (हजार रुपये में)			व्यय (हजार रुपये में)			वृत्तचित्रों पर किया गया व्यय (रु. में)		
		2004-05	2005-06	2006-07	04-05	05-06	06-07	04-05	05-06	06-07	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	2	4	3	1055	7570	9915999	1055	6909	7134	1,33,000	2,70,342	2,24,109
2.	चेन्नै (तमिलनाडु)	35	15	9	531	31367	43800	531	31759	37339	70,000	30,000	18,000
3.	जयपुर (राजस्थान)	3	4	8		2800	5387		2728	2924	4,700	28,700	78,700
4.	भुवनेश्वर (उड़ीसा)	19	27	12	9523	15053	17067	9523	9659	12387	55,000	78,000	36,000
5.	मुंबई (महाराष्ट्र)	8	12	5	124628	285214	318650	124628	280981	200985	40,000	60,000	25,000
6.	नागपुर (महाराष्ट्र)	1	1	1	414	1650	2362	414	1769	2490	5,000	3,000	—
7.	अहमदाबाद (गुजरात)	3	1	20	207	16750	23271	207	16263	7559	16,000	4,800	43,450
8.	श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)	—	5	40	77	70730	66219	77	75012	84219	—	1,50,000	13,00,000
9.	भोपाल (मध्य प्रदेश)	12	17	11	396	4117	6852	396	4015	7060	40,000	65,000	37,000
10.	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	15	12	11	315	45870	41085	315	45614	28777	35,000	52,50,000	5,25,000
11.	सीपीसी (दिल्ली)	53	158	269	75584	2166200	327028	75584	2039007	460240	2,25,00,000	2,47,75,000	8,03,75,000
12.	पटना (बिहार)	—	1	1		2434	5155		2433	3646	—	2,500	8,250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	गुवाहाटी (असम)	281	—	—	506	11435	26689	506	7723	17910	4,21,50,000	—	—
14.	पीपीसी, गुवाहाटी	567	15	10	88374	224800	124012	88374	159000	5402	8,35,98,000	2,70,000	1,80,000
15.	इंफाल (मणिपुर)	—	50	49	6300	11295	6171	6300	17000	16065	—	50,00,000	80,00,000
16.	आइजोल (मिजोरम)	—	33	53	4454	10000	3250	4454	16800	16968	—	49,50,000	79,50,000
17.	जालंधर (पंजाब)	4	7	7	559	14120	23115	559	13190	16969	14,000	28,000	10,000
18.	बंगलौर (कर्नाटक)	—	—	—	1377	33145	35975	1377	31248	23751	—	—	—
19	शिमला (हिमाचल प्रदेश)	—	3	10		1450	3817		1450	4300	—	15,000	4,500
20.	अगरतला (त्रिपुरा)	—	53	14	5615	13000	8346	5615	18300	15537	—	79,50,000	21,00,000
21.	रांची (झारखंड)	—	2	7	697	2367	3017	697	2324	3553	—	18,000	80,100
22.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	9	11	11	308	38920	36860	308	30296	32612	62,900	56,100	1,19,100
23.	दिल्ली	16	14	6	125980	265300	5500	125980	247728	6289	—	—	—
	योग	1028	445	557	446900	3277237	11055806	1028	3062977	1016606	5,20,73,900	4,90,07,442	10,11,14,209

विवरण-II

दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद में गत तीन वर्षों अर्थात् 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान बाहरी निर्माताओं द्वारा निर्मित वृत्तचित्रों का ब्यौरा।

क्रम.सं.	शीर्षक
1.	घंटाशाला
2.	गुंडलामाता
3.	जगद्गुरु शंकरा (आंध्र प्रदेश का भ्रमण किया और श्रीशैलम में रहे)
4.	लाया (आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय संगीत)
5.	प्रजानायकुडु प्रकासम
6.	दुर्गाबाई देशमुख
7.	सिद्धेंद्र योगी
8.	तेलंगाना केसरी जमालपुरम क्रेसव राव
9.	वग्गेयाकरुलु
10.	आंध्र डांस फोरम
11.	राजा दीन दयाल

कोयला वितरण नीति

1315. **श्रीमती निवेदिता माने :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई कोयला नीति में सीमेंट क्षेत्र को ''कोर क्षेत्र'' की श्रेणी से ''अन्य क्षेत्र'' की श्रेणी में रखे जाने का प्रस्ताव है जैसा कि 28 जून, 2007 के 'बिजनेस स्टैण्डर्ड' में प्रकाशित हुआ है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) क्या औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने कोयला विभाग के इस प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने अशोका स्मोकलेस एंड अन्य के मामलों में अन्य बातों के साथ-साथ कोयले के वितरण के लिए नई कोयला नीति तैयार करने के लिए निर्देश दिये हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों तथा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कोयला मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग सहित विभिन्न पणधारकों से विचारों और टिप्पणियों को ध्यान में रखकर कुछ सिफारिशें की हैं। इस समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन

1316. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा अपने संसाधन सृजित करने के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए लोक वित्त मानदण्डों में परिवर्तन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से मानदण्डों को शिथिल करने का अनुरोध किया है जैसा कि भारतीय प्रबंध संस्थान के मामले में किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वित्त मंत्रालय की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ङ) विश्वविद्यालयों/कालेजों को उनके आन्तरिक संसाधनों को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित विश्वविद्यालयों और कालेजों के लिए आन्तरिक प्राप्तियों के जरिए 'रिजर्व फंड' के प्रबंध एवं सृजन हेतु एक योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

अल्पसंख्यक संस्थाएं

1317. **श्री असादुद्दीन ओवेसी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंग्रेजी को एक विषय के रूप में रखते हुए उर्दू विद्यालय खोले जाने संबंधी कुछ प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद ने अपने प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन उर्दू माध्यम के वरिष्ठ माध्यमिक आवासीय स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। ये स्कूल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध होंगे और इनमें कक्षा 1 से 12 तक अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में पढाया जाएगा। प्रायोगिक आधार पर हैदराबाद और दरभंगा में एक-एक स्कूल खोला गया है।

शैक्षिक प्रणाली में परिवर्तन

1318. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी और आई.टी.ई.एस. तथा अन्य संबंधित उद्योगों में मौजूदा तेजी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन और सुधार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफटवेयर एण्ड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम) ने इस बारे में सरकार को कोई प्रस्ताव व सुझाव प्रस्तुत किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ङ) नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफटवेयर एण्ड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम) ने नैसकॉम-मैकिन्से रिपोर्ट, 2005 के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के भावी क्षेत्र के संबंध में दिनांक 19.12.2005 को प्रधानमंत्री के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण दिया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को अपने वर्तमान बाजार शेयर को बनाए रखने के लिए वर्ष 2010 तक 2.3 मिलियन सूचना प्रौद्योगिकी तथा बी.पी.ओ. कार्यबल की जरूरत होगी। नैसकॉम की सप्लाई प्रोजेक्शनस लगभग 0.5 मिलियन कर्मचारियों की कमी को दर्शाती हैं, इनमें से लगभग 70% भाग बी.पी.ओ. उद्योग में लगेगा। तथापि, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने यह भविष्यवाणी की है कि इंजीनियरी पाठ्यक्रमों के नामांकन में 15% की प्रत्याशित वृद्धि से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की नौकरियों के लिए जनशक्ति की कोई कमी नहीं होगी।

सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी/बी.पी.ओ. क्षेत्र के लिए प्रतिभावान कार्मिकों की आपूर्ति में सुधार संबंधी सिफारिशों हेतु सचिव (उच्चतर शिक्षा) की अध्यक्षता में तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, आर्थिक मामलों का विभाग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नैसकॉम, उद्योग आदि के प्रधिनिधियों के साथ दिनांक 27.6.2006 को एक कार्यदल का गठन किया। कार्यदल के अनुमोदन के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद पूर्व स्नातक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रों की पाठ्यचर्या तथा पाठ्यसामग्री को आई.टी. एंड आई.टी.ई.एस. तथा सम्बद्ध उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप बनाने हेतु अद्यतन कर रही है।

कार्यदल के अनुमोदनानुसार, अन्य इंजीनियरी कालेज के इंजीनियरी स्नातकों के नियोजन को बढ़ाने के लिए कुछेक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की में फिनिशिंग स्कूल भी गठित किए गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी 11वीं योजना के दौरान देश में 20 नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है।

नवोदय विद्यालयों में मलयालम भाषा

1319. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में स्थित नवोदय विद्यालयों की ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षाओं में मातृभाषा मलयालम नहीं पढ़ाई जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में स्थित नवोदय विद्यालयों की ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षाओं में मलयालम में शिक्षण शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) केरल राज्य में दो जवाहर नवोदय विद्यालयों में मलयालम पढ़ाई जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) नवोदय विद्यालय समिति ने पहले ही अपने क्षेत्रीय कार्यालय को कक्षा XI और XII में छात्रों द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर मलयालम सहित क्षेत्रीय भाषाओं की शिक्षा आरंभ करने के लिए निदेश दिए हैं।

अनुसूचित जनजाति की सूची में समुदाय को शामिल किया जाना

1320. श्री जुएल ओराम :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान आज तक अनुसूचित जनजाति की सूची में कितने समुदायों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किए जाने की अर्हता संबंधी बहुत सी सिफारिशें अभी भी सरकार की स्वीकृति के लिए उसके पास लंबित पड़ी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) हाल ही में अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने वाले समुदायों को किस प्रकार का संरक्षण दिया जा रहा है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 में अभी तक किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है।

(ख) सरकार ने, 15-6-99 को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के विनिर्देशन से संबंधित आदेशों में समावेशन, अपवर्जन और अन्य आशोधन करने के दावों के अवधारण से संबंधित प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं। इन अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार, विधान में संशोधन के लिए केवल औचित्यपूर्ण और संबंधित राज्य सरकार, भारत के महापंजीयक और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा संस्तुत प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। इन तीन संबंधित संगठनों द्वारा औचित्यपूर्ण पाए गए और संस्तुत कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय में लंबित नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

लक्षद्वीप के छात्रों को रियायत

1321. श्री पी.पी. कोया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्षद्वीप से बाहर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्ववित्त पोषित संस्थानों सहित विभिन्न संस्थानों में अध्ययन कर रहे लक्षद्वीप के छात्रों को क्या रियायत दी जाती है;

(ख) क्या सरकार लक्षद्वीप के अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मुख्य भूमि में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्ववित्त पोषित संस्थानों में उन विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने की अनुमति देती है जो पाठ्यक्रम द्वीप पर उपलब्ध नहीं हों;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले पूरे फीस की प्रतिपूर्ति करती है;

(घ) क्या स्ववित्त पोषित संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले फीस के भुगतान तथा अन्य रियायतों से संबंधित लक्षद्वीप प्रशासन का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष लम्बित है; और

(ङ) यदि हां, तो इन्हें कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) लक्षद्वीप में रहने वाले छात्रों, जो कि वहां की अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मूल निवासी हैं, को लक्षद्वीप छात्रवृत्ति नियमों के तहत वित्तीय सहायता सहित अन्य रियायतें दी जाती हैं। मान्यताप्राप्त संस्थाओं में मान्यताप्राप्त मेट्रिकोत्तर पाठ्यक्रम करने वाले लक्षद्वीप के सभी अनुसूचित जनजातीय छात्र अनुसूचित जनजातियों हेतु मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, जो कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक स्कीम

है, के पात्र हैं। इस स्कीम के तहत सरकारी स्कूलों/कालेजों द्वारा वसूल की गई फीस का पूरा पुनर्भुगतान किया जाता है। गैर-सरकारी संस्थाओं में मेरिट अथवा प्रतियोगिकता आधार पर भरी गई सीटों के संबंध में फीस का उस सीमा तक पुनर्भुगतान किया जाता है जितनी सरकारी संस्थाओं के छात्रों से ली जाती है। प्रबंधन कोटे की सीटों के संबंध में फीस का उस सीमा तक पुनर्भुगतान किया जाता है जितनी सरकारी संस्थाओं में समतुल्य पाठ्यक्रमों के लिए ली जाती है, परन्तु छात्रों की संख्या संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित कोटे तक सीमित रखी जाती है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

निजी पार्टियों को एफ.एम. रेडियो स्टेशन दिया जाना

1322. **श्री चंद्रकांत खैरे :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार खोले गऐ और निजी पार्टियों को सौंपे गये एफ. एम. रेडियो स्टेशनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनकी रेंज में शामिल किए जाने वाले ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के खासकर उत्तर-पूर्व के शत-प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों को एफ.एम. रेडियो के माध्यम से कवर करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) निजी पक्षकारों को आबंटित और अभी तक परिचालित एफ.एम. रेडियो स्टेशनों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) निजी एजेंसियों के जरिए एफ.एम. रेडियो प्रसारण सेवाओं के विस्तार संबंधी नीति में केवल शहर-वार विशिष्ट चैनलों का प्रावधान है। अभी तक आबंटित सभी निजी एफ.एम. रेडियो स्टेशनों को शहरी क्षेत्रों (87 शहरों) में अवस्थित किया जाएगा। इसमें ए, + ए, बी, सी और डी श्रेणी के शहर शामिल हैं। तथापि, ट्रांसमीटरों के कवरेज क्षेत्र का विस्तार नजदीक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी हो सकता है।

(ग) और (घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित चैनलों के शहर-वार आबंटन के अलावा इस समय निजी एफ.एम. प्रसारकों के जरिए देश के शत-प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करने की कोई अन्य विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, एफ.एम. रेडियो कवरेज सुदृढ़ करने के प्रयोजनार्थ आकाशवाणी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 121 एफ.एम. ट्रांसमीटरों (100 वाट से 10 किवा की क्षमता-रेंज में) के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। इसके अतिरिक्त, कोहिमा, ईटानगर, एजवाल और चूड़ाचांदपुर के लिए भी ट्रांसमीटर तैयार हैं।

विवरण

निजी एफ.एम. चैनलों का ब्यौरा

क्र.सं.	शहर का नाम	राज्य	निजी पक्षकारों को सौंपे गए कुल चैनल	शुरू किए गए/चालू एफ एम चैनल
1	2	3	4	5
1.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	4	4
2.	राजामुंदरी		2	2
3.	तिरूपति		2	1

1	2	3	4	5
4.	विजयवाड़ा		2	0
5.	विशाखापटट्नम		4	1
6.	वारांगल		2	0
7.	ईटानगर	अरुणाचल प्रदेश	1	0
8.	गुवाहाटी	असम	4	2
9.	मुजफ्फरपुर	बिहार	1	0
10.	पटना		1	1
11.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	2	2
12.	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	2	0
13.	रायपुर		4	0
14.	दमन	दमन एवं दीव	1	0
15.	दिल्ली	दिल्ली	8	8
16.	पणजी	गोवा	3	3
17.	अहमदाबाद	गुजरात	5	4
18	राजकोट		3	0
19.	सूरत		4	0
20.	वड़ोदरा		4	3
21.	हिसार	हरियाणा	4	4
22	करनाल		2	2
23.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	3	0
24.	जम्मू	जम्मू एवं कश्मीर	1	1
25.	श्रीनगर		1	1

1	2	3	4	5
26.	जमशेदपुर	झारखंड	3	0
27.	रांची		4	0
28.	बंगलौर	कर्नाटक	7	7
29.	गुलबर्गा		2	0
30.	मंगलौर		4	0
31.	मैसूर		2	0
32.	कोचीन	केरल	3	0
33.	कन्नूर		4	0
34.	कोजीकोडे		2	0
35.	तिरुवनंतपुरम		4	0
36.	त्रिशूर		4	0
37.	भोपाल	मध्य प्रदेश	4	3
38.	ग्वालियर		4	3
39.	इंदौर		4	2
40.	जबलपुर		4	0
41.	अहमदनगर	महाराष्ट्र	3	0
42.	अकोला		2	0
43.	औरंगाबाद		2	1
44.	धूले		1	0
45.	जलगांव		3	0
46.	कोल्हापुर		2	0
47.	मुंबई	महाराष्ट्र	7	6

1	2	3	4	5
48.	नागपुर		4	0
49.	नान्देड़		2	0
50.	नासिक		2	1
51.	पुणे		4	1
52.	सांगली		2	0
53.	शोलापुर		2	0
54.	शिलांग	मेघालय	2	0
55.	आइजोल	मिजोरम	1	0
56.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	3	3
57.	राउरकेला		2	0
58.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	3	0
59.	अमृतसर	पंजाब	4	2
60.	जालंधर		4	4
61.	पटियाला		4	1
62.	अजमेर	राजस्थान	3	0
63.	बीकानेर		1	1
64.	जयपुर		5	5
65.	जोधपुर		4	0
66.	कोटा		3	0
67.	उदयपुर		3	2
68.	गंगटोक	सिक्किम	3	0
69.	चेन्नई	तमिलनाडु	8	7

1	2	3	4	5
70.	कोयम्बटूर		4	1
71.	मदुरई		3	0
72.	त्रिची		2	0
73.	तिरुनेलवेली		3	1
74.	तूतीकोरीन		3	0
75.	अगरतला	त्रिपुरा	1	0
76.	आगरा	उत्तर प्रदेश	3	1
77.	अलीगढ़		1	1
78.	इलाहाबाद		3	0
79.	बरेली		2	2
80.	गोरखपुर		1	1
81.	झांसी		1	1
82.	कानपुर		3	2
83.	लखनऊ		3	1
84.	वाराणसी		4	2
85.	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	2	1
86.	कोलकाता		9	6
87.	सिलीगुड़ी		4	0
	कुल		266	108

हथकरघा बुनकर

1323. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के हथकरघा बुनकरों को सशक्त बनाने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस स्कीम के अंतर्गत कच्चे माल की आपूर्ति, विपणन

सहयोग, प्रौद्योगिकी उन्नयन और बुनकर-कल्याण हेतु प्रत्येक कलस्टर में प्रमुख क्षेत्र की सभी आवश्यकताओं को शामिल किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र के विकास हेतु कर्नाटक राज्य को सहायता हेतु बनाई गई कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) से (ग) भारत सरकार ने मिल गेट कीमत योजना, विविधीकृत हथकरघा विकास योजना शुरू की है और ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान एकीकृत हथकरघा विकास योजना, हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना तथा विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित एकीकृत हथकरघा विकास योजना में स्वसहायता समूहों के निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, अभिकल्प एवं उत्पाद विकास, विपणन सहायता के अनुसार चुनिंदा समूहों के बुनकरों की आवश्यकताओं को शामिल किया जाएगा।

(घ) एकीकृत और सकल विकास के लिए चुने गए 20 हथकरघा समूहों में से कर्नाटक राज्य में गडग समूह एक है। प्रत्येक समूह का विकास 2.00 करोड़ रुपये तक की लागत पर 4 वर्ष की समय सीमा में किया जाएगा। कर्नाटक हथकरघा विकास निगम, गडग समूह के विकास के लिए क्रियान्वयी एजेंसी है। वर्ष 2007-08 की कार्य योजना जिसमें डिजायनर को संलग्न करना, उत्पाद विकास, कुशलता उन्नयन प्रदर्शनियों/मेलों का आयोजन आदि जैसे अनेक सम्मिलित कार्रवाईयां कर्नाटक हथकरघा विकास निगम के क्रियान्वयन के अधीन है। अतिरिक्त पांच हथकरघा समूहों अर्थात् (1) महालिंगपुर-बगलकोट जिला, (2) चाल्लोकेरे कस्बा, चित्रदुर्ग जिला, (3) कॉल्लेगल-चामराजनगर जिला, (4) तिम्मसंदरा-कोलार जिला, और (5) मुलकलमुरू-चित्रदुर्ग जिला; का कर्नाटक राज्य में चयन किया गया है और इनकी नैदानिक अध्ययन कर लिया गया है।

भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा अन्य एजेंसियों के माध्यम से हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए योजनाओं को कार्यान्वित करती है। 11वीं योजना के लिए योजनाओं के अनुमोदन के पश्चात राज्य सरकारों को कर्नाटक सहित अपने-अपने राज्यों में हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए कहा जाएगा।

केबल ऑपरेटरों को निदेश

1324. **श्री एस.के. खारवेनथन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से केबल ऑपरेटर देश में अनिवार्य कतिपय डी.डी. चैनलों का प्रसारण नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार की ओर से केबल ऑपरेटरों को कोई निदेश दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन मार्गनिर्देशों/निदेशों का उल्लंघन करने वाले केबल ऑपरेटरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश भर में पंजीकृत केबल ऑपरेटरों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण कोई व्यक्तिगत निदेश जारी नहीं किए गए हैं। तथापि, राज्य सरकारों से केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के उपबंधों को लागू करने का अनुरोध किया गया है ताकि प्रसार भारती द्वारा अधिसूचित चैनलों और भारत की संसद द्वारा अथवा उसकी ओर से परिचालित चैनलों के पुन:प्रसारण का सुनिश्चयन किया जा सके।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राज्य सरकारों से पूर्वोक्त अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित प्राधिकृत अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी केबल ऑपरेटर अपनी सेवा में डीडी चैनलों का प्रसारण करें जो कि देश के लिए अनिवार्य हैं, उनके द्वारा ऐसा न किए जाने पर, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

असम चाय उद्योग का संवर्धन

1325. **श्री एम.के. सुब्बा** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के चाय उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "असम चाय" को विशेष ब्रांड नाम दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 और चालू वर्ष के दौरान असम चाय का कितना निर्यात किया गया है; और

(घ) इसके निर्यात को बढ़ावा देने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, हां। चाय बोर्ड ने असम क्षेत्र की परम्परागत चाय को "असम आर्थोडॉक्स" का विशेष ब्राण्ड नाम दिया है। असम की चाय का संवर्धन बोर्ड के संवर्धनात्मक कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित व्यापार मेलों के माध्यम से किया जाता है।

(ग) चाय मुख्यत: मिश्रित रूप में थोक में अथवा पैकेटों में निर्यात की जाती है, अत: चाय बोर्ड द्वारा चाय के निर्यात की उद्गमवार जानकारी नहीं रखी जाती। तथापि वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 तथा चालू वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर डिपो (आई. सी.डी.), अमीनगांव (असम) से चाय के निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	मात्रा (मिलियन किग्रा.)	मूल्य (करोड़ रुपये)
2004-05	20.31	183.89
2005-06	20.39	191.24
2006-07*	28.14	265.48
2007-08* (अप्रैल-जून)	2.17	23.41

*अनुमानित

(घ) भारत से चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

- चाय बोर्ड चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है जिनमें विदेशी बाजारों में संवर्धनात्मक कार्यकलाप करना तथा भारतीय चाय निर्यातकों को उनके विपणन प्रयासों में संवर्धनात्मक सहायता प्रदान करना भी शामिल है।
- निर्यात गुणवत्ता वाली परम्परागत चाय की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु परम्परागत चाय के उत्पादन हेतु प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने एक स्कीम लागू की है।
- असम स्थित आई.सी.डी, अमीनगांव से निर्यातित चाय पर व्यय किए गए अतिरिक्त परिवहन एवं प्रहस्तन प्रभारों की प्रतिपूर्ति हेतु चाय निर्यातकों को सहायता देने के लिए भी सरकार ने एक स्कीम लागू की है।

हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र हेतु योजनाएं

1326. **श्री ई.जी. सुगावनम** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योगों के लिए इस समय कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा कुछ योजनाओं का विलय किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तथा इस क्षेत्र में और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान समन्वित और सामूहिक ढंग से हथकरघा क्षेत्र का विकास तथा हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए सहायता प्रदान करने के ध्येय से अखिल भारतीय आधार पर हथकरघा क्षेत्र में निम्नलिखित पांच योजनाएं कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है:-

(1) एकीकृत हथकरघा विकास योजना।

(2) विपणन और निर्यात संवर्धन योजना।

(3) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना।

(4) मिल गेट कीमत योजना।

(5) विविधीकृत हथकरघा विकास योजना।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देने और उसका विकास करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर हस्तशिल्प क्षेत्र में निम्नलिखित 6 योजनाएं कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है:-

(1) चुनिंदा शिल्प समूहों के एकीकृत विकास के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना।

(2) विपणन और सहायता सेवा।

(3) डिजाइन और प्रौद्योगिकी उन्नयन।

(4) अनुसंधान और विकास।

(5) मानव संसाधन विकास।

(6) कल्याणकारी योजनाएं।

(ख) और (ग) जी, हां, दसवीं पंचवर्षीय योजना में संचालित दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, कार्यशाला-सह-आवास योजना तथा एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना नामक योजनाओं को ग्यारहवीं योजना के दौरान परिशोधित एकीकृत हथकरघा विकास योजना में विलय किए जाने का प्रस्ताव है। विपणन संवर्धन कार्यक्रम तथा हथकरघा निर्यात योजना को परिशोधित रूप में विपणन और निर्यात संवर्धन योजना में, स्वास्थ्य बीमा योजना तथा महात्मा गांधी बीमा बुनकर योजना को परिशोधित हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना में विलय किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। मिल गेट कीमत योजना को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखने के लिए पहले ही अनुमोदित किया गया है तथा अभिकल्प विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम को परिशोधित रूप में विविधीकृत हथकरघा विकास योजना में विलय कर दिया गया है।

जहां तक हस्तशिल्प क्षेत्र का संबंध है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संचालित निर्यात संवर्धन योजना को 11वीं योजना के दौरान विपणन सहायता और सेवा योजना में विलय किए जाने का प्रस्ताव है। प्रशिक्षण और विस्तार योजना का नाम परिवर्तित करके मानव संसाधन विकास कर दिया गया है। हस्तशिल्प के शिल्पकारों के लिए बीमा योजना तथा राजीव गांधी शिल्प स्वास्थ्य योजना का नाम परिवर्तित करके हस्तशिल्प शिल्पकार व्यापक कल्याण योजना में विलय कर दिया गया है। क्रेडिट गारण्टी योजना को बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना में विलय किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) सरकार द्वारा हथकरघा/हस्तशिल्प क्षेत्रों में रोजगार संवर्धन एवं सृजन के लिए उठाए गए कदम उपर्युक्त (क) के उत्तर में उल्लिखित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हैं।

समेकित बाल संरक्षण योजना

1327. श्री के.सी. पल्लानी शामी :
श्रीमती मिनाती सेन :

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रकार से जोखिम-ग्रस्त बच्चों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों और योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 से आज तक इनमें से प्रत्येक योजना के तहत बाल संरक्षण हेतु प्रदत्त/उपयोग की गई कुल धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन योजनाओं को सभी राज्यों में लागू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बच्चों के कल्याणार्थ निम्नलिखित स्कीमें चला रहा है:

(i) किशोर न्याय कार्यक्रम;

(i) निराश्रित बच्चों हेतु समेकित कार्यक्रम;

(iii) देश के भीतर दत्तकग्रहण को बढ़ावा देने हेतु शिशुगृहों को सहायता स्कीम;

(iv) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के कल्याणार्थ स्कीम।

(ख) वर्ष 2004-05 से वर्ष 2007-08 तक इन स्कीमों के अंतर्गत बजट आबंटन और जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) मंत्रालय ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देश के सभी राज्यों में बच्चों के समग्र विकास हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से मौजूदा स्कीमों का विलय करके एक नई केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 'समेकित बाल संरक्षण स्कीम' निरूपित की है।

विवरण

वर्ष 2004-05 से वर्ष 2007-08 तक बजट आबंटन तथा जारी की गई निधियों का ब्यौरा

क्र. सं.	स्कीमों के नाम	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08	
		बजट आबंटन	जारी की गई निधियां	बजट आबंटन	जारी की गई निधियां	बजट आबंटन	जारी की गई निधियां	बजट आबंटन	जारी की गई निधियां
1.	किशोर न्याय कार्यक्रम	18.90	19.71	22.69	20.03	24.55	21.78	21.00	1.91
2.	निराश्रित बच्चों हेतु समेकित कार्यक्रम	12.40	11.78	12.20	10.59	11.00	10.16	10.00	1.84
3.	देश के भीतर दत्तकग्रहण को बढ़ावा देने हेतु शिशु-गृहों को सहायता स्कीम	2.65	2.23	5.00	2.24	3.00	2.59	3.00	0.52
4.	देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के कल्याणार्थ स्कीम	1.00	0.07	2.00	1.12	3.00	2.77	7.00	1.87

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में भाषाएं

1328. **श्री किन्जरपु येर्रननायडु** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कन्नड़, तेलगु, तमिल तथा द्रविड़ भाषा विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के समकक्ष दर्जा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इन चार भाषा विश्वविद्यालयों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

काजू की खेती

1329. **श्री नारायण चन्द्र बरकटकी** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर-पूर्व में काजू की खेती को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ग) काजू की खेती और विपणन हेतु दी जाने वाली राजसहायता का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) सरकार का भारत सरकार के प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में काजू की खेती में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। राज्यों को उनके अपने-अपने राज्य विकास विभाग द्वारा सुझाए गए मानकों के अनुसार उनकी वार्षिक कार्य योजना में यथा संस्वीकृत निधियां सीधे प्रदान की जाती हैं। नई बागान विकास स्कीम के लिए 13,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से वित्तीय सहायता तीन किस्तों में दी जा रही है। पूर्वोत्तर के लिए प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत लक्ष्य और उपलब्धियां (2003-07) निम्नानुसार हैं:-

(लाख रुपये)

राज्य	लक्ष्य					
	2004-05		2005-06		2006-07	
	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
मेघालय	155	20.150	225	29.250	380	48.400
नागालैंड	320	41.600	स्वीकृत नहीं	प्री.मि. के अंतर्गत	200	26.000
असम	400	52.000	500	65.000	500	65.000
त्रिपुरा	300	39.000	600	78.000	500	65.000
मणिपुर	45	5.850	कोई स्वीकृति नहीं	—	कोई स्वीकृति नहीं	—

(ग) काजू निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा भारत सरकार के विभिन्न स्कीमों अर्थात बाजार विकास सहायता (एम.डी.ए.), बाजार पहुंच पहल (एम.ए.आई.) स्कीम आदि के अंतर्गत विपणन/निर्यात संवर्धन हेतु काजू प्रसंस्कर्त्ताओं/निर्यातकों को सहायता प्रदान की जाती है।

(लाख रुपये)

वर्ष	एम डी ए	एम ए आई
2004-05	0.46	शून्य
2005-06	10	शून्य
2006-07	18.75	25.78

[हिन्दी]

पेटेन्ट के लिए आवेदन पत्र

1330. श्री महावीर भगोरा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री भारतीय सम्पदा अधिकार पेटेंट कार्यालयों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के बारे में 8 मई, 2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4563 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक विभिन्न मदों के पेटेन्ट के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) और पेटेन्ट कार्यालयों को कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कुल कितने आवेदनों को स्वीकृति दी गई;

(ग) इन कार्यालयों में कितने आवेदन पत्र अभी भी लंबित पड़े हैं; और

(घ) सभी लंबित आवेदनों की स्वीकृति हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) गत तीन वर्षों

के दौरान आज तक विभिन्न मदों के लिए पेटेन्ट स्वीकृत करने के लिए पेटेन्ट कार्यालयों को प्राप्त हुए कुल आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है:-

मद	2004-05	2005-06	2006-07
रसायन	3,916	5,810	6,354
औषध	2,316	2,211	3,239
खाद्य	190	101	1,223
बिजली	1,079	1,274	2,371
यांत्रिक	3,304	4,734	5,536
कम्पयूटर/इलेक्ट्रॉनिक्स	2,787	5,700	5,822
जैव प्रौद्योगिकी	1,215	1,525	2,774
सामान्य	2,659	3150	1,563
कुल	17,466	24,505	28,882

(ख) और (ग) पेटेन्ट आवेदनों की जांच केवल तब ही की जाती है जबकि पेटेन्ट कार्यालय से जांच के लिए अनुरोध किया जाए। आवेदनों की जांच करने संबंधी कुल 22,008 आवेदनों का निपटान अभी लंबित है।

(घ) लंबित आवेदनों का निपटान करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) अवसंरचनात्मक विकास, कम्पयूटरीकरण, मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण तथा जागरूकता के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में कुल 153 करोड़ रुपये की लागत पर बौद्धिक सम्पदा (आईपी) संबंधी अवसंरचना का आधुनिकीकरण का काम हाथ में लिया गया है।

(ii) दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुम्बई में नए एकीकृत बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों की स्थापना की गई है।

(iii) अतिरिक्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने, ऑन लाईन प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने हेतु उच्च स्तरीय कम्प्यूटरीकरण करने, डेटा-बेस को सुदृढ़ बनाने और नवीनतम खोज संबंधी सुविधाएं और जागरूकता पैदा करने वाले कार्यकलाप करने आदि के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में 300 करोड़ रुपये की प्रस्तावित लागत पर आई.पी. कार्यालयों का आगे और अधिक आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

(iv) नागपुर में एक राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबन्धन संस्थान की स्थापना की जा रही है, जो अन्य बातों के साथ-साथ पेटेन्ट खोज की गुणवत्ता और उसकी जांच में सुधार करने हेतु पेटेन्ट जांचकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

रेडियो और टी.वी. पर भारत विरोधी प्रचार

1331. श्री रामदास आठवले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पड़ोसी देशों द्वारा रेडियो और टी.वी. के माध्यम से भारत विरोधी प्रचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या संबंधित प्राधिकारियों के साथ समय-समय पर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने पड़ोसी देशों द्वारा टी.वी. और रेडियो पर भारत-विरोधी प्रचार का सामना करने के लिए सभी सीमा-क्षेत्रों में उच्च शक्ति वाले टी.वी./रेडियो ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (घ) जी, हां। सरकार विभिन्न स्रोतों के जरिए भारत-विरोधी अभियान/दुष्प्रचार की निगरानी करती है। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन पड़ोसी देशों द्वारा भारत के विरुद्ध किए जा रहे विद्रोही एवं विद्वेषपूर्ण प्रचार को निष्फल बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए सतत प्रयास कर रहे हैं।

(ङ) से (छ) आकाशवाणी और दूरदर्शन की सीमावर्ती-क्षेत्र-कवरेज योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आकाशवाणी

योजना	ट्रांसमीटर
जम्मू एवं कश्मीर विशेष योजना चरण-I	इस योजना के अंतर्गत करगिल में 200 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर सहित 9 परियोजनाएं शुरू कर दी गई हैं और 3 तकनीकी रूप से तैयार हैं।
पूर्वोत्तर योजना चरण-I	पोर्ट ब्लेयर में 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर चालू कर दिया गया है। ईटानगर में 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर और कोहिमा में एक अन्य 1 कि.वा. ट्रांसमीटर (10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर हेतु अंतरिम स्थापना के रूप में) तैयार हैं।
पूर्वोत्तर विशेष योजना चरण-II	पूर्वोत्तर विशेष योजना चरण-II को अनुमोदित कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत (i) 19 नए स्थानों पर 1 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर, (ii) सिलचर में 5 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर, (iii) गंगटोक में 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर, (iv) चिन्सुरा (पश्चिम बंगाल) में 1000 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर का प्रतिस्थापन (v) कावारत्ती स्थित 1 किवा मी वे ट्रांसमीटर का 10 कि.वा. ट्रांसमीटर में प्रतिस्थापन और कवर न किए गए क्षेत्रों के लिए 100 वॉट के 100 एफ.एम. ट्रांसमीटर अनुमोदित किए गए हैं।
गुजरात	राजकोट स्थित 1000 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर को उतनी ही शक्ति के नए ट्रांसमीटर से प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

दूरदर्शन

राज्य	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
1	2
असम	(i) गुवाहाटी (डी.डी. 1 एवं डी.डी. न्यूज)
	(ii) सिलचर (डी.डी. 1 एवं डी.डी. न्यूज)
	(iii) कोकराझार (अंतरिम स्थापना)
गुजरात	(i) भुज और (ii) राधनपुर
जम्मू और कश्मीर	(i) जम्मू (डी.डी. 1 एवं डी.डी. न्यूज), (ii) साम्बा (डी.डी. 1 एवं डी.डी. न्यूज), (iii) गुरेज (डी.डी. 1 एवं डी.डी. न्यूज), (iv) कुपवाड़ा (डी.डी. 1 एवं डी.डी. कश्मीर), (v) टिथवाल (डी.डी. 1 एवं डी.डी. न्यूज), (vi) पुंछ (डी.डी. 1 एवं डी.डी. कश्मीर), (vii) नौशेरा (डी.डी. 1 एवं डी.डी. कश्मीर), (viii) कठुवा और (ix) लेह

1	2
मणिपुर	चूड़ाचांदपुर
मेघालय	(i) शिलांग (डी.डी. 1 एवं डी.डी. न्यूज) और (ii) तुरा (डी.डी. 1 एवं डी.डी. न्यूज)
मिजोरम	लुंगलेई
पंजाब	अमृतसर (डी.डी. 1 एवं डी.डी. न्यूज अंतरिम स्थापना) और फाजिल्का
राजस्थान	बाड़मेर (अंतरिम स्थापना), जैसलमेर
सिक्किम	गंगटोक (डी.डी. 1 एवं डी.डी. न्यूज)
तमिलनाडु	रामेश्वरम
त्रिपुरा	अगरतला (डी.डी. 1 एवं डी.डी. न्यूज)
उत्तर प्रदेश	लखीमपुर
पश्चिम बंगाल	(i) कर्सियांग (डी.डी. 1 एवं डी.डी. न्यूज) (ii) मुर्शिदाबाद (डी.डी. 1 एवं डी.डी. न्यूज) (iii) बलूरघाट और (iv) कृष्णानगर

[अनुवाद]

खानों से मिलने वाली रॉयल्टी

1332. **श्री किसनभाई वी. पटेल** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खानों से मिलने वाली रॉयल्टी की गणना करने हेतु यथा मूल्य आधार से करने के बजाए किसी अन्य प्रकार से करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे परिवर्तन से खनिजों से मिलने वाली रॉयल्टी में भी वृद्धि होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे परिवर्तनों से राज्य किस सीमा तक लाभान्वित होंगे?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) और (ख) श्री अनवरूल होदा, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की है कि रॉयल्टी की दरों के निर्धारण की पद्धति को निश्चित रूप से यथा मूल्य दरों के आधार की ओर अग्रसर होना चाहिए। एच.एल.सी. की सिफारिशें योजना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(ग) से (ङ) खनिजों के मूल्य और मांग को देखते हुए यथा मूल्य पर निर्धारित दरों सहित रॉयल्टी दरों को तर्कसंगत बनाने से राज्य सरकारों के राजस्व में वृद्धि होने की संभावना है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मानदेय

1333. **श्री एल. राजगोपाल** :
श्री चरकला राधाकृष्णन :

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंगनवाड़ी कार्यकत्ताओं और सहायकों को दिए जाने वाले मानदेय और अन्य सुविधाओं की जांच करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समिति द्वारा की गई सिफारिशों का अध्ययन किया है; और

(घ) सरकार द्वारा समिति की इन सिफारिशों को सभी संदर्भों में कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) से (घ) जी, हां। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकाओं को दिए जाने वाले मानदेय के वर्तमान स्तरों तथा अन्य सम्बद्ध मुद्दों के परीक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा गठित समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

कॉफी का मूल्य

1334. **श्री पी.सी. गद्दीगठ्ठर** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉफी की कृषि करने वाले छोटे किसान गत तीन वर्षों के दौरान अपनी उपज के लिए लाभकारी मूल्य की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कॉफी के मूल्य में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) उत्पादकों का सदैव यही प्रयास रहता है कि उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त हों। खुशकिस्मती से, पिछले तीन वर्षों के दौरान कॉफी की कीमतें मंदी के दौर से उबर रही हैं और वर्तमान में पर्याप्त रूप से लाभदायक हैं। कॉफी की कीमतें सामान्यत: अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से निर्धारित होती हैं जो बाजार में मांग और आपूर्ति की शक्तियों पर निर्भर होती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न ग्रेडों की घरेलू कीमतों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(रुपये/किग्रा.)

वर्ष	बागान ए	अरेबिका ए बी	रोबस्टा ए बी	रोबस्टा सी एच वाई ए बी
2004	72.16	54.16	51.02	34.94
2005	104.34	85.86	66.60	53.68
2006	109.84	86.98	69.08	63.02

(ङ) उत्पादकों को बेहतर कीमतें सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कॉफी बोर्ड द्वारा 11वीं योजना अवधि के दौरान अभिज्ञात कुछेक प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित से संबंधित हैं : (i) गैर किफायती कॉफी प्रक्षण्डों में पुन:रोपण के जरिए उत्पादकता में सुधार करना; (ii) गुणवत्ता उन्नयन के माध्यम से बेहतर मूल्यवर्धन हासिल करना; (iii) मांग-आपूर्ति की स्थिति को बेहतर बनाने और निर्यात पर निर्भरता को भी कम करने के लिए घरेलू कॉफी बाजार का विस्तार करना; (iv) बेहतर निर्यात अर्जन हासिल करने के लिए उच्च मूल्य वाली कॉफी के निर्यात को प्रोत्साहित करना; और (v) उत्पादन लागत कम करने के लिए उपजकर्त्ताओं को कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करना।

उच्च शिक्षा संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण

1335. **श्री इकबाल अहमद सरदगी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कार्यकारी दल ने सभी आई.आई.टी., आई.आई.एम., केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा अन्य उच्च और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक स्वीकृत और कार्यान्वित सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के लिए "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यकों/बालिकाओं तथा अन्य लाभवंचित वर्गों के शैक्षिक विकास" के संबंध में योजना आयोग द्वारा गठित कार्य दल की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रसार भारती की आय

1336. **श्री रायापति सांबासिवा राव :**
प्रो. प्रेम कुमार धूमल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती ने आय अर्जित करने में कोई रिकार्ड बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रसार भारती की आय को बढ़ाने के लिए कोई तरीका ईजाद किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) जी, हां। प्रसार भारती द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान अर्जित वाणिज्यिक राजस्व का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	राजस्व (करोड़ रुपये में)
2002-03	584.17
2003-04	551.93
2004-05	690.76
2005-06	1046.83
2006-07	975.67

(ग) और (घ) प्रसार भारती एक स्वायत्तशासी निकाय है और सरकार इसके कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं करती है। आकाशवाणी और दूरदर्शन राजस्व में वृद्धि करने के लिए अवसंरचना का कारगर उपयोग करने, समुचित योजना तैयार करने, विपणन एवं राजस्व की उगाही की निगरानी का कार्य करने की बाबत स्वयं प्रयास करते हैं। एक सार्वजनिक सेवा प्रसारक होने के कारण प्रसार भारती का प्राथमिक उद्देश्य देशभर के लोगों को सूचना व शिक्षा प्रदान करना तथा उनका मनोरंजन करना है। राजस्व अर्जन को मुख्य उद्देश्य के मात्र गौण-उत्पादन के रूप में देखा जा सकता है।

पोस्को को खंदाधर खानों का लाइसेंस देना

1337. **श्री असादुद्दीन ओवेसी** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खंदाधर खानों के लिए लाइसेंस देने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी के आवेदन की उपेक्षा करके पोस्को को खंदाधर खानों के लिए लाइसेंस देने के बारे में उड़ीसा से कोई स्पष्टीकरण मांगा है, जैसाकि 18 जून, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उड़ीसा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है; और

(च) सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) और (ख) खान मंत्रालय को 28.12.2006 को उड़ीसा सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें ग्राम केनसारा, भूटूदा, रनथा, बाटागांव, सरायकला, लूसी और रायसुआं, सब-डिविजन बोनाई, जिला सुन्दरगढ़ में 6204.352 हेक्टेयर क्षेत्र पर मैं. पोस्को इण्डिया प्रा. लि. के पक्ष में दो वर्ष की अवधि के लिए लौह-अयस्क हेतु पूर्वेक्षण लाइसेंस (पी.एल.) प्रदान करने के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन मांगा गया था।

(ग) और (घ) खान मंत्रालय ने मैं. कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि. (के.आई.ओ.सी.एल.) से प्राप्त दिनांक 9.1.2007 के उस अभ्यावेदन

पर उड़ीसा सरकार को टिप्पणियां मांगी थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार ने मै. पोस्को इण्डिया प्रा.लि. के पक्ष में प्रस्ताव भेजते समय उनके आवेदन-पत्र की उपेक्षा की है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा 5.2.2003 को आयोजित की गई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मै. के.आई.ओ.सी.एल. ने उड़ीसा में सञ्जीकरण और पैलेटाइजेशन संयंत्र की स्थापना करने अथवा खंदाधर खनन क्षेत्र के भण्डारों का विदोहन करने के लिए कलिंग आयरन वर्क्स का अधिग्रहण करने हेतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी। अत: राज्य सरकार ने के.आई.ओ.सी.एल. को उक्त परियोजनाएं स्थापित करने की मंजूरी न देने के लिए दिनांक 10.11.2006 को संकल्प पारित किया। फिलहाल यह मुद्दा, अधिकरण (खान) के समक्ष निर्णयाधीन है।

(ङ) और (च) मै. पोस्को इण्डिया प्रा.लि. के पक्ष में पीएल प्रदान करने हेतु उड़ीसा सरकार से प्राप्त प्रस्ताव की जांच, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा इसके तहत् बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार की गई और इसे 16.7.2007 को इस निदेश के साथ राज्य सरकार को लौटा दिया गया है कि अन्य बातों के साथ-साथ, अन्य आवेदकों की सुनवाई करने के बाद उक्त अधिनियम और नियमों के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 4.30½ बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन:समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले मेरी बात सुन लें, उसके बाद बोल लेना।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात बाद में सुनुंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : पहले सुन लें, फिर देखेंगे। जब मैं सुबह यहां बैठा हुआ था तो लीडर ऑफ द हाउस ने अपना स्टेटमेंट दिया। उस समय आप लोगों की यह डिमांड थी कि पूरा स्टेटमेंट सामने आए। इसलिए मेरा ख्याल है कि लीडर ऑफ दी हाउस पहले स्टेटमेंट दें। इस पर आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। हाउस को आप चलाने दीजिए। पहले आप स्टेटमेंट सुन लें, उसके बाद जैसा आप कहेंगे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हमने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने के लिए पूर्व सूचना दी है...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, मैं सभा को मात्र यह बता सकता हूं कि सुबह के पश्चात...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले मंत्री जी की बात सुन लीजिए।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, जब सुबह सदन शुरू हुआ तो आदरणीय सदस्यगण एवं नेतागण ने जो कुछ कहा, उस समय तत्काल विदेश मंत्री जी ने कुछ जवाब दिया। उस समय अमेरिका का टाइम दूसरा था। जो बयान उस समय दिया था, अब पूरा बयान सदन के सामने विदेश मंत्री जी आकर तुरंत दस मिनट में पेश करेंगे। उसके बाद हाउस की जो मर्जी है, उस हिसाब से आप लोग बताइए। सरकार उसके अनुसार कार्यवाही करने के लिए तैयार है। मैं आपको इतनी ही सूचना देना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेते हैं।

अपराह्न 2.03 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, मैं ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेन्ट्स इंडिया लिमिटेड और सूचना और प्रसारण मंत्री के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 6731/2007]

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं

(1) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल.टी. 6732/2007]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : महोदय, मैं श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल.टी. 6733/2007]

(3) (एक) सर्व शिक्षा अभियान, अथॉरिटी पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2005-2006 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान, अथॉरिटी पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल.टी. 6734/2007]

(5) (एक) हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद्, चंडीगढ़ के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद्, चंडीगढ़ के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल.टी. 6735/2007]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : महोदय, मैं उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत जारी न्यूज प्रिंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2007 जो 17 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1169(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 6736/2007]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल.टी. 6737/2007]

(3) (एक) बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल.टी. 6738/2007]

(5) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल.टी. 6739/2007]

(7) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल.टी. 6740/2007]

(9) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिये संख्या एल.टी. 6741/2007]

(11) मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजॉल के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिये संख्या एल.टी. 6742/2007]

(13) (एक) बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिये संख्या एल.टी. 6743/2007]

(15) (एक) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिये संख्या एल.टी. 6744/2007]

(17) (एक) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल), आगरा के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल), आगरा के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल), आगरा के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल), आगरा के वर्ष 2005-2006 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिये संख्या एल.टी. 6745/2007]

अपराह्न 2.04 बजे

प्राक्कलन समिति

तेरहवां और चौदहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर) : महोदय, मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) गृह मंत्रालय- 'नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्' के बारे में प्राक्कलन समिति (14वीं लोक सभा) के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 13वां प्रतिवेदन; और

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग)- 'नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफडे)' के बारे में 14वां प्रतिवेदन।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, उन्होंने केवल अंग्रेजी संस्करण ही प्रस्तुत किया है, हिन्दी संस्करण प्रस्तुत ही नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अंग्रेजी तथा हिन्दी, दोनों संस्करण प्रस्तुत किए हैं।

अपराह्न 2.04¼ बजे

लोक लेखा समिति

अड़तालीसवां और छप्पनवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं लोक लेखा समिति (2007-2008) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) ''कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का कार्यकरण'' के बारे में 48वां प्रतिवेदन।

(2) ''एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस से गारंटी शुल्क की वसूली न होना'' के बारे में लोक लेखा समिति के 30वें प्रतिवेदनपर की-गई-कार्यवाही संबंधी 56वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 2.04½ बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

सैंतालीसवें से उनचासवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार) : महोदय, मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'प्रसार भारती की भूमिका और इसकी भावी स्थिति' के बारे में 47वां* प्रतिवेदन।

(2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी (डाक विभाग) से संबंधित 'डाक विभाग में रियल एस्टेट प्रबंधन' के बारे में 48वां** प्रतिवेदन।

(3) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) से संबंधित 'सी-डेक का कार्यकरण' के बारे में 49वां** प्रतिवेदन।

अपराह्न 2.05 बजे

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

अध्ययन दौरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धनुका) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के जनवरी, 2007 के दौरान अहमदाबाद, जामनगर, मुंबई और गोवा के उनके अध्ययन दौरे संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 2.05¼ बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा की बैठकों

---

*माननीय अध्यक्ष को 47वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71क के अंतर्गत 12.6.2007 को प्रस्तुत किया गया।

**माननीय अध्यक्ष को 48वां और 49वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71क के अंतर्गत 3.8.2007 को प्रस्तुत किया गया।

[श्री राजेश वर्मा]

मे सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 7 दिसंबर 2006 को हुई सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 2.05½ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य–जारी

(दो) महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित जेन्डर बजट विश्लेषण के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के एक सौ तिरपनवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : मैं महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित जेन्डर बजट विश्लेषण के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 153वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 6748/2007]

अपराह्न 2.06 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) 2007-2008

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : मैं वर्ष 2007-2008 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 6749/2007]

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री लालू प्रसाद : मुझे अंग्रेजी अच्छी तरह आती है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे पता है कि आप वकील हैं।

अपराह्न 2.07 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मद संख्या 15, अर्थात आज की कार्य सूची में सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा और वे निश्चित रूप से कार्यवाही का हिस्सा बनेंगे।

(व्यवधान)

(एक) तमिलनाडु से हज यात्रियों का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जे.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम) : मैं हज यात्रा के संबंध में निम्नलिखित तथ्य विदेश मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। 2006 में, तमिलनाडु से 12 शिशुओं सहित 3815 व्यक्तियों को मक्का भेजा गया था। 2006 में हज समिति के जरिए पुनः 11 शिशुओं सहित 3703 व्यक्तियों को भेजा गया। 2007 में, हज समिति द्वारा प्रदत्त आवास और देखभाल के स्तर के कारण अधिक लोग हज समिति के जरिए हज यात्रा पर जाना चाहते हैं। लेकिन 2007 में उनका कोटा केवल 3384 ही निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष के कोटे से कम है और 2006 की संख्या से भी 443 कम है। समिति ने केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर के लिए अधिक कोटा निर्धारित किया है। लेकिन, मैं नहीं जानता कि तमिलनाडु को इस मामले में क्यों छोड़ दिया गया है। तमिलनाडु से सांसद और राज्य हज समिति का सभापति होने के नाते, मैंने बी.सी.एम.बी.सी. के सचिव से तमिलनाडु में रहने वाले मुस्लिमों की वास्तविक संख्या बताने के लिए कहा है। उनका कहना है कि 2007 की जनगणना के अनुसार यह संख्या 3417647 है। यदि ऐसा है तो दो तिहाई वयस्क जन संख्या है और एक तिहाई 18 वर्ष से कम उम्र के हैं। दो तिहाई का मतलब

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

हैं, 2278431 लोग और यदि इन लोगों को 39 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या 58422 है। इससे वास्तविक रिकार्ड देने में हुई गलती का पता चलता है। मेरे पेरियाकुलम निर्वाचन क्षेत्र में, रिकार्ड के हिसाब से मुस्लिम जनसंख्या 34,000 थी, लेकिन राज्य की मतदाता सूची में मुस्लिमों की संख्या 1,27,000 दर्शाई गई है।

मैं सरकार से तमिलनाडु के जनगणना रिकार्डों का अध्ययन करने और तदनुसार कोटा बढ़ाने का अनुरोध करता हूं।

(दो) वरिष्ठ नागरिक के लाभ प्राप्त करने की आयु सीमा 65 के बजाए 60 वर्ष नियत किए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा) : महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान भारत के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं।

वर्तमान में भारत सरकार वरिष्ठ नागरिकों को 65 वर्ष की आयु के पश्चात रियायतें प्रदान कर रही है। चूंकि भारत सरकार की सेवा से सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गयी है, अत: वरिष्ठ नागरिकों को प्राप्त होने वाली रियायतें भी 60 वर्ष की आयु से ही प्रदान की जानी चाहिए।

मेरा केन्द्र सरकार से यह आग्रह है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और सरकार से वरिष्ठ नागरिकों को प्राप्त होने वाली रियायतों के लिए 60 वर्ष की आयु निर्धारित करने की व्यवस्था करें, जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी मददगार होगी।

(तीन) बिहार के औरंगाबाद में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थायी कैम्प स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार) : हमारे देश के राज्यों में से बिहार में शहरीकरण सबसे कम हुआ है, इसके कुल क्षेत्र का लगभग 90 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र है, जो इसके पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण है। यहां पिछड़ापन इतना अधिक है कि पिछले दशक में राज्य घरेलू उत्पाद मात्र 5.08 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। यह एक अत्यधिक चिंता का विषय है क्योंकि यदि हम वर्ष 2019-20 तक 10 प्रतिशत से अधिक की राष्ट्रीय वृद्धि दर प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसमें बिहार सहित अन्य राज्यों को भी योगदान करना पड़ेगा। बिहार की वार्षिक वृद्धि दर 15 प्रतिशत करनी होगी और इसके लिए 38,500 रुपये के वार्षिक निवेश की आवश्यता होगी।

औरंगाबाद काफी पिछड़ा क्षेत्र है, परन्तु यहां ऐसा निवेश किए जाने की संभावना और आवश्यकता है और इसके विकास के लिए इस क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में लम्बे समय से चली आ रही नक्सली हिंसा यहां निवेश किए जाने में सबसे बड़ी बाधा है। मेरे निवेदन पर केन्द्रीय गृहमंत्री ने संदर्शी निवेशकों को प्रोत्साहन देने के लिए औरंगाबाद में बिना कोई विलम्ब किए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक बटालियन का स्थायी कैम्प स्थापित करने के निर्देश दिए थे, जिसे इस क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद के खतरे से भी निपटना था और साथ ही लोगों में सुरक्षा की भावना भी पैदा करनी थी। इस प्रस्ताव पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया और राज्य सरकार की संस्वीकृति के पश्चात् 29 नवम्बर, 2006 को इस प्रस्तावित कैम्प की नींव रखी गयी। परन्तु दुर्भाग्य से तत्पश्चात् इसमें कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई।

पहले, राज्य सरकार ने के.रि.पु.बल स्थायी कैम्प की स्थापना के लिए केवल 20 एकड़ भूमि दस वर्ष के पट्टे पर दी जबकि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार सामान्यतया 40 एकड़ भूमि तीस वर्षों के पट्टे पर दी जानी चाहिए थी। दूसरे, ऐसा अपेक्षित था कि रूपरेखा की योजना बनाने संबंधी कार्य और आवश्यक प्रशासनिक तथा आवासीय भवनों का निर्माण कार्य पूरा होने तक के.रि.पु.ब. बटालियन मुख्यालय की किसी अन्य स्थान पर अस्थायी भवनों में स्थापित किया जाना था। परन्तु, दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ और लोक हित इस परियोजना के अपेक्षित क्रियान्वयन में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है।

यह सुझाव दिया जाता है कि राज्य सरकार को के.रि.पु.ब. के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार 40 एकड़ भूमि 30 वर्षों के पट्टे पर दिये जाने के लिए राजी किया जाए। मैं यह भी निवेदन करता हूं कि प्रारम्भ में बटालियन मुख्यालय कैम्प को अस्थायी भवनों में स्थापित किया जाए। कैम्प क्षेत्र के योजना-विन्यास पर कार्य में तेजी लाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, तत्पश्चात इस पर पक्का निर्माण करने की नियम संबंधी औपचारिकताओं को पूरा किया जाए।

(चार) उत्तराखंड के कुमाऊं विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री के.सी. सिंह "बाबा" (नैनीताल) : महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान उत्तराखंड के कुमाऊं विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किये जाने के संबंध में आकर्षित

[श्री के.सी. सिंह "बाबा"]

करना चाहता हूं। प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की घोषणा कुछ समय पूर्व माननीय प्रधान मंत्री जी ने की थी।

महोदय, उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है जहां 65 प्रतिशत वन भूमि, 12 प्रतिशत कृषि भूमि, एवं 10 प्रतिशत बंजर भूमि है तथा साक्षरता दर केरल के बाद दूसरे स्तर पर है। दुर्गम एवं पर्वतीय भागों में उद्योग स्थापित नहीं होने के कारण भी इस क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास संभव नहीं हो पाया है तथा क्षेत्रवासी इससे वंचित हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों को दुर्गम क्षेत्र में होने तथा पर्यावरण की दृष्टि से केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। उत्तराखंड एक पहाड़ी एवं दुर्गम स्थल होने के कारण इस क्षेत्र में ज्ञान अर्जन से कौशल ही युवाओं की सम्पत्ति है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि उत्तराखंड प्रदेश के कुमाऊं विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाये जिससे क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति उत्तराखंड में उच्च शिक्षा में गुणात्मक अभिवृद्धि प्रदेश एवं राष्ट्र की प्रगति तथा मानवता के प्रसार को गति मिले।

(पांच) अज्ञात रोग से पीड़ित राजनन्दगांव के बैगा समुदाय को राहत देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को तत्काल वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री देवव्रत सिंह (राजनन्दगांव) : महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र राजनन्दगांव में बैगा जनजाति के करीब 14 (पंद्रह) व्यक्तियों की अज्ञात बीमारी के कारण मौत हो चुकी है। इस पूरी जनजाति के केवल कुछ गिने व्यक्ति ही अब अस्तित्व में हैं, बाकी पूरी जनजाति ही नष्ट हो चुकी है। बैगा समुदाय आज भी शिक्षा तथा मानव विकास की पहुंच से बहुत दूर हैं तथा इसी कारण आज तक इस समुदाय का कोई विकास नहीं हो सका है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इनके इलाके में पीने के पानी की भारी समस्या है यहां तक की ये पूरी की पूरी जनजाति इनके इलाके से निकलने वाले गंदे नाले का पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे इन्हें खासकर बच्चों को तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है।

इस समुदाय के करीब 70-80 लोग इलाके के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं जिनमें से अधिकतर को उचित इलाज तक राज्य सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। इनका पूरा इलाका बाल्को कंपनी के अधिकतर क्षेत्र में आता है जिसकी वहां कई खदानें हैं किंतु आश्चर्यजनक रूप से कंपनी भी इस क्षेत्र को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क की स्थिति सुधारने के लिए कोई उपाय नहीं कर रही।

राजनन्दगांव के बोडला एवं पंडरिया ब्लॉकों में इस जनजाति के करीब 40-50 गांव हैं जिनमें एक भी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध नहीं है, जिस कारण पिछले दिनों जिले के बड़े अस्पताल में मरीजों को ले जाते समय करीब 5 व्यक्तियों की रास्ते में ही मौत हो गयी।

इस पूरे प्रकारण एवं राज्य सरकार के उदासीन रवैये से पुरी बैगा समुदाय को ही खतरा उत्पन्न हो गया है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस समुदाय के कल्याण के लिए तुरंत कोई विशेष आर्थिक सहायता राज्य सरकार को प्रदान करे ताकि इस मिट रही जनजाति को बचाया जा सके।

(छह) एफ.एम. चैनल का पूरा कवरेज देने के लिए आकाशवाणी बेल्लारी, कर्नाटक में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पद स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जी. करूणाकर रेड्डी (बेल्लारी) : महोदय, दो वर्ष पूर्व कर्नाटक के बेल्लारी में स्टुडियो जैसी सभी अवसंरचनात्मक सुविधाओं सहित 10 के.वी. की क्षमता वाले एक पूर्ण रेडियो स्टेशन की स्थापना की गयी थी। कर्मचारी उपलब्ध न होने के कारण इस रेडियो स्टेशन ने कार्य करना शुरू नहीं किया है।

बेल्लारी जिले में बंगलौर स्थित 1 के.वी.की क्षमता वाले एफ. एम. चैनल से प्रसारण प्राप्त हो रहा है, परन्तु इसकी कवरेज 10 से 15 किलोमीटर के क्षेत्र तक ही सीमित है और यह पूरे जिले को कवर नहीं करता। बेल्लारी एफ.एम. रेडियो स्टेशन से केवल प्रात: 6 बजे से 10 बजे तक ही प्रसारण होता है। अत: बेल्लारी में आकाशवाणी केन्द्र का कार्य शुरू करने और जिले के सभी क्षेत्रों को कवर करने के लिए आवश्यक पूर्णकालिक कर्मचारियों की तत्काल नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता है।

तब तक हॉसपेट रेडियो स्टेशन से एफ.एम. चैनल डाऊन लिंक किया जा सकता है, जिससे कि प्रात: 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। यदि ऐसा किया जाता है तो कुछ हद तक बेल्लारी जिले के लोगों की तात्कालिक समस्या का अस्थायी हल तो हो जाएगा।

मेरा सरकार से आग्रह है कि वह इस मामले पर ध्यान दे और मेरे संसदीय क्षेत्र बेल्लारी, कर्नाटक के लोगों की उपरोक्त मांगों को पूरा करने के लिए शीघ्राति-शीघ्र कदम उठा।

(सात) विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास आयुक्त का कार्यालय कांडला से गांधीनगर स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता

श्री काशीराम राणा (सूरत) : गुजरात की राज्य सरकार गुजरात में 33 विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है। राज्य में अवसंरचना की उपलब्धता और अवस्थिति संबंधी लाभों को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया गया कि राज्य में विभिन्न स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाएं, इसके लिए प्रभावी समन्वय स्थापित करने के लिए विकास आयुक्त के कार्यालय को गांधीनगर स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में यह कार्यालय कान्दिया में स्थित है जो कि राज्य के एक कोने में है और इसलिए संभावित रूप से राज्य के अन्य भागों में स्थापित होने वाले विशेष आर्थिक क्षेत्रों के साथ प्रभावी रूप से समन्वय नहीं किया जा सकता।

वर्तमान में, इस राज्य में स्वीकृत ये विशेष आर्थिक क्षेत्र दक्षिण गुजरात में जामनगर और राजकोट से हजीरा, सचिन, दाहेज, कच्छ में अंजर-मुन्द्रा और उत्तरी गुजरात में धोलेडा व गांधीनगर तक फैले हुए हैं। यह महसूस किया गया है कि यदि विकास आयुक्त के कार्यालय को स्थानान्तरित करके गांधीनगर लाया जाए और प्रत्येक क्षेत्र में एक क्षेत्रीय आयुक्त की नियुक्ति की जाए तभी बेहतर नियंत्रण और निगरानी की जा सकती है।

गुजरात में बड़ी संख्या में विशेष आर्थिक क्षेत्रों को देखते हुए यह भी आवश्यक है कि इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों की प्रभावी रूप से निगरानी करने हेतु सूरत, अहमदाबाद और जामनगर में अतिरिक्त डी.सी. कार्यालय खोले जाएं। मैं सरकार से इस संबंध में तत्काल समुचित कदम उठाए जाने का अनुरोध करता हूं।

(आठ) विदर्भ के किसानों के लाभार्थ सरकार द्वारा घोषित विशेष वित्तीय पैकेज में उस क्षेत्र की शेष पांच तहसीलों को शामिल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : महोदय, देश के किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय बनी हुई है। किसानों के उत्पादों को लाभकारी दाम नहीं मिलने से किसान सम्मानजनक आजीविका के लिए संघर्ष कर रहा है। अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए वह ऋणग्रस्त होकर जीने को मजबूर है। सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र की उपेक्षा के कारण आज किसान बदहाली में जी रहा है। देश में उदारीकरण और भूंडलीकरण के दौरे में उद्योग और सेवाक्षेत्र का दिन प्रतिदिन विकास हो रहा है लेकिन कृषि क्षेत्र लगातार पिछड़ रहा है। महाराष्ट्र के विदर्भ में कपास एवं धान उत्पादक किसान हजारों की संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। उनके उत्पादों को लाभकारी मूल्य नहीं मिलना वह एक समस्या बनती जा रही है। प्रधान मंत्री द्वारा विदर्भ के किसानों के लिए विशेष पैकेज घोषित किया गया, लेकिन उसमें पांच तहसीलों को वंचित रखने से किसानों के साथ पक्षपात करने की बात स्पष्ट हो रही है। इन पांच जिलों में भी किसानों की वही बदहाली होने के कारण आत्महत्याएं हो रही है। राज्य सरकार और प्रशासन द्वारा दी गई गलत जानकारी के आधार पर इन पांच जिलों को प्रधानमंत्री पैकेज से वंचित रखने से इन किसानों पर अन्याय होने की भावना बलवती हो रही है। इससे किसानों में रोष और असंतोष व्याप्त है। इसे देखते हुए केन्द्र सरकार और विदर्भ के इन पांच जिलों को भी विशेष पैकेज में शामिल करें। प्रधानमंत्री के आगामी विदर्भ दौरे में इस आशय की घोषणा प्रधानमंत्री स्वयं करें, यह मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं।

(नौ) राजस्थान में एक तेलशोधक कारखाना स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, राजस्थान में रिफाइनरी लाने का फैसला अभी तक नहीं हुआ है। यदि ओ.एन.जी.सी. नहीं मानी तो निजी क्षेत्र से इस संबंध से प्रस्ताव मांगने चाहिए। यदि रिफाइनरी राजस्थान में नहीं लगी तो एक लाख करोड़ का निवेश नहीं होगा और तेल उत्पादन शुरू नहीं हुआ तो राजस्व की हानि होगी और नहीं लगाने के कारण पश्चिमी राजस्थान में रोजगार का एक सपना तिरोहित हो जाएगा और पैट्रो कॉम्प्लैक्स की स्थापना भी नहीं होगी।

इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से पुरजोर मांग है कि राजस्थान में रिफाइनरी की शीघ्र ही घोषणा की जाये।

(दस) मंगलौर और बंगलौर के बीच एक सवारी गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री डी.वी. सदानन्द गौडा (मंगलौर) : महोदय, मैं विगत तीन

[श्री डी.वी. सदानन्द गौडा]

वर्षों से प्रत्येक सत्र में इस मामले को उठा रहा हूं और मैं रेल मंत्री जी तथा रेल बोर्ड के चेयरमैन से भी मिला हूं। विगत एक वर्ष से मंगलौर और बंगलौर के बीच मालगाड़ियां सफलतापूर्वक चल रही हैं। 8 और 9 अप्रैल को रेल संरक्षा अधिकारियों ने सुब्रमन्या से सकलेशपुर तक से की रेल मार्ग का निरीक्षण किया और यह पता लगा है कि वे रेल बोर्ड को अपना प्रतिवेदन भेज चुके हैं जिसमें उन्होंने यह कहा है कि यह रेल लाइन यात्री गाड़ी चलाने के लिए उपयुक्त है। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि इसपर यात्री गाड़ी चलाने में विलम्ब क्यों हो रहा है। मेरे बार-बार अनुरोध करने के बावजूद रेल प्राधिकारियों ने मुझे इस संबंध में की गई नवीनतम कार्यवाही के बारे में कोई सूचना नहीं दी है।

मैं सरकार से विनम्रतापूर्वक यह अनुरोध करता हूं कि वह तत्काल इस संबंध में कदम उठाए और संबंधित रेल प्राधिकारियों को मंगलौर और बंगलौर के बीच तत्काल यात्री गाड़ी चलाने हेतु आवश्यक निदेश दे।

(ग्यारह) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के अल्लपुजा बाईपास पर दो सड़क ऊपरिपुलों के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी) : अल्लापुजा उप-मार्ग का निर्माण कार्य 1982 में आरम्भ हुआ था। इसके दो खंडों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अंतिम खंड का कार्य प्रगति पर है। इस उप-मार्ग के साथ-साथ दो सड़क ऊपरि पुल हैं। लेकिन इनका निर्माण कार्य अभी शुरू होना है। रेल विभाग ने जीएडी स्वीकृत कर दिया है। लेकिन इनके निर्माण हेतु धन की कमी है। जब माननीय राजमार्ग मंत्री ने केरल में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने हेतु वहां का दौरा किया था तो उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि उस सड़क ऊपरी पुलों का निर्माण कार्य पूरा करने हेतु अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाऐगी। केरल के लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए पुनरीक्षित अनुमान भेज दिए हैं और वे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास लंबित हैं। अत:, मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि इसे गति प्रदान की जाए और इस उप-मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्रतापूर्वक पूरा करने हेतु इन सड़क ऊपरि पुलों के निर्माण कार्य के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाए।

(बारह) उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा वर्मा (हरदोई) : अध्यक्ष महोदय, हरदोई, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख नगर है। यहां पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की अच्छी खासी संख्या है, इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए केन्द्रीय विद्यालय अच्छा जरिया होता है। कहीं से भी स्थानांतरित होकर आये अधिकारी अपने बच्चों का नामांकन केन्द्रीय विद्यालय में कराते हैं।

किंतु, मेरे क्षेत्र हरदोई में एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। अत: हमें हरदोई जिले में केन्द्रीय विद्यालय की नितान्त आवश्यकता है। मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि हरदोई जिले में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना कब तक हो पायेगी।

(तेरह) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत प्रति आवासीय इकाई वर्चटीय आवंटन की राशि 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए किए जाने तथा प्राकृतिक आपदा प्रवण क्षेत्रों के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कोटा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : महोदय, देश में गांव में रहने वाले अत्यंत गरीब लोगों एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को इन्दिरा आवास उपलब्ध किये जा रहे हैं। एक इंदिरा आवास की लागत 25 हजार में एक आवास बनना कितना मुश्किल है। इसकी लागत मूल्य कम से कम 50 हजार किया जाये। साथ यह भी बताना चाहता हूं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में इन्दिरा आवास के जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं वह भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं। साथ ही प्राकृतिक आपदा के शिकार जैसे बाढ़ पीड़ित, अग्नि पीड़ित एवं सूखा पीड़ित लोगों के लिए इंदिरा आवास में कोटा रखा जाये। मेरा संसदीय क्षेत्र का एक जिला देवरिया बाढ़ प्रवण क्षेत्र है जहां पिछले वर्ष 21 हजार के लगभग आवास बनाने का लक्ष्य था जो बाढ़ होने के कारण पूरा नहीं हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ है कि देवरिया जिले का कोटा 21 हजार से घटा कर 6 हजार कर दिया गया। इस संबंध में सरकार से अनुरोध है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए आवास बनाने पर विशेष बल दिया जाये, जिससे निर्धारित कोटा पूरा हो सके और वहां के गरीब लोगों को आवास मिल सके।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इन्दिरा आवास का लागत मूल्य 50 हजार किया जाये, इन्दिरा आवास की सुविधा का कोटा अग्नि पीड़ित, बाढ़ पीड़ित एवं सूखा पीड़ित लोगों को मिले, और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कोटा को पूरा करने के लिए विशेष बल दिया जाये।

(चौदह) बिहार के समस्तीपुर स्थित अजीत कुमार मेहता संस्कृत महाविद्यालय को मान्यता दिए जाने की आवश्यकता

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखण्ड अंतर्गत उमाशंकर-लदौरा में अजीत कुमार मेहता संस्कृत शिक्षण संस्थान है जो आदर्श संस्कृत महाविद्यालय की सभी आवश्यक निर्धारित मापदंडों को पूरा करता है इसके बावजूद संस्थान को अभी तक आदर्श और स्थायी मान्यता नहीं दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से संस्थान के रिकॉगनिशन के लिए दो बार इंस्पेक्शन कराया गया, लेकिन कमेटी ने संस्थान को अस्वीकृत कर दिया। महोदय, यह संस्थान पिछड़े इलाके में अवस्थित है एवं संस्थान का नाम एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के नाम से है जहां अधिकांश शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी एवं छात्र-छात्राएं पिछड़े वर्ग से आते हैं। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के कतिपय पदाधिकारियों द्वारा इसे अपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है एवं संस्थान को समुचित आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता है और न ही स्थायी मान्यता दी जा रही है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधान विकास मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि संस्थान को अविलम्ब स्थायी मान्यता दिलेजायी जाये।

(पन्द्रह) उड़ीसा में अंशाका से होकर बरहमपुर-फूलबनी और भंजनगर के बीच रेल-सेवा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुग्रीव सिंह (फूलबनी) : महोदय, उड़ीसा के दो ऐसे जनजातीय बहुल जिले हैं जहां हमारी आजादी के 60 वर्षों के बाद भी भारतीय रेल अपनी सेवाएं प्रदान नहीं कर पाई है। उनमें से एक है, कंधामाल, जो मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में है। पूर्व में रेल विभाग ने अंशाका और भंजनगर होते हुए बरहामपुर से फूलबनी के बीच रेल लाईन बिछाने हेतु सर्वेक्षण किया था लेकिन उस सर्वेक्षण को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। यह प्रस्ताव अभी भी रेल मंत्रालय के पास लंबित है।

30 से अधिक राजस्व गांव और 10 लाख से अधिक व्यक्तियों जिनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के है, को रेल सेवाओं के अभाव में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र के व्यवसायिकों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हे केवल सड़क परिवहन पर ही निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग भी सड़क परिवहन से यात्रा करने को मजबूर हैं और सड़क से यात्रा करना रेल से यात्रा करने की तुलना में न तो आरामदायक है और न ही सुरक्षित है। महोदय, भारतीय रेल, जो विश्व की सबसे बड़ी रेल सेवा है, को अपने कुछ सामाजिक दायित्वों को भी समझना चाहिएं। मेरी राय में, कभी-कभी आर्थिक लाभप्रदता के मुद्दों की उपेक्षा भी की जा सकती है।

इसलिए, महोदय, मैं माननीय रेल मंत्रीजी से यह अनुरोध करता हूं कि वे अशाका और भंजनगर से होते हुए बरहामपुर-फूलबनी रेल लाइन के लिए किए गए सर्वेक्षण पर विचार किया जाए और हमारी स्वतंत्रता के 60वें वर्ष में उक्त परियोजना हेतु शीघ्रतापूर्वक धनराशि आवंटित की जाए।

(सोलह) सिकन्दराबाद एक्सप्रेस (रेलगाड़ी संख्या 7063) को इसके पूर्व निर्धारित मार्ग पर चलाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील (बीड) : महोदय, सिकंदराबाद एक्सप्रेस रेल नं. 7063 मेरे चुनाव क्षेत्र (परली वि.) बीड से जाती है। यह बीड जिले के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण व अत्यावश्यक रेल है।

1 सितम्बर, 2007 से इसे बंद करने का निर्णय रेल मंत्रालय ने लिया है, जिससे मेरे क्षेत्र बीड जिले में असंतोष फैल गया है नागरिकों ने धरना, मोर्चा का रास्ता अपनाना शुरू किया है। यह रेल सुविधा अत्यावश्यक सेवा है।

अत: मैं आपके माध्यम से मा. रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस रेल सेवा के बारे में जनता की भावना समझें व सिकंदराबाद एक्सप्रेस (नं. 7063) पहले जैसी ही शुरू रखें। उसके मार्ग में बदलाव न करें ताकि मेरे क्षेत्र की जनता को इस एक्सप्रेस की सेवा जैसी की तैसी मिले।

(सत्रह) झारखंड के कोडरमा में एक रेल ऊपरिपुल बनाए जाने की आवश्यकता

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग) : महोदय, हजारीबाग प्रमण्डल के अंतर्गत कोडरमा जिला मुख्यालय से होकर कोलकाता-नई दिल्ली वाया गया रेलवे लाइन का मुख्यालय मार्ग है। कोडरमा रेलवे स्टेशन के पूर्व सटा हुआ पटना-रांची मुख्य मार्ग है, जिस मार्ग से होकर प्रतिदिन हजारों-हजार वाहन आते-जाते हैं। रेल आने की सूचना पाकर दोनों तरफ वाहन को घंटों इंतजार करना पड़ता है। कभी-कभी जान-माल की क्षति भी होने की संभावना बनी रहती है।

इस संबंध में मैंने माननीय रेल मंत्री जी को कई पत्र लिखकर उपरगामी पुल निर्माण करवाने के लिए अनुरोध कर चुका हूं, परन्तु आज तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

अत: मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि कोडरमा रेलवे स्टेशन पर उपरगामी पुल निर्माण शीघ्र किया जाये।

(अठारह) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहार के सारण जिले के मशरख में बी.आर. 09-10 का निर्माण कार्य पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : महोदय, बिहार प्रांत के सारण जिला में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत पैकेज संख्या बी.आर.ओ. 9 10 कुम्हैला-सेमरी पथ जिसकी कुल लम्बाई 6 कि.मी. है, मात्र 3 कि.मी. ही बना हुआ है और इस पथ को पूर्ण दिखा दिया गया है। जबकि इस पथ का अधूरा निर्माण किया गया है। यह पथ कुम्हैला-दानीमोड़-सिकटी-गोड़ना-समसपुरा होते हुए सेमरी तक जाती है, जिसकी कुल लम्बाई 6 कि.मी. है। इस पथ के स्थल निरीक्षण के क्रम में पता चला है कि केवल 3 कि.मी. पथ का निर्माण कर योजना को पूर्ण दिखाया गया है।

अभिलेखों के अध्ययन से पता चला कि इस पथ का कोर नेटवर्क ही त्रुटिपूर्ण बना हुआ है, कोर नेटवर्क के मशरक प्रखंड के सीएन-6 के रूट लिंक नं. ए एल-039 में सिकटी भीखम में सेमरी पथ की लम्बाई 4 कि.मी. दिलाई गई है। जिस समय रूट लिंक की सूची बन रही थी उस समय मशरक प्रखंड की शुरूआत सिकटी भीखम से माना गया था। परन्तु स्थल निरीक्षण के बाद ज्ञात हुआ कि इसुआपुर प्रखंड के अंतिम गांव कुम्हैला सेमरी गांव तक की लम्बाई 6 कि.मी. है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत पथ के निर्माण हेतु सिकटी भीखम सेमरी पथ को कोर नेटवर्क में सम्मिलित दर्शाया गया है। इस पथ को कार्य रूप में दिखाये गए पथ के आधार पर न कराकर मशरक प्रखंड के शुरूआती सीमा कुम्हैला से सेमरी पथ का अधूरा निर्माण कराया गया है, जिसके कारण उक्त पथ में 3 कि.मी. शेष पथ कच्चा बच गया है। यह भी विचाराधीन है कि यह पथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें गोड़ना गांव जिसकी आबादी 1846 है, एक उच्च विद्यालय है, बाजार है, दूसरा गांव समसपुरा है जिसकी आबादी 671 है। साथ ही सेमरी गांव की आबादी 3919 है। इस प्रकार इस पथ के पूरा नहीं होने के लगभग 7000 आबादी वाले तीन गांव वंचित रह जायेंगे।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बिहार प्रान्त के सारण जिला के मशकर प्रखंड अंतर्गत कुम्हैला से सेमरी पथ जिसकी वास्तविक लम्बाई 6 कि.मी. को सही परिपेक्ष्य में सम्मिलित करते हुए शेष बचे 3 कि.मी. पथ का निर्माण कराकर इस पथ को पूरा कराया जाये।

(उन्नीस) तमिलनाडु के धरमपुरी नगर स्थित रेडियो स्टेशन को चालू किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. आर. सेनथिल (धर्मपुरी : तमिलनाडु स्थित धर्मपुरी कस्बे में कुछ वर्ष पूर्व ही एक रेडियो स्टेशन बनाया गया है। वहां कर्मचारी कार्यरत हैं। लेकिन यह स्टेशन न किसी कार्यक्रम का प्रसारण करता है और न ही किसी कार्यक्रम को रिले करता है। यह एक ग्रामीण क्षेत्र है। यदि इस रेडियो स्टेशन से प्रसारण शुरू हो जाए तो इस जिले के लोगों को बहुत लाभ होगा। यदि यह सम्भव नहीं है तो इससे कम से कम से कम चेन्नै या कोयंबटूर रेडियो स्टेशनों के कार्यक्रमों को रिले तो किया जा सकता हैं।

मैंने केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इस संबंध में अब तक सात अभ्यावेदन दिए हैं परन्तु इस रेडियो स्टेशन की स्थिति यथावत् है और यह अभी भी कार्यशील नहीं हुआ है।

अत:, मैं सूचना और प्रसारण मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस रेडियो स्टेशन को कार्यशील बनाने हेतु तत्काल कदम उठाएं।

(बीस) आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में शादनगर रेलवे स्टेशन पर सभी महत्वपूर्ण एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

डा. एस. जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में शादनगर टाउन महत्वपूर्ण उपनगर है जो हैदराबाद से मात्र 50 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। शादनगर रेलवे स्टेशन दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद डिवीजन के अंतर्गत आता है। शादनगर टाउन का फारूकनगर मंडल हैदराबाद के महानगर प्राधिकरण में सम्मिलित है। इस तरह हैदराबाद का अधिकार क्षेत्र शादनगर तक बढ़ा दिया है। हैदराबाद से इसकी निकटता और विभिन्न प्रकार के अवस्थिति संबंधी लाभों के कारण इस टाउन में कई तरह के उद्योग स्थापित हुए हैं और व्यापारिक गतिविधियां काफी बढ़ी हैं। तेजी से बढ़ते हुए इस टाउन में बहुत से कॉरपोरेट कार्यालय भी स्थापित किए गये है। इस उद्योग और कारपोरेट कार्यालयों में काम करने वाले लोग व्यावसायिक उद्देश्य से चैन्नई और बंगलौर जैसे शहरों में आते जाते हैं। इसके अतिरिक्त, चेन्नई और बंगलौर की सॉफ्टवेयर कम्पनियों में काम करने वाले लोग या पढ़ने वाले छात्र अक्सर इन शहरों में आते-जाते है। इसको ध्यान में रखते हुए, सभी महत्वपूर्ण एक्सप्रेस गाड़ियों, विशेषकर यशवंत पुर एक्सप्रेस तथा चेन्नई एगमोर हो शादनगर रेलवे स्टेशन पर ठहराव प्रदान किया जाए।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, सभा के नेता यहां उपस्थित है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे पता है कि वे यहां उपस्थित हैं।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हमने संसद सदस्यों के विरूद्ध अनमानजनक टिप्पणी करने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका में भारत के राजदूत, श्री रोनेन सेन के विरूद्ध एक विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा) : महोदय, मैंने भी संयुक्त राज्य अमरीका में भारत के राजदूत के विरुद्ध एक विशेषाधिकार का नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

श्री चरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : मैंने भी विशेषाधिकार का नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। सभा के नेता बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : पहले लीडर ऑफ द हाउस बोल रहे है, उन्हे बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चरकला राधाकृष्णन : मैंने पहले से ही विशेषाधिकार का नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित किया जाएगा। विदेश मंत्री के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

श्री चरकला राधाकृष्णन : ...*(व्यवधान)*। प्रथम दृष्टया उन्होंने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है और मेरे द्वारा इस संबंध में एक नोटिस भी दिया गया है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। कृपया बैठ जाइए। आप का नोटिस विचाराधीन है।

(व्यवधान)

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**-जारी

(तीन) भारतीय राजदूत द्वारा अपने साक्षात्कार के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि सुबह मैंने माननीय सदस्यों को प्राप्त सूचना

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
**ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6747/2007

[श्री प्रणब मुखर्जी]

से अवगत कराया और मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने इस संबंध में मुझे कुछ कहने का मौका दिया। वस्तुत:, माननीय सदस्यों के अपने-अपने विचार हैं क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिस पर प्रत्येक सदस्य अपना विचार रखता है जिसे वह प्रकट कर सकता है। प्रत्येक माननीय सदस्य को इस बात का भी अधिकार है कि वह अपनी बात किसी भी संसदीय तरीके से जैसे विशेषाधिकार या अन्य कोई प्रस्ताव लाकर रख सकता है। मैं इसमें कोई दखल नहीं दूंगा। मैं आदरपूर्वक इस सभा को उस सूचना से अवगत करा रहा हूं जो मेरे पास है।

मुझे राजदूत सेन से एक और पत्र प्राप्त हुआ है। मैं इसकी जानकारी माननीय सदस्यों को देना चाहता हूं। राजदूत सेन ने जो टिप्पणी मुझे भेजी वह निम्नानुसार है:

"रेडिफ इंडिया एब्रोड के श्री अजीज अनीफा द्वारा वाशिंगटन डी.सी. के 20 अगस्त, 2007 की रिपोर्ट, जिसमें भारत-अमरीका असैनिक नाभिकीय करार पर व्यापक रूप से मुझे उद्धृत किया गया है, के बारे में अनेक जिज्ञासाएं प्राप्त हुई हैं।

संवाददाता के साथ मेरी अनौपचारिक बातचीत हुई थी, जिसमें इस विषय पर कुछ बातें हुई थीं। हालांकि इनमें से अनेक टिप्पणियों का या तो गलत अर्थ निकाला गया अथवा गलत तरीके से रखा गया अथवा उन्हें संदर्भ से अलग प्रस्तुत किया गया। उदाहरण के लिए, मैंने यह नहीं कहा कि हाइड अधिनियम पर दोबारा बातचीत नहीं की जा सकती, बल्कि यह कहा कि मेरे विचार से द्विपक्षीय करार पर दोबारा बातचीत नहीं की जा सकती है।

हाइड अधिनियम के संबंध में मैंने अपना विचार व्यक्त किया था कि निकट भविष्य में इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता।"

इस अनौपचारिक बातचीत में तथाकथित रूप से मेरे द्वारा की गई कुछ टिप्पणियां मेरी निजी राय थी और इनसे सरकार का दृष्टिकोण परिलक्षित नहीं होता है।...*(व्यवधान)*

अनेक माननीय सदस्य : जी नहीं।

श्री प्रणब मुखर्जी : आप जो चाहे कहे लेकिन मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। लेकिन मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मुझे एक मिनट भी नहीं लगेगा।

कृपया मेरी बात सुनिए।

"मैं यह पूरी तरह मानता हूं कि व्यक्तिगत बातचीत में भी ऐसी निजी राय सुविचारित और सुसंस्कृत ढंग से दी जानी चाहिए थी। उदाहरण के लिए "यहां वहां कुछ भी कहने के लिए निरूद्देश्य घूमना" मीडिया के मेरे कुछ मित्रों के बारे में अव्यावहारिक टिप्पणी थी और निश्चित रूप से इसमें किसी माननीय संसद सदस्य का कोई संदर्भ नहीं था। निश्चित ही मेरी मंशा किसी व्यक्ति अथवा संगठन के प्रति कड़वी टिप्पणी करने की नहीं थी।

तथापि, यदि नासमझी में मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा-प्रार्थी हूं।"

---

*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइऐ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 22 अगस्त, 2007 को समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.14 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा 22 अगस्त, 2007/31 श्रावण, 1929 (शक) पूर्वाह्न 11.00 बजे बुधवार, तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्रीमती करूणा शुक्ला श्री पंकज चौधरी	121
2.	श्री नवीन जिन्दल	122
3.	श्रीमती नीता पटैरिया श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	123
4.	श्री जी.एम. सिद्दीश्वर	124
5.	श्री महाबीर भगोरा श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	125
6.	श्री हितेन बर्मन श्री मणि चारेनामै	126
7.	श्री प्रभुनाथ सिंह श्री किन्जरपु येरननायडु	127
8.	श्री रामदास आठवले श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता	128
9.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री सुग्रीव सिंह	129
10.	श्री एल. राजगोपाल श्री चेंगरा सुरेन्द्रन	130
11.	श्री पी.सी. गद्दीगठडर श्री एम. शिवना	131
12.	श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	132
13.	श्री रशीद मसूद	133
14.	श्री अबु अयीश मंडल	134
15.	श्री कीरेन रिजीजू श्री सज्जन कुमार	135
16.	श्री इकबाल अहमद सरडगी श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	136
17.	श्री रायापति सांबासिवा राव श्री एम. अप्पादुरई	137
18.	श्री गिरिधारी यादव श्री जी. करूणाकर रेड्डी	138
19.	श्री रूपचन्द्र मुर्मू श्री हेमलाल मुर्मू	139
20.	श्री मोहन रावले श्री हरिभाऊ राठौड़	140

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	1151, 1171
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	1141, 1168

1	2	3
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	1151, 1186, 1216, 1299
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	1191, 1214
5.	अहीर, श्री हंसराज ग.	1112, 1124, 1171, 1187, 1313
6.	अप्पादुरई, श्री एम.	1171
7.	आठवले, श्री रामदास	1161, 1229, 1288, 1331
8.	'बचदा', श्री बची सिंह रावत	1161
9.	बैठा, श्री कैलाश	1154
10.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	1171, 1244, 1266, 1289
11.	बर्मन, श्री हितेन	1221, 1286
12.	बर्मन, श्री रनेन	1235
13.	बखला, श्री जोवाकिम	1161, 1235
14.	भडाना, श्री अवतार सिंह	1151
15.	भगोरा, श्री महावीर	1113, 1222, 1284, 1330
16.	भक्त, श्री मनोरंजन	1231
17.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	1119, 1207, 1274, 1287, 1329
18.	बोस, श्री सुव्रत	1161
19.	बुधौलिया, श्री राजनरायण	1167, 1249, 1304
20.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	1161, 1171, 1198
21.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	1190
22.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	1159, 1162, 1194, 1247
23.	चारेनामै, श्री मणि	1267
24.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	1191

1	2	3
25.	चिन्ता, मोहन, डा.	1145
26.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	1189
27.	चौधरी, श्री पंकज	1161, 1246, 1302
28.	चौधरी, श्री अधीर	1171, 1195, 1309
29.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	1194, 1203
30.	देवरा, श्री मिलिन्द	1137, 1190, 1224, 1285, 1309
31.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	1170, 1247, 1252, 1307
32.	धोत्रे, श्री संजय	1120, 1121, 1223
33.	धूमल, प्रो. प्रेम कुमार	1214, 1231, 1336
34.	दूबे, श्री चन्द्र शेखर	1139, 1276
35.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	1142, 1190
36.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	1135
37.	गद्दीगठडर, श्री पी.सी.	1232, 1291, 1334
38.	गढ़वी, श्री पी.एस.	1171, 1254
39.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	1161, 1182, 1202, 1231, 1270
40.	गंगवार, श्री संतोष	1161, 1169, 1235
41.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	1120, 1121
42.	गेहलोत, श्री थावरचन्द्र	1151, 1238
43.	गुढ़े, श्री अनंत	1160
44.	हसन, चौ. मुनव्वर	1197
45.	हुसैन, श्री अनवर	1115, 1146, 1248, 1303
46.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	1184, 1235, 1320

1	2	3
47.	जगन्नाथ, डा. एम.	1109, 1157, 1244, 1301
48.	झा, श्री रघुनाथ	1196, 1228
49.	जिन्दल, श्री नवीन	1161, 1220, 1231, 1283
50.	जोगी, श्री अजीत	1161, 1188, 1231
51.	कलमाड़ी, श्री सुरेश	1204, 1272
52.	कनोडिया, श्री महेश	1149, 1261, 1311
53.	करूणाकरन, श्री पी.	1148
54.	खैरे, श्री चंद्रकांत	1117, 1208, 1275, 1322
55.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	1164
56.	खारवेनथन, श्री एस.के.	1125, 1190, 1212, 1278, 1324
57.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	1118, 1190, 1211, 1277
58.	कोया, डा. पी.पी.	1206, 1273, 1321
59.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	1160
60.	कृष्ण, श्री विजय	1183, 1260, 1310
61.	कृष्णादास, श्री एन.एन.	1161
62.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	1192
63.	कुसमरिया, डा. रामकृष्ण	1161
64.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	1145, 1151
65.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	1203
66.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	1122, 1237, 1296
67.	महरिया, श्री सुभाष	1225
68.	महतो, श्री नरहरि	1129, 1218

1	2	3
69.	महताब, श्री भर्तृहरि	1235, 1247
70.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	1161, 1166, 1235
71.	मंडल, श्री सनत कुमार	1140, 1177, 1246
72.	माने, श्रीमती निवेदिता	1182, 1202, 1270, 1315
73.	मसूद, श्री रशीद	1233, 1292
74.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	1250, 1292, 1305
75.	मोल्लाह, श्री हन्नान	1174
76.	मंडल, श्री अबू अयीश	1234, 1293
77.	मोरे, श्री वसंतराव	1116, 1299
78.	मुर्मू, श्री हेमलाल	1111, 1251, 1306
79.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	1235
80.	नन्दी, श्री अमिताभ	1173
81.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	1135, 1160
82.	निखिल कुमार, श्री	1171
83.	ओराम, श्री जुएल	1199, 1268, 1295, 1320
84.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1130, 1231, 1265, 1317, 1337
85.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	1131, 1219, 1231, 1282, 1327
86.	पाण्डा, श्री प्रबोध	1256, 1309
87.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	1127, 1144, 1161, 1171
88.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	1136, 1221
89.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	1161
90.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	1161, 1230, 1289, 1332

1	2	3
47.	जगन्नाथ, डा. एम.	1109, 1157, 1244, 1301
48.	झा, श्री रघुनाथ	1196, 1228
49.	जिन्दल, श्री नवीन	1161, 1220, 1231, 1283
50.	जोगी, श्री अजीत	1161, 1188, 1231
51.	कलमाड़ी, श्री सुरेश	1204, 1272
52.	कनोडिया, श्री महेश	1149, 1261, 1311
53.	करूणाकरन, श्री पी.	1148
54.	खैरे, श्री चंद्रकांत	1117, 1208, 1275, 1322
55.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	1164
56.	खारवेनथन, श्री एस.के.	1125, 1190, 1212, 1278, 1324
57.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	1118, 1190, 1211, 1277
58.	कोया, डा. पी.पी.	1206, 1273, 1321
59.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	1160
60.	कृष्ण, श्री विजय	1183, 1260, 1310
61.	कृष्णादास, श्री एन.एन.	1161
62.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	1192
63.	कुसमरिया, डा. रामकृष्ण	1161
64.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	1145, 1151
65.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	1203
66.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	1122, 1237, 1296
67.	महरिया, श्री सुभाष	1225
68.	महतो, श्री नरहरि	1129, 1218

1	2	3
69.	महताब, श्री भर्तृहरि	1235, 1247
70.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	1161, 1166, 1235
71.	मंडल, श्री सनत कुमार	1140, 1177, 1246
72.	माने, श्रीमती निवेदिता	1182, 1202, 1270, 1315
73.	मसूद, श्री रशीद	1233, 1292
74.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	1250, 1292, 1305
75.	मोल्लाह, श्री हन्नान	1174
76.	मंडल, श्री अबू अयीश	1234, 1293
77.	मोरे, श्री वसंतराव	1116, 1299
78.	मुर्मू, श्री हेमलाल	1111, 1251, 1306
79.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	1235
80.	नन्दी, श्री अमिताभ	1173
81.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	1135, 1160
82.	निखिल कुमार, श्री	1171
83.	ओराम, श्री जुएल	1199, 1268, 1295, 1320
84.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1130, 1231, 1265, 1317, 1337
85.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	1131, 1219, 1231, 1282, 1327
86.	पाण्डा, श्री प्रबोध	1256, 1309
87.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	1127, 1144, 1161, 1171
88.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	1136, 1221
89.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	1161
90.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	1161, 1230, 1289, 1332

1	2	3
91.	पाठक, श्री ब्रजेश	1205
92.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	1156
93.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	1190, 1249
94.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	1171, 1244, 1266
95.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	1127, 1161
96.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	1178, 1257
97.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	1333
98.	राजगोपाल, श्री एल.	1231, 1290, 1333
99.	रामदास, प्रो. एम.	1144
100.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	1176, 1227, 1231, 1289
101.	राणा, श्री काशीराम	1161, 1165, 1255
102.	रानी, श्रीमती के.	1249
103.	राव, श्री के.एस.	1145, 1235
104.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	1161, 1226, 1295, 1336
105.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	1159, 1257
106.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	1113, 1161, 1215, 1280
107.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	1143, 1150
108.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	1161, 1171, 1244
109.	रेड्डी, श्री. एम. श्रीनिवासुलु	1151, 1155, 1242, 1298, 1299
110.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	1158
111.	रेड्डी, श्री सुखराम सुधाकर	1203
112.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	1172, 1255, 1297

1	2	3
113.	रिजीजू, श्री किरेन	1235
114.	साई प्रताप, श्री ए.	1154, 1240
115.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	1161, 1209, 1294, 1335
116.	सरोज, श्री तूफानी	1159, 1235, 1245
117.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	1296
118.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	1151, 1231, 1271, 1318
119.	सेन, श्रीमती मिनाती	1134, 1243, 1264, 1327
120.	सेनथिल, डा. आर.	1236
121.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	1133, 1295
122.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	1244
123.	शर्मा, श्री मदल लाल	1144
124.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	1186, 1216, 1241, 1263, 1316
125.	शिवन्ना, श्री एम.	1244, 1249, 1269, 1291
126.	शुक्ला, श्रीमती करूणा	1171
127.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	1110, 1210, 1323
128.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	1144, 1180
129.	सिंह, देव, श्रीमती संगीता कुमारी	1172, 1178, 1257
130.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	1179, 1258
131.	सिंह, चौधरी लाल	1152, 1239
132.	सिंह, श्री दुष्यंत	1200
133.	सिंह, श्री गणेश	1153, 1190, 1245, 1301
134.	सिंह, श्री मानवेन्द्र	1201

1	2	3
135.	सिंह, श्री मोहन	1154, 1194
136.	सिंह, प्रभुनाथ	1228, 1287
137.	सिंह, श्री रेवती रमन	1181
138.	सिंह, श्री सुग्रीव	1161, 1230, 1231, 1289
139.	सिंह, श्री सूरज	1168
140.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	1149, 1261, 1311
141.	सुब्बा, श्री एम.के.	1128, 1217, 1281, 1325
142.	सुगावनम, श्री ई.जी.	1126, 1213, 1279, 1302, 1326
143.	सुमन, श्री रामजीलाल	1151, 1175
144.	थामस, श्री पी.सी.	1163
145.	तुम्मर, श्री पी.के.	1165
146.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	1144
147.	त्रिपाठी, श्री वृज किशोर	1114, 1138, 1253
148.	वल्लभनेनी, श्री बालशौरी	1193
149.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	1132
150.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	1182, 1231, 1259, 1319
151.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	1185, 1262, 1312
152.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	1108, 1147, 1186, 1241, 1297
153.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	1132
154.	यादव, श्री गिरिधारी	1159
155.	यादव, श्री राम कृपाल	1123, 1257
156.	येरनायडु, श्री किंजरापु	1264, 1287, 1314, 1328

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	121, 125, 131
गृह	126, 127, 128, 129, 135
मानव संसाधन विकास	123, 124, 130, 133, 134, 136
सूचना और प्रसारण	137, 140
खान	
संसदीय कार्य	
वस्त्र	138
जनजातीय कार्य	122, 132, 139
महिला और बाल विकास	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	1109, 1114, 1116, 1121, 1124, 1124, 1126, 1132, 1134, 1136, 1141, 1142, 1144, 1145, 1146, 1148, 1151, 1158, 1164, 1167, 1179, 1180, 1182, 1192, 1208, 1214, 1216, 1219, 1220, 1227, 1230, 1231, 1243, 1249, 1253, 1257, 1268, 1270, 1271, 1272, 1275, 1291, 1292, 1293, 1298, 1301, 1302, 1304, 1305, 1309, 1315, 1325, 1329, 1330, 1334
गृह	1118, 1127, 1129, 1130, 1131, 1147, 1152, 1154, 1161, 1166, 1170, 1172, 1174, 1178, 1181, 1184, 1188, 1194, 1197, 1200, 1201, 1203, 1209, 1210, 1211, 1218, 1221, 1225, 1228, 1229, 1235, 1238, 1239, 1240, 1244, 1251, 1256, 1258, 1265, 1266, 1269, 1273, 1280, 1283, 1285, 1286, 1287, 1306, 1308, 1313
मानव संसाधन विकास	1110, 1111, 1117, 1119, 1120, 1123, 1135, 1137, 1143, 1150, 1153, 1156, 1157, 1159, 1169, 1171, 1176, 1193, 1195, 1196, 1198, 1204, 1206, 1207, 1212, 1223, 1224, 1226, 1236, 1241, 1242, 1246, 1260, 1277, 1279, 1288, 1289, 1290, 1294, 1297, 1299, 1310, 1316, 1317, 1318, 1319, 1321, 1328, 1338

सूचना और प्रसारण	1115, 1160, 1163, 1168, 1177, 1248, 1254, 1267, 1274, 1177, 1278, 1282, 1303, 1314, 1322, 1324, 1331, 1336
खान	1122, 1139, 1175, 1183, 1187, 1199, 1205, 1261, 1276, 1284, 1307, 1332, 1337
संसदीय कार्य	
वस्त्र	1108, 1112, 1113, 1128, 1133, 1138, 1149, 1155, 1162, 1173, 1186, 1191, 1213, 1217, 1232, 1245, 1247, 1255, 1259, 1262, 1281, 1223, 1326
जनजातीय कार्य	1190, 1215, 1222, 1233, 1234, 1263, 1295, 1311, 1320
महिला और बाल विकास	1140, 1165, 1185, 1189, 1202, 1237, 1250, 1252, 1264, 1296, 1300, 1312, 1327, 1333

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रका
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।